SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या–6

(निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या–6

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय–सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	vii
अध्याय I: परिचय एवं लेखापरीक्षा की रुपरेखा		
1.1	परिचय	1
1.2	हर जल नल का जल योजना निश्चय के अंतर्गत परिवारों के आच्छादन पर विचार	3
1.3	संगठानात्मक संरचना	3
1.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.5	लेखापरीक्षा मानदंड	5
1.6	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	5
1.7	आभार एवं सीमाएं	6
1.8	अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण	6
अध्याय II: योजनाओं का नियोजन और वित्त व्यवस्था		
2.1	हर घर नल का जल योजना का नियोजन	9
2.1.1	ग्रामीण वार्डों को आच्छादित करने का दायरा	9
2.1.2	ग्रामीण वार्डों के आच्छादन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण	12
2.1.3	शहरी वार्डों के आच्छादन के लिए कार्य क्षेत्र	15
2.1.4	शहरी वार्डों की आच्छादन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण	15
2.1.5	ग्रामीण क्षेत्र में योजना के महत्वपूर्ण घटकों का योजना निर्माण	16
2.1.6	शहरी क्षेत्र में आवश्यक घटकों का योजना निर्माण	17
2.1.7	हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन के आरंभ होने में विलंब	19
2.2	हर घर नल का जल योजना का वित्तीय प्रबंधन	21
2.2.1	ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना का वित्त पोषण	22
2.2.2	शहरी क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना हेतु निधि का प्रबंधन	27
अध्याय III: हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण		
3.	हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन	31
3.1	ग्रामीण क्षेत्र में वार्डों के आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग	32
3.2	शहरी क्षेत्रों में वार्डों के आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग	34
3.3	ग्रामीण और शहरी वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन	35
3.3.1	ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सर्वेक्षण के मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं क्षमता का संवर्धन	36
3.3.2	नई पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण	39
3.3.3	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत अकार्यशील योजनाएँ	43
3.3.4	हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत अनुबंध प्रबंधन	45

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
3.4	संचालन एवं अनुरक्षण	51
3.4.1	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत योजनाओ का संचालन एवं अनुरक्षण	51
3.4.2	पंचायती राज विभाग में संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निधियों का अपर्याप्त प्रावधान	53
3.4.3	नगर निकायों में संचालन एवं अनुरक्षण की स्थिति	55
अध्याय IV: जल गुणवत्ता प्रबंधन एवं सेवा स्तर मानक		
4.1	हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रबंधन	59
4.1.1	गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डो का आच्छादन	59
4.1.2	गुणवत्ता प्रभावित शहरी वार्डो का आच्छादन	64
4.1.3	जल गुणवत्ता परीक्षण और जल परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली	65
4.1.4	अन्य अनियमितताए	71
4.2	जलापूर्ति में सेवा स्तर मानकों की उपलब्धि	72
4.2.1	जलापूर्ति कनेक्शन का आच्छादन	72
4.2.2	प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति	75
4.2.3	जल आपूर्ति की निरंतरता	75
अध्याय V: मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तंत्र		
5.1	ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति अवसंरचना का अनुश्रवण	77
5.1.1	क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग, पंचायती राज विभाग (राज्य स्तर)	77
5.1.2	संचालन एवं अनुरक्षण हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में अपर्याप्त मानवबल	79
5.1.3	योजनाओं की भौतिक स्थिति की रिपोर्टिंग	79
5.1.4	गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम	81
5.1.5	गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण	81
5.2	शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का अनुश्रवण	83
5.3	सर्वेक्षण एवं निगरानी	83
5.3.1	विभाग द्वारा आई.ओ.टी. की स्थापना लागत का मानकीकरण नहीं किया जाना	84
5.3.2	नमूना जांचित डब्ल्यू.आई.एम.सी. एव लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में आई.ओ.टी. का अकार्यशील होना	86
5.4	जन शिकायत	87

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरणी	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	वार्ड क्रियान्वयण समितियों के द्वारा अभिश्रवों की अप्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी	1.8	91
1.2	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा मापी पुस्त की अप्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी	1.8	92
2.1	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थान पर डब्ल्यू.आइ. एम.सी. (पं.रा.वि.) के द्वारा गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के आच्छादन की विवरणी	2.1.1.1	93
2.2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग या पं.रा.वि. द्वारा डब्लयू.आई. एम.सी. वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना	2.1.1.1	95
2.3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में फ्लोराइड शोधन सयंत्र के अधिष्ठापन पर परिहार्य व्यय	2.1.1.2	96
2.4	वर्ष 2017–18 से 2022–23 के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में हर घर नल का जल (पं.रा.वि.) योजना की वित्तीय स्थिति	2.2.1.1	97
2.5	नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल में हर घर नल का जल योजना के लिए आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी	2.2.1.2	99
2.6	औरंगाबाद जिले में अधूरी / प्राथमिकी दर्ज योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि की मांग नहीं किये जाने से सम्बंधित विवरणी	2.2.1.3	102
2.7	डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा ग्राम पंचायतों को वापस नहीं की गई राशि की विवरणी	2.2.1.3	104
2.8	ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को कम राशि का हस्तांतरण के अलावा विलम्ब से हस्तातरण को दर्शाती विवरणी	2.2.1.4	109
2.9	डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा राशि की अधिक निकासी	2.2.1.5	111
2.10	नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों में हर–घर नल का जल योजना में आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी	2.2.2.1	113
3.1	नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में अधूरे कार्यों की सूची	3.1	117
3.2	नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में विद्यमान पाइप जलापूर्ति योजना के अंतर्गत प्राकलनों के संशोधन से संबंधित विवरण	3.3.1	121
3.3	नमूना जांचित प्रमंडलों में नमूना जांचित एकरारनामों के अनुसार संवेदक द्वारा छोड़े गए कार्य के कारण अपूर्ण वार्डों का विवरण	3.3.2.1	124
3.4	कठिन भू–भाग के पाँच वार्डों में अपूर्ण योजनाओं पर व्यय का विवरण	3.3.2.1	127
3.5	कठिन भू–भाग के सोलह वार्डों में अपूर्ण योजनाओं पर व्यय का विवरण	3.3.2.1	128
3.6	पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित अपूर्ण हर घर नल का जल योजना का विवरण	3.3.2.2	129
3.7	शहरी क्षेत्रों में अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी	3.3.2.3	133
3.8	पंचायती राज विभाग के अक्रियाशील वार्डों की विवरणी	3.3.3	136

परिशिष्ट	विवरणी	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.9	बिना कार्य का निष्पादन किए ही भुगतान की विवरणी	3.3.4.2	140
3.10	नमूना जांचित योजनाओं में जहाँ संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया	3.4.1.1	141
3.11	संचालन एवं अनुरक्षण लागत का मापी लेने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने वाले एकरारनामों की विवरणी	3.4.1.1	142
3.12	पाक्षिक जल परीक्षण की लागत के अनियमित भुगतान का विवरण	3.4.1.2	145
3.13	नगर निकायों की वे योजनाएँ जिनको संचालन एवं अनुरक्षण के अंतर्गत नहीं रखा गया	3.4.3.1	150
3.14	उपभोक्ता शुल्क की वसूली न होने का विवरण	3.4.3.3	152
4.1	शेरघाटी के फ्लोराइड प्रभावित वार्डो की सूची	4.1.1.3	155
4.2	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल जमुई के फ्लोराइड प्रभावित वार्ड जहाँ एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किया गया है	4.1.1.3	156
4.3	औरंगाबाद में जल में फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत स्तर से अधिक की उपस्थिति	4.1.1.3	157
4.4	फ्लोराइड निश्कासन संयंत्र के क्षमता का कम प्रावधान	4.1.1.4	158
4.5	नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में स्थापित जल शोधन संयंत्र की स्थिति	4.1.2.1	159
4.6	न्यूनतम आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जिलों में प्रयोगशालाओं की कम क्षमता	4.1.3.1	160
4.7	नमूना जांचित प्रमंडलो की प्रयोगशालाओं में रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक के लिए स्वीकृत पद तथा कार्यरत बल	4.1.3.2	162
4.8	नमूना जांचित प्रमंडलो में उपकरणों की स्थिति	4.1.3.3	163
4.9	अप्रयुक्त एफ.टी.के. एवं एच$_2$एस वायल्स का विवरण	4.1.3.5	164
4.10	नमूना जांचित जिलों में लो.स्वा.अभि.वि. के प्रतिवेदन एवं नमूना जांचित एकरारनामा के अनुसार परिवारों के आच्छादन का विवरण	4.2.1.1	165
4.11	नमूना जांचित पंचायतों में पं.रा.वि. की निश्चयसॉफ्ट प्रतिवेदन तथा नमूना जांचित पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार परिवारों के आच्छादन का विवरण	4.2.1.2	166
4.12	निरंतर जलापूर्ति हेतु पानी टंकी की अपर्याप्त व्यवस्था	4.2.3	167
4.13	शहरी स्थानीय निकायों के योजनाओं में जल टंकी की अपर्याप्त व्यवस्था	4.2.3	168
5.1	लोक स्वास्थय प्रमंडलों में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के कार्यभार का विवरण	5.1.2	169
5.2	निश्चयसॉफ्ट पर अकार्यशील योजनाओं को कार्यशील दिखाये जाने का विवरण	5.1.3.1	170
5.3	निश्चयसॉफ्ट पर अकार्यशील योजनाओं को नहीं दर्शाए जाने का विवरण	5.1.3.1	171
5.4	गुणवत्ता परिक्षण से पूर्व बिछाये गए पाइप का विवरण	5.1.5.1	172
5.5	नमूना जांचित जिलों में आई.ओ.टी. की न्यूनतम लागत की तुलना में अधिक भुगतान का विवरण	5.3.1	173

प्राक्कथन

यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के लिए बिहार में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में नमूना–लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ–साथ वैसे मामले भी उल्लेखित हैं जों पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गये, परंतु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहाँ भी प्रासंगिक पाया गया, 2022–23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन सीमित नमूना–जांच पर आधारित है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बिहार में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित करता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में सिर्फ 2.60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों एवं 20 प्रतिशत शहरी परिवारों को ही नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी। पेयजल के लिए राज्य मुख्यतः भूजल पर निर्भर था। कुल मिलाकर, राज्य के 38 में से 28 जिले विभिन्न प्रदूषकों (आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं लौह) की उपस्थिति के कारण खराब पानी की गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त थे।

बिहार सरकार ने दिसंबर 2015 में हर घर नल का जल योजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल पाइपयुक्त जलापूर्ति के माध्यम से उपलब्ध कराना, जलजनित रोगों में कमी लाना तथा वर्ष 2020 तक पेयजल हेतु हैंडपंपों पर निर्भरता समाप्त करना था।

हर घर नल का जल योजना का राज्य में क्रियान्वयन तीन विभागों, अर्थात् पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से किया गया। इस योजना के लिए वित्तपोषण राज्य के अपने बजट, केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदानों तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों से किया गया। 2017–18 से 2022–23 की अवधि के दौरान, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग ने योजना के क्रियान्वयन हेतु अपनी कार्यान्वयन इकाइयों को कुल ₹30,500.92 करोड़ आवंटित किए गए।

वर्ष 2017–18 से 2022–23 के अवधि के लिए, राज्य के 12 चयनित जिलों में हर घर नल का जल योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा जून से नवंबर 2023 के दौरान किया गया था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे प्रमुखता से दर्शाया गया है–

योजना के अंतर्गत मार्च 2023 तक ग्रामीण परिवारों का प्रतिवेदित आच्छादन बढ़ा–चढ़ाकर दर्शाया गया था। लक्षित ग्रामीण परिवारों का 98.70 प्रतिशत कुल आच्छादन प्रतिवेदित किया गया था, जबकि नवंबर 2025 तक (जल जीवन मिशन–हर घर जल डैशबोर्ड के अनुसार) वास्तविक आच्छादन केवल 95.71 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का था।

शहरी क्षेत्रों के संबंध में, मार्च 2023 तक नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों के 94 प्रतिशत आच्छादन की सूचना दी गई, जो मार्च 2020 तक शहरी परिवारों के 100 प्रतिशत आच्छादन के योजना लक्ष्यों की अप्राप्ति को दर्शाता है।

आधारभूत सर्वेक्षणों के अभाव/अपर्याप्तता के कारण हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत परिवारों के लक्ष्य निर्धारण एवं आच्छादन का आकलन वास्तविकता से परे था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 46,633 ग्रामीण वार्डों के अंतर्गत 11.22 लाख परिवारों का आच्छादन नहीं कर सका, जिनमें जल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों के 8.07 लाख परिवार भी सम्मिलित थे।

योजना के क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के बीच वार्डों के विभाजन में स्पष्टता का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप इन

कार्यान्वयनकारी विभागों के मध्य समन्वय की कमी पाई गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 77 जल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों का ग्राम पंचायतों की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा जल शोधन संयंत्रों के बिना आच्छादन किया गया, जबकि 19 गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों को योजना के अंतर्गत आच्छादित ही नहीं किया गया।

1,000 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए बिना तथा विस्तृत सर्वेक्षण एवं कार्यस्थलों की पहचान किए बिना योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, उन बसावटों में ₹ 2.77 करोड़ मूल्य की 15 योजनाओं के अंतर्गत फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र (FRP) स्थापित किए गए, जहाँ उच्च स्तर के फ्लोराइड से जल गुणवत्ता प्रभावित ही नहीं थी।

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का प्रारंभ विलंब से किया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा यद्यपि योजनाओं को वर्ष 2019–20 के अंत तक पूर्ण किया जाना था, तथापि 59 प्रतिशत योजनाएं केवल वर्ष 2019–20 में अथवा 2018–19 के अंतिम चरण में ही प्रारंभ की गईं, जिसके परिणामस्वरूप नल जलापूर्ति सेवाएँ उपलब्ध कराने में विलंब हुआ।

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत किए गए क्रियान्वयन प्रयासों के बावजूद, बिहार में जल गुणवत्ता प्रबंधन अपर्याप्त बना रहा। अनेक जल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों का या तो आच्छादन नहीं किया गया अथवा वहाँ कार्यशील जल शोधन संयंत्र उपलब्ध नहीं थे। जहाँ जल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए, वहाँ भी वे प्रायः अकार्यशील अथवा अपर्याप्त क्षमता के पाए गए। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज विभाग एवं शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं में क्लोरीनेटरों का प्रायः अभाव रहा, जिससे कीटाणुशोधन मानकों से समझौता हुआ।

आधारभूत संरचना की कमी, मानवबल की कमी, परीक्षण किटों के अप्रयोग तथा मोबाइल प्रयोगशालाओं के गैर–परिचालन के कारण जल गुणवत्ता परीक्षण अपर्याप्त रहा। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से प्रत्यायन केवल कुछ ही प्रयोगशालाओं तक सीमित रहा। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में परिवार असुरक्षित पेयजल के संपर्क में आए, जिससे योजना का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

योजना में गुणवत्ता प्रभावित सभी वार्डों का आच्छादन नहीं किया गया था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 41 वार्डों में योजना का क्रियान्वयन बिना जल शोधन संयंत्र के किया गया था। नमूना जांचित पांच लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन के बिना ही संवेदकों को ₹ 2.31 करोड़ का भुगतान किया गया था।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु स्थापित संस्थागत प्रावधान एवं दिशानिर्देश, प्रणालीगत कमियों से ग्रस्त थे। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग राज्य/जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ तथा क्वालिटी मॉनिटर गंभीर मानवबल की कमी से जूझते रहे, जिससे पर्यवेक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निश्चय सॉफ्ट एवं नगरसेवा जैसे निगरानी प्लेटफॉर्म या तो अविश्वसनीय पाए गए अथवा अकार्यशील रहे। इसके अतिरिक्त, लाभुक समिति, जल चौपाल तथा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से समुदाय सहभागिता एवं जागरूकता कार्यक्रम न्यूनतम रहे, जबकि तृतीय–पक्ष तथा स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्रों का अत्यंत अल्प उपयोग किया गया।

योजना के वास्तविक–समय निगरानी हेतु आई.ओ.टी. उपकरणों के अधिष्ठापन एवं अनुरक्षण में अमानकीकृत क्रय प्रक्रियाएँ, लागत में असंगतियाँ तथा अधिष्ठापन के पश्चात अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के कारण कमियाँ पाई गईं। इसके अतिरिक्त, लोक शिकायत निवारण प्रणालियाँ कमजोर रहीं, जहाँ अधिकांश लाभार्थी शिकायत निवारण तंत्र से अनभिज्ञ थे तथा शिकायतों के निस्तारण का समुचित अभिलेखीकरण नहीं किया गया। इन कमियों ने सामूहिक रूप से हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी तथा सेवा प्रदायगी में बाधा उत्पन्न की।

अनुशंसाएं :

राज्य सरकारः

1. यह सुनिश्चित कर सकती है कि विस्तृत सर्वेक्षण तथा घरों/वार्डों की पहचान के माध्यम से हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पात्र लाभूकों को प्रभावी नियोजन एवं शत–प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाए।

2. यह सुनिश्चित कर सकती है कि विभागों/क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ किया जाए, ताकि सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु आवश्यक क्लोरीनेटर आदि जैसे अनिवार्य घटकों का प्रावधान सभी जलापूर्ति योजनाओं में किया जाए, भले ही योजना का क्रियान्वयन किसी भी एजेंसी द्वारा किया गया हो।

3. यह सुनिश्चित कर सकती है कि हर घर नल का जल योजना हेतु विभिन्न अनुदान मदों के अंतर्गत आवंटित निधियों का पृथक् एवं विस्तृत लेखांकन किया जाए, न कि उनका समग्र सात निश्चय योजना के अंतर्गत विलय किया जाए। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों के द्वारा इन आवंटनों के विरूद्ध वास्तविक रूप से किए गए व्यय की सतत् निगरानी की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी वित्तीय पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

4. योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व उचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करते हुए योजना निर्माण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में वास्तविक क्षेत्रीय प्रगति को प्रतिबिंबित करते हुए एक वास्तविक समय–आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई जा सकती है।

5. अनुबंध एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा विलंब, अतिरिक्त भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों से बचाव हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

6. सतत् सेवा सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण हेतु समय पर धनराशि उपलब्ध कराना, विद्युत् आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान करना, उपभोक्ता शुल्क की वसूली को प्रोत्साहित करना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों के बीच प्रभावी समन्वय को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

7. सभी गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों को कार्यशील जल शोधन संयंत्र से आच्छादित किया जाए, ताकि लक्षित परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

8. परीक्षण सुविधाओं में सुधार हेतु प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत कर सकती है और पर्याप्त मानवबल की नियुक्ति कर सकती है। संबंधित विभाग अपने पर्यवेक्षण और

निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं ताकि सभी आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण किए जा सके।

9. जहाँ भी आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई जाती है, वहाँ समय पर और उपयुक्त सुधारात्मक/नियंत्रणात्मक उपाय किए जाएँ।

10. महत्वपूर्ण रिक्त पदों (राज्य क्वालिटी मॉनिटर, जिला क्वालिटी मॉनिटर, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता) को भरकर संस्थागत एवं क्षेत्र–स्तरीय अनुश्रवण कोषांग को सुदृढ करना सुनिश्चित कर सकती है, साथ ही अनुश्रवण कोषांगों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय डाटा रिपोर्टिंग के लिए एम.आई.एस. पोर्टलों को क्रियाशील बनाने का प्रबंध कर सकती है।

11. सामग्री के अनिवार्य तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण, आई.ओ.टी. उपकरणों की मानकीकृत खरीद एवं अनुरक्षण तथा सतर्कता समिति, लाभुक समितियों और जल चौपाल जैसे समुदाय आधारित अनुश्रवण तंत्र के सक्रियकरण के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है।

12 सुलभ शिकायत प्रणाली की स्थापना तथा समुचित अभिलेखीकरण और पर्यवेक्षण के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित कर सकती है।

अध्याय-I

परिचय एवं लेखापरीक्षा की रुपरेखा

अध्याय–I

परिचय एवं लेखापरीक्षा की रुपरेखा

1.1 परिचय

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में ग्रामीण घरों में 2.60 प्रतिशत और शहरी घरों में केवल 20 प्रतिशत को ही नल के जल की सुविधा उपलब्ध थी। पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, राज्य का अधिकांश भाग भूमिगत जल पर निर्भर था, जबकि ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से चापाकल के उपर निर्भर था। इसके अलावा राज्य के 38 जिलों में से 13[1] जिले निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में आर्सेनिक की उपस्थिति से प्रभावित थे, 11[2] जिलों में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा और 11[3] जिलों में लौह तत्व की अधिकता पाई गई। कुल मिलाकर[4], राज्य के 28[5] जिले, जल में विभिन्न प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण जल गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभावित थे, जिससे इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य तथा सामान्य विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

भूजल के प्रदूषण के स्तर के आधार पर, राज्य के जिलों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.) द्वारा या तो गुणवत्ता प्रभावित जिले (जहाँ पानी में आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया गया) या गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिले (जहाँ पानी, ऐसी गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित नहीं था) के रूप में नामित किया गया है। बिहार में गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिलों की स्थिति नीचे दिए गए **मानचित्र** में दर्शाई गई है:

---

[1] *(i) बेगूसराय (ii) भागलपुर (iii) भोजपुर (iv) बक्सर (v) दरभंगा (vi) कटिहार (vii) खगड़िया (viii) लखीसराय (ix) मुंगेर (x) पटना (xi) समस्तीपुर (xii) सारण और (xiii) वैशाली।*

[2] *(i) औरंगाबाद (ii) बांका (iii) भागलपुर (iv) गया (v) जमुई (vi) कैमूर (vii) मुंगेर (viii) नालंदा (ix) नवादा (x) रोहतास और (xi) शेखपुरा।*

[3] *(i) अररिया (ii) बेगूसराय (iii) भागलपुर (vi) कटिहार (v) खगड़िया (vi) किशनगंज (vii) मधेपुरा (viii) मुंगेर (ix) पूर्णिया (x) सहरसा और (xi) सुपौल।*

[4] *दो जिले (भागलपुर और मुंगेर) तीनों प्रकार के प्रदूषकों से प्रभावित थे और तीन जिले (बेगूसराय, कटिहार और खगड़िया) दो प्रकार के प्रदूषकों (आयरन और आर्सेनिक) से प्रभावित थे।*

[5] *(i) औरंगाबाद (ii) अररिया (iii) बांका (iv) बेगूसराय (v) भागलपुर (vi) भोजपुर (vii) बक्सर (viii) दरभंगा (ix) गया (x) जमुई (xi) कटिहार (xii) कैमूर (xiii) खगड़िया (xiv) किशनगंज (xv) लखीसराय (xvi) मधेपुरा (xvii) मुंगेर (xviii) नालंदा (xix) नवादा (xx) पटना (xxi) पूर्णिया (xxii) रोहतास (xxiii) सहरसा (xxiv) समस्तीपुर (xxv) सारण (xxvi) शेखपुरा (xxvii) सुपौल और (xxviii) वैशाली।*

बिहार के गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिले

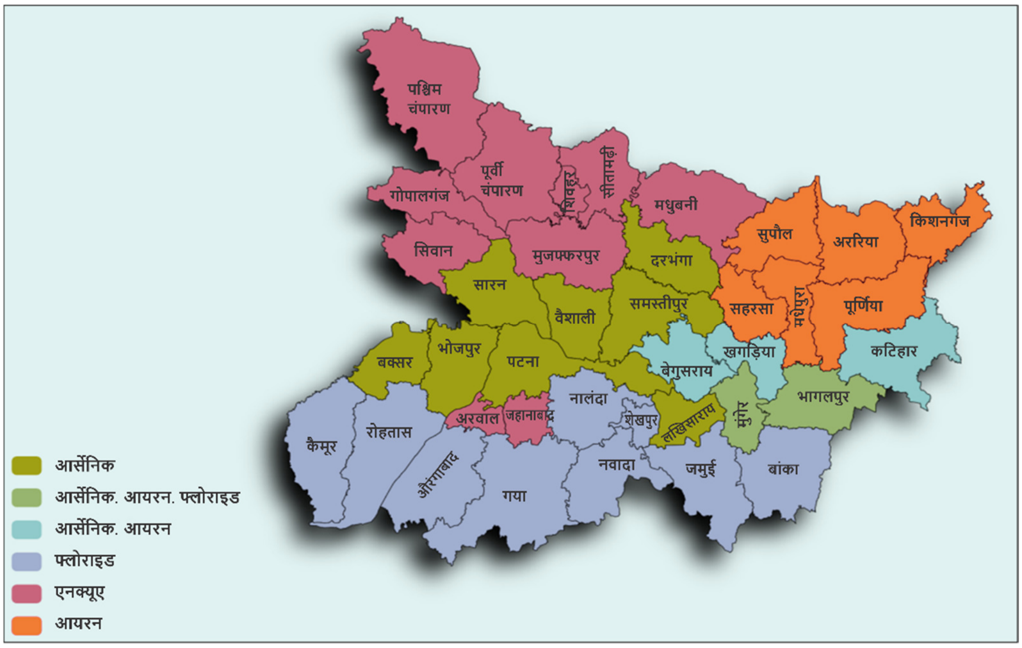

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि. की लक्ष्य और उपलब्धि प्रतिवेदन)

जैसा कि ऊपर दिए गए मानचित्र से देखा जा सकता है, राज्य में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे विभिन्न प्रदूषकों की उपस्थिति के आधार पर 28 गुणवत्ता प्रभावित और 10 गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिले थे (जुलाई 2018 तक)।

नल के पानी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए बनाई गई हर घर नल का जल योजना को बिहार सरकार ने दिसंबर 2015 में राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम के तहत अपने सात संकल्पों (सात निश्चय)[6] के भाग के रूप में शुरू किया था। इस विशिष्ट निश्चय का उद्देश्य वर्ष 2020 तक राज्य के हर घर को सुरक्षित पेयजल की पाइप से आपूर्ति प्रदान करना, जल जनित रोगों को कम करना और पीने के पानी के लिए चापाकल पर निर्भरता को समाप्त करना था।

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर सुरक्षित पेयजल तथा शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाना था, ताकि पेयजल और अन्य घरेलू आवश्यकताओं जैसे खाना बनाना, स्नान करना, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए पानी आदि की पूर्ति की जा सके।

बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना या निश्चय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित चार जल आपूर्ति योजनाओं की शुरूआत (दिसम्बर 2015) की गईः

- ***मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के लिए):*** यह योजना लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उन ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में लागू की गई थी जहाँ पानी की गुणवत्ता निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लोहे, फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित थी। इस योजना के तहत सभी घरों को पाइपलाइन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जानी थी।
- ***मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के लिए):*** यह योजना लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उन गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. के वार्डों में लागू

---

[6] *बिहार सरकार के सात निश्चय (i) आर्थिक हल, युवाओं को बल (ii) आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार (iii) हर घर बिजली (iv) हर घर नल का जल (v) घर तक पक्की गली–नालियां (vi) शौचालय निर्माण, घर का सम्मान (vii) अवसर बढ़े, आगे पढ़े।*

की जानी थी, जहाँ जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं थी या जहाँ लो.स्वा.अभि.वि. पहले से ही निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को लागू कर रहा था।

- ***मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना:*** यह योजना राज्य के गैर–गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. में पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) द्वारा लागू की जानी थी। प्रत्येक वार्ड में इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया 'वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समितियों' (डब्ल्यू.आई.एम.सी.) के माध्यम से की जानी थी, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायतों के संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा किया जाता था।
- ***मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना:*** यह योजना शहरी विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में लागू की जानी थी, जिसे या तो शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के माध्यम से या न.वि. एवं आ.वि. के नियंत्रण में कार्यरत, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) के जरिए क्रियान्वित किया जाना था।

1.2 हर जल नल का जल योजना निश्चय के अंतर्गत परिवारों के आच्छादन पर विचार

हर घर नल का जल योजना मुख्यतः राज्य बजट और वित्त आयोग अनुदानों (केन्द्र तथा राज्य दोनों) से वित्तपोषित थी। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.), जल जीवन मिशन, नीर निर्मल परियोजना, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आदि की निधियों का उपयोग भी हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति संरचनाओं के निर्माण में किया गया। हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत विभिन्न निधि स्रोतों से आच्छादित किए गए वार्डों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: हर घर नल का जल योजना निश्चय के अंतर्गत आच्छादित वार्डों की विवरणी

क्र. सं.	क्रियान्वयन इकाई का नाम	कुल आच्छादित वार्डों की संख्या	निधियों के स्रोत	उल्लेखित निधियों के स्रोत के अंतर्गत आच्छादित वार्डों की संख्या
1	पंचायती राज विभाग	57,767	14वाँ एंव 5वाँ वित्त आयोग एंव राज्य बजट	57,767
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	55,922	राज्य योजना	51,213
			एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.	3,061
			नीर निर्मल परियोजना	1,648
3	नगर विकास एवं आवास विभाग	3,156	राज्य योजना	2,438
			अम्रुत	718

(स्रोत: विभागों के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

1.3 संगठनात्मक संरचना

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति योजनाओं को ग्रामीण वार्डों में लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.सं. द्वारा क्रियान्वित किया जाना था, जबकि शहरी वार्डों में इसे न.वि. एवं आ.वि. द्वारा लागू किया जाना था। राज्य सरकार ने लो.स्वा.अभि.वि. को सभी उपयोगकर्ता विभागों के लिए प्रमुख तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया। हर जल नल का जल योजना की विस्तृत संगठनात्मक संरचना **तालिका 1.2** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.2: हर घर नल का जल योजना के लिए संगठनात्मक संरचना

स्तर	लो.स्वा.अभि.वि.	पं.रा.वि.	न.वि. एव .आ.वि
विभागीय स्तर पर	**लो.स्वा.अभि.वि.** का नेतृत्व प्रधान सचिव द्वारा किया जाता है और यह जल और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह विभाग हर घर नल का जल योजना के नीति निर्माण, योजना तैयार करने तथा समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।	**पं.रा.वि.:** विभागीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिए सचिव/प्रधान सचिव के अधीन एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग की स्थापना की गई थी।	**न.वि. एवं आ.वि:** सचिव/प्रधान सचिव, उप सचिव की मदद से विभागीय स्तर पर योजना की निगरानी करते हैं।
जिला/नगर निकाय स्तर पर	**जिला जल और स्वच्छता समिति**– यह समितियाँ जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित की गई थीं, जिनमें लो.स्वा.अभि.वि. के कार्यपालक अभियंता को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। समिति जिल स्तर पर योजना से संबंधित परियोजनाओं के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी थी।	**जिला जल और स्वच्छता समिति**–इन समितियों का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया गया था जिसमें जिल पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति योजना के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाने के साथ साथ योजना की गुणत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थी।	**नगर पालिका बोर्ड**– जहां शहरी स्थानीय निकायों में योजनाओं की स्वीकृति के लिए नगर पालिका बोर्ड जिम्मेदार था, वहीं नगर आयुक्त/ कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी योजनाओं के विभिन्न घटकों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण की थी। नगर अभियंता योजनाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करने और योजना की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी थे।
प्रमंडल/प्रखंड स्तर पर	**लोक स्वास्थ्य प्रमंडल** जिसका नेतृत्व एक कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाता है, प्रमंडल/प्रखंड स्तर पर योजनों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी था।	**प्रखंड स्तर पर** योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रखंड स्तरीय निगरानी इकाई का गठन किया गया। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी (बीपीआरओ) को एक सहयोगकर्ता के रूप में सहायता प्रदान करनी थी, जबकि मनरेगा के कनीय अभियंता को तकनीकी सहायता प्रदान करनी थी।	--
ग्राम पंचायत स्तर पर	**ग्राम पंचायत**– वार्डों की मंजूरी के बाद ग्रा.पं. जल आपूर्ति योजनाओं के चयन के लिए उत्तरदायी थी। ग्रा.पं. इन योजनाओं की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी थी, जो इसके लिए गठित निगरानी समिति के माध्यम से की जाती थी।	ग्राम पंचायत को मुखिया के नेतृत्व में हर घर नल का जल योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी। डब्ल्यू.आई.एम.सी. के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए मुखिया भी उत्तरदायी थे।	--

(स्रोतः संबंधित विभागों के योजना मार्गदर्शिका)

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों की समीक्षा के लिए किया गया था कि क्या:

- 100 प्रतिशत परिवारों के आच्छादन तथा जलापूर्ति प्रणाली के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु योजना निमार्ण प्रकिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;

- योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों का पालन किया गया;
- योजना के अनुसार पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराया गया तथा निर्धारित सेवा मानक प्राप्त किए गए; तथा
- योजना के क्रियान्वयन हेतु निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावी था।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का बेंचमार्क निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर किया गया:

- हर घर नल का जल योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प, योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देश, मॉडल प्राक्कलन, अनुसूचित दर पुस्तिका
- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (समय–समय पर संशोधित)
- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय–समय पर संशोधित)
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (प्रबंधन संचालन) नियम, 2017
- बिहार वित्तीय नियमावली
- केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन की नियमावली
- केंद्रीय भूजल बोर्ड का प्रतिवेदन
- बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता
- हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण घरों को पाइप जलापूर्ति प्रदान करने हेतु जनवरी 2016 में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जारी विजन और स्ट्रेटेजी दस्तावेज
- तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में निर्दिष्ट सेवा स्तर मानक, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं
- बिहार सरकार द्वारा 2011 में अधिसूचित नागरिक चार्टर
- अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) मिशन का वक्तव्य और दिशानिर्देश।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन जून से नवंबर 2023 के बीच पाँच वर्षों की अवधि (वर्ष 2017–18 से 2022–23 तक) के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली में विभागीय स्तर पर पं.रा.वि., लो.स्वा.अभि.वि. आदि के प्रासंगिक अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच शामिल थी, साथ ही जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत, नगर निकाय स्तर के अभिलेखों तथा बुडको[7] में उपलब्ध दस्तावेजों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, पं.रा.वि., बिहार सरकार की वेबसाइट (पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल[8]) और जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जल जीवन मिशन का भी विश्लेषण किया गया।

अभिलेखों की जांच के अलावा, लेखापरीक्षित इकाइयों के अधिकारियों के साथ मिलकर 534 योजना स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। इसके साथ ही,

---

[7] *बुडको, शहरी विकास एंव आवास विभाग का एक कार्यान्वयन अभिकरण है।*

[8] *पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल का विकास पं.रा.वि. द्वारा योजनाओं की निगरानी और योजनाओं की भौतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।*

हर घर नल का जल योजना के तहत लाभुकों को प्रदान की गई जल आपूर्ति सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रियाएँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए 2,283 लाभुकों का सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा नमूनाः राज्य के सभी घरों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पाइप से उपलब्ध कराने के हर घर नल का जल योजना के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए राज्य के 1,17,820 वार्डों में से 19,464 (17 प्रतिशत) वार्डों को शामिल करने वाले 12[9] चयनित जिलों की 62[10] क्रियान्वयन इकाइयों का चयन किया गया। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जिलों, प्रखंडों, ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चयन हेतु प्रोबैबिलिटी प्रपोर्शन टू साइज (बिना प्रतिस्थापन के) नमूना विधि का प्रयोग किया गया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक अंतर्गमन सम्मेलन 26 मई 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें लो.स्वा.अभि.वि. के मुख्य अभियंता–सह–विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के अतिरिक्त सचिव और पं.रा.वि. के अतिरिक्त सचिव उपस्थित थे। इसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दायरा, मानदंड और कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया। लो.स्वा.अभि.वि. और न.वि. एव आ.वि. द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विस्तृत प्रतिक्रिया (जून 2025) में प्रदान की गई, जिसे प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.7 आभार एवं सीमाएं

लेखापरीक्षा, इस लेखापरीक्षा संचालन के दौरान कार्यान्वयन विभागों और उनकी इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता को स्वीकार करता है। हालांकि, यह देखा गया कि परीक्षण की गई इकाइयों द्वारा सभी वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जैसा कि नीचे की कंडिका में उल्लेखित है।

1.8 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के लिए चुनी गई इकाइयों में सभी आवश्यक दस्तावेज/जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने में निम्नलिखित शामिल थे:

- छः[11] नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में 23 योजनाओं की मापी पुस्तिकायें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गईं।
- चार ग्राम पंचायतों की 35 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा ₹ 5.35 करोड़ के व्यय के समर्थन में कोई अभिश्रव लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–1.1)***।

---

9 *औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, सारण, सुपौल और पश्चिम चंपारण।*

10 *लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों की संख्या: 15; ग्राम पंचायतों की संख्या: 35 और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 12।*

11 *अमीलोना (वार्ड सं. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12), महुआन (वार्ड सं. 1, 2, 4A, 4B, 5, 7, 10, 11, 12, 13), बैरोल (वार्ड सं. 10), ननुआरा (वार्ड सं. 14), सुगापट्टी (वार्ड सं. 4, 8, 10, 14), कालापट्टी (वार्ड सं. 17)।*

- पाँच नमूना जांचित ग्राम पंचायतों की 11[12] वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों ने लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, जिन्हें इन ग्राम पंचायतों द्वारा ₹1.47 करोड़ स्थानांतरित किए गए थे।

- छः[13] लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों ने संबंधित योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल ने 43 योजनाओं ***(परिशिष्ट–1.2)*** के संबंध में मापी पुस्त प्रस्तुत नहीं किए, जबकि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी 12[14] मापी पुस्त प्रस्तुत करने में विफल रहे।

- पाँच[15] नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की गई आधारभूत सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा, नगर परिषद झाझा द्वारा 12[16] योजनाओं के क्रियान्वयन के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों की स्थापना से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गईं।

---

[12] *अमीलोना (वार्ड सं. 1, 2, 5, 8), महुआन (वार्ड सं. 5, 10, 12), ननुआरा (वार्ड सं. 14), सुगापट्टी (वार्ड सं. 8, 14), कालापट्टी (वार्ड सं. 17)।*

[13] *भागलपुर पूर्वी, भागलपुर पश्चिमी, गोपालगंज, जमुई, कटिहार और सुपौल (772 एकरारनामा में से केवल वर्ष 2019–20 का एकरारनामा सं. एसबीडी–88, 89 और 90 का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)।*

[14] *एकरारनामा सं. (वर्ष 2018–19 की एफ2– 24, 26 और वर्ष 2019–20 की एफ2 10 और 11 और वर्ष 2019–20 की एसबीडी (31, 46, 60, 5, 8, 21, 22 और 28)।*

[15] *बेनीपुर, झंझारपुर, रिविलगंज, टेकारी और झाझा।*

[16] *योजना सं. 02/18–19, 08/20–21, 09/20–21, 10/20–21, 53/19–20, 57/19–20, 35/17–18, 37/20–21, 38/20–21, 54/19–20, 06/20–21 और 49/19–20।*

अध्याय-II

योजनाओं का नियोजन और वित्त व्यवस्था

अध्याय–II

योजनाओं का नियोजन और वित्त व्यवस्था

2.1 हर घर नल का जल योजना का नियोजन

हर घर नल का जल योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित नियोजन एवं एक सुव्यवस्थित सेवा वितरण प्रणाली आवश्यक थी। जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है, बिहार सरकार के तीन विभाग यथा लो.स्वा,अभि.वि., पं.रा.वि. तथा न.वि. एवं आ.वि., हर घर नल का जल के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा आवंटित कार्यक्षेत्र के आधार पर, सभी तीनों विभागों द्वारा इन जल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना बनाई गई। लेखापरीक्षा के दौरान हर घर नल का जल योजना से संबंधित जो मुद्दे लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, उन पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.1 ग्रामीण वार्डों को आच्छादित करने का दायरा

बिहार सरकार के संकल्प (दिसंबर 2015) के अनुसार, हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में लो.स्वा.अभि..वि. एवं पं.रा.वि. विभागों के बीच विभाजन, वार्डों/ग्राम पंचायतों की जल गुणवत्ता के आकलन (गुणवत्ता प्रभावित. या गैर गुणवत्ता प्रभावित) की स्थिति तथा उन क्षेत्रों में लो.स्वा.अभि..वि. द्वारा पहले से चालू जलापूर्ति योजनाओं की उपलब्धता पर आधारित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लो.स्वा.अभि..वि. एवं पं.रा.वि. को आवंटित वार्डों की सारांश **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. के बीच ग्रामीण वार्डों का आवटंन

क्रियान्वयन विभाग	क्रियान्वयन विभाग द्वारा क्षेत्र को आच्छादित करने की योजना
लो.स्वा.अभि.वि.	3,068 ग्राम पंचायतों के 30,493 वार्ड, जहाँ जल गुणवत्ता आर्सेनिक, लौह एवं फ्लोराइड से प्रभावित थी (गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतें व वार्ड)।
	1,027 ग्राम पंचायतों के 8,031 वार्ड, जहाँ पेयजल पाइपलाइन योजना पहले से ही लो.स्वा.अभि..वि. द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी या वहाँ मौजूदा जलापूर्ति अवसंरचना मौजूद थी।
	गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के 17,555 गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्ड। इन वार्डों को पहले पं.रा.वि. द्वारा आच्छादित किया जाना था, लेकिन दिसंबर 2018 में इन्हें लो.स्वा.अभि.वि को सौंप दिया गया।
पं.रा.वि.	4,291 गैर–गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के 58,612 वार्ड, जिन्हें लो.स्वा.अभि..वि. द्वारा आच्छादित नहीं किया जा रहा था।

(स्रोत: बिहार सरकार. के द्वारा निर्गत संकल्प और लो.स्वा.अभि..वि और पं.रा.वि. के द्वारा निर्गत पत्र (जुलाई 2018))

ग्राम पंचायतों के गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. कार्यकारी इकाई थी। जबकि, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में योजना के कार्यान्वयन के मामले में, इसका क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के माध्यम से किया गया था।

हालांकि, अभिलेखों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार, के साथ–साथ लो. स्वा.अभि..वि. और पं.रा.वि. विभाग भी हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन के लिए वार्डों के विभाजन में स्पष्टता सुनिश्चित करने में विफल रहे, जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.1.1 वार्डों के विभाजन में स्पष्टता का अभाव

बिहार राज्य में 8,391 ग्राम पंचायतों में कुल 1,14,733 (अगस्त 2016 तक) ग्रामीण वार्ड थे, हालांकि, कुछ ग्रामीण और शहरी वार्डों के विलय के कारण यह संख्या घटकर 8,386 ग्राम पंचायतों में 1,14,691 वार्ड (जुलाई 2018 तक) रह गई।

सभी गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के साथ हीं गुणवत्ता और गैर–गुणवत्ता प्रभावित ऐसे वार्ड, जिनमें पहले से ही लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा पाइप जल आपूर्ति योजनाएं संचालित थीं इस विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत आच्छदित किया जाना था। तदनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2016) कि उसके सभी प्रमंडलों द्वारा नल का जल योजना को 3,378 ग्राम पंचायतों के 46,178 वार्डों में लागू की जाएगी (जिसमें गुणवत्ता प्रभावित वार्डः 25,972 तथा पाइप जल आपूर्ति/गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डः 20,206 थे)।

उपरोक्त के अलावे, राज्य में कुल 17,555 ऐसे वार्ड थे जो न तो गुणवत्ता प्रभावित वार्ड थे और न ही वे लो.स्वा.अभि.वि. की किसी मौजूदा बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आच्छादित थे। लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा लिए गए निर्णय (जुलाई 2018) के अनुसार, इन वार्डों को पं.रा.वि. द्वारा आच्छादित किया जाना था, जिसमें कुल व्यय का 30 प्रतिशत वित्तीय सहयोग और तकनीकी सहायता लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रदान की जानी थी। बाद में लो.स्वा.अभि.वि. ने यह पाया कि हर घर नल का जल योजनाएं एक ही ग्राम पंचायतों में दो अलग–अलग मॉडल के तहत लागू की जा रही थीं। अतः एकरूपता बनाए रखने के लिए, लो.स्वा.अभि.वि. ने निर्णय लिया (दिसंबर 2018) कि इन 17,555 गैर–गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में भी हर घर नल का जल योजना को इसी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। हालांकि, तब तक इनमें से कई इकाइयों (4,587 वार्डों) में डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं पहले ही शुरू या पूरी की जा चुकी थीं। आगे, लो.स्वा.अभि.वि. का यह निर्णय सभी ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण दिसंबर 2018 के बाद भी कुछ वार्डों में पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजनाएं लागू की जाती रहीं। मार्च 2023 तक, कुल 7,756 वार्डों[1] में हर घर नल का जल योजनाएं डब्ल्यू.आई.एम.सी./पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की गईं थीं, जबकि शेष 9,799 वार्डों[2] में योजनाएं लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा पूरी की गईं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में योजना में कमी थी और स्पष्टता का अभाव था। क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच कार्य वितरण को बार–बार संशोधित किया गया, जिससे जमीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ, विशेष रूप से पं.रा.वि. की डब्ल्यू.आई.एम.सी. इकाइयों द्वारा गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन और गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का छूट जाने के मामलों में।

योजना में पाई गई कमियों के कारण नौ[3] नमूना–जांचित जिलों में लेखापरीक्षा के दौरान योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं पाई गईं जैसा की नीचे उल्लेखित है।

- *डब्ल्यू.आई.एम.सी. के द्वारा गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन*

बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार, गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन लो.स्वा.अ.वि. द्वारा किया जाना था। चूंकि ये क्षेत्र निम्न गुणवत्ता वाले जल से प्रभावित थे, अतः जलापूर्ति योजनाओं में जल शोधन संयंत्र की स्थापना को शामिल की जानी थी, जिसे लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा स्थापित किया जाना था। हालांकि,

---

[1] *4,587 वार्डों (दिसम्बर 2018 तक क्रियान्वित) और शेष 12,968 वार्डों में से अतिरिक्त 3,169 वार्डों*

[2] *12,968–3,169= 9,799 वार्डों।*

[3] *औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, मधुबनी, सारण और पश्चिम चंपारण।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच[4] नमूना–जांचित जिलों के 77 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन लो.स्वा.अभि.वि. के बजाय पं.रा.वि. द्वारा (डब्ल्यू.आई. एम.सी. के माध्यम से) किया गया। आगे, ये योजनाएँ हर घर नल जल योजना के अंतर्गत बिना जल शोधन संयंत्र की स्थापना के क्रियान्वित की गईं ***(परिशिष्ट 2.1)***, क्योंकि पं.रा.वि. द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन में जल शोधन संयंत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। फलस्वरूप, इन 77 वार्डों में जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जो हर घर नल का जल योजना के उद्देश्यों के विपरीत है। राज्य/जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों (जुलाई 2020 और सितंबर 2022) में यह भी पाया गया कि 77 वार्डों में से 15 वार्डों में जल, गुणवत्ता मानक से अधिक प्रदूषित थी। औरंगाबाद जिले के दो वार्डों में फ्लोराइड की मात्रा मानक से अधिक थी, तथा भागलपुर पश्चिम के 13 वार्डों में आर्सेनिक/लौह की मात्रा अधिक पाई गई ***(परिशिष्ट 2.1)***।

- *गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन नहीं होना*

बिहार सरकार की संकल्प (दिसंबर 2015) के अनुसार, गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. को लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा आच्छादन किया जाना था। हालांकि, कुछ ग्रा.पं. में गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित दोनों प्रकार के वार्ड थे, और यह देखा गया कि ऐसे ग्रा.पं. के गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में योजना के क्रियान्वयन एजेंसी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी।

इस प्रकार की कमजोर योजना और त्रुटिपूर्ण योजना प्रबंधन के कारण, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार[5] नमूना–जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के अंतर्गत आने वाले गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. के 19 गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति योजनाएं न तो इन प्रमंडलों द्वारा लागू की गईं, और न ही पं.रा.वि. के अंतर्गत गठित *डब्ल्यू.आई.एम.सी.* द्वारा ***(परिशिष्ट 2.2)***। फलस्वरूप, इन घरों को सुरक्षित पाइपयुक्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

वार्डों के बंटवारे में स्पष्टता की कमी के मुद्दे पर लो.स्वा.अभि.वि. ने उत्तर दिया कि प्रारंभ में (अक्टूबर 2016) 46,178 वार्डों में योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया था, बाद में पं.रा.वि. के अनुरोध पर, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जुलाई 2018) लो.स्वा.अभि.वि. एवं पं.रा.वि. के बीच वार्डों विभाजन को स्पष्ट किया। तदनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. को 56,079 वार्डों में योजनाएं लागू करनी थीं, जिनमें 17,555 ऐसे वार्ड भी शामिल थे, जो न तो गुणवत्ता प्रभावित थे और न ही लो.स्वा.अभि.वि. के मौजूदा ढांचे के अंतर्गत आते थे। अगस्त 2018 में, पं.रा.वि. ने निर्णय लिया कि इन 17,555 वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया जाएगा।

विभाग का उत्तर यह दर्शाता है कि वार्डों के वितरण को लेकर विभागों के बीच बार–बार बदलाव हुए, जिससे योजना के क्रियान्वयन में असंगति उत्पन्न हुई।

2.1.1.2 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किये बिना हीं गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन करना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 11 लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को जारी पत्र (मार्च 2016) के अनुसार (जहाँ जल गुणवत्ता फ्लोराइड से प्रभावित थी), फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना था। तदनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा 3,467 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत शामिल करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (मार्च 2016) की गई।

[4] *औरंगाबादः 14 वार्ड, दरभंगाः 11 वार्ड, सारणः 3 वार्ड, जमुईः 1 वार्ड और भागलपुरः 48 वार्ड।*

[5] *गोपालगंज, पूर्वी भागलपुर, पश्चिमी भागलपुर और दरभंगा।*

तदनुसार, संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा इन योजनाओं के लिए आवश्यक अवसंरचना का आकलन करने हेतु नल जल आपूर्ति योजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार की जानी थी।

यह देखा गया कि हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत शामिल की गई 3,467 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में से, प्रारंभ में केवल 1,000 योजनाओं (11 जिलों की 1,000 बसावटों में) के लिए ही लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा योजना बनाई गई और इसकी शुरुआत की गई, जिनमें फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र की व्यवस्था भी शामिल थी। शेष 2,467 बसावटों को बाद में जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृतियों के अंतर्गत लिया गया।

हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गयाा कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा इन 1,000 योजनाओं के लिए निविदाएं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए बिना या कोई विस्तृत सर्वेक्षण किए बिना हीं आमंत्रित की गईं थी। अगस्त 2016 से अप्रैल 2017 के बीच विभाग द्वारा 10 कार्यादेश जारी किए गए, प्रत्येक कार्यादेश में 100 योजनाएं शामिल थीं। प्रत्येक योजना के अंतर्गत 140 घरेलू नल जल संयोजन, एक एफआरपी, एक पंप हाउस और लगभग 1,050 मीटर जीआई पाइपलाइन प्रदान की जानी थी।

डीपीआर तैयार किये बिना हीं समय से पहले निविदा जारी करना और कार्य निष्पादन, परियोजना प्रबंधन और योजना निर्माण में गंभीर कमियों को दर्शाता है। यह देखा गया कि बिना डीपीआर तैयार किए और कार्य स्थलों का सर्वेक्षण एवं पहचान किए बिना ही कार्य आवंटित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना–जाँच के दौरान यह पाया गया कि कुछ इकाइयों में एफआरपी लगाए गए जबकि जल गुणवत्ता के आधार पर उनकी आवश्यकता नहीं थी। नमूना जांचित 200 योजनाओं में से 15 योजनाओ में (जमुई जिले में) में एफआरपी अधिष्ठापित किए गए थे, बावजूद कि ये क्षेत्र फ्लोराइड से प्रभावित नहीं थे (लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के अनुसार)।इससे विभाग की कार्य योजना में कमी उजागर होने के साथ ही एफआरपी के अनावश्यक अधिष्ठापन पर ₹ 2.77 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ ***(परिशिष्ट 2.3)***।

एफआरपी के अनावश्यक अधिष्ठापन के मुद्दे पर लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) उत्तर दिया कि जल स्रोत विकसित होने के बाद जल गुणवत्ता की जांच का प्रावधान था और बाद में यह निर्णय लिया जाना था कि जल गुणवत्ता सुधार उपाय अपनाए जाएं या नहीं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लो.स्वा.अभि.वि. ने योजना की दिशा–निर्देशों का उल्लेख तो किया, लेकिन इन योजनाओं के लिए वास्तव में किए गए परीक्षणों की स्थिति स्पष्ट नहीं की और इस संबंघ में कोई परीक्षण प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराई गई। यद्यपि, जब लेखापरीक्षा द्वारा उक्त 15 योजनाओं में से दो[6] योजनाओं की जल गुणवत्ता जांच संबंधित कनीय अभियंता और जिला प्रयोगशाला के रसायनज्ञ के साथ की गई (सितंबर 2023), तो पाया गया कि दोनों योजनाओं के स्रोत जल में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं थी।

2.1.2 ग्रामीण वार्डों के आच्छादन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी (सितंबर 2016) दिशा–निर्देशों की कंडिका 4.5.1 के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन से पूर्व ग्रामीण वार्डों का एक आधारभूत सर्वेक्षण डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा किया जाना था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य घरों की संख्या तथा सुरक्षित पेयजल की आवश्यक मांग की पहचान करना था। इसके अतिरिक्त, वार्डों में उपलब्ध मौजूदा जलापूर्ति अवसंरचना की पहचान, अन्य संस्थानों जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, बोरिंग स्थल, आवश्यक पाइप की लंबाई आदि की जानकारी भी इस सर्वेक्षण में शामिल की जानी थी।

---

6 *गिद्धौर प्रखंड (जमुई जिला) अंतर्गत सेवा ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 8 और 9।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आधारभूत सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रकार की कमियाँ थीं जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेखित किया गया है:

2.1.2.1 पंचायती राज विभाग के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी. के आधारभूत सर्वेक्षण प्रारूप में अपर्याप्त जानकारी

पंचायती राज विभाग ने जुलाई 2017 में जहाँ नल के कनेक्शन की आवश्यकता थी, के लिए आधारभूत सर्वेक्षण को संचालित करने और कुल परिवारों तथा सामुदायिक स्थलों जैसे स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों आदि की जानकारी एकत्र करने हेतु एक निर्धारित प्रारूप जारी किया था।

नमूना–जांचित जिलों के लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ये आधारभूत सर्वेक्षण सही और व्यापक रूप से नहीं किए गए थे। नमूना–जांचित 35 ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के 489 वार्डों में से केवल पश्चिम चंपारण जिले के चार[7] ग्रा.पं. के 56 वार्डों ने ही आधारभूत सर्वेक्षण को निर्धारित प्रारूप में ठीक से किया था, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे घरों की संख्या, नल जल कनेक्शन की आवश्यकता वाले सामुदायिक स्थलों की जानकारी इत्यादि सम्मिलित थी। जबकि जांच किए गए 26[8] ग्रा.पं. के 396 वार्डों में आधारभूत सर्वेक्षण, निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए थे और आगे यह सर्वेक्षण प्रारूप या तो खाली पाया गया या तो उसमें सीमित/अपूर्ण जानकारी ही दर्ज थी।

इस प्रकार, हर घर नल का जल योजना की प्रभावी योजना हेतु आवश्यक विस्तृत और समग्र जानकारी पं.रा.वि. को उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि ये आधारभूत सर्वेक्षण अपूर्ण थे।

2.1.2.2 आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार घरों की संख्या की अनदेखी

पंचायती राज विभाग के दिशानिर्देशों (सितंबर 2016) के अनुसार, ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार करना था। इसके अलावे, हर घर नल का जल योजना के लिए अंतिम रूप से तैयार किए गए इन प्राक्कलनों पर हीं, ग्रामीण वार्डों में लिए बनाये जाने वाले जलापूर्ति योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भी आधारित होनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना जांचित 12 ग्राम पंचायतों के 17 वार्डों में, डब्ल्यू.आई.एम.सी. ने जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन (2017–19 के दौरान) हेतु आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त घरों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया था। आगे, तैयार किए गए कार्य प्राक्कलन में भी वार्डों के सभी पात्र घरों को शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना जांचित 12 ग्राम पंचायतों के 17 वार्डों में 445 घरों के लिए, आधारभूत आंकड़ों के अनुसार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है:

---

7 *बेलवा लखनपुर (14 वार्ड), धोबनी (15 वार्ड), बेलसंडी (13 वार्ड) और महुई (14 वार्ड)।*

8 *नमूना जांचित 35 ग्रा.पं. के 489 वार्डों में से चार ग्रा.पं. के 56 वार्डों ने आधारभूत सर्वेक्षण नियमित रूप से किया था और पांच ग्रा.पं. के 37 वार्डों के आधारभूत सर्वेक्षण करने से सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। औरंगाबाद जिला: अमिलोना (11 वार्ड) महुआन (05 वार्ड) दरभंगा जिला: बिरोल (02 वार्ड) मधुबनी जिला: कालापट्टी (05 वार्ड) और सुगापट्टी (14 वार्ड)।*

तालिका 2.2: आधारभूत और प्राक्कलनों के आंकड़ों के बीच घरों की संख्या में अंतर

क्र. सं.	जिलों के नाम	ग्राम पंचायतों के नाम	आधारभूत सर्वेक्षण के आकड़ों के अनुसार घरों की सं.	प्राक्कलनों में लिए गए घरों की सं.	अंतर
1	दरभंगा	बिरोल	103	100	03
2		ननौरा	675	625	50
3	मधुबनी	कालापट्टी	314	268	46
4	गया	उत्तरी लोधावा	190	125	65
5		चकार्बंधा	358	239	119
6		धुभाल	184	124	60
7	पश्चिम चंपारण	बेलसंडी	180	168	12
8		महुई	200	161	39
9	गोपालगंज	गिद्धा	311	270	41
10		करिया	103	100	3
11		रतनचक	141	139	2
12	जमुई	गंगरा	125	120	5
		कुल	**2,884**	**2,439**	**445**

(स्रोतः सम्बंधित ग्रा.पं. (डब्ल्यू.आई.एम.सी.) के अभिलेख और आधारभूत सर्वेक्षण के आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत कुल 2,884 परिवारों को शामिल किया जाना था, परंतु इसके विपरीत केवल 2,439 परिवारों के लिए हीं प्राक्कलन तैयार किए गए। अतः, वार्ड–वार अनुमान तैयार करते समय डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा आधारभूत आंकड़ों को ध्यान में न रखने के कारण 12 ग्राम पंचायतों के 445 परिवार हर घर नल का जल योजना के लाभ से वंचित रह गए।

2.1.2.3 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया जाना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आच्छादित किए जाने वाले वार्डों के संबंध में विभाग द्वारा सभी लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी (अक्टूबर 2016) किए गए थे कि वे हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित वार्डों की जानकारी एकत्र करें, जिसमें भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, जल स्रोत, सड़कें, उपलब्ध बुनियादी ढांचा आदि का विवरण शामिल हो। इन निर्देशों के बावजूद, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि हर घर नल का जल योजना को अपनाने से पूर्व लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा कोई भी जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया या सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके बजाय, लो.स्वा. अ.वि. द्वारा हर घर नल का जल .योजना के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के डीपीआर, 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर तैयार किए गए, जिसमें जनसंख्या को वृद्धि दर के अनुसार अनुपातिक रूप से बढ़ाया गया था।

यह देखा गया कि लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा सर्वेक्षण नहीं किए जाने के कारण राज्य के 46,633 वार्डों के अंतर्गत 11.22 लाख परिवार (जिसमें गुणवत्ता प्रभावित 30,207 वार्डों के 8.07 लाख परिवार शामिल हैं) हर घर नल का जल योजना से वंचित रह गए। लेखापरीक्षा द्वारा तकनीकी सहायक/पंचायत सचिव के साथ 2,283 परिवारों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई से नवंबर 2023 के बीच) के दौरान यह भी पाया गया कि 30 वार्डों के 1,470 परिवार इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, सर्वेक्षण नहीं किए जाने से न केवल इस योजना की आयोजन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि सुरक्षित पाइप से जलापूर्ति के लाभ से भी लक्षित पात्र परिवारों को वंचित कर दिया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने (जून 2025) उत्तर दिया कि डीपीआर तैयार करते समय कम से कम तीन दशकों की जनगणना आकड़ों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा इंटरपोलेशन/ एक्सट्रापोलेशन करके बेसलाइन सर्वे के रूप में उपयोग किया गया। चूंकि जनगणना डाटा उपलब्ध था, इसलिए अतिरिक्त खर्च कर सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, इस प्रक्रिया में एक ही वार्ड के भीतर दो टोलों/बस्तियों के बीच भौतिक बाधा के कारण 46,633 वार्डों के 11.22 लाख परिवार छूट गए।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लो.स्वा. प्रमंडलों ने विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों (अक्टूबर 2016) का पालन नहीं किया, जिसमें चिन्हित वार्डों की जानकारी तथा उनके भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, जल स्रोत, सड़कें, उपलब्ध बुनियादी ढांचा आदि के विवरण एकत्र करने का निर्देश था, ताकि हर घर नल का जल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इसके अलावे, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एक ही वार्ड के भीतर दो टोलों/बस्तियों के बीच किसी प्रकार की भौतिक बाधा की स्थिति नहीं पाई गई।

2.1.3 शहरी वार्डों के आच्छादन के लिए कार्य क्षेत्र

हर घर नल का जल योजना को राज्य के 143 शहरी स्थानीय निकायों में न.वि. एवं आ. वि. द्वारा लागू किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत उन सभी शहरी परिवारों को शामिल किया जाना था (पाइप जल की मौजूदा व्यवस्था वाले परिवारों को छोड़कर) जिनके पास पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हर घर नल का जल योजना की शुरुआत (मई–जून 2016) के समय, राज्य में कुल 19.22 लाख शहरी परिवारों में से 3,370 वार्डों के 15.85 लाख परिवारों को योजना के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें पहले से पाइप जलापूर्ति सुविधा वाले परिवारों को बाहर रखा गया था। आगे, शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन को श.स्था.नि. और बुडको के बीच विभाजित किया गया था, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में प्रस्तुत हैः

तालिका 2.3: शहरी वार्डों के आच्छादन के लिए कार्य क्षेत्र

कार्यान्वयन इकाई	वार्डों की संख्या	परिवारों की संख्या
शहरी स्थानीय निकाय	1,986	8,06,333
बुडको	1,384	7,79,067
कुल	**3,370**	**15,85,400**

(स्रोतः न.वि. एवं आ.वि. द्वारा उपलब्ध आंकड़े)

143 शहरी स्थानीय निकायों में से, हर घर नल का जल योजना को बुडको द्वारा 29 स्थानीय निकायों में लागू किया जाना था। शेष 114 स्थानीय निकायों में यह योजना स्वयं स्थानीय निकायों द्वारा बुडको और लो.स्वा.अभि.वि. की तकनीकी सहायता से क्रियान्वित की जानी थी।

2.1.4 शहरी वार्डों की आच्छादन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण

नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों (मई 2016) के अनुसार, श.स्था.नि. द्वारा जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना (हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत) के क्रियान्वयन हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए अवसंरचना एवं घर–घर सर्वेक्षण किया जाना था। इस सर्वेक्षण के माध्यम से, घरों की संख्या, नल जल कनेक्शन वाले घरों की उपलब्धता, पेयजल का स्रोत आदि से संबंधित जानकारी श.स्था.नि. द्वारा एकत्रित की जानी थी।

स्थानीय निकायों द्वारा यह आधारभूत सर्वेक्षण मई से जून 2016 के दौरान किया गया था, और सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी वार्डों में 15.85 लाख घरों को हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइप जलापूर्ति की जानी थी। हालांकि, यह देखा गया कि 12 में से

7 चयनित श.स्था.नि. में योजना के लिए प्राक्कलन तैयार करते समय संबंधित आधारभूत सर्वेक्षण में चिन्हित घरों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बजाय, बुडको द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन[9] में उल्लिखित घरों की संख्या के आधार पर हीं योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया। इसका विवरण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: योजना से वंचित परिवारों की संख्या

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	आधारभूत आकड़ों के अनुसार आच्छादित किये जाने वाले परिवारों की संख्या	प्राक्कलनों में शामिल परिवारों की संख्या	अंतर
1	औरंगाबाद	13,064	12,110	954
2	बीरपुर	3,659	3,250	409
3	झंझारपुर	6,073	5,900	173
4	खगरिया	9,848	6,500	3,348
5	रिविलगंज	6,311	5,977	334
6	टेकारी	3,523	2,909	614
7	गोपालगंज	9,701	9,671	30
	कुल	**52,179**	**46,317**	**5,862**

(स्रोतः न.वि. एवं आ.वि. और श.स्था.नि. के अभिलेख)

तालिका से स्पष्ट है कि आधारभूत सर्वेक्षण में उपलब्ध आंकड़ों (जिसमें घरों की संख्या भी शामिल है) को प्राक्कलन तैयार करने में शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 5,862 घरों (नवंबर 2023 तक) को पाइप जलापूर्ति प्रदान नहीं की जा सकी और योजना का 100 प्रतिशत घरों को आच्छादित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

2.1.5 ग्रामीण क्षेत्र में योजना के महत्वपूर्ण घटकों का योजना निर्माण

बिहार सरकार के आदेश (दिसंबर 2015) के अनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित की जानी वाली तथा पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित की जानी वाली गैर–गुणवत्ता प्रभावित योजनाओं, दोनों हर घर नल जल योजना के लिए लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा हीं मॉडल प्राक्कलन तैयार करने थे। ये मॉडल प्राक्कलन लो.स्वा.अ.वि. द्वारा तैयार किए गए (अप्रैल 2017) और जुलाई 2018 में पुनः संशोधित किए गए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा अपने लिए तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलनों और पं.रा.वि. के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा उपयोग हेतु तैयार किए गए प्राक्कलनों में विसंगतियाँ थीं। इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों के गैर–गुणवता प्रभावित वार्डों (जो पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित किए गए) और लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बीच अंतर पाए गए, जैसा कि नमूना–जांचित ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:

2.1.5.1 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में क्लोरीनेटर का प्रावधान नहीं किया जाना

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सी.पी.एच.इ.इ.ओ.) द्वारा प्रकाशित (मई 2019) जल आपूर्ति एवं शोधन पर मैनुअल के अनुसार, पीने के जल की सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल का कीटाणुशोधन आवश्यक है, ताकि रोग उत्पन्न करने वाले जीवों का नाश किया जा सके। इसके लिए, जल के कीटाणुशोधन को प्राप्त करने

[9] *मॉडल प्राक्कलन एक मानक प्रपत्र था, जिन्हें बुडको (न.वि. एवं आ.वि. के लिए) द्वारा तैयार किया गया था और इनमें घरेलू आच्छादन तथा अधोसंरचना के औसत मानकों का उपयोग किया गया था।*

हेतु क्लोरीनेटर[10] की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटक थी। इसके अतिरिक्त, हर घर नल जल योजना का उद्देश्य भी सभी घरों तक सुरक्षित, पाइप से आपूर्ति की गई पेयजल सुविधा प्रदान करना था।

उपरोक्त के बावजूद, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा हर घर नल का जल.योजना के अंतर्गत ग्रामीण वार्डों के लिए प्रस्तावित जलापूर्ति योजनाओं हेतु तैयार किये गए मॉडल प्राक्कलन में क्लोरीनेटर की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिन्हें पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। बाद में, अपर मुख्य सचिव, पं.रा.वि. की अध्यक्षता में आयोजित हर घर नल का जल. योजना की समीक्षा बैठक (अगस्त 2021) में यह निर्णय लिया गया कि ग्रा.पं. स्तर पर डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा क्रियान्वित सभी संबंधित जलापूर्ति योजनाओं में क्लोरीनेटर लगाए जाएंगे। तथापि, नमूना–जांचित ग्रा.पं. में अभिलेखों की जांच एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2023 से नवंबर 2023 के दौरान लेखापरीक्षा एवं तकनीकी सहायक/पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किये गए) में यह पाया गया कि डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वित किसी भी योजना में क्लोरीनेटर स्थापित नहीं किए गए थे, जैसा कि **अध्याय–IV** में वर्णित है, जिससे घरों तक गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति प्रभावित हुई।

2.1.5.2 भूजल पुनर्भरण के लिए अपर्याप्त प्रावधान

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विजन एवं स्ट्रैटजी दस्तावेज के कंडिका 2.2 के अनुसार, भूजल के पुनर्भरण एवं दोहन के संतुलन को बनाए रखने के लिए भूजल पुनर्भरण किए जाने का प्रावधान था। भूजल का पुनर्भरण दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने तथा पेयजल और सिंचाई के एक महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध करने में आवश्यक था।

हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा तैयार की गई हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु मॉडल प्राक्कलन में भूजल पुनर्भरण के किसी भी हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं किया गया था। 15 नमूना–जांचित प्रमंडलों (2,374 वार्डों) के मामले में यह पाया गया कि वर्ष 2017 से 2023 के दौरान कार्यान्वित जलापूर्ति योजनाओं में लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

भूमिगत जल पुनर्भरण उपायों की कमी से जलस्तर में गिरावट आ सकती है और पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। यह चूक विश्वसनीय और सुदृढ़ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के योजना के उद्देश्य को भी कमजोर करती है।

यदि भूजल पुनर्भरण के उपाय नहीं किए जाते हैं, तो इससे जल स्तर में गिरावट आ सकती है और पीने के पानी के स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इस प्रकार की चूक, विश्वसनीय और लचीली जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना के उद्देश्य को भी कमजोर करती है.

2.1.6 शहरी क्षेत्र में आवश्यक घटकों का योजना निर्माण

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प (फरवरी 2016) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति क्षमता का 15 से 20 प्रतिशत भाग जल मीनार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना था, जबकि शेष क्षमता सीधे मोटर पंप के माध्यम से स्थापित की जानी थी। आगे, न.वि.एवं आ.वि. के दिशा–निर्देश (अक्टूबर 2016) में यह बताया गया था की यदि आवश्यक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न हो तो शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक जल आपूर्ति व्यवस्था के रूप में वैट्स (2000 से 8000 लीटर क्षमता के) का निर्माण किया जाए।

---

[10] *क्लोरीनेटर, पीने के पानी की कीटाणु–नाशक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह पर्याप्त क्लोरीन स्तर बनाए रखता है और इस प्रकार जलजनित रोगों को रोकता है।*

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में हर घर नल का जल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन (जनवरी 2017) में ट्यूबवेल, पंप, जल वितरण नेटवर्क आदि का प्रावधान तो था परंतु, जल भंडारण हेतु जलमीनार/वैट्स और सुरक्षित पेयजल की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल की कीटाणुशोधन व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी मॉडल प्राक्कलन, जो न.वि.एवं आ.वि. द्वारा तैयार किया गया था, स्थानीय निकायों द्वारा योजना के अनुमान तैयार करने और क्रियान्वयन के दौरान अपनाया गया।

इस समस्या के कारण, निरंतर जल आपूर्ति में देरी/अनुपलब्धता और पानी के उचित कीटाणुशोधन की कमी के मामले सामने आए, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.1.6.1 जलमीनार/वैट्स का प्रावधान नहीं/देरी से किए जाना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन में जलमीनार/वैट्स को शामिल न किए जाने के कारण, श.स्था.नि. ने अपने कार्य प्राक्कलनों और ठेकेदारों के साथ बाद में निष्पादित किए गए एकरारनामाओं में इसकी व्यवस्था नहीं की थी। नमूना–जांचित नौ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि में कुल 203 हर घर नल का जल. योजनाएं ली गईं थी। यह पाया गया कि इनमें से 150 जलापूर्ति योजनाओं के एकरारनामा श.स्था.नि. द्वारा किए गए, जिनमें आवश्यक जलमीनार की व्यवस्था नहीं की गई थी। हालांकि, फरवरी 2018 में न.वि. एवं आ.वि. द्वारा एक नए दिशा–निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार एक मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया और निर्बाध जलापूर्ति हेतु प्रति जलमीनार की राशि निर्धारित की गई।

तदनुसार, आठ नमूना–जांचित स्थानीय निकायों ने 93 योजनाओं में जलमीनार के निर्माण के लिए ठेकेदारों के साथ नए एकरारनामा किए, लेकिन शेष 57 योजनाओं[11] में जलमीनार की समान व्यवस्था नहीं की गई, जिससे सभी श.स्था.नि. में जलापूर्ति सेवाओं को समान रूप से देने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसका विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: श.स्था.नि. के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में जलमीनार की स्थापना नहीं/देरी से किया जाना

क्र. सं.	श.स्था.नि. के नाम	श.स्था.नि. के द्वारा किये गए योजनाओं की सं.	जलमीनार के लिए क्रियान्वित एकरारनामा	जलमीनार के लिए क्रियान्वित नए एकरारनामा (उसी वार्ड में)
1	बीरपुर	13	12	12
2	बेनीपुर	40	6	6
3	झंझारपुर	14	6	4
4	खगरिया	26	26	26
5	रिविलगंज	19	9	3
6	टेकारी	13	13	5
7	गोपालगंज	18	18	18
8	झाझा	41	41	19
9	भागलपुर	19	19	0
	कुल	**203**	**150**	**93**

(स्रोतः सम्बन्धित श.स्था.नि. के अभिलेख)

11 *पहला एकरारनामा 150 योजनाओं में बिना पानी टंकी के निष्पादित किया– दूसरा एकरारनामा 93 योजनाओं में पानी टंकी के लिए निष्पादित किया = 57 योजनाएँ बिना पानी टंकी के रह गई।*

नौ नमूना–जांचित शहरी स्थानीय निकायों के 57 योजनाओं में जलमीनार की स्थापना नहीं होने के कारण, लक्षित लाभार्थियों को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2.1.7 हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन के आरंभ होने में विलंब

2.1.7.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के आरंभ में विलंब

हर घर नल का जल योजना को दिसंबर 2015 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत घरों को सुरक्षित, पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना था। लो.स्वा.अभि.वि. के दिशा–निर्देशों (सितंबर 2016) के अनुसार, .हर घर नल का जल जलापूर्ति योजनाओं को 2016–17 से 2019–20 के बीच पूरा किया जाना था और योजनाओं के वर्षवार आच्छादन का लक्षित बँटवारा तथा इसे प्रारंभ करने की उपलब्धियाँ नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.6: लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रारंभ किये गए योजनाओं का वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य (प्रतिशत में)	योजनाओं का प्रारंभ (प्रतिशत में)	अंतर (प्रतिशत में)
2016-17	15	0	(-) 15.00
2017-18	30	14.49	(-) 15.51
2018-19	35	26.89	(-) 8.11
2019-20	20	58.56	(+) 38.56
2020-21	0	0.06	(+) 0.06
कुल	**100**	**100**	

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि. के अभिलेख)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पहले तीन वर्षों में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। शुरूआती वर्षों में योजनाओं के प्रारंभ किये जाने के लक्ष्य की उपलब्धि नहीं होने का मुख्य कारण ग्रामीण वार्डों के लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. के बीच विभाजन की स्पष्टता का अभाव था (जैसा कि **कंडिका 2.1.1.1** में वर्णित है)। हर घर नल का जल योजना के शुरू होने के दो साल बाद, इन विभागों के बीच ग्रामीण वार्डों का अंतिम वितरण जुलाई 2018 में ही हुआ, जिससे जमीनी स्तर पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ा। परिणामस्वरूप, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के प्रारंभ में विलंब हुआ और पिछले वर्ष (2019–20) में केवल 20 प्रतिशत परियोजनाओं को शुरू करने के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले, योजना पूर्ण करने का अधिकांश कार्यभार 2019–20 के एक ही वर्ष में आ गया, जो हर घर नल का जल योजना को पूरा करने का अंतिम वर्ष था। लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और बताया (जून 2025) कि सीमित समयावधि में अत्यधिक कार्यभार तथा इस योजना में तीन अलग–अलग विभागों की भागीदारी के कारण योजना निर्माण में अधिक समय लगा।

2.1.7.2 पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के आरंभ में विलंब

पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निधियों की उपलब्धता के आधार पर चार वर्षों में चरणबद्ध रूप से वार्डों का आच्छादन किया जाना था– वर्ष 2016–17 में 20 प्रतिशत, 2017–18 और 2018–19 में प्रत्येक वर्ष 30 प्रतिशत तथा वर्ष 2019–20 में शेष 20 प्रतिशत। जबकि, नौ जिलों के अंतर्गत 27 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि, वर्षवार चरणबद्धता का समान रूप से पालन नहीं किया गया। वर्ष 2016–17 में पं.रा.वि. द्वारा धनराशि जारी नही होने के कारण 70 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध इन ग्राम पंचायतों में कोई योजना प्रारंभ नहीं की गई।

आगे, योजनाओं का प्रारंभ, बाद के वर्षों (2017–18 से 2019–20) के दौरान भी निर्धारित अनुपात से हटकर रहा। तथापि, यह देखा गया कि इन 27 ग्राम पंचायतों के सभी 350 लक्षित वार्ड अंततः योजना के अंतर्गत आ गए, जिसमें अंतिम वर्ष (2019–20) में क्रियान्वयन का उल्लेखनीय संकेंद्रण हुआ। विवरण **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित है:

चार्ट 2.1: नमूना–जांचित ग्रा.पं. में वर्षवार योजना की शुरुआत

(अंक वार्डों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं)

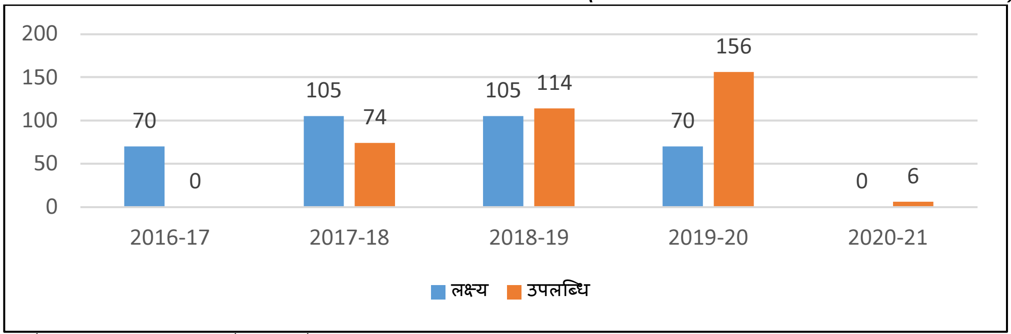

(स्रोतः संबंधित ग्रा.पं. के अभिलेख)

चार्ट यह भी दर्शाता है कि सबसे अधिक योजनाएं (350 में से 156) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शुरू हुईं, जो हर घर नल का जल योजना की निर्धारित क्रियान्वयन अवधि का अंतिम वर्ष था। हालांकि 2017–18 में सीमित शुरुआत का कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया था, तथापि इसे लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. के बीच वार्डों के विभाजन में हुए विलंब से संबद्ध माना जा सकता है, जिसने प्रारंभिक चरण के दौरान योजनाओं की योजना निमार्ण प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन को प्रभावित किया।

निष्कर्ष

हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में कार्यान्वयनकारी विभागों के मध्य समुचित समन्वय के अभाव के कारण योजना–निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गईं। आधारभूत सर्वेक्षणों के अभाव अथवा उनकी अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप वास्तविकता से परे प्राक्कलन तैयार किए गए, अधूरी आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, योजना–निर्माण में कमी रही तथा गृह–आच्छादन के लक्षित चयन में भी त्रुटियाँ पाई गईं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के मध्य दायित्वों के स्पष्ट विभाजन का अभाव था, गुणवत्ता–प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक शोधन संयंत्रों का अधिष्ठापन नहीं किया गया था तथा योजनाओं का क्रियान्वयन असंगत विनिर्देशों के साथ किया गया। इसके अतिरिक्त, मॉडल प्राक्कलनों में क्लोरीनेटर एवं भू–जल पुनर्भरण जैसे महत्वपूर्ण घटकों को सम्मिलित नहीं किए जाने से जल की सुरक्षा तथा योजना की स्थिरता प्रभावित हुई। इन कमियों के कारण योजना के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति बाधित हुई, जिससे योजना–निर्माण, क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण तंत्र में विद्यमान कमजोरियाँ उजागर हुईं।

अनुशंसाएं

***अनुशंसा 1:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विस्तृत सर्वेक्षण तथा घरों/वार्डों की पहचान के माध्यम से हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पात्र लाभूकों को प्रभावी नियोजन एवं शत–प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाए।*

***अनुशंसा 2:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विभागों/क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ किया जाए, ताकि सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु आवश्यक क्लोरीनेटर आदि जैसे अनिवार्य घटकों का प्रावधान सभी जलापूर्ति योजनाओं में किया जाए, भले ही योजना का क्रियान्वयन किसी भी एजेंसी द्वारा किया गया हो।*

2.2 हर घर नल का जल योजना का वित्तीय प्रबंधन

हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन को विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषित किया गया था, जिनमें केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अनुदान, राज्य का बजट और अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसी केंद्र सरकार की जलापूर्ति योजनाओं के तहत उपलब्ध निधि सम्मलित हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल आवंटन का विस्तृत विवरण नीचे **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: सात निश्चय/जलापूर्ति योजना (डब्लूएसएस) के तहत हर घर नल का जल योजना के लिए निधि के स्रोत (2017–2023 के अवधि में)

	आवंटन (₹ करोड़ में)			
	प.रा.वि.	न.वि. एवं आ.वि.	लो.स्वा.अभि.वि.	कुल
राज्य योजना	4,985.25	530.16	13,899.13	**19,414.54**
केंद्रीय वित्त आयोग	6,806.96	756.54	-	**9,187.28**
राज्य वित्त आयोग	1,623.78		-	
अमृत	-	1,899.10	-	**1,899.10**
कुल	**13,415.99**	**3,185.80**	**13,899.13**	**30,500.92**

(स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

लो.स्वा.अभि.वि. के मामले में, हर घर नल का जल योजना के लिए आवंटित कुल ₹13,899.13 करोड़ के आवंटन में से, लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा वर्ष 2017–18 से 2022–23 के दौरान विभाग को ₹5,387.24 करोड़ (38.75 प्रतिशत) के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया था। हलॉकि, कार्यान्वयन विभाग (प.ंरा.वि. और न.वि. एवं आ.वि.) द्वारा हर घर नल का जल योजना पर हुए वास्तविक व्यय का विवरण या उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा राज्य स्तर पर योजना में राशि के आवंटन एवं व्यय की स्थिति ज्ञात नहीं किया जा सका।

- **हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत परिवारों का आच्छादन**

मार्च 2023 तक कार्यान्वयन विभागों द्वारा 189.39 लाख लक्षित परिवारों के विरुद्ध 186.13 लाख परिवारों को योजना से आच्छादित किया गया था। विस्तृत विवरण नीचे **तालिका 2.8** में दी गई हैं।

तालिका 2.8: विभागवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (मार्च 2023 तक)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लक्षित परिवार (लाख में)	कुल अच्छादित परिवार (लाख में)	आच्छादित परिवार (प्रतिशत में)
1	प.ंरा.वि.	88.95	88.12	99.07
2	लो.स्वा.अभि.वि.	84.59	83.18	98.33
3	न.वि. एवं आ.वि.	15.85	14.83	93.56
कुल		**189.39**	**186.13**	**98.28**

(स्रोत: लागू करने वाले विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि 98.28 प्रतिशत घर पाइप जलापूर्ति से आच्छादित थे, हालांकि चयनित लेखा परिक्षित इकाइयों में पाया गया कि यह आच्छादन बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया था। लेखा परिक्षित इकाइयों में पाया गया कि कार्यान्वयन विभागों द्वारा प्रतिवेदित की गई पूर्णता का प्रतिशत, वास्तविक पूर्णता की तुलना में बहुत अधिक था, जैसा कि **कंडिका 3.1 और 3.2** में उल्लेखित है। लेखा परीक्षा के दौरान कम आच्छादन के निम्न कारण पाये गए–(i) संवेदकों द्वारा कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाना।

(ii) पूर्व से मौजूद बुनियादी ढांचे की अनुचित पहचान (iii) प.रा.वि. और न.वि. एवं आ. वि. के बीच वार्डों के विभाजन में स्पष्टता की कमी आदि।

2.2.1 ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना का वित्त पोषण

2.2.1.1 ग्राम पंचायतों की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार सात निश्चय मिशन मोड कार्यक्रम के तहत दो उप–योजनाएं यथा– हर घर तक पक्की गली–नालियां और हर घर नल का जल कार्यान्वित कर रहा था। नमूना जॉचित ग्रा.पं. में यह पाया गया कि विभाग/बिहार सरकार ने इन दोनों उप–योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य बजट से सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि प्रेषित की थी।दिशानिर्देशों के अनुसार, सात निश्चय योजनाओं (हर घर नल का जल योजना सहित) के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त धनराशि को संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाना था, क्योंकि स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यही समितियॉ उत्तरदायी थीं। कार्य पूरा होने के पश्चात व्यय का विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जाने थे।

(i) राज्य स्तर: वर्ष 2017–23 के दौरान पं. रा. वि. द्वारा सात निश्चय योजनाओं के लिए किए गए बजट प्रावधान और पंचायतों को आवंटित धनराशि का विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पंचायती राज विभाग द्वारा आवंटित धनराशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	ग्राम पंचायतों को आवंटन	पं.रा.वि. द्वारा प्रत्यर्पण
2017-18	3,509.11	3,507.26	1.85
2018-19	4,032.39	3,007.39	1,025.00
2019-20	5,731.20	4,023.43	1,707.77
2020-21	2,405.04	2,349.34	55.70
2021-22	628.00	418.21	209.79
2022-23	150.00	110.36	39.64
कुल	**16455.74**	**13,415.99**	**3,039.75**

(स्रोत: पं.रा.वि., बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य योजना के तहत सात निश्चय योजनाओं (हर घर नल का जल योजना सहित) के लिए प्रावधानित कुल बजट का ₹ 3,039.75 करोड़ (18.47 प्रतिशत) उपयोग नहीं किया जा सका और अंततः 2017–23 के दौरान इसे प्रत्यर्पित कर दिया गया। जैसा कि सात निश्चय योजनाओं के लिए समेकित राशि जारी की गई थी, और धन के आवंटन में योजना–वार कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, इसलिए विभाग स्तर पर हर घर नल का जल के लिए अवशेष राशि ज्ञात नहीं कि जा सकी।

विभाग से अनुपालन अप्राप्त है।

(ii) ग्राम पंचायत स्तर पर नमूना जांच:

लेखापरीक्षा हेतु चयनित 35 में से 33 ग्राम पंचायतों[12] (ग्रा०प०) के 456 वार्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इन पंचायतों को सात निश्चय के क्रियान्वयन के लिए कुल

---

[12] *सारण जिले की कचनार और हुस्सेपुर ग्राम पंचायतों द्वारा हर घर नल का जल के कार्यान्वियन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. को उपलब्ध करायी गयी राशि का सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया।*

₹108.04 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिसमें से ₹68.21 करोड़ डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरित किये गये। चयनित ग्राम पंचायतों को जारी की गई धनराशि और डब्ल्यू.आई.एम.सी. को किए गए हस्तांतरण का विवरण ***परिशिष्ट–2.4*** में दिया गया है।

यह पाया गया कि पं.रा.वि. ने विशेष रूप से हर घर नल का जल योजना के लिए पंचायतों को धनराशि जारी नहीं की थी, बल्कि यह निर्देश दिया था कि सात निश्चय के लिए उपलब्ध कुल राशि में से पंचायतें चयनित योजनाओं के अनुसार हर घर नल का जल के क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि का आवंटन कर सकती हैं। इस प्रकार, पंचायत स्तर पर हर घर नल का जल योजना के लिए विशेष रूप से राशि कर्णांकित नहीं की गई थी और डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा भी हर घर नल का जल योजना के लिए अलग से बैंक खाता का संधारण नहीं किया गया था। इसके अलावा, डब्ल्यू.आई. एम.सी. द्वारा खातों से राशि की निकासी हेतु चेक निर्गत करते समय भी रोकड़ बही में योजनाओं के नाम का उल्लेख नहीं किया। जिसके कारण डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा हर घर नल का जल योजना पर किया गया वास्तविक व्यय ज्ञात नहीं किया जा सका। हालांकि, लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेख (जैसे मापी पुस्तिका, योजना पंजी, योजना संचिका आदि) के आधार पर व्यय की गणना की गयी। जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि उपरोक्त 456 वार्डों में से 410 वार्डों ने हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन पर ₹59.61 करोड़ व्यय किया। हालांकि डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध व्यय का कोई विवरण या उपयोगिता प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं किया गया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पं.रा.वि. और साथ ही ग्राम पंचायतें, हर घर नल का जल योजना पर धन के वास्तविक उपयोगिता की स्थिति से अवगत नहीं थीं और न ही उन्हें यह ज्ञात था कि, क्या धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह उपलब्ध कराया गया था।

2.2.1.2 लोक स्वास्थ्य प्रमंडल स्तर पर निधि की व्यवस्था

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु, राज्य सरकार द्वारा लो.स्वा.अभि.वि. के बजट शीर्ष में ही राशि का उपबंध किया गया था। लो.स्वा.अभि.वि. को उपलब्ध कराये गए राशि एवं राज्य स्तर पर व्यय की विवरणी (प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार) नीचे **तालिका 2.10** में दी गई हैं।

तालिका 2.10: राज्य स्तर पर लो.स्वा.अभि.वि. को राशि का आवंटन एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	लो.स्वा.अभि.वि. को आवंटन	कुल	लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा लो.स्वा. प्रमंडलों में स्थानांतरण	व्यय (प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध कराये गए यूसी के अनुसार)	प्रत्यर्पण (प्रतिशत)	अंतशेष
2017-18	442.28	1,798.52	2,240.79	525.84	198.78	30.72(2)	1,684.24
2018-19	1,684.24	2,581.53	4,265.77	418.11	339.75	414.28(16)	3,433.38
2019-20	3,433.38	3,168.05	6,601.43	4,296.71	2,628.83	1,606.27(51)	698.45
2020-21	698.45	6,147.88	6,846.34	5,453.71	1,864.14	696.13(11)	696.49
2021-22	696.50	2,152.70	2,849.20	2,041.97	298.81	245.92(11)	561.31
2022-23	561.31	1,035.10	1,596.41	1,162.80	56.93	52.08(5)	381.53
कुल		**16,883.78**		**13,899.14**	**5,387.24**	**3,045.40**	

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रमंडलों को ₹13,899.14 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे, हालांकि प्रमंडल द्वारा वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के लिए केवल ₹5,387.24 करोड़ के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए और ₹3,405.40 करोड़ की राशि समर्पित कर दी गई थी।

लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जवाब दिया गया (जून 2025) कि कभी–कभी वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में राशि प्राप्त होने के कारण राशि की निकासी नहीं की जा सकी। इसके अलावा, 2019–20 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण राशि का व्यय नहीं किया जा सका था।

- **चयनित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में राशि का आवंटन**

चयनित 15 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में राशि के आवंटन और किये गये व्यय की संक्षिप्त स्थिति ***परिशिष्ट 2.5*** और नीचे **तालिका 2.11** में दी गई है।

तालिका 2.11: चयनित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में हर घर नल का जल योजना के लिए आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक जमा	प्राप्त आवंटन	वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि	व्यय (प्रतिशत)	प्रत्यर्पन	अवशेष राशि (प्रतिशत)
2017-18	0.00	70.48	70.48	68.15(97)	2.33	00
2018-19	0.00	121.73	121.73	66.44(55)	25.51	29.78
2019-20	29.78	957.01	986.79	521.37(53)	39.44	425.98
2020-21	425.98	2,039.79	2,465.77	2,217.76 (90)	143.06	104.94
2021-22	104.94	824.01	928.95	883.66(95)	23.69	21.61
2022-23	21.61	517.43	539.04	496.73(92)	21.19	21.12
कुल		**4,530.45**	**5,112.76**	**4,254.11 (83)**	**255.22**	

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

नोट : वर्ष 2017–18 में सिर्फ भागलपुर प्रमंडल को राशि की प्राप्ति हुयी थी। जबकि वर्ष 2018–19 में औरंगाबाद और दरभंगा प्रमंडलों को राशि की प्राप्ति नहीं हुयी थी, शेरघाटी और झंझारपुर प्रमंडलों को क्रमशः 21–22 और 22–23 से राशि की प्राप्ति प्रारम्भ हुई।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उपलब्ध राशि में से, वर्ष 2017–23 के दौरान 53 प्रतिशत से 97 प्रतिशत का उपयोग किया गया। इसके अलावा, राशि का एक बड़ा हिस्सा (45 प्रतिशत) वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया था, जो यह दर्शाता है कि जल आपूर्ति योजनाओं के विलम्ब से पूर्ण होने या इन योजनाओं के प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण, हर घर नल का जल योजना अपने प्रारंभिक लक्षित वर्ष 2019–20 से आगे बढ़ गई थी।

लेखा परीक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित अन्य वित्तीय अनियमितताएं पायी गयी।

2.2.1.3 वार्ड स्तर पर राशि का अवरोधन

- ***राशि का उपयोग नहीं किया जाना***

चयनित तीन ग्राम पंचायतों के 14 वार्डों में, पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरित की गई ₹1.52 करोड़ की राशि अप्रयुक्त थी। इसके मुख्य कारणों में योजना का लो.स्वा. अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित किया जाना, या राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम. सी. द्वारा कार्य प्रारंभ न करना आदि शामिल थे। इन अप्रयुक्त राशियों का विवरण नीचे **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12: डब्ल्यू.आई.एम.सी. के स्तर पर अप्रयुक्त राशि

क्र. सं.	प्रखंड (जिला)	ग्राम पंचायत	वार्डों की संख्या	*राशि* (₹ *लाख में*)	टिप्पणी
1.	केवटी (दरभंगा)	चाचा पचड़ी	01	18.06	27 फरवरी 2019 को वार्ड–10 में राशि हस्तांतरण कर दी गई। योजना प्रारंभ नहीं की गई।
2	सिकंदरा (जमुई)	पोहे	01	4.00	वार्ड–11 में 16 मार्च 2020 को ग्राम पंचायत द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि हस्तांतरण की गई थी, लेकिन इस वार्ड में काम लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा किया गया था (नवंबर 2019)
3	कुर्सेला (कटिहार)	जरलाही	12	130.22	ग्रा.प. को राशि विमुक्त कि गई लेकिन वार्ड के गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण कर्य लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा किया गया।
	कुल		**14**	**152.28**	

(स्रोत: इकाई स्तर पर लेखाओं की समीक्षा)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, फरवरी 2019 से नवंबर 2023 के दौरान, ₹1.52 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका और यह राशि अवरुद्ध रही।

- **राशि के अभाव में योजनाओं का पूर्ण न होना**

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ), औरंगाबाद की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में 87 हर घर नल का जल योजनाएं विभिन्न कारणों से अधूरी या अकार्यशील थीं। इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, जिला पंचायत राज अधिकारी ने (मई 2023 में) ₹6.37 करोड़ की राशि की मांग विवरणी तैयार की थी, हालांकि, इसे संबंधित विभाग को प्रेषित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 30 नवंबर 2023 तक ये योजनाएं अकार्यशील बनी रहीं ***(परिशिष्ट–2.6)***।

- **डब्ल्यू.आई.एम.सी. के पास अधिशेष राशि पड़े रहना**

पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों (जुलाई 2017 और मार्च 2020) के अनुसार, डब्ल्यू.आई.एम.सी. के खातों में अप्रयुक्त राशि को ग्राम पंचायतों को वापस किया जाना था। हालांकि, चयनित 23 ग्राम पंचायतों के 118 वार्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डब्ल्यू.आई.एम.सी. ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों से प्राप्त पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया। हर घर नल का जल योजनाओं के लिए ₹18.28 करोड़ के अनुमानित मूल्य के विरुद्ध, ग्राम पंचायतों द्वारा 2018–19 से 2022–23 की अवधि में डब्ल्यू.आई.एम.सी. को ₹17.77 करोड़ राशि हस्तांतरित किया गया था जिसके विरुद्ध, मापी पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य ₹15.85 करोड़ था। इस प्रकार, व्यय नहीं की गयी ₹1.92 करोड़ की राशि (नवंबर 2023 तक) डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों को वापस नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.7)***।

लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों द्वारा जवाब दिया (जुलाई 2023 से नवंबर 2023) गया कि अधिशेष/अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. को नोटिस जारी कर दिया गया है अथवा जारी किया जाएगा। हालांकि, विभाग द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2.2.1.4 ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को विलंब से राशि का हस्तांतरण

हर घर नल का जल योजना के दिशानिर्देशों (जून 2017) के अनुसार, तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, ग्राम पंचायतों द्वारा सात दिनों के अन्दर योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति

प्रदान करनी होगी और स्वीकृति आदेश की सूचना डब्ल्यू.आई.एम.सी.को देनी होगी। इसके अलावा, स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद, हर घर नल का जल योजना के लिए आवश्यक 100 प्रतिशत धनराशि डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चयनित 11 ग्राम पंचायतों में, (कुल 141 में से) 26 डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि एक से 18 महीने की विलम्ब से जारी की गई। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, डब्ल्यू. आई.एम.सी. को 100 प्रतिशत के स्थान पर केवल आठ से 81 प्रतिशत धनराशि ही उपलब्ध करायी गई। ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को धन हस्तांतरण में विलम्ब को दर्शाने वाले कुछ विशिष्ट मामले इस प्रकार हैं:

- केवटी प्रखंड (दरभंगा) के अंतर्गत चाचा पछाड़ी ग्राम पंचायत द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद दो वार्डों[13] में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वियन के लिए धनराशि जारी नहीं की गई।

- मोहरा प्रखंड (गया) के अंतर्गत जेठियन ग्रा. पं. द्वारा भी पाँच वार्डों[14] में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹1.62 करोड़ का प्राक्कलन तैयार होने (जनवरी 2021) के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि (नवंबर 2023 तक) उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इसके अतिरिक्त, ₹1.62 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध, ग्रा.पं जेठियन ने डब्ल्यू. आई.एम.सी. को राशि उपलब्ध कराये जाने के बजाय पाँच वार्डों में शुरू की जाने वाली हर घर नल का जल योजनाओं के लिए सीधे संवेदक (लो.स्वा.अभि.वि.) को ₹46 लाख (दिसंबर 2021 और अप्रैल 2022 में) उपलब्ध करा दिया गया। एजेंसी द्वारा योजना के सभी घटकों को पूरा नहीं किया गया (नवंबर 2023 तक)। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बजाय सीधे एजेंसी को राशि उपलब्ध कराया जाना योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। जेठियन ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 8 के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि केवल बोरिंग का कार्य किया गया था और पाइप बिछाने तथा गृह संयोजन का कार्य केवल आंशिक रूप से किया गया था। विस्तृत उल्लेख प्रतिवेदन के **कंडिका 3.3.2.2** में किया गया है।

डब्ल्यू.आई.एम.सी. को विलम्ब से या अपर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने के कारण हर घर नल का जल योजनाओं के शुरू होने तथा जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब जोखिम बढ़ गया। डब्ल्यू.आई.एम.सी. को विलम्ब से या अपर्याप्त राशि का हस्तांतरण से संबंधित विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में देखा जा सकता है। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2023 से नवंबर 2023) कि भविष्य में दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, हालांकि विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2.2.1.5 डब्ल्यू.आई.एम.सी. के द्वारा कार्य के मूल्य से अधिक राशि की निकासी

लेखा परीक्षा में ऐसे मामले पाये गए जहाँ डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य के मूल्य से अधिक राशि की निकासी की गयी तथा अतिरिक्त एवं अप्रयुक्त राशि को वापस नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत धनगई (औरंगाबाद) में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 12 योजनाओं (12 वार्डों में) के लिए ₹1.60 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध, डब्ल्यू.आई.एम.सी. ने ₹1.52 करोड़ की निकासी की। योजना का क्रियान्वयन नवंबर 2019 और जुलाई 2022 के अवधि में किया

[13] *चाचापछाड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 एवं 6।*

[14] *जेठियन ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1,3,8,9 एवं 10।*

गया और मापी पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य केवल ₹1.06 करोड़ था। आगे पाया गया कि, 12 योजनाओं में से आठ योजनाएं पूर्ण हो चुकी थी जबकि चार योजनाएं अपूर्ण[15] थीं (सितंबर 2023 तक)। इन योजनाओं में जुलाई 2022 के बाद कोई कार्य नहीं किया गया और बाद में योजनाओं को लो.स्वा.अभि.वि. को हस्तांतरित (मई 2023) कर दिया गया। इस प्रकार, ₹0.46 करोड़ की अतिरिक्त राशि एक से चार साल की अवधि तक डब्ल्यू.आई.एम.सी. के पास अप्रयुक्त पड़ी रही ***(परिशिष्ट–2.9–ए)***।

लेखा परीक्षा में इस बात को इंगित किये जाने पर, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा जवाब दिया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावे, तीन ग्राम पंचायतों के 12 वार्डों की 12 योजनाओं में, ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों में कुल ₹1.79 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे (फरवरी 2018 से मई 2020), लेकिन इसके विरुद्ध किए गए कार्य का मूल्य केवल ₹1.47 करोड़ था। तदनुसार, डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि ₹0.32 करोड़ होनी चाहिए थी, हालांकि बैंक रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों में (जुलाई 2023 तक) बैंक ब्याज सहित केवल ₹8.04 लाख ही जमा थे। अतः डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों से ₹0.24 करोड़ की अतिरिक्त निकासी की गई थी ***(परिशिष्ट–2.9 बी)***, जिसे (नवंबर 2023 तक) वसूल नहीं किया गया था।

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा अतिरिक्त राशि कि निकासी और उसके बाद व्यय नहीं की गई राशि को वापस नहीं करने के ये मामले, ग्राम पंचायतों के कमजोर वित्तीय प्रबंधन एवं अनुश्रवण में कमी को दर्शाते हैं। संबंधित डब्ल्यू.आई.एम.सी. के अध्यक्ष और सचिव से इन राशियों को वसूलने के लिए कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

नमूना जांचित ग्राम पंचायतों द्वारा जवाब दिया (जुलाई 2023 से नवंबर 2023) गया कि राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है अथवा जारी किया जाएगा, जबकि विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2.2.2 शहरी क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना हेतु निधि का प्रबंधन

2.2.2.1 शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी संकल्प (फरवरी 2016) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना को श.स्था.नि. और बुडको द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। श.स्था.नि. ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय की पूर्ति केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य बजट से की। चयनित 11 श.स्था.नि.[16] को उपलब्ध करायी गयी राशि एवं वर्ष 2017–23 की अवधि में व्यय का विवरण ***परिशिष्ट–2.10*** में दिया गया है और आवंटन एवं व्यय का सारांश **तालिका–2.13** में दर्शाया गया है।

---

15 *वार्ड संख्या 4,5,16 एवं 17 की अपूर्ण योजनायें।*

16 *नगर पंचायत बीरपुर द्वारा योजना पर किए गए व्यय का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया।*

तालिका 2.13: चयनित श.स्था.नि. को योजनाओं के लिए राशि का आवंटन और किया गया व्यय

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आवंटन	कुल	श.स्था.नि. द्वारा व्यय /स्थानांतरण #(प्रतिशत)	अंतशेष
2017-18	5,724.63	3,344.37	9,069.01	341.96(4)	8,727.05
2018-19	8,727.05	3,804.29	12,531.34	2,353.08(19)	10,178.26
2019-20	10,178.26	5,694.25	15,872.51	4,789.54(30)	11,082.97
2020-21	11,082.97	2,117.18	13,200.15	2,674.57(20)	10,525.58
2021-22	10,525.58	1,979.08	12,504.66	1,716.81(14)	10,787.85
2022-23	10,787.85	0.00	10,787.85	683.85(6)	10,104.00
कुल		**16,939.17**		**12,559.81**	

(स्रोत: चयनित लेखापरीक्षा इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी)

 # तीन नमूना जांचित नगर निकायों (औरंगाबाद, बेतिया और कटिहार) द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बुडको को राशि हस्तांतरित किया गया।

तालिका–2.13 से यह स्पष्ट है कि श.स्था.नि. द्वारा योजनाओं के लिए कर्णांकित राशि में से **₹**101.04 करोड़[17] का उपयोग नहीं किया जा सका था। चयनित श.स्था.नि. द्वारा योजना के अंतर्गत कर्णांकित राशि का केवल चार प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक ही उपयोग किया गया । श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध निधि के कम उपयोग का मुख्य कारण न.वि. एवं आ.वि. द्वारा आवश्यकता का आकलन किए बिना ही राशि का कर्णांकित करना था। इसके अलावा, चयनित निकायों के 59 वार्डों में योजनाएं शुरू ही नहीं हुईं अथवा अधूरी रहीं और साथ ही, इन निकायों में योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि न.वि. एवं आ.वि. ने निकायों द्वारा धन की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही हर घर नल का जल योजना के लिए धनराशि कर्णांकित कर दी थी। परिणामस्वरूप, चयनित आठ श.स्था.नि.[18] के मामले में यह पाया गया कि वे कर्णांकित राशि के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं कर सके, जैसा कि नीचे **तालिका 2.14** में दिखाया गया है।

तालिका 2.14: चयनित श.स्था.नि. में योजनाओं हेतु राशि का आवंटन एवं व्यय

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का नाम	योजनाओं की संख्या		हर घर नल का जल के लिए श. स्था.नि. को आवंटित कुल राशि	उपयोग की गई राशि	उपयोगिता (प्रतिशत में)
		योजनाओं की कुल संख्या	अपूर्ण			
1	खगड़िया	26	0	1,104.76	500.97	45
2	रिविलगंज	21	0	1,034.72	463.67	45
3	टेकारी	13	0	503.03	297.20	59
4	औरंगाबाद	33	26	2,269.26	1,173.36	52
5	कटिहार	45	5	3,795.06	1,914.34	50
6	भागलपुर	51	24	6,427.58	3,135.36	49
7	गोपालगंज	28	2	1,368.18	552.02	40
8	झाझा	22	2	1,277.43	607.80	48

(स्रोत: चयनित श.स्था.नि. के अभिलेख)

17 *प्रारंभिक शेष– ₹57.25 करोड़ + प्राप्त आवंटन ₹169.39 करोड़ - व्यय ₹125.60 करोड़ = ₹101.04 करोड़।*

18 *खगड़िया, रिविलगंज, टेकारी, औरंगाबाद, कटिहार, भागलपुर, गोपालगंज एवं झाझा।*

तालिका 2.14 से यह स्पष्ट है कि केवल 40 से 59 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया जा सका, जबकि चयनित 08 श.स्था.नि. में से छह में योजनाओं का कार्यन्वयन पूर्ण या लगभग पूर्ण पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि इन निकायों में खर्च न की गई शेष राशि के आगे उपयोग की सम्भावना बहुत सीमित थी। आगे, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा श. स्था. नि. के पास अप्रयुक्त पड़े धनराशि के उपयोग या उसे प्रत्यर्पित करने से संबंधित कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किया गया था।

2.2.2.2 शहरी क्षेत्र में बुडको द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल योजना

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा (अक्टूबर 2016 में) जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य के 29 श.स्था.नि. में हर घर नल का जल योजना अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं को बुडको द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। विभागीय निर्देशों के अनुसार, 14वें वित्त आयोग, 5वें राज्य वित्त आयोग एवं बजटीय आवंटन में हर घर नल का जल हेतु प्राप्त राशि को संबंधित निकायों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बुडको को हस्तांतरित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा ने अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को भी हर घर नल का जल से संबंधित कार्यों में उपयोग के लिए बुडको को उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के दौरान श.स्था.नि. एवं विभाग से बुडको को प्राप्त राशि एवं बुडको द्वारा किए गए व्यय का वर्ष–वार विवरण नीचे **तालिका 2.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: बुडको द्वारा सात निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल के लिए प्राप्तियां एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	हर विभाग से प्राप्त आवंटन		व्यय	
		अमृत	राज्य बजट	अमृत	राज्य बजट
1	2017-18	6.75	#121.45	81.37	31.94
2	2018-19	522.37	56.85	254.54	26.51
3	2019-20	193.17	24.38	384.46	58.65
4	2020-21	708.87	32.47	735.96	25.02
5	2021-22	417.67	12.37	256.48	16.02
6	2022-23	50.27	9.84	234.53	11.72
	कुल	**1,899.10**	**257.36**	**1,947.34**	**169.86**

(स्रोतः बुडको द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

 # ₹87.99 करोड़ का पूर्व का अवशेष शामिल है

तालिका 2.15 से यह स्पष्ट है कि राज्य बजट के तहत प्राप्त **₹**87.50 करोड़[19] की राशि बुडको के स्तर पर अप्रयुक्त रही। साथ ही, औरंगाबाद, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों में हर घर नल का जल की कई योजनाएं निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब, संवेदकों से संबंधित समस्याओं और उसके बाद अनुबंध रद्द किए जाने के कारण अधूरी रहीं। ऐसी योजनाओं का उल्लेख रिपोर्ट के **कंडिका 3.3.2.3** में किया गया है।

विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

[19] *₹87.50 करोड़ = (₹257.36 करोड़ – ₹169.86 करोड़)।*

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के परिणाम हर घर नल का जल योजना के वित्तीय प्रबंधन और क्रियान्वयन संबंधित गंभीर कमियों को उजागर करते हैं। हालांकि, विभिन्न स्रोतों से ₹30,500.92 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन कार्यान्वयन विभाग न तो व्यय के बुनियादी रिकॉर्ड रखने में सफल रहे और न ही पूरी राशि का उपयोग कर सके।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि की आवश्यकता का उचित आकलन किए बिना और अक्सर काफी देरी से राशि जारी की गई। इसने न केवल निर्धारित समय–सीमा को बाधित किया, बल्कि योजना और समन्वय की कमी को भी दर्शाया।

क्षेत्रीय स्तर पर, कमजोर निधि अंतरण प्रबंधन एवं कमजोर संस्थागत जवाबदेही देखी गई जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।ग्राम पंचायतों ने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को योजना की अनुमानित लागत का केवल एक हिस्सा (8 से 81 प्रतिशत) ही जारी किया, जो कि 100 प्रतिशत राशि जारी करने के अनिवार्य दिशा–निर्देशों का उल्लंघन था। राशि हस्तांतरण में 18 महीने तक की देरी और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अतिरिक्त निकासी के मामले वित्तीय निगरानी की कमजोरी को और स्पष्ट करते हैं। इन विफलताओं ने सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से समय पर और समान रूप से पीने का पानी सुनिश्चित करने के योजना के मुख्य उद्देश्य को कमजोर किया।

अनुशंसा

अनुशंसा 3: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि हर घर नल का जल योजना हेतु विभिन्न अनुदान मदों के अंतर्गत आवंटित निधियों का पृथक एवं विस्तृत लेखांकन किया जाए, न कि उनका समग्र सात निश्चय योजना के अंतर्गत विलय किया जाए। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों के द्वारा इन आवंटनों के विरूद्ध वास्तविक रूप से किए गए व्यय की सतत् निगरानी की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी वित्तीय पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय-III

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण

अध्याय –III

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण

3. हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन लो.स्वा.अभि.वि. एवं प.रा.वि. द्वारा क्रमशः लो.स्वा. प्रमंडलों तथा डब्ल्यू.आई.एम.सी. के माध्यम से किया जाना था। शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन न.वि. एवं आ.वि. द्वारा श.स्था.नि. तथा बुडको के माध्यम से किया जाना था, जैसा कि **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र एवं कार्यान्वयन एजेंसियाँ

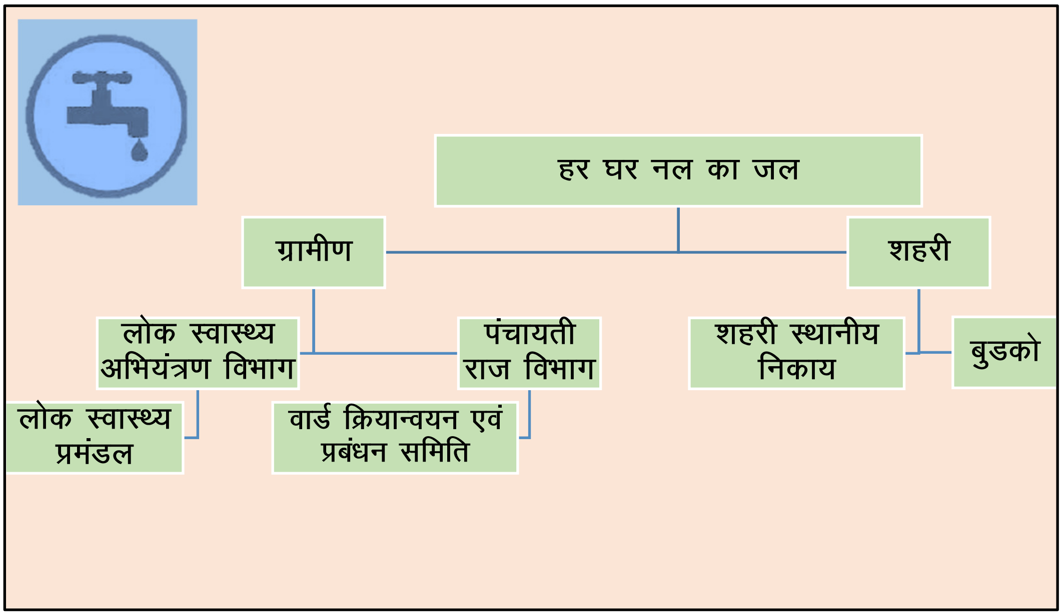

(स्रोतः हर घर नल जल योजना मार्गदर्शिका)

हर घर नल का जल योजना की उपलब्धि हेतु 1,14,450 ग्रामीण वार्डों तथा 3,370 शहरी वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने चार उप–योजनाएँ प्रारंभ की (सितंबर 2016) तथा प्रत्येक के अंतर्गत बिहार के सभी वार्डों को पाइप जलापूर्ति के अंतर्गत वर्ष 2019–20 तक आच्छादित किए जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। योजना–वार कार्यान्वयन विभाग, निर्धारित लक्ष्य तथा उनके विरुद्ध उपलब्धि का विवरण **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: योजना–वार कार्यान्वयन विभाग, प्रतिवेदित वार्ड/परिवार का लक्ष्य एवं उपलब्धि (मार्च 2023 तक)

योजना का नाम	कार्यान्वयन विभाग	लक्ष्यः वार्ड की संख्या (परिवार की संख्या)	उपलब्धिः वार्ड की संख्या (परिवार की संख्या)
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना	पंचायती राज विभाग	58,003 (-)	57,767 (94,73,788)
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	30,207 (47,68,403)	29,726 (46,47,078)
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	26,240 (36,90,325)	26,196 (36,70,503)
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	नगर विकास एवं आवास विभाग	3,370 (15,85,400)	3,156 (14,82,761)

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि., पं.रा.वि. एवं न.वि. एवं आ.वि. द्वारा प्रस्तुत सूचनायें)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि मार्च 2020 तक पूर्ण किए जाने के लक्ष्य के बावजूद, मार्च 2023 तक ग्रामीण एवं शहरी वार्डों का शत–प्रतिशत कवरेज पाइप जलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.1 ग्रामीण क्षेत्र में वार्डों के आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग

हर घर नल का जल योजना के लिए समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार प.रा.वि. **द्वारा आच्छादित किए जा रहे वार्डों के लिए निश्चय सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जानी थी** जबकि लो.स्वा.अभि.वि. के वार्डों के मामले में संबंधित प्रमंडलों को बिहार विकास मिशन द्वारा जारी निर्देशों (जून 2022) के अनुसार विभाग को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी। हालांकि, न.वि. एवं आ.वि. में कोई सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागः उपरोक्त चार्ट तथा लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (मार्च 2023) से यह परिलक्षित होता है कि हर घर नल का जल योजना के प्रारंभ (सितंबर 2016) से विभाग द्वारा कुल 56,447 वार्डों में से 55,922 वार्ड (99 प्रतिशत) को आच्छादित किया गया था। हालांकि, विभाग ने स्वयं नवंबर 2023 में निधि स्वीकृत करते समय यह उल्लेख किया कि 46,633 वार्डों की 10,719 बसावट, हर घर नल का जल योजना के तहत आच्छादन से बाहर रह गई थी। परिणामस्वरूप, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रतिवेदित किए गए 55,922 वार्डों में बसावटों का कवरेज 100 प्रतिशत नहीं था।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा दिए गए आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा भी की गई, क्योंकि यह देखा गया कि 15 नमूना जांचित प्रमंडलों में से पाँच प्रमंडलों (75 वार्ड) में लो.स्वा.अभि.वि. ने हर घर नल का जल योजना के

अंतर्गत 100 प्रतिशत[1] आच्छादन प्रतिवेदित किया था। तथापि, लेखापरीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि नवंबर 2023 तक इन 75 वार्डों में से 43 वार्डों में नौ कार्य अपूर्ण थे, जो विभाग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत करने का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, जहाँ लो.स्वा.अभि.वि. ने केवल 23 वार्डों में हर घर नल का जल योजना के अपूर्ण कार्यों को प्रतिवेदित किया था, वहीं लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 15 नमूना जांचित प्रमंडलों (171 वार्ड) में से चार प्रमंडलों के 136 वार्डों में 24 कार्य अपूर्ण (नवंबर 2023)[2] थे। प्रत्येक जिले/वार्ड के अपूर्ण कार्यों की सूची ***परिशिष्ट 3.1*** में विस्तृत रूप से दी गई है।

अपने जवाब (जून 2025) में, लो.स्वा.अभि.वि. ने विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार किया जिनके कारण कुछ बसावट आच्छादन से बाहर रह गईं थी। इनमें दूरस्थ बसावटों तक ट्यूबवेल से जलापूर्ति करने में असमर्थता तथा वितरण प्रणाली में पुलिया, पुल, नदियाँ, तालाब और रेलवे क्रॉसिंग जैसी बाधाएँ शामिल थीं। यह जवाब अप्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य की पुष्टि करता है कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा 99 प्रतिशत वार्डों के आच्छादन का दावा किए जाने के बावजूद, 46,633 वार्डों की 10,719 बसावटें वास्तव में आच्छादित नहीं की गई थीं।

पंचायती राज विभागः इसी प्रकार, प.रा.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत लक्षित ग्रामीण वार्डों का 99.51 प्रतिशत आच्छादन (मार्च 2023 तक) किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सात नमूना जांचित जिलों में 150 वार्डों में 150 कार्य अपूर्ण थे, जबकि प.रा.वि. के आँकड़ों के अनुसार केवल 47 वार्डों में कार्य अधूरे थे, जैसा कि **तालिका 3.1** में है।

तालिका 3.1ः पं.रा.वि. प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जॉचित सात जिलों के अभिलेखों के अनुसार लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम संख्या	जिलों का नाम	पं.रा.वि. के प्रतिवेदन (मार्च 2023) के अनुसार वार्डों के आच्छादन की स्थिति			नमूना जांचित अभिलेखों के अनुसार वार्डों की संख्या जहाँ कार्य अपूर्ण थे
		लक्ष्य	उपलब्धि	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य अपूर्ण थे	
1	औरंगाबाद	1,770	1,761	9	61
2	दरभंगा	3,849	3,833	16	28
3	गया	2,602	2,593	9	41
4	गोपालगंज	2,737	2,736	1	3
5	जमुई	266	266	0	5
6	सारण	3,362	3,353	9	1
7	पश्चिमी चंपारण	3,216	3,213	3	11
	योग	**17,802**	**17,755**	**47**	**150**

(स्रोतः प.रा.वि. और नमूना जांचित ग्रा.पं. द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनायें)

यह देखा गया कि अनेक कार्य विभिन्न कारणों से अपूर्ण रह गए जैसे निधियों की कमी, निधि उपलब्ध होने के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा कार्य क्रियान्वित न किया जाना, संवेदकों द्वारा कार्य को बीच में ही छोड़ देना, ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों का डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरण न किया जाना आदि।

[1] *मार्च 2023 तक हर घर नल का जल की जिलावार प्रगति प्रतिवेदन।*
[2] *मार्च 2023 तक हर घर नल का जल की जिलावार प्रगति प्रतिवेदन।*

इस प्रकार, संबंधित विभागों द्वारा हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्डों के पी. डब्ल्यू.एस. के आच्छादन को बढ़ा–चढ़ाकर प्रतिवेदित किया गया, जोकि वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करती थी। योजना के लक्षित तिथि तक 100 प्रतिशत परिवारों को आच्छादित करने का उद्देश्य अनेक परियोजनाएँ अपूर्ण रहने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

3.2 शहरी क्षेत्रों में वार्डों के आच्छादन की अवास्तविक रिपोर्टिंग

शहरी क्षेत्रों के संबंध में, हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी न.वि. एवं आ.वि. द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई। इसके अनुसार, कुल 93.65 प्रतिशत वार्डों को पी.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत आच्छादित बताया गया। इस प्रकार, 6.35 प्रतिशत शहरी वार्डों में हर घर नल का जल योजना से सबंधित पी.डब्ल्यू.एस. पूर्ण होने की निर्धारित अवधि (2019–20) के तीन वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि ये परियोजनाएँ संवेदकों द्वारा कार्य छोड़ देने, जल स्रोत की अनुपलब्धता, संवेदकों के साथ समझौते में विलंब/समझौतों के न होने आदि कारणों से अधूरी रह गई थीं।

इसके अतिरिक्त, चार नमूना जांचित श.स्था.नि. में, यद्यपि न.वि. एवं आ.वि. ने (मार्च 2023) हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.एस. द्वारा 100 प्रतिशत वार्डों के आच्छादन को प्रतिवेदित किया था, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 78 वार्डों में से 15 वार्डों (19 प्रतिशत वार्ड) में 15[3] कार्य नवंबर 2023 तक अपूर्ण थे, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है। अतः न.वि. एवं आ.वि. द्वारा 100 प्रतिशत वार्डों के आच्छादन की रिपोर्टिंग गलत और बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए आँकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 3.2: श.स्था.नि. के लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अपूर्ण वार्ड

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का नाम	न.वि. एवं आ.वि. के प्रतिवेदन के अनुसार वार्डों के आच्छादन की स्थिति (मार्च 2023)		लेखापरीक्षा के दौरान अपूर्ण पाए गए वार्ड
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	बीरपुर	13	13	1
2	बेनीपुर	29	29	4
3	झंझारपुर	16	16	1
4	झाझा	20	20	9
	योग	**78**	**78**	**15**

(स्रोतः विभाग एवं नमूना जांचित श.स्था.नि. निकायों की योजना से संबंधित अभिलेख)

अपने जवाब (जून 2025) में, न.वि. एवं आ.वि. ने सूचित किया कि बीरपुर में कार्य के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। झंझारपुर और झाझा में सड़क क्रॉसिंग तथा बोरिंग असफल होने के कारण जलापूर्ति सेवाओं में विलंब हुआ, तथापि जलापूर्ति की जा रही है।

विभाग के जवाब से यह स्पष्ट है कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा प्रतिवेदित किया गया 93.65 प्रतिशत आच्छादन अवास्तविक था।

[3] *बीरपुरः 1 कार्य, बेनीपुरः 4 कार्य, झंझारपुरः 1 कार्य, झाझाः 9 कार्य।*

3.3 ग्रामीण और शहरी वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार (जनवरी 2016) किए गए विजन एवं स्ट्रैटजिक दस्तावेज के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.एस. को कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा या तो मौजूदा/चल रही पाइप पी.डब्ल्यू.एस. को सुदृढ़ करके अथवा नई योजनाएँ बनाकर क्रियान्वित किया जाना था। सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत, विभाग को पहले उन योजनाओं की पहचान करनी थी जिनमें क्षमता वृद्धि की आवश्यकता थी और जनसंख्या की जल की मांग को पूरा करने हेतु उन योजनाओं का रूपरेखा पुनः तैयार करना था। इन योजनाओं को अतिरिक्त वितरण प्रणाली और गृह जल संयोजन के साथ सुदृढ़ किया जाना था।

नई पी.डब्ल्यू.एस. के निर्माण हेतु, लो.स्वा.अभि.वि. ने संबंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निर्देश (सितंबर 2016) दिया कि वे सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ बैठकें आयोजित करें, ताकि लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सके और हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार की जा सके। इन बैठकों का उद्देश्य संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के साथ सहभागिता सुनिश्चित करना था।

लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित लो.स्वा. प्रमंडल द्वारा ऐसे व्यापक अनुबंध प्रदान किए जाने थे जिनमें सभी सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, बिछाने, परीक्षण तथा चालू करने की पूर्ण जिम्मेदारी शामिल हो। इसमें ट्यूबवेल का ड्रिलिंग और विकास भी सम्मिलित था।

- ***हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पाइप जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन***

हर घर नल का जल योजना को लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा राज्य के गुणवत्ता प्रभावित तथा चयनित गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय घटक के अंतर्गत लागू किया गया। इसके तहत, लो.स्वा.अभि.वि. ने राज्य के सभी 38 जिलों के 56,447 ग्रामीण वार्डों में पी.डब्ल्यू.एस. परियोजनाओं को लागू करने का कार्य शुरू किया गया। इन परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में ट्यूबवेल का निर्माण, मोटर पंप की स्थापना, पानी की टंकी, जल शोधन यंत्र, वितरण प्रणाली की स्थापना, घरों तक गृह जल संयोजन आदि शामिल थे, साथ ही इन जलापूर्ति योजनाओं का पाँच वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण भी सम्मिलित था। इन योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद एवं तीन से छह माह की परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जाना था।

निष्पादित कार्यों की भुगतान अनुसूची के अनुसार, संवेदकों को 85 प्रतिशत भुगतान भौतिक एवं तकनीकी घटकों के पूर्ण होने के बाद किया जाना था तथा शेष 15 प्रतिशत भुगतान केवल परीक्षण अवधि[4] के सफल होने के बाद ही किया जाना था।

---

[4] *परीक्षण अवधि का उद्देश्य निमार्ण कार्य घटकों जैसे ट्यूबवेल, पंप, जल शोधन संयंत्र, वितरण प्रणाली, पानी की टंकी के लिए स्टेजिंग तथा गृह जल संयोजन के सफल संचालन को सुनिश्चित करना था।*

- हर घर नल का जल योजना के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय घटक को पं.रा.वि. द्वारा राज्य के 29 जिलों के 58,003 ग्रामीण वार्डों में डब्ल्यू.आई.एम.सी. के माध्यम से लागू किया गया। डब्ल्यू.आई.एम.सी पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे ट्यूबवेल, मोटर पंप, वितरण नेटवर्क, पानी की टंकी, गृह जल संयोजन आदि के निर्माण तथा संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थी। डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वार्डों का एक बेसलाइन सर्वेक्षण करना आवश्यक था। इसके बाद संबंधित वार्ड के कनीय अभियंता को डी.पी.आर. तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण इकाइयों को डी.पी.आर. के तकनीकी स्वीकृति का कार्य सौंपा गया, जबकि ग्राम पंचायत को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का दायित्व दिया गया। योजना में प्रयुक्त सामग्री की खरीद के लिए कार्य आदेश डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा बाजार के सर्वे के आधार पर जारी किए जाने थे और परियोजनाओं का क्रियान्वयन डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा श्रमिकों, तकनीशियनों, प्लंबर आदि की भागीदारी के साथ किया गया था। इस योजना के तहत संवेदकों की भागीदारी प्रतिबंधित थी।

- ***हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पी.डब्ल्यू.एस. का क्रियान्वयन***

हर घर नल का जल योजना के शहरी घटक मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का बिहार के 143 शहरों के 3,370 शहरी वार्डों में श.स्था.नि. और बुडको द्वारा क्रियान्वयन किया गया। 32 शहरों के 1,384 वार्डों में पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं का क्रियान्वयन बुडको द्वारा किया गया, जबकि शेष 111 शहरों के 1,986 वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन श.स्था.नि. द्वारा निजी एजेंसियों के माध्यम से किया जाना था, जिन्हें निविदा प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाना था। इन पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण परियोजना के पूर्ण होने के बाद पाँच वर्षों तक संवेदक द्वारा किया जाना था।

हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अनियमितताओं का आगामी कंडिकाओ में चर्चा की गई है।

3.3.1 ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सर्वेक्षण के मौजूदा पाइप जलापूर्ति योजनाओं का क्षमता संवर्धन

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार (जनवरी 2016) किए गए विजन एवं स्ट्रैटजी दस्तावेज के अनुसार, मौजूदा क्षमता की पहचान और उसका संवर्धन जनसंख्या की जल की माँग के अनुसार किया जाना था। किसी भी मौजूदा अथवा चल रहे पी.डब्ल्यू.एस. की पुनर्रचना से पूर्व, संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा मौजूदा नलकूपों की क्षमता, आवश्यक वितरण प्रणाली की लंबाई, गृह जल संयोजन की संख्या आदि की पहचान की जानी थी, ताकि जनसंख्या की जल को आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों में, 124 वार्डों में 14,114 ग्रामीण परिवारों को नए गृह जल संयोजन उपलब्ध कराने के लिए पी.डब्ल्यू.एस. में वृद्वि करने, मौजूदा वितरण प्रणाली आदि का विस्तार करने हेतु, 16 कार्यों के लिए ₹ 12.45 करोड़ मूल्य के प्राथमिक एकरारनामा किए गए थे (दिसंबर 2018 से मई 2020)। तथापि, इन सभी वार्डों में नलकूपों की मौजूदा क्षमता, वितरण प्रणाली की लंबाई, आच्छादित किए जाने वाले गृह जल संयोजनों की संख्या तथा किए जाने वाले कार्य के दायरे की उचित पहचान हेतु विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, इन सभी मामलों में प्राथमिक एकरारनामा के अंतिम रूप दिए जाने के बाद, 71,354 मीटर वितरण प्रणाली, 5,639 परिवारों को नल जल संयोजन तथा 11 नलकूप आदि, (जैसा कि ***परिशिष्ट–3.2*** में विस्तृत है) अतिरिक्त कार्यों हेतु पूरक एकरारनामा निष्पादित (सितंबर 2020 से जनवरी 2022) करने पड़े जिसकी पुनरीक्षित लागत ₹ 18.26 करोड़ थी। अतः मौजूदा पी.डब्ल्यू.एस. की समुचित पहचान न किए जाने के कारण तथा आवश्यकताओं के अवास्तविक आकलन के कारण तीन योजनाएँ अपूर्ण रहीं और 13 योजनाओं के पूर्ण होने में वास्तविक पूर्णता तिथि (जून 2019 से नवंबर 2020) की तुलना में तीन से 23 माह का विलम्ब हुआ।

(अ) ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति की सेवा प्रदान करने में विलंब

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 16 योजनाओं के एकरारनामा में से 13 एकरारनामा में, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत 100 ग्रामीण वार्डों में 15,817 घरों में संयोजन प्रदान किए जाने थे। इनमें से 100 वार्डों के 11,192 परिवारों को जलापूर्ति की सेवा, प्राथमिक एकरारनामा की निर्धारित पूर्ण होने की तिथियों (जून 2019 से नवंबर 2020) से तीन से 23 माह तक की अवधि के विलंब के बाद ही उपलब्ध कराई जा सकी। इसके अतिरिक्त, 100 वार्डों के 4,625 पात्र परिवारों को नल जल संयोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जैसा कि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: पूरक एकरारनामा के घटको को पूर्ण करने में विलम्ब (नवंबर 2023 तक)

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	नमूना जांचित एकरारनामा में वार्डों की संख्या	गृह जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह जल संयोजन की संख्या	उपलब्ध नहीं कराई गई गृह जल संयोजन की संख्या	प्राथमिक एकरारनामा के अनुसार नियत तिथि की तुलना में कार्य पूर्ण होने में हुआ विलम्ब (महीने में)
1	औरंगाबाद	6	1,421	620	801	11
2	छपरा	20	2,432	2,128	304	3 से 7
3	दरभंगा	25	3,730	2,028	1,702	19 से 22
4	झंझारपुर	8	1,672	1,679	(-) 7	14 से 23
5	मधुबनी	41	6,562	4,737	1,825	11 से 23
	कुल	**100**	**15,817**	**11,192**	**4,625**	

(स्रोत: नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के अभिलेख)

(ब) ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति सेवा की अन–उपलब्धता

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि मौजूदा पेयजल योजनाओं के सर्वेक्षण सही से न होने के कारण, 16 में से तीन[5] एकरारनामा नवंबर 2023 तक अपूर्ण रहे। इन परियोजनाओं के अपूर्ण रहने का मुख्य कारण यह था कि सभी लक्षित परिवारों को आच्छादित करने हेतु आवश्यक मात्रा में जल आपूर्ति करने के लिए नलकूपों की जल निकालने की क्षमता का संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा उचित आकलन नहीं किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.4** में विस्तृत रूप से देखा गया है।

[5] *औरंगाबाद (ओबरा पी.डब्ल्यू.एस.: एसबीडी– 156/2019–20), दरभंगा (कमतौल पी.डब्ल्यू.एस.: एसबीडी– 35/2019–209) और मधुबनी (मधवापुर पी.डब्ल्यू.एस: F2–29/2018–19)।*

तालिका 3.4: वार्डों की संख्या, परिवार और मौजूदा पी.डब्ल्यू.एस. के अपूर्ण रहने के कारण

क्रम संख्या	लो.स्वा. प्रमंडलों का नाम, कार्य का नाम, प्राथमिक एकरारनामा का मूल्य, कार्य पूर्ण करने का प्रारंभिक लक्ष्य	अपूर्ण वार्डों की संख्या	परिवार की संख्या	योजना अपूर्ण रहने का कारण
1	औरंगाबाद ओबरा पी.डब्ल्यू.एस. (एसबीडी–156/ 2019–20), मूल प्राक्कलन का मूल्य: ₹ 64.23 लाख पुनरीक्षित प्राक्कलन का मूल्य: ₹ 216.76 लाख कार्य पूर्ण करने का प्रारंभिक लक्ष्य : 3 जून 2020	10	1,595	इस कार्य के लिए प्रारंभिक एकरारनामा दिसंबर 2019 में निष्पादित किया गया था, हालांकि प्राक्कलन बिना किसी सर्वेक्षण के तैयार किया गया। अतः इन प्राक्कलनों को (नवंबर 2020 में) एक अतिरिक्त वितरण प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु पुनरीक्षित किया गया, जो कि प्रारंभिक एकरारनामा के एक वर्ष से अधिक समय पश्चात किया गया। किन्तु यह पुनरीक्षण भी बिना किसी आकलन के किया गया और इसलिए, दूसरा पुनरीक्षण (दो नलकूप एवं दो पंपों हेतु) प्रथम पुनरीक्षण के दो वर्ष बाद जनवरी 2023 में प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त, संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि पहचाना गया जलस्रोत सभी वार्डों की जलापूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फलस्वरूप, परियोजना अपूर्ण रही (जुलाई 2023) और लक्षित परिवारों को पाइप जलापूर्ति प्रदान करने का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका।
2	दरभंगा कमतौल पी.डब्ल्यू.एस. (एसबीडी–35/2019–20) मूल प्राक्कलन का मूल्य: ₹ 82.78 लाख पुनरक्षित प्राक्कलन की मूल्य: ₹ 159.28 लाख कार्य पूर्ण करने का प्रारंभिक लक्ष्य: 14 मई 2020	6	1,410	इस कार्य का प्रारंभिक प्राक्कलन (नवंबर 2018) बिना किसी सर्वेक्षण के तैयार किया गया था और इसी अनुमान पर प्राथमिक एकरारनामा (नवंबर 2019) भी निष्पादित किया गया। इस एकरारनामा के विरुद्ध, संवेदक ने 3,815 मीटर में से 3,157 मीटर पाइप बिछाने का कार्य किया तथा मई 2020 तक 1,300 गृह जल संयोजन में से 251 गृह जल संयोजन प्रदान किए। तथापि, इस प्राक्कलन के अंतर्गत स्वीकृत वितरण की मात्रा सभी लक्षित वार्डों को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा पुराना नलकूप भी अपनी परिकल्पित आयु पूर्ण कर चुका था। अतः, पूरक एकरारनामा (नवंबर 2019) में अतिरिक्त वितरण प्रणाली और नलकूप की व्यवस्था की गई। किन्तु, संवेदक ने पूरक एकरारनामा में सम्मिलित कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया। परिणामस्वरूप, प्रारंभिक एकरारनामा की तिथि से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी 1,410 परिवार हर घर नल का जल योजना के लाभ से वंचित रहे।
3	मधुबनी मधवापुर पी.डब्ल्यू.एस. (एसबीडी –29/2018–19) मूल प्राक्कलन की मूल्य: ₹ 69.30 लाख पुनरीक्षित प्राक्कलन का मूल्य: ₹ 91.23 लाख कार्य पूर्ण करने का प्रारंभिक लक्ष्य: 6 जुलाई 2019	8	931	इस कार्य का प्राक्कलन बिना किसी सर्वेक्षण के तैयार (नवंबर 2018) किया गया था और एकरारनामा वितरण प्रणाली विस्तार एवं गृह जल संयोजन प्रदान करने हेतु निष्पादित (मार्च 2019) किया गया। तथापि, संवेदक ने (मई 2019) प्रतिवेदित किया कि इस योजना में मौजूद नलकूप कार्यरत नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी ने मौजूदा नलकूप की स्थिति का आकलन नहीं किया, जिसके कारण समग्र रूप से कार्य निष्पादन में विलंब हुआ। अंततः प्रारंभिक एकरारनामा की तिथि से चार वर्ष से अधिक समय के पश्चात अक्टूबर 2023 में नलकूप के लिए निविदा आमंत्रीत की गई, अर्थात परिणामस्वरूप, नवंबर 2023 तक 931 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइप जलापूर्ति के लाभ से वंचित रहे।
	योग	**24**	**3,936**	

(स्रोत : नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के अभिलेख)

इस प्रकार, हर घर नल का जल योजना के तहत क्षमता वृद्धि या संवर्धन के लिए मौजूदा पी.डब्ल्यू.एस. योजनाओं का उचित सर्वेक्षण के माध्यम से आकलन नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, हर घर नल का जल योजना के तहत 24 वार्डों के 3,936 परिवार नल के पानी के कनेक्शन से वंचित रह गए।

अपने जवाब में (जून 2025) में विभाग ने कहा कि योजना अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 30 वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप से तैयार की गई थी। तथापि, चूँकि नलकूप को 15 वर्ष की सेवा आयु के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए संबंधित वितरण प्रणाली और गृह जल संयोजन की योजना तदनुसार बनाई गई थी। चूकि नलकूप अपनी परिकल्पित आयु पूरी कर चुका है, इसलिए वर्तमान जनसंख्या के आधार पर एक नई योजना तैयार की गई है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मौजूदा नलकूपों की क्षमता, वितरण प्रणाली की आवश्यक लंबाई तथा जनसंख्या की जल की माँग को पूरा करने हेतु आवश्यक गृह जल संयोजन की संख्या का आकलन, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व किया जाना अपेक्षित था।

3.3.2 नई पाइप जलापूर्ति योजना का निर्माण

3.3.2.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा वार्डों में जलापूर्ति सेवा प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया गया

लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों ने योजना के विभिन्न घटकों को पूर्ण करने हेतु एजेंसियों को निविदाएँ प्रदान की और एकरारनामा निष्पादित किए। परियोजना के चालू करने के बाद एक संचालन पूर्व परीक्षण किया जाना था और उसके सफल समापन के आधार पर शेष 15 प्रतिशत भुगतान संवेदक को जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि आठ नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के 30 नमूना एकरारनामा में संवेदक 20 वार्डों में नलकूप, 44 वार्डों में वितरण प्रणाली, 68 वार्डों में गृह जल संयोजन, 88 वार्डों में पानी टंकी के लिए स्टेजिंग तथा 21 वार्डों में जल शोधन संयंत्र का कार्य पूरा करने में विफल रहे (नवंबर 2023 तक)। ये पी.डब्ल्यू.एस. 2017–18 से 2019–20 की अवधि के बीच प्रदान की गई थीं, किन्तु तीन से पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी विभिन्न कारणों जैसे संवेदकों द्वारा कार्य छोड़ दिया जाना, संचालन पूर्व परीक्षण न किया जाना आदि के कारण अपूर्ण रहीं। इन पी.डब्ल्यू.एस. के अपूर्ण रहने से 28,849 परिवार सुरक्षित गृह जल संयोजन से वंचित रह गए, जैसा कि **तालिका 3.5** और ***परिशिष्ट 3.3*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.5: नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों का विवरण, जहाँ संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया (नवंबर 2023 तक)

क्रम संख्या	लो.स्वा. प्रमंडलों के नाम (नमूना जांचित एकरारनामा की संख्या)	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
1	भागलपुर पूर्वी (4)	12	2,910	3.28
2	दरभंगा (1)	3	448	0.00
3	गया (14)	84	15,100	13.92
4	झंझारपुर (3)	11	2,125	1.69
5	मधुबनी (1)	6	900	0.20
6	शेरघाटी (4)	31	5,840	2.49
7	सुपौल (2)	3	796	0.50
8	जमुई (1)	5	730	0.03
	योग (30)	**155**	**28,849**	**22.11**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओं से संबंधित अभिलेख)

तालिका से स्पष्ट है कि नमूना जांचित 30 एकरारनामों में ₹ 22.11 करोड़ का व्यय 155 वार्डों के लिए किया गया, किन्तु इनके अपूर्ण रहने के कारण इन पर किया गया व्यय निष्फल रहा (नवंबर 2023 तक)।

जून 2025 में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि नए नलकूपों के निर्माण, नए संवेदकों की नियुक्ति तथा पाइपलाइनों के बिछाने/मरम्मत के बाद 155 वार्डों में से 41 वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। शेष 114 वार्डों के लिए जलापूर्ति प्रारंभ करने हेतु नए प्राक्कलन तैयार करने, नए संवेदकों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही आरंभ की गई है।

- ***कठिन भू–भाग में जलापूर्ति की सेवा प्रारंभ नहीं किया जाना***

हर घर नल का जल योजना के अंर्तगत कठिन भू–भाग[6] होने के कारण गया जिले के 99 ग्रामीण वार्डों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गया द्वारा लो.स्वा.अभि.वि. को सौंपा गया (मई 2020) यह कार्य निर्धारित समयसीमा के अनुसार एक माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था।

गया जिले के 23 वार्डों में 23 योजनाओं के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि योजना केवल दो वार्डों (ग्राम पंचायत लोढाबे के वार्ड संख्या 11 और 13) में ही क्रियाशील थी। हालांकि, पाँच वार्डों की पाँच योजनाओं में जल भंडारण हेतु स्टेजिंग[7] प्रक्रिया और जल टॉवर का निर्माण पूर्ण किये बिना ही वितरण प्रणाली बिछाने और गृह जल संयोजन का कार्य किया गया था (₹ 85.09 लाख की लागत पर)। परिणामस्वरूप, घरों में जल केवल मोटर पंप के चालू रहने के दौरान ही उपलब्ध था क्योंकि भंडारण सुविधा निर्मित नहीं की गई थी। इस प्रकार, इन पाँच वार्डों के 1,370 परिवारों को निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी ***(परिशिष्ट 3.4)***।

शेष 16 वार्डों[8] में कार्यों की स्थिति विस्तृत रूप से **तालिका 3.6** में दी गई है:

तलिका 3.6: शेष 16 योजनाओ की स्थिति (16 वार्ड)

वार्ड की संख्या	कार्य अपूर्ण रहने के कारण
8[9]	केवल बोरिंग कार्य किया गया हालांकि वह भी फेल हो गया[10]
4[11]	केवल बोरिंग कार्य किया गया और वह कार्यशील हैं, हालांकि शेष कार्य यथा पाइप बिछाना, मोटर पम्प, गृह जल संयोजन, स्टैजिंग इत्यादि नहीं किया गया।
4[12]	पाइप बिछाने का आंशिक कार्य तथा घरेलू सेवा कनेक्शन का कार्य किया गया, किन्तु मोटर पम्प की स्थापना एवं स्टेजिंग का कार्य नहीं किया गया।

(स्रोतः नमूना जांचित ग्राम पंचायतों के योजना अभिलेख)

6 *जल के अभाव वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पथरीले मैदानी क्षेत्र।*

7 *स्टेजिंग वह संरचना है जो भू–स्तर से आठ मीटर ऊँचाई पर निर्मित की जाती है, जिसके ऊपर जलाशय स्थापित किया जाता है।*

8 *ग्राम पंचायत लोधाबे के दो वार्डों (वार्ड संख्या 11 और 13) में योजना अपेक्षित रूप से क्रियाशील थी।*

9 *ग्राम पंचायत बारा–वार्ड संख्या 1, 2, 6, 9, 11 और 13, ग्राम पंचायत जेठीयन–वार्ड संख्या 4 और 7।*

10 *इन क्षेत्रों को जल–अभावग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जल स्तर अत्यधिक निम्न होने के कारण बोरिंग करने पर भी जल उपलब्ध नहीं हो सका।*

11 *ग्राम पंचायत उत्तरी कजूर–वार्ड संख्या 6, 8 और 9, ग्राम पंचायत जेठीयन–वार्ड संख्या 3।*

12 *ग्राम पंचायत जेठीयन –वार्ड संख्या 1, 8, 9 और 10।*

अतः ₹1.26 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद, आंशिक रूप से कार्य पूर्ण रहने के कारण इन 16 वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो सकी, जिससे 3,742 परिवार[13] हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत गृह जल संयोजन से वंचित रह गए ***(परिशिष्ट– 3.5)***।

- ***विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में जलापूर्ति की सेवा सुनिश्चित नहीं की गई***

पंचायती राज विभाग ने डीपीआरओ को निर्देश जारी किए (दिसंबर 2020) कि संबंधित वार्डों में स्थित सभी सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को अनिवार्य रूप से हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा जलापूर्ति प्रदान की जाए।

लेखापरीक्षा के दौरान 339 सरकारी संस्थानों (विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र आदि) में जल सेवा संयोजन की स्थिति का भी सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में यह पाया गया कि उक्त 339 संस्थानों में से 159 संस्थानों में कोई जल संयोजन उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, जिन 180 संस्थानों में जल संयोजन स्थापित किए गए थे, उनमें से 28 संस्थानों में वास्तविक रूप से जलापूर्ति उपलब्ध नहीं थी।

- ***बहु–ग्राम पाइप जलापूर्ति योजना में आर्सेनिक–मुक्त जलापूर्ति की सेवा सुनिश्चित नहीं की गई***

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा बहु–ग्राम पी.डब्ल्यू.एस. की शुरूआत (जनवरी 2013) ₹90.03 करोड़[14] के एकरारित मूल्य पर की गई थी, जिसका उद्देश्य भागलपुर जिले के सुल्तानगंज एवं नाथनगर प्रखंडों के आर्सेनिक प्रभावित 70 वार्डों में सतही जल स्रोत के माध्यम से सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों द्वारा जल उपलब्ध कराना था। इस कार्य पर अक्टूबर 2017 तक ₹30.76 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, धीमी प्रगति के कारण यह योजना अक्टूबर 2017 में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निरस्त कर दी गई।

इसके पश्चात, जून 2019 में लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा 70 वार्डों के 10,370 परिवारों को गृह जल संयोजन के उद्देश्य से एक संशोधित योजना (दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच) प्रारंभ की गई जिसका एकरारित मूल्य ₹18.75 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, प्रमंडल द्वारा सतही जल स्रोत के लंबित कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹45.35 करोड़ का एक अन्य एकरारनामा भी निष्पादित किया गया। इन योजनाओं के कार्यक्षेत्र में लंबित सतही जल घटकों को पूर्ण करना एक एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर का निर्माण, वितरण प्रणाली का बिछाव तथा गृह जल संयोजन की स्थापना सम्मिलित थी।

बाद में, लो.स्वा.अभि.वि. ने कार्यक्षेत्र में संशोधन करते हुए (जून 2020) सतही जल स्रोत के निर्माण में विलंब के कारण उच्च क्षमता वाले नलकूपों का निर्माण तथा मोटर पंपों की स्थापना द्वारा भू–जल स्रोत से भी जलापूर्ति को भी सम्मिलित किया गया। तथापि, इसके अंतर्गत इन 70 वार्डों के आर्सेनिक प्रभावित होने के बावजूद योजना में भूजल को आर्सेनिक मुक्त करने के उपायों का प्रावधान शामिल नहीं किया गया।

---

13 *केवल 13 वार्डों के परिवारों का ही विवरण उपलब्ध था। तीन वार्डों (उत्तरी कजूर के वार्ड संख्या 6, 8 और 9) के परिवारों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।*

14 *F_2–15/2022–23: ₹71.28 करोड़ (जनवरी 2013), एसबीडी–50/2019–20: ₹3.61 करोड़ (दिसम्बर 2019), एसबीडी–51/2019–20: ₹4.04 करोड़ (दिसम्बर 2019), एसबीडी–66/2019–20: ₹4.02 करोड़ (फरवरी 2020), एसबीडी– 67/2019–20: ₹ 4.19 करोड़ (फरवरी 2020), एसबीडी–68/2019–20: ₹2.89 करोड़ (फरवरी 2020)।*

संशोधित कार्यक्षेत्र के अनुपालन में, लो.स्वा. प्रमंडल ने जुलाई 2022 तक आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया, जिससे भागलपुर जिले के सुल्तानगंज एवं नाथनगर प्रखंडों के 70 वार्डों में 10,370 परिवारों को पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित की गई। इस पर ₹16.05 करोड़ की लागत आई। तथापि, भूजल को आर्सेनिक मुक्त बनाने के उपायों का प्रावधान न होने के कारण इन योजनाओं को बिना आर्सेनिक निवारण व्यवस्था के ही प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹15.41 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद सतही जल स्रोत के विकास से संबंधित कार्य अपूर्ण ही रहे। (नवंबर 2023)

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) के दौरान क्षेत्रीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, भागलपुर में जल गुणवत्ता परीक्षण किया गया और पाया गया कि तीन भू–जल स्रोतों[15] में आर्सेनिक की मात्रा वांछित सीमा से अधिक थी, जिनसे 39 वार्डों के 6,430 परिवारों को जलापूर्ति की जा रही थी। परिणामस्वरूप, ₹62.22 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद आर्सेनिक–मुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण 10,370 परिवार भी आर्सेनिक–मुक्त नल–जल से वंचित रहे।

3.3.2.2 पंचायती राज विभाग वार्डों में जलापूर्ति की सेवा सुनिश्चित नहीं की गई

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी हर घर नल का जल योजना के दिशा–निर्देश (जून 2017) के अनुसार, इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर (गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों के लिए) जिला जल एवं स्वच्छता समिति के पर्यवेक्षण में किया जाना था, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं तथा डीपीआरओ भी इसके सदस्य होते हैं। यह समिति योजना के क्रियान्वयन, कार्यों की प्रगति की निगरानी, सामाजिक जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन आदि के लिए उत्तरदायी थी। वार्ड स्तर पर, प.रा.वि. को ग्राम पंचायतों के डब्ल्यू.आई.एम.सी. के माध्यम से ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना लागू करना था।

इस परिप्रेक्ष्य में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 से 2022–23 के दौरान 152 नमूना जांचित ग्रामीण वार्डों में 152 कार्य विभिन्न कारणों से अपूर्ण रहे, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में तथा सारांश **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7: नमूना जांचित प.रा.वि. वार्ड जहाँ कार्य अपूर्ण रह गए

क्रम संख्या	जिला का नाम	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण कार्य का कारण
1	औरंगाबाद	61	राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं किया जाना, राशि की कमी, तथा डब्ल्यू. आई.एम.सी. द्वारा राशि का दुरुपयोग।
2	दरभंगा	28	राशि की कमी, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ना, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा राशि का दुरुपयोग, तथा संवेदकों द्वारा कार्य परित्यक्त करना[16]।
3	गया	41	राशि का हस्तांतरण न होना, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा राशि का दुरुपयोग, तथा कार्यों को अपूर्ण छोड़ देना।
4	गोपालगंज	3	

15 *अनुमेय सीमाः 0.01 मि.ग्रा./ली. जांच परिणाम–रन्नुचक स्थलः 0.012 मि.ग्रा/ली (एसबीडी–51), हरदासपुर –गोसाईदासपुर स्थलः 0.012 मि.ग्रा/ली (एसबीडी–66) और शाहपुर–राघोपुर स्थलः 0. 034 मि.ग्रा./ली (एसबीडी–68)।*

16 *कार्य को संवेदक को आवंटित किया गया, जबकि यह पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत निषिद्ध था।*

क्रम संख्या	जिला का नाम	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण कार्य का कारण
5	जमुई	5	भूमि विवाद, आदि के कारण डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ दिए गए असफल बोरिंग, विद्युत संयोजन संबंधी समस्याएं ।
6	मधुबनी	2	राशि का दुरुपयोग, राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई. एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ना।
7	सारण	1	राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ना।
8	पश्चिमी चंपारण	11	
	कुल	**152**	

अतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत 152 जलापूर्ति कार्य ग्रामीण वार्डों में अपूर्ण रहे। इसके पीछे गंभीर त्रुटियाँ थीं, जैसे धन का दुरुपयोग, धन की हेराफेरी, धन का हस्तांतरण न होना तथा डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वयन अनुदेशों का अनुपालन न करना आदि। इन मुद्दों से कमजोर वित्तीय पर्यवेक्षण, जिला जल एवं स्वच्छता समितियों तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी और योजना क्रियान्वयन में जमीनी स्तर पर तंत्रगत कमियाँ का पता चलता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (जून 2025) करते हुए उत्तर दिया कि प.रा.वि. के अंतर्गत सभी योजनाएँ लो.स्वा.अभि.वि. को हस्तांतरित कर दी गई हैं और कार्य प्रगति पर है।

3.3.2.3 शहरी क्षेत्र में अपूर्ण हर घर नल का जल योजना

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन बिहार के 143 नगरों के 3,370 शहरी वार्डों में श.स्था.नि. एवं बुडको द्वारा किया जाना था तथा इसे वर्ष 2019–20 तक पूर्ण किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजनाओं की स्वीकृति तिथि (2015–16 से 2020–21) से दो से सात वर्ष बीत जाने और ₹554.63 करोड़ का व्यय होने के बाद भी 37 नमूना जांचित योजनाएँ जो कि 232 वार्डों को आच्छादित करने हेतु थी, अपूर्ण रहीं (मार्च 2023 तक)। अपूर्ण होने के कारणों में संवेदकों द्वारा कार्य छोड़ देना (14 वार्डों में), जल स्रोत का न मिलना (आठ वार्डों में) तथा संवेदकों के साथ एकरारनामा में विलंब/एकरारनामा निष्पादन न होने के कारण 76 वार्डों में कार्य प्रारंभ न होना शामिल था। इन योजनाओं के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप 1,51,557 शहरी परिवार पी.डब्ल्यू.एस. के लाभ से वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों को 100 प्रतिशत आच्छादित करने का सरकार का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका। इन अपूर्ण योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.7*** में प्रदर्शित है।

3.3.3 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत अकार्यशील योजनाएँ

हर घर नल का जल योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण वार्डों में लो.स्वा.अभि. वि. द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के मामले में कार्य पूर्ण होने के बाद संचालन एवं अनुरक्षण (मरम्मत सहित) का दायित्व पाँच वर्षों की अवधि तक संवेदकों द्वारा निभाया जाना था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण स्वयं डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया जाना था। शहरी वार्डों के मामले में, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं के पूर्ण होने के बाद संचालन एवं अनुरक्षण कार्य पाँच वर्षों तक संवेदकों द्वारा किया जाना था।

योजनाओं के सतत् संचालन एवं निर्बाध जलापूर्ति के लिए योजनाओं का नियमित संचालन एवं अनुरक्षण आवश्यक था। तथापि, नमूना जांचित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने पाया कि संचालन एवं अनुरक्षण की कमी के कारण अनेक योजनाएँ अक्रियाशील रहीं, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाएँ: नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि दो लो.स्वा. प्रमंडलों (झंझारपुर और मधुबनी) में संबंधित कार्यपालक अभियंता ने प्रतिवेदित किया कि (अक्टूबर 2023) कि छह योजनाओं के अंतर्गत 28 वार्डों में जलापूर्ति कार्य पूर्ण (₹ 3.91 करोड़ के व्यय) होने की तिथि (फरवरी 2020 से जुलाई 2021) से दो से तीन वर्षों के भीतर ही बाधित हो गई। इसके पीछे विभिन्न कारण थे, जैसे बोरिंग असफलता, वितरण प्रणाली में अवरोध, वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होना आदि, जैसा कि **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: पी.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत आच्छादित वार्डों में से जलापूर्ति बाधित वार्डों की विवरणी

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम (योजना बाधित होने की सूचना की अवधि)	पी.डब्ल्यू. एस. का नाम	योजना पूर्ण होने की तिथि	व्यय (₹ लाख में)	वार्ड जहाँ जलापूर्ति बाधित थी	कारण	संचालन एवं अनुरक्षण का अंतिम भुगतान का माह
1	झंझारपुर (सितंबर 2023)	अररिया संग्राम	अक्टूबर 2020	27.18	9, 12, 13, 14	पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित	जनवरी 2023
2	झंझारपुर (सितंबर 2023)	बाबूबरही	फरवरी 2020	39.47	3, 5		अक्टूबर 2022
3	झंझारपुर (सितंबर 2023)	सिसवा बरही	फरवरी 2021	131.20	2, 3, 9		मई 2023
4	मधुबनी (अक्टूबर 2023)	मधवापुर	फरवरी 2020	28.32	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	असफल बोरिंग	संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं
5	मधुबनी (अक्टूबर 2023)	पंडौल पुर्बी	मई 2020	20.84	2, 3, 4, 5, 6, 7	असफल बोरिंग	जून 2022
6	मधुबनी (अक्टूबर 2023)	बसोपट्टी पूर्वी	जुलाई 2021	143.79	3, 4, 5, 6, 10	पाइप लाइन जाम (अंशतः बाधित)	मई 2023
	कुल			**390.80**	**28**		

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओ से संबंधित अभिलेख)

उपरोक्त योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि का आकलन लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा किए गए भुगतानों के आधार पर किया गया। इस संबंध में यह पाया गया कि जहाँ एक मामले (मधवापुर) में संचालन एवं अनुरक्षण किए जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था, वहीं अन्य मामलों में अंतिम संचालन एवं अनुरक्षण की अवधि योजनाओं के पूर्ण होने के दो से तीन वर्षों तक ही सीमित रही, जिससे उनकी नियमित कार्यप्रणाली प्रभावित हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि क्रम संख्या 4 और 5 पर उल्लिखित दो योजनाओं की अकार्यशीलता की समस्या को दूर करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा ट्यूबवेल स्थापना के लिए प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजा गया। तथापि, नवंबर 2023 तक लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

- **पंचायती राज विभाग की योजनाएँ:** प.रा.वि. के निश्चय सॉफ्ट पोर्टल[17] पर उपलब्ध जानकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायतों/वार्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं की स्थिति के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 134 वार्डों में 134 योजनाएँ प्रमुख/गौण समस्याओं जैसे बोरिंग असफलता, मोटर जल जाना, वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होना, पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होना, विद्युत सम्बांधित समस्या, वार्ड सदस्यों की योजना संचालित करने में रुचि का अभाव आदि के कारण 3 से 36 माह से अकार्यशील रहीं। इस प्रकार, उचित अनुरक्षण के अभाव में ये योजनाएँ ₹ 15.84 करोड़ का व्यय होने के बावजूद अकार्यशील हो गईं ***(परिशिष्ट 3.8)***।

चूँकि प.रा.वि. योजनाएँ लो.स्वा.अभि.वि. को हस्तांतरित कर दी गई हैं, अतः लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (जून 2025) जवाब दिया कि योजनाओं को एकरारित संवेदकों के माध्यम से कार्यशील बनाया जा रहा है।

- **शहरी स्थानीय निकाय की योजनाएँ:** नगर निकाय, झंझारपुर के दो वार्डों में 1,036 परिवारों हेतु जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन बुडको द्वारा संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा (मई 2019) के अंतर्गत किया जाना था। तथापि, परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण का प्रावधान एकरारनामा में नहीं किया गया था। यह योजना मई 2019 से मई 2020 की अवधि में ₹ 2.05 करोड़ के व्यय पर दोनों वार्डों में पूर्ण की गई। तत्पश्चात, बुडको ने (जनवरी 2021) इस योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नगर निकाय, झंझारपुर को हस्तांतरित कर दिया। किन्तु लेखापरीक्षा ने पाया कि (अगस्त 2023 तक) पंप संचालक की अनुपलब्धता के कारण यह परियोजना अकार्यशील रही।

उपरोक्त लेखापरीक्षा आपात्ति पर, श.स्था.नि. झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता ने बताया (नवंबर 2023) कि न.वि. एवं आ.वि. से किसी भी प्रकार के निर्देशों के अभाव में इस योजना हेतु संचालन एवं अनुरक्षण सहित पंप संचालक की व्यवस्था नहीं की गई।

अतः अंतर्विभागीय समन्वय की कमी के कारण यह योजना अकार्यशील रही और हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइप जलापूर्ति के लाभ से 1,036 परिवार वंचित रह गए।

3.3.4 हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत अनुबंध प्रबंधन

उपरोक्त उल्लेखित कमियों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा अनुबंध के आवंटन में अनियमितता, अनुबंध की धाराओं के अनुपालन न होना आदि भी पाया गया, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.3.4.1 अनुबंध की धाराओं का अनुपालन न करने से संवेदकों को अनुचित लाभ प्राप्त होना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा (जून 2019) जारी आदर्श निविदा दस्तावेज की धारा 12 के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में किसी भी अतिरिक्त वस्तु की मात्रा अनुबंध का हिस्सा उस प्रकार से मानी जाएगी, मानो वह

[17] *पं.रा.वि. ने एक वेबसाइट (prdNischaysoft.bih.nic.in) संचालित की थी, जहाँ हर घर नल जल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रदर्शित की जाती थी। उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध जल नियंत्रण मॉड्यूल में तकनीकी सहायक द्वारा की गई योजना की भौतिक जांच भी दर्शाई गई थी।*

प्रारंभ से ही प्रदान की गई हो, और उसे संवेदक द्वारा उन्हीं शर्तों पर, सभी दृष्टियों से, उसी मूल्य/दर पर निष्पादित किया जाएगा, जिस पर संवेदक ने मुख्य कार्य करने के लिए सहमति दी थी।

दो नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल के अभिलेखों की जाँच से यह सामने आया कि 2019–20 में 8,393 परिवारों को लाभ पहुँचाने हेतु जलापूर्ति योजनाएँ के लिए ₹ 12.64 करोड़ मूल्य के सात एकरारनामाओं को अंतिम रूप दिया गया। इन एकरारनामा के दायरे में सभी सामग्री, श्रम, औजार आदि की आपूर्ति से संबंधित घटक शामिल थे। तथापि, कार्यों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, इन प्रमंडलों द्वारा 2020–21 से 2022–23 की अवधि में ₹3.45 करोड़ की लागत से पूरक एकरारनामा निष्पादित किए गए, जिनमें समान वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा जैसे प्रत्येक परिवार के लिए गृह संयोजन प्रदान करने के साथ सभी सामग्री, श्रम, औजार आदि की आपूर्ति शामिल थी, ताकि 3,860 अतिरिक्त परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके। लेखापरीक्षा जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि सात अनुबंधों में, संबंधित दोनों प्रमंडलों ने पूरक एकरारनामा में प्राथमिक एकरारनामा की तुलना में अधिक दरें लीं और उसी अनुसार भुगतान किया। विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: प्राथमिक एवं पूरक अनुबंध के अनुसार एच.एस.सी. की दरों में अंतर का विवरण

क्रम संख्या	लो.स्वा. प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या (प्राथमिक एकरारनामा की राशि)	प्राथमिक एकरारनामा का वर्ष (परिवार की संख्या)	पूरक एकरारनामा का वर्ष (परिवार की संख्या)	प्राथमिक एकरारनामा के अनुसार प्रति गृह संयोजन का मूल्य	पूरक एकरारनामा में प्रति गृह संयोजन का मूल्य (पूरक एकरारनामा की राशि)	मदों के मूल्य में अंतर (कॉलम 7–6)	पूरक एकरारनामा में क्रियान्वित (गृह संयोजन की संख्या)	किया गया अधिकाई भुगतान (कॉलम 9*8) (₹ लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	भागलपुर पश्चिम	एसबीडी –67 एवं 68 (₹ 4.59 करोड़[18])	2019-20 (2,478 + 1,607)	2022-23 (2,010+ 1,150)	2,123	2,365 (₹ 1.81 करोड़+ ₹ 0.67 करोड़)	242	3,160 (1,150+ 2,010)	7.65
2	मधुबनी	एसबीडी -55 (₹ 1.72 करोड़)	2019-20 (822)	2020-21 (150)	1,000	1,931 (₹ 0.18 करोड़)	931	150	1.40
		एसबीडी -56 (₹ 1.67 करोड़)	2019-20 (736)	2020-21 (225)	1,000	1,931 (₹ 0.20 करोड़)	931	225	2.09
		एसबीडी -15 (₹ 1.35 करोड़)	2019-20 (850)	2021-22 (90)	1,425	2,123 (₹ 0.07 करोड़)	698	90	0.63
		एसबीडी -30 (₹ 1.68 करोड़)	2019-20 (975)	2020-21 (85)	2,050	2,123 (₹ 0.22 करोड़)	73	85	0.06
		एसबीडी -35 (₹ 1.63 करोड़)	2019-20 (925)	2020-21 (150)	1,400	2,123 (₹ 0.30 करोड़)	723	150	1.08
	योग	**₹ 12.64 करोड़**	**8,393**	**3,860**		**₹ 3.45 करोड़**		**3,860**	**12.91**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओ से संबंधित अभिलेख)

18 एसबीडी–67 (₹2.37 करोड़) और एसबीडी–68 (₹2.22 करोड़)।

अतः संबंधित प्रमंडलों ने न केवल अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया बल्कि दो लो.स्वा. प्रमंडलों में सात कार्यों के लिए संवेदकों को ₹ 12.91 लाख का अतिरिक्त भुगतान भी किया।

जवाब में, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) कहा कि रेट्रोफिटिंग का प्रावधान प्राथमिक अनुबंध में शामिल नहीं था, बल्कि इसे पूरक अनुबंध में सम्मिलित किया गया, जिसके कारण दरों में वृद्धि हुई।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूरक अनुबंध में शामिल कार्य की मदें प्राथमिक अनुबंध के समान ही थीं और गृह सेवा संयोजन के साथ रेट्रोफिटिंग का कोई उल्लेख नहीं था।

3.3.4.2 संवेदकों को अतिरिक्त एवं अनियमित भुगतान

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा (जून 2019) जारी आदर्श एकरारनामा दस्तावेज की धारा 2.1 के अनुसार, किसी भी कार्य मद का भुगतान तभी किया जाना चाहिए जब वह विनिर्देशों, अनुबंध की शर्तों तथा अभियंता–प्रभारी के निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया गया हो। आगे, आदर्श एकरारनामा दस्तावेज की धारा 6 के अनुसार, अभियंता–प्रभारी को अनुबंध के अनुरूप कार्य की मापी निर्धारित करना और कार्य का मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। अभियंता–प्रभारी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि तथा संवेदक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से सभी मापी और उनका स्तर लिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच नमूना जांचित किए गए लो.स्वा. प्रमंडलों ने 2018–19 और 2019–20 के दौरान 14 मामलों में ऐसे कार्यों के लिए ₹ 2.31 करोड़ का भुगतान किया, जो वास्तव में क्रियान्वित ही नहीं किए गए थे (जैसा कि ***परिशिष्ट–3.9*** में विस्तृत रूप से बताया गया है)।

- शेरघाटी प्रमंडल में, कार्य के अंतिम मापी (मई 2023) के अनुसार, कार्य का कुल क्रियान्वित मूल्य ₹ 41.59 लाख था, तथापि, प्रमंडल द्वारा संवेदक को ₹ 69.45 लाख का भुगतान किया गया। यह देखा गया कि फरवरी 2020 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान अंतिम मापी से पूर्व अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया था। जबकि वास्तविक क्रियान्वित कार्य (अंतिम मापी के आधार पर) उस राशि से कम था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.86 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

जवाब में, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) स्वीकार किया कि अतिरिक्त राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

- लो.स्वा. प्रमंडल, शेरघाटी में 2019–20 के दौरान तीन जलापूर्ति योजनाएँ ली गईं, जिनमें 3 एचपी के 15 मोटरों की अधिष्ठापन की व्यवस्था शामिल थी, जिनकी डिस्चार्ज क्षमता 2.5 से 3 लीटर प्रति सेकंड (एलपीएस) थी। लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि अनुबंध में 3 एचपी मोटरों का प्रावधान होने के बावजूद संवेदक द्वारा केवल 1 एचपी या 2 एचपी[19] का ही मोटर स्थापित किया गया। तथापि, संबंधित अभियंता–प्रभारी ने जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 की अवधि में 3 एचपी की 15 मोटरों की स्थापना पर ₹ 14.04 लाख का भुगतान किया, जबकि 1 या 2 एचपी मोटरों की स्थापना हेतु केवल ₹ 9.40 लाख[20]

---

[19] *2 एचपी मोटर : –14, 1 एचपी मोटरः–1।*

[20] *2 एचपीः 14 मोटर @₹ 64,403 प्रति (₹ 9,01,642) + 1 एचपीः 01 मोटर @ ₹ 37,903 = ₹ 9,39,545।*

देय था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.64 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

जवाब में, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) कहा कि भुगतान एकरारनामा की प्रावधानों के अनुसार किया गया। तथापि, यह जवाब लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुरूप नहीं था क्योंकि प्रमंडल ने एकरारनामा के प्रावधानों से अधिक भुगतान किया।

- गया डिवीजन में, 2019–20 में निष्पादित किए गए एक एकरारनामा के अंतर्गत छह वार्डों के लिए पी.डब्ल्यू.एस. का कार्य किया गया। इस एकरारनामा का मूल्य ₹ 2.21 करोड़ था, जिसमें ₹ 0.87 करोड़ की संचालन एवं अनुरक्षण लागत भी शामिल थी। यह देखा गया कि फरवरी 2022 में कार्यपालक अभियंता लो.स्वा. प्रमंडल, गया की स्वीकृति से सात वार्डों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया, जबकि कार्य केवल छह वार्डों में ही निष्पादित हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.86 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

- लो.स्वा. प्रमंडल खगड़िया ने 2019–20 में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत 23 वार्डों में 16 केएलपीएच क्षमता वाले आईआरपी की स्थापना हेतु सात एकरारनामा निष्पादित किए। प्रमंडल ने 16 केएलपीएच क्षमता वाले 23 आई.आर.पी. की स्थापना के लिए ₹ 2.07 करोड़ का भुगतान किया। तथापि, स्थापित आई.आर.पी. की तृतीय पक्ष सत्यापन में यह प्रतिवेदित किया गया कि इनकी क्षमता निर्धारित 16 केएलपीएच के स्थान पर केवल 12 केएलपीएच थी। इस प्रकार, 12 केएलपीएच क्षमता वाले स्थापित आईआरपी के लिए ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान देय था, जबकि प्रमंडल ने ₹ 2.07 करोड़ का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

- जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने कार्यपालक अभियंता, लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) को सूचित (जुलाई 2020) किया कि गोपालपुर प्रखंड के बाबूटोला कमलाकुंड पंचायत के वार्ड संख्या 7 एवं 8 तथा नौगछिया प्रखंड के पुनामा प्रतापनगर पंचायत के वार्ड संख्या 8,9,10,11 एवं 12 कटावग्रस्त हो गए हैं और तदनुसार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्डों के कवरेज का लक्ष्य संशोधित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस सूचना से पूर्व, पुनामा प्रतापनगर ग्राम पंचायत के कटावग्रस्त वार्डों के लिए हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत दो एकरारनामा निष्पादित (सितंबर 2019) किए गए थे। यद्यपि जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने इन वार्डों को कटावग्रस्त घोषित (जुलाई 2020) किया था, फिर भी लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पूर्व ने सितंबर 2023 तक इन वार्डों में जलापूर्ति योजना के घटकों (गृह संयोजन, आईआरपी की स्थापना, ओवरहेड टैंक हेतु स्टेजिंग, क्लोरीनेटर आदि) तथा संचालन एवं अनुरक्षण पर निरंतर भुगतान किया।

संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता वास्तविक कार्य की मापी लेने के लिए उत्तरदायी थे, जिसके आधार पर भुगतान किया जाना था। तथापि, कार्यपालक अभियंता अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे क्योंकि कार्य निष्पादित किए बिना ही भुगतान कर

दिया गया। फरवरी 2021 से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, इन वार्डों के कटावग्रस्त[21] होने के बावजूद लो.स्वा. प्रमंडल द्वारा ₹ 1.47 करोड़ का भुगतान किया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने (जून 2025) जवाब दिया कि कार्य स्थल के कटाव के बाद संबंधित कार्य को स्थानांतरित स्थल पर निष्पादित किया गया और तदनुसार संवेदक को भुगतान किया गया। तथापि, विभाग का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बोरिंग एवं वितरण प्रणाली का कार्य संवेदक द्वारा मूल स्थल पर पहले ही किया जा चुका था (अप्रैल 2020 एवं जुलाई 2020)। इसके अतिरिक्त, उक्त कार्य के मापी पुस्त के अनुसार किसी भी नए योजना स्थल पर बोरिंग कार्य क्रियान्वयन नहीं दिखाया गया था तथा शेष कार्य का क्रियान्वयन भी मूल स्थल के मापी पुस्त में ही दर्शाया गया था।

इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव ने (दिसंबर 2023) लेखापरीक्षा को सूचित किया कि कटावग्रस्त वार्ड की संपूर्ण जनसंख्या नौगछिया नगर क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है और यह नगर क्षेत्र लो.स्वा.अभि.वि. के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

3.3.4.3 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित दरों का अनुपालन न करना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने (जुलाई 2018) हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं में प्रयुक्त विभिन्न घटकों की दरें निर्धारित की थीं, जिनमें विभिन्न व्यास की पाइपों की दरें भी शामिल थीं।

लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम तथा लो.स्वा. प्रमंडल, भागलपुर पूर्व द्वारा 300 वार्डों के लिए दो सतही जल योजनाएँ, जो स्टैंड–पोस्ट आधारित थीं, क्रमशः जनवरी 2013 और अगस्त 2015 में प्रारंभ की गईं। तत्पश्चात, लो.स्वा.अभि.वि. ने (अगस्त 2018) इन योजनाओं को हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल–जल योजनाओं के रूप में पूर्ण करने का निर्णय लिया। तदनुसार, प्रमंडलों ने योजनाओं का संशोधित प्राक्कलन तैयार किया (दिसंबर 2018), जिसमें वितरण प्रणाली और गृह कनेक्शन को शामिल किया गया। संशोधित प्राक्कलनों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वितरण प्रणाली में 50 मिमी, 63 मिमी और 75 मिमी व्यास की एचडीपीई पाइपों का उपयोग किया गया। आगे यह देखा गया कि संशोधित प्राक्कलनों में प्रमंडलों ने लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित दरों का पालन किया, किन्तु 75 मिमी व्यास की पाइप से संबंधित एक घटक के लिए यह पालन नहीं किया गया, जहाँ प्रयुक्त दरें लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित दरों से अधिक थीं। प्रमंडलों ने 75 मिमी पाइप की उच्च दर के आधार पर एकरारनामा निष्पादित किए और तदनुसार भुगतान भी किया, जैसा कि **तालिका 3.10** में विस्तृत रूप से दिखाया गया है।

[21] *एकरारनामा संख्या 75/2019–20 के विरुद्ध ₹26.88 लाख का भुगतान किया गया (वार्ड संख्या 12 के कटावग्रस्त होने के बाद) तथा एकरारनामा संख्या 76/2019–20 के विरुद्ध ₹120.31 लाख का भुगतान किया गया (वार्ड संख्या 8,9,10 एवं 11 के कटावग्रस्त होने के बाद)।*

तालिका 3.10: एच.डी.पी.ई. पाइप की दर में अंतर के कारण अधिक भुगतान

लो.स्वा. प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	मद का नाम (इकाई)	प्राक्कलन दर (₹ प्रति मीटर में)	लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित दर (₹ प्रति मीटर में)	दर में अंतर (₹ प्रति मीटर में)	क्रियान्वित मात्रा (मीटर)	अधिक व्यय (₹ लाख में)
भागलपुर पूर्वी	एसबीडी –03/ 2018–19	75 मिमी एचडीपीई पाइप (मीटर)	247.88	239.81	8.07	2,35,950	19.04
भागलपुर पश्चिमी	एसबीडी–50, 66, 67 और 68/2019–20	75 मिमी एचडीपीई पाइप (मीटर)	249.81	239.81	10.00	31,370	3.14
कुल							**22.18**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों के योजनाओ से संबंधित अभिलेख)

अतः लो.स्वा.अभि.वि. के मानक प्राक्कलन का अनुपालन न करने के कारण संबंधित नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा संवेदक को ₹ 22.18 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

लो.स्वा.अभि.वि. ने जवाब (जून 2025) दिया कि 75 मिमी एच.डी.पी.ई. पाइप की दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थी। तथापि, यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और 75 मिमी पाइप की दर विभाग द्वारा अनुमोदित दर से अधिक थी।

3.3.4.4 लौह निष्कासन संयंत्र (आई.आर.पी.) स्थापित किए बिना ही कपटपूर्ण भुगतान

आई.आर.पी. जलापूर्ति योजना का एक आवश्यक घटक है, जिसे पानी में आयरन के प्रदूषण को कम करने और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। न.वि. एवं आ.वि. ने गुणवत्ता प्रभावित शहरी वार्डों में आयरन के प्रदूषण को कम करने हेतु आवश्यक क्षमता के आई.आर.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2016) था। शहरी वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं की देखरेख और निगरानी नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारियों द्वारा की जानी थी, जो जलापूर्ति व्यवस्था के प्रत्येक घटक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी थे।

हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन श.स्था.नि. बीरपुर और बेनीपुर के तीन वार्डों में तीन योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1.09 करोड़[22] के एकरारित मूल्य पर 1,250 परिवारों को आच्छादित करने हेतु किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कार्य के मापी पुस्त में दर्ज विवरण के अनुसार, श.स्था.नि. बीरपुर के वार्ड संख्या 4 के एक कार्य में, संवेदक को एक आई.आर.पी. की स्थापना हेतु ₹ 3.16 लाख का भुगतान किया गया (मई 2019)।

इसी प्रकार, श.स्था.नि. बेनीपुर में, वार्ड संख्या 8 और 17 में दो आई.आर.पी. की स्थापना हेतु संवेदक को ₹ 12.60 लाख का भुगतान किया गया (नवंबर 2018 और अप्रैल 2019)। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा श.स्था.नि. अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023 से सितंबर 2023) में यह पाया गया कि तीनों वार्डों में किसी भी स्थल पर आई.आर.पी. स्थापित नहीं किए गए थे।

---

[22] *बीरपुरः वार्ड संख्या 4: ₹ 21.99 लाख 250 परिवारों के लिए, बेनीपुरः वार्ड संख्या 8: ₹ 39.45 लाख 500 परिवारों के लिए, वार्ड संख्या 17: ₹ 48.04 लाख 500 परिवारों के लिए।*

बीरपुर नगर परिषद्, सुपौल के वार्ड संख्या 4 की जलापूर्ति योजना (बाएँ तरफ) तथा जलापूर्ति योजना के पंप हाउस में आई.आर.पी. स्थापित नहीं (दाएँ तरफ)।

बेनीपुर नगर परिषद्, दरभंगा के वार्ड संख्या 17 में जलापूर्ति योजना (बाएँ तरफ) तथा जलापूर्ति योजना के पंप हाउस में आई.आर.पी. स्थापित नहीं (दाएँ तरफ)।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि आई.आर.पी. अधिष्ठापित नहीं किए गए थे, फिर भी संबंधित श.स्था.नि. के कनीय अभियंता द्वारा दो आई.आर.पी. (वार्ड संख्या 8 एवं 17 श.स्था.नि. बेनीपुर तथा एक आई.आर.पी. बीरपुर) अधिष्ठापित करने का मापी लिया गया और तदनुसार भुगतान किया गया। इस प्रकार, वास्तविक अधिष्ठापित सुनिश्चित किए बिना मापी पुस्त में गलत प्रविष्टि के कारण संवेदकों को ₹ 15.76 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के अंतर्गत 1,250 परिवार लौह से मुक्त पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए।

न.वि. एवं आ.वि. ने जवाब (जून 2025) दिया कि श.स्था.नि. बीरपुर में अब आई.आर.पी. अधिष्ठापित कर दिया गया है, तथापि श.स्था.नि. बेनीपुर में आई.आर.पी. के अधिष्ठापित न होने संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.4 संचालन एवं अनुरक्षण

जलापूर्ति प्रणाली के कुशल संचालन एवं अनुरक्षण का उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा एवं अपेक्षित गुणवत्ता में, तथा जलापूर्ति का प्रवाह पर्याप्त दबाव के साथ उपलब्ध कराना है ताकि वितरण प्रणाली के अंतिम छोर तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जलापूर्ति योजनाओं के उचित संचालन एवं अनुरक्षण की कमी से जल वितरण प्रणालियों की उपयोगी आयु में गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप घटकों का समयपूर्व प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है।

3.4.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत योजनाओ का संचालन एवं अनुरक्षण

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संवेदकों के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने के बाद, इन योजनाओं के संचालन, अनुरक्षण एवं देखरेख की जिम्मेदारी

अगले पाँच वर्षों तक उन्हीं संवेदकों को सौंपी गई जिन्होंने योजना का निर्माण कार्य किया था।

लेखापरीक्षा के दौरान हर घर नल का जल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण में निम्न विसंगतियाँ पायी गयी।

3.4.1.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान न किया जाना

बिहार सरकार द्वारा अगस्त 2021 में जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, लो. स्वा. अभि. वि. द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाँच वर्षों तक जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण का प्रारंभ, जलापूर्ति योजना के संचालन पूर्व परीक्षण अवधि (तीन/छह माह) पूर्ण होने के पश्चात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान त्रैमासिक बिलों के प्रस्तुतिकरण तथा अभियंता–प्रभारी द्वारा संतोषजनक जलापूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के आधार पर, आनुपातिक पद्धति से किया जाना था (जिसमें जलापूर्ति न होने वाले दिनों के लिए कटौती की जानी थी)।

13 नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों[23] में क्रियान्वित योजनाओं से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के विवरण में यह पाया गया कि कुल 2,398 वार्डों (696 एकरारनामों) में संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान संबंधित प्रमंडलों द्वारा नहीं किया गया। 2,398 वार्डों में से, छह लो.स्वा. प्रमंडलों के 99 वार्डों (23 एकरारनामों) का संचालन एवं अनुरक्षण स्थिति का नमूना जांच किया गया जिसमें यह देखा गया कि ये योजनाएँ अप्रैल 2020 से अगस्त 2022 की अवधि में पूर्ण हुई थीं, किन्तु इन 99 वार्डों के संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान योजनाओं के पूर्ण होने के बाद 171 से 1,093 दिनों तक नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट– 3.10)***।

आगे विश्लेषण से यह पता चला कि 23 एकरारनामों में से 21 एकरारनामों के अंतर्गत 87 वार्डों के संचालन एवं अनुरक्षण की मापी न तो मापी पुस्त में दर्ज की नई और न ही आवश्यक भुगतान किया गया, जबकि त्रैमासिक आधार पर ऐसा करना अनिवार्य था। शेष दो[24] एकरारनामों में, जो 10 वार्डों को आच्छादित करने के लिए थे, 18 और 24 माह की अवधि के लिए क्रमशः ₹ 10.10 लाख और ₹ 13.10 लाख की संचालन एवं अनुरक्षण लागत मापी पुस्त में दर्ज की गई थी, तथापि संबंधित भुगतान नहीं किया गया।

13 नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों में से पाँच[25] प्रमंडलों ने मई 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान संचालन एवं अनुरक्षण मद में संवेदकों को ₹ 4.94 करोड़ ***(परिशिष्ट–3.11)*** के भुगतान हेतु लो.स्वा.अभि.वि. से निधि की मांग की। यह राशि 98 योजनाओं के लिए दी जानी थी, जिनमें वर्ष 2020–21 से 2023–24 की अवधि में संचालन एवं अनुरक्षण कार्य किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा संबंधित प्रमंडलों को निधि उपलब्ध नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, मापी पुस्त में संचालन एवं अनुरक्षण का मापी दर्ज होने के बावजूद संवेदकों को कोई भुगतान नहीं किया जा सका।

---

23 *भागलपुर पश्चिमी और जमुई के अलावा।*

24 *लो.स्वा. प्रमंडल, दरभंगा (एसबीडी–22/19–20), लो.स्वा. प्रमंडल, शेरघाटी (एसबीडी–09/17–18)।*

25 *औरंगाबाद, दरभंगा, गोपालगंज, झंझारपुर और मधुबनी।*

उपरोक्त मुद्दे संवेदक को संचालन एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के नियमित/त्रैमासिक भुगतान की कमी को उजागर करते हैं। संचालन एवं अनुरक्षण राशि का भुगतान न किया जाना योजनाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

3.4.1.2 संचालन एवं अनुरक्षण के अंतर्गत जल गुणवत्ता परीक्षण का भुगतान

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी (मार्च 2019) आदर्श प्राक्कलन के अनुसार, संचालन एवं अनुरक्षण लागत को आठ घटकों में विभाजित किया गया था। इन आठ घटकों[26] में से एक घटक संवेदक द्वारा प्रत्येक पखवाड़े जल गुणवत्ता परीक्षण करना था। इसके लिए संवेदक को योजना की संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के दौरान प्रति वर्ष ₹ 10,000 की राशि निश्चित प्राप्त होनी थी। इसके अतिरिक्त, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जारी (जून 2019) आदर्श निविदा दस्तावेज की धारा 5.2 के अनुसार, संवेदक को योजना से जल नमूने लेकर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के अंतर्गत जिला प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराना था ताकि नमूना के आधार पर जल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके।

नमूना जांचित 15 में से 12 लो.स्वा. प्रमंडलों के अंतर्गत जिला प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं से जल नमूने संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों के कनीय अभियंता द्वारा एकत्र किए जा रहे थे तथा उनका परीक्षण संबंधित लोक स्वास्थ्य जिला प्रयोगशालाओं में किया जा रहा था। इससे यह पता चला कि आवश्यकतानुसार जल के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु संवेदकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि इन 15 नमूना जांचित प्रमंडलों में संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान एकमुश्त आधार पर किया गया, जिसमें प्रत्येक घटक की लागत का विवरण नहीं दिया गया। इसी प्रकार जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए भी संवेदक को पाक्षिक भुगतान किया जा रहा था, जबकि उन्होंने परीक्षण हेतु जल नमूने लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को उपलब्ध नहीं कराए थे। फलस्वरूप, 15 नमूना जांचित किए गए प्रमंडलों के अंतर्गत 225 एकरारनामों ***(परिशिष्ट–3.12)*** में ₹ 1.93 करोड़ का अनियमित भुगतान संवेदकों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु जल नमूनों की आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना ही कर दिया गया।

3.4.2 पंचायती राज विभाग में संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निधियों का अपर्याप्त प्रावधान

पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देश (जून 2017) के अनुसार, पंचायत समुदाय को निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व रखना था तथा पूर्ण हुई जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी डब्ल्यू.आई.एम.सी. की थी। उपयोगकर्ता शुल्क (न्यूनतम ₹ 30 प्रति माह) पं.रा.वि. द्वारा निर्धारित किया गया था और इन योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु यह शुल्क उपभोक्ताओं से वार्ड सभा द्वारा संग्रहित किया जाना था।

---

[26] *(i) मानव बल की लागत, (ii) असैनिक संरचना (स्टील स्टेजिंग एवं मिस्त्रीकृत चैम्बर), (iii) विद्युत एवं यांत्रिक मद (iv) क्लोरीनीकरण सहित क्लोरीनेटर (v) वितरण प्रणाली (vi) पाक्षिक जल परीक्षण एवं निगरानी मूल्य (vii) जल गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण (viii) ऊर्जा शुल्क।*

इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग के अनुदान से हर घर नल का जल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रति वार्ड ₹ 4000 प्रति माह का प्रावधान किया गया था। इसमें से ₹ 2,000/– हर घर नल का जल योजना के अनुरक्षण के लिए तथा शेष राशि पंप चालक के पारिश्रमिक हेतु उपयोग की जानी थी। इसके अलावा, बिहार सरकार ने (जून 2021 में) निर्णय लिया कि प्रत्येक डब्ल्यू.आई.एम.सी. को संचालन एवं अनुरक्षण प्रयोजन हेतु वार्षिक ₹ 24,000 प्रदान किए जाएंगे।

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने संचालन एवं अनुरक्षण हेतु राज्य बजट से केवल छह माह (अप्रैल 2022 से सितंबर 2022) की अवधि के लिए ₹ 69.60 करोड़[27] की राशि संबंधित जिलों के जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को जारी की, ताकि इसे आगे डब्ल्यू. आई.एम.सी. को हस्तांतरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 11 नमूना जांचित ग्राम पंचायतों[28] ने सितंबर 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान 147 वार्डों की डब्ल्यू.आई.एम.सी. को जलापूर्ति योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु 15वें वित्त आयोग अनुदान से ₹ 33.36 लाख की राशि हस्तांतरित की।

सितंबर 2022 के बाद, पूर्ण हुई जलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निधि जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें पंप चालकों को पारिश्रमिक भुगतान भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के दौरान 48 नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में किसी भी डब्ल्यू .आई.एम.सी. द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण लागत की पूर्ति हेतु उपयोगकर्ता शुल्क वसूल नहीं किया गया और विभाग द्वारा भी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई।

35 ग्राम पंचायतों में 209 योजना स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023 से नवंबर 2023) के दौरान यह देखा गया कि पंप चालकों को पारिश्रमिक का भुगतान केवल 23 प्रतिशत मामलों (209 में से 48 पंप चालकों[29]) में ही किया गया। नियमित पंप चालकों की उपस्थिति निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी, अतः उन्हें भुगतान न किए जाने से नमूना जांचित वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं का संचालन प्रभावित हो सकता है।

3.4.2.1 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित वार्डों में विद्युत संयोजन की अनुपलब्धता

जलापूर्ति योजनाओं में मोटर एवं अन्य घटकों के संचालन हेतु विद्युत संयोजन आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, पं.रा.वि. द्वारा सितंबर 2019 में जारी निर्देशों के अनुसार कोई भी ग्रामीण योजना हर घर नल का जल के अंतर्गत तभी कार्यशील मानी जाएगी जब उसमें वैध विद्युत संयोजन स्थापित किया गया हो। अतः पं.रा.वि. ने जिला पदाधिकारियों को पी.डब्ल्यू.एस. के लिए वैध विद्युत संयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

---

27 *अगस्त 2022 में और फरवरी 2023 में।*

28 *औरंगाबाद, ओबरा, महुआवनः 8 वार्ड्सः ₹1.92 लाख, अमिलोनाः 14 वार्ड्सः ₹1.68 लाख, पश्चिमी चंपारण, गौनहा, बेलसंडः 13 वार्ड्स ₹ 3.12 लाख, महूईः 14 वार्ड्सः ₹3.36 लाख, लौरिया, बेलवा लखन पुरः 14 वार्ड्सः ₹4.80 लाख, धोबनीः 14 वार्ड्सः ₹1.68 लाख, छपरा, एकमा, बनपुराः 15 वार्ड्सः ₹ 3.60 लाख, हुसेपुरः14 वार्ड्सः ₹3.36 लाख, गया, इमामगंज, चकरबंधाः 13 वार्ड्सः ₹3.12 लाख, दुभालः 14 वार्ड्स, ₹3.36 लाख, दरभंगा, केओटी, नानौराः 14 वार्ड्सः ₹3.36 लाख।*

29 *मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के संचालक योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे, जैसे योजना की मोटरों को चालू एवं बंद करना, योजना की दैनिक देखरेख एवं निगरानी करना आदि।*

डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023 से नवंबर 2023) में यह देखा गया कि 209 वार्डों में से 58 वार्डों की 58 योजनाओं में विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था, जबकि योजनाओं को कार्यशील बनाने के लिए यह आवश्यक था। इसका विवरण **तालिका– 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में विद्युत संयोजन का अभाव

क्रम संख्या	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	कुल वार्ड	अभ्युक्ति (योजना का परिचालन)
1	ओबरा	2	5	2 कार्यशील और 3 अकार्यशील
2	बारून	2	5	2 कार्यशील और 3 अकार्यशील
3	राजनगर	1	1	1 कार्यशील
4	फुलपरास	2	6	6 अकार्यशील
5	गौनाहा	2	10	4 कार्यशील और 6 अकार्यशील
6	लौरिया	2	2	1 कार्यशील और 1 अकार्यशील
7	एकमा	1	3	3 कार्यशील
8	रिविलगंज	2	3	2 कार्यशील और 1 अकार्यशील
9	फतेहपुर	2	12	9 कार्यशील और 3 अकार्यशील
10	इमामगंज	2	4	1 कार्यशील और 3 अकार्यशील
11	हथुआ	1	1	1 योजना अकार्यशील
12	गिद्धौर	1	2	2 योजना अकार्यशील
13	गौराडीह	1	4	3 कार्यशील और 1 अकार्यशील
	कुल		**58**	

(स्रोतः योजना स्थल का संयुक्त भौतिक सत्यापन)

58 वार्डों में जहाँ विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं था, उनमें से 30 वार्डों की जलापूर्ति योजनाएँ कार्यशील नहीं थीं, जबकि शेष 28 वार्डों में योजनाएँ कार्यशील थीं परंतु वैध विद्युत संयोजन के बिना संचालित हो रही थीं।

3.4.3 नगर निकायों में संचालन एवं अनुरक्षण की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा श.स्था.नि. में ली गई हर घर नल का जल योजनाओं के लिए, जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले संवेदक द्वारा पाँच वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण का प्रावधान शामिल किया गया था। दिशा–निर्देशों के अनुसार, योजना पूर्ण होने के बाद पाँच वर्षों तक अनुमानित लागत का दो प्रतिशत संचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रावधान किया जाना था, जिसे जलापूर्ति योजना के प्राक्कलन/मात्रा बिल में सम्मिलित किया जाना था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

3.4.3.1 शहरी निकायों में संचालन एवं अनुरक्षण का अभाव/क्रियान्वयन न होना

लेखापरीक्षा के आधार पर यह पाया गया कि सात नमूना जांचित शहरी निकायों में अप्रैल 2017 से जुलाई 2022 के बीच प्रारंभ हुई 107 योजनाओं में संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। जब कि संवेदकों के साथ हुए एकरारनामा में इसके लिए प्रावधान शामिल था। ये योजनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं (नवंबर 2017 से मई 2023), तथापि योजना

पूर्ण होने के छह माह से 73 माह बीत जाने के बाद भी इन योजनाओं में संचालन एवं अनुरक्षण प्रारंभ[30] नहीं किया गया। ***(परिशिष्ट– 3.13)***

इसके अतिरिक्त, संचालन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था के संबंध में 12 वार्डों की 12 योजनाओं का नमूना जांच किया गया। इस दौरान यह पाया गया कि नगर पंचायत, बीरपुर ने मार्च 2018 से अक्टूबर 2020 के बीच ₹ 7.52 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजनाएँ पूर्ण की थीं, किन्तु प्राथमिक एकरारनामा में संचालन एवं अनुरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संचालन एवं अनुरक्षण कार्य बाद में तीन से पाँच वर्ष के अंतराल के पश्चात मार्च 2023 में प्रदान किए गए। इसका कारण यह पाया गया कि नगर पंचायत बीरपुर के अंतर्गत 3,659 परिवारों को जलापूर्ति सेवा में विलंब हुआ तथा वे अप्रैल 2023 से ही प्रारंभ हो सकी।

जवाब में, श.स्था.नि. गोपालगंज ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया कि संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अलग–अलग निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं, जबकि श.स्था.नि. झंझारपुर एवं बेनीपुर ने कहा कि योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा है। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो सके कि श.स्था.नि. बेनीपुर में किसी प्रकार का संचालन एवं अनुरक्षण भुगतान किया गया अथवा कोई मापी दर्ज किया गया। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.4.3.2 शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति योजनाओं में विद्युत् संयोजन की अनुपलब्धता

शहरी स्थानीय निकाय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (जून 2023 से जुलाई 2023 के बीच) यह देखा गया कि मोटर संचालन हेतु 138 योजनाओं में से 27 योजनाओं में विद्युत् संयोजन नहीं लिया गया था। ये योजनाएँ अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2022 के बीच तीन नमूना जांचित श.स्था.नि. के 227 वार्डों में से 25 वार्डों में क्रियान्वित की गई थीं। इसका विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12: श.स्था.नि. की योजनाओं में विद्युत् संयोजन की अनुपलब्धता

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का नाम	कुल वार्ड	योजनाओ की संख्या
1	खगड़िया	3	3
2	रिविलगंज	15	17
3	टेकारी	7	7
	कुल	**25**	**27**

(स्रोतः नमूना जांचित इकाइयों के अभिलेख)

इन 27 योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि तीन योजनाएँ (750 परिवारों को आच्छादित करते हुए) क्रियाशील नहीं थीं, जबकि शेष 24 योजनाएँ अन्य/अनधिकृत विद्युत् स्रोतों के माध्यम से संचालित हो रही थीं।

जवाब में, न.वि. एवं आ.वि. ने बताया (जून 2025) कि श.स्था.नि. खगड़िया एवं टेकारी में विद्युत् संयोजन ले लिया गया है, जबकि श.स्था.नि. रिविलगंज की योजनाओं हेतु विद्युत् विभाग से संयोजन उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया गया है।

[30] *नगर पंचायत, बीरपुर को छोड़कर जहाँ संचालन एवं अनुरक्षण हेतु एकरारनामा मार्च 2023 में क्रियान्वित किया गया।*

3.4.3.3 शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता शुल्क की वसूली न होना

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (27 अक्टूबर 2016) के अनुसार, योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर होने वाला व्यय उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले उपभोक्ता शुल्क से पूरा किया जाना था। ये उपभोक्ता शुल्क विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए जल उपभोक्ता शुल्क नीति के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे, जिसे अगस्त 2021 में न.वि. एवं आ.वि., बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। इस नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उनके द्वारा दिए गए संपत्ति कर तथा जल उपभोग के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तदनुसार उपभोक्ता शुल्क ₹ 40 से ₹ 150 प्रति माह तक निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य सरकारी संस्थानों के लिए जल मीटर स्थापित किया जाना था और उपभोक्ता शुल्क उसी के अनुसार लिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ नमूना जांचित श.स्था.नि.[31] में अगस्त 2021 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान 68,650 उपभोक्ताओं से ₹ 4.77 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.14)*** की उपभोक्ता शुल्क वसूली शेष थी। इनमें से केवल दो श.स्था.नि.[32] ने ₹ 58.70 लाख की मांग के विरुद्ध ₹ 7.89 लाख उपभोक्ता शुल्क की वसूली की थी, जिसका विवरण **तालिका 3.13** में दिया गया है।

तालिका 3.13: अगस्त 2021 से मार्च 2023 तक नौ श.स्था.नि. में उपभोक्ता शुल्क का विवरण

क्रम संख्या	श.स्था.नि. का नाम	कुल परिवारों की संख्या	संग्रहणीय कुल उपभोक्ता शुल्क (₹ में)	श.स्था.नि. द्वारा वसूली गयी उपभोक्ता शुल्क (₹ में)	कुल अवसूलित उपभोक्ता शुल्क (₹ में)
1	औरंगाबाद	3,770	28,65,200	0	28,65,200
2	बेनीपुर	11,831	86,39,560	0	86,39,560
3	बेतिया	19,364	1,30,16,200	0	1,30,16,200
4	गोपालगंज	4,968	37,26,960	0	37,26,960
5	झाझा	4,585	31,92,200	4,62,960	27,29,240
6	झंझारपुर	4,399	26,87,640	0	26,87,640
7	खगड़िया	9,456	67,65,040	0	67,65,040
8	रिविलगंज	6,754	40,96,120	0	40,96,120
9	टेकारी	3,523	26,77,480	3,26,480	23,51,000
	कुल	**68,650**	**4,76,66,400**	**7,89,440**	**4,68,76,960**

(स्रोतः नमूना जांचित इकाइयों के अभिलेख), # योजना की समाप्ति के बाद उपभोक्ता शुल्क की गणना)

तालिका 3.13: से यह स्पष्ट होता है कि श.स्था.नि. द्वारा केवल दो प्रतिशत उपभोक्ता शुल्क की ही वसूली की गई। परिणामस्वरूप, जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक निधि सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिससे इन योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

---

[31] *खगड़िया, टेकारी, रिविलगंज, बेतिया, बेनीपुर, गोपालगंज, झंझारपुर, औरंगाबाद और झाझा।*

[32] *झाझा और टेकारी।*

जवाब में, न.वि. एवं आ.वि. ने बताया (जून 2025) कि श.स्था.नि. बेतिया, झंझारपुर, गोपालगंज, झाझा, खगड़िया, टेकारी एवं रिविलगंज में उपभोक्ता शुल्क की वसूली की गई है। शेष शहरी स्थानीय निकायों में भी इन शुल्कों की वसूली की जाएगी।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि बड़े पैमाने पर व्यय होने के बावजूद *हर घर नल का जल योजना* ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति आच्छादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। आच्छादित वार्डों की अवास्तविक रिपोर्टिंग, कार्यों का अपूर्ण क्रियान्वयन, उचित सर्वेक्षण का अभाव तथा कमजोर अनुबंध प्रबंधन की कमजोरी ने योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न की। संचालन एवं अनुरक्षण के क्रियान्वयन हेतु अपर्याप्त प्रावधान, विद्युत् संयोजन की कमी तथा उपभोक्ता शुल्क की कमजोर वसूली के कारण अनेक योजनाएँ अकार्यशील रह गईं। परिणामस्वरूप, लक्षित परिवारों एवं संस्थानों की एक बड़ी संख्या सुरक्षित एवं सतत् नल जलापूर्ति के अपेक्षित लाभ से वंचित रह गई, जिससे योजना का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

अनुशंसाएं

अनुशंसा 4: योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व उचित सर्वेक्षण सुनिश्चित करते हुए योजना निर्माण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में वास्तविक क्षेत्रीय प्रगति को प्रतिबिंबित करते हुए एक वास्तविक समय–आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई जा सकती है।

अनुशंसा 5: राज्य सरकार अनुबंध एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा विलंब, अतिरिक्त भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों से बचाव हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार सतत् सेवा सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है। इसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण हेतु समय पर धनराशि उपलब्ध कराना, विद्युत् आपूर्ति संबंधी समस्याओं का समाधान करना, उपभोक्ता शुल्क की वसूली को प्रोत्साहित करना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों के बीच प्रभावी समन्वय को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

अध्याय-IV
जल गुणवत्ता प्रबंधन एवं सेवा स्तर मानक

अध्याय - IV

जल गुणवत्ता प्रबंधन एवं सेवा स्तर मानक

4.1 हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रबंधन

सात निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना का उद्देश्य मार्च 2020 तक राज्य के सभी घरों में पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत प्रत्येक घर को उच्च गुणवत्ता वाला पीने योग्य पाइप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, बिहार सरकार के कार्यान्वयन विभागों (पं.रा.वि., लो.स्वा.अभि.वि. एवं न.वि. एवं आ.वि.) ने घरों में जलापूर्ति से पहले जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए दिशा–निर्देश जारी किए थे। पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कदम अनिवार्य किए गए:

- गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण एवं शहरी वार्डों में भूजल में प्रदूषकों की रोकथाम हेतु जल शोधन संयंत्रों की स्थापना।

- सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी तथा हर घर नल का जल योजना के अंर्तगत सभी जलापूर्ति योजनाओं में क्लोरीनेटर[1] की स्थापना की जानी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान गुणवत्ता प्रभावित वार्डों को आच्छादन नहीं किया जाना, जल शोधन संयंत्रों के कार्यशील न होने, उनका अधिष्ठापन न होने, क्लोरीनेटर की प्रावधान न होने, जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण कम संख्या में परीक्षण किए जाने आदि से सम्बंधित समस्याएं पाई गईं, जिनकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है:

4.1.1 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डो का आच्छादन

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विजन एवं स्ट्रेटेजी दस्तावेज (जनवरी 2016) के अनुसार, बिहार में नौ[2] जिले आर्सेनिक प्रभावित, दस[3] जिले फ्लोराइड प्रभावित और नौ[4] जिले आयरन प्रभावित थे। बाद में, लो. स्वा. अभि. वि. के द्वारा अतिरिक्त रूप से (जुलाई 2018) सीतामढ़ी, भागलपुर, भोजपुर, पटना और वैशाली को आर्सेनिक प्रभावित, नवादा को फ्लोराइड प्रभावित तथा मुंगेर और भागलपुर को आयरन प्रभावित जिलों के रूप में चिन्हित किया।

इस प्रकार, राज्य के कुल 38 जिलों में से कुल 28[5] जिले (जुलाई 2018 तक) पानी की खराब गुणवत्ता से प्रभावित थे।

जुलाई 2018 में राज्य में गुणवत्ता प्रभावित और गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का प्रतिशत **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है:

---

1 *क्लोरीनेटर एक उपकरण है जिसे जल आपूर्ति में क्लोरीन मिलाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपूर्ति किए गए पानी का कीटाणुशोधन किया जा सके।*

2 *बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर और सारण।*

3 *औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, रोहतास और शेखपुरा।*

4 *अररिया, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल।*

5 *सीतामढ़ी को गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिला माना गया, क्योंकि 3,836 वार्डों में से केवल चार वार्ड ही गुणवत्ता से प्रभावित पाए गए।*

चार्ट 4.1: बिहार में गुणवत्ता/गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डो की स्थिति

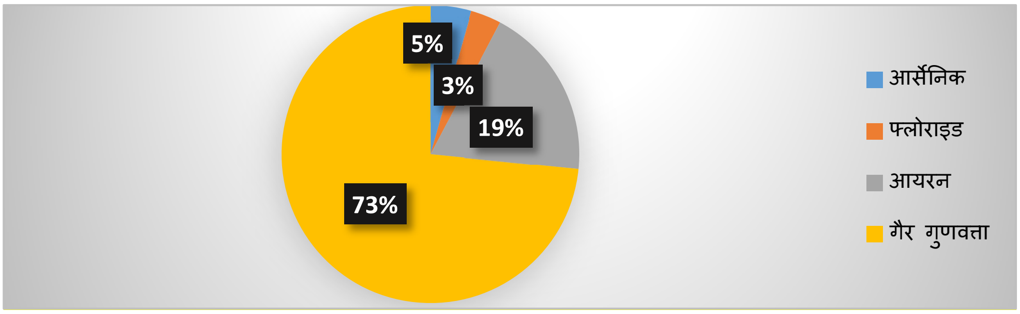

बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय (दिसंबर 2016) के अनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. को बिहार के सभी गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजनाओं को क्रियान्वित करना था। लो.स्वा.अभि.वि. ने राज्य के कुल 30,207 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों (आर्सेनिकः 4,709, फ्लोराइडः 3,789 और आयरनः 21,709) को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे अक्टूबर 2020 तक उपयुक्त निवारण उपायों के साथ पूरा किया जाना था।

राज्य में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन (नवंबर 2023 तक) **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रतिवेदित किए गए गुणवत्ता प्रभावित वार्डो का लक्ष्य और उपलब्धि

प्रदूषक	वार्ड			परिवार (लाख में)		
	लक्षित वार्ड	आच्छादित वार्ड (नवम्बर 2023 तक)	अनाच्छादित वार्ड (नवम्बर 2023 तक)	लक्षित परिवार (अक्टूबर 2020)	आच्छादित परिवार (नवम्बर 2023 तक)	अनाच्छादित परिवार (नवम्बर 2023 तक)
आर्सेनिक प्रभावित	4,709	4,681	28	6.98	6.74	0.24
फ्लोराइड प्रभावित	3,789	3,780	09	4.67	4.64	0.03
आयरन प्रभावित	21,709	21,282	427	36.03	35.13	0.90
कुल	**30,207**	**29,743**	**464**	**47.68**	**46.51**	**1.17**

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रदत आंकड़े)

तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि नवंबर 2023 तक हर घर नल का जल योजनाओं के अंतर्गत 464 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों को आच्छादित नहीं किया गया, जिससे 1.17 लाख परिवारों को पीने योग्य और सुरक्षित नल जल से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, नमूना जांचित जिलों में यह पाया गया कि जल शोधन संयंत्र या तो स्थापित नहीं किए गए थे या कार्यशील नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप दूषित जल की आपूर्ति हुई, जैसा कि आगे के कंडिकाओ में विस्तार से बताया गया है।

लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखा परीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जून 2025) और बताया कि छूटे हुए टोलों/वार्डों को शामिल करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

4.1.1.1 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा अपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन

जल आपूर्ति एवं शोधन पर केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सी.पी.एच.इ.इ.ओ.) मैनुअल (1999) के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, जल शोधन का उद्देश्य किफायती तरीके से स्वच्छतापूर्वक सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति एवं रखरखाव को सुनिश्चित करना था। शोधन की विधि प्राकृतिक जल के घटकों की प्रकृति और प्राप्त की जाने वाली जल गुणवत्ता के वांछित मानक पर निर्भर करती है।

गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था लो.स्वा.अभि.वि. के माध्यम से की जानी थी। तदनुसार, विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियाँ प्रदान की गयीं (दिसंबर 2016 से नवंबर 2023 के बीच), जिसमें भूजल में विद्यमान फ्लोराइड, लौह और आर्सेनिक जैसे प्रदूषकों के निवारण के लिए जल शोधन संयंत्र की स्थापना शामिल थी।

नमूना जांच किए गए लो.स्वा. प्रमंडलों (गया और शेरघाटी) के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि जल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के साथ तीन एकरारनामा पूर्ण किया गया (अप्रैल 2017 से नवंबर 2019)। इन एकरारनामा के कार्य क्षेत्र में 45 वार्डों में 45 एफ.आर.पी की स्थापना शामिल थी, किंतु 15 वार्डों में एफ.आर.पी स्थापित नहीं किए गए और योजनाएँ सितंबर 2023 तक अपूर्ण रहीं। इसका विवरण **तालिका 4.2** में विस्तार से दिया गया है:

तालिका 4.2: एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किए जाने का विवरण

क्र.सं	प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या	प्रदूषण की प्रकृति	वार्डो की सं. जहाँ एफ.आर.पी. स्थापित किए जाने थे	वार्डो की सं. जहाँ एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किए गए थे	परिवारों की संख्या	एफ.आर.पी. के बिना व्यय (₹ लाख में)
1	गया	एस.बी.डी.-01/2017-18	फ्लोराइड	25	9	1,260	177.42
2	गया	एस.बी.डी.-03/2018-19		9	1	100	0.00
3	शेरघाटी	एस.बी.डी.-09/2017-18		11	5	754	0.00
		कुल		**45**	**15**	**2,114**	**177.42**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो के अभिलेख)

तालिका 4.2 से स्पष्ट होता है कि 15 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में लागू की गई 15 हर घर नल का जल योजनाओं में एफ.आर.पी. की स्थापना नहीं की गई और योजनाएँ प्रारंभ होने के चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अपूर्ण (सितंबर 2023 तक) रहीं।

नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल गया ने उत्तर दिया कि 10 में से 9 वार्डों में कोविड–19 महामारी के कारण एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किए जा सके और एक वार्ड[6] में डब्ल्यू.आई.एम.सी. ने एफ.आर.पी. स्थापित किए बिना ही कार्य निष्पादित कर दिया। लो.स्वा. प्रमंडल शेरघाटी ने उत्तर दिया कि भूमि विवाद के कारण पांच वार्डों में एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किए जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजनाओं के प्रारंभ होने के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी इन वार्डों में एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किए गए। फलस्वरूप, 2,114 परिवार योजना के अंतर्गत प्रदूषण–मुक्त पाइप जलापूर्ति के लाभ से वंचित रह गए।

4.1.1.2 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में जल शोधन संयंत्र का कार्य न करना

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी के अंतर्गत, उन वार्डों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट (एफ.आर.पी.) लगाए जाने थे जो फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से प्रभावित थे। नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि लो.स्वा. प्रमंडल, शेरघाटी के अंतर्गत ग्रा. पं. सावनकला के पाँच फ्लोराइड प्रभावित वार्डों[7] में एफ.आर.पी. लगाए गए थे। हालांकि, जिला प्रयोगशाला गया के प्रतिवेदन (सितंबर 2022) की जांच से पता चला कि इन एफ.आर.पी. के मीडिया

[6] *₹ 2.36 करोड़ की लागत व्यय करने के बाद 8 वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया।*

[7] *आमस प्रखंड के सावनकला पंचायत के वार्ड संख्या 1, 5, 8, 12 और 13।*

फिल्टर[8] दोषपूर्ण थे। इसके कारण जल में फ्लोराइड की मात्रा 1.54 मि.ग्रा./लीटर से 2.06 मि.ग्रा./लीटर के बीच पाई गई, जो स्वीकृत सीमा (1 मि.ग्रा./लीटर) से 54 प्रतिशत से 106 प्रतिशत अधिक थी। इन एफ.आर.पी. के संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी इस परियोजना के लिए लो.स्वा. प्रमंडल द्वारा किए गए एकरारनामा के अंतर्गत थी। इसके बावजूद, सितंबर 2022 से अब तक अर्थात् एक वर्ष की अवधि में मीडिया फिल्टर को बदला नहीं गया, जो लो.स्वा. प्रमंडल के स्तर पर उचित निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

कार्यपालक अभियंता, लो.स्वा. प्रमंडल, शेरघाटी ने (सितंबर 2023 में) उत्तर दिया कि संवेदक को एफ.आर.पी. के मीडिया फिल्टर को बदलने का निर्देश दिया गया था।

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी के दो वार्डों[9] में संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) के दौरान किए गए जल गुणवत्ता परीक्षणों में यह पाया गया कि इन वार्डो में फ्लोराइड का स्तर स्वीकृत सीमा एक मि.ग्रा./लीटर के विरुद्ध 2.19 मि.ग्रा./लीटर से 6.58 मि.ग्रा./लीटर के बीच था। इसके अतिरिक्त, तिलैया पंचायत के वार्ड संख्या 02 में यह देखा गया कि स्थल पर एफ.आर.पी. उपलब्ध था, लेकिन उसे वितरण चैनल से जोड़ा नहीं गया था।

गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में प्रदूषक की उच्च मात्रा से प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त एफ.आर.पी. की कमी ने स्थानीय जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। इस तथ्य की पुष्टि सिविल सर्जन, गया के अधीन राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के प्रतिवेदन (मार्च 2022) द्वारा भी की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि तिलैया ग्रा.पं के वार्ड संख्या 2 के निवासी फ्लोरोसिस से पीड़ित थे।

- चार लो.स्वा. प्रमंडलो के अंतर्गत 62 योजनाओं के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि इन सभी योजनाओं में आई.आर.पी./एफ.आर.पी. संयंत्र स्थापित किए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (जून 2023 से नवंबर 2023 के बीच) लेखापरीक्षा द्वारा इन योजनाओं के जल की गुणवत्ता परीक्षण किए गए, जिसमें यह पाया गया कि 23 योजनाओं में आयरन/फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत सीमा (एक मि.ग्रा./लीटर) से अधिक रहने के वावजूद आई.आर.पी./एफ.आर.पी. कार्यशील नहीं थे, जबकि इन 23 योजनाओं में ₹ 2.54 करोड़ की लागत से आई.आर.पी./एफ.आर.पी. लगाए गए थे, जैसा कि **तालिका 4.3** में विस्तार से दर्शाया गया हैः

तालिका 4.3ः लो.स्वा. प्रमंडलो द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संयुक्त भौतिक सत्यापन/जल जांच प्रतिवेदन के दौरान जल गुणवत्ता में आयरन/फ्लोराइड पाई गई

इकाई	योजना की सं. जहाँ जल नमूना की जांच की गई	योजना की सं. जहाँ प्रदूषण की मात्रा स्वीकृत मात्रा से अधिक पाई गई	अकार्यशील आई.आर.पी./ एफ.आर.पी. का मूल्य (₹ लाख में)	प्रदूषण का स्तर (मि.ग्रा./ ली.)	स्वीकृत मात्रा (मि.ग्रा./ ली.)	प्रदूषण का प्रकार
सुपौल	24	8	63.19	1.22 से 3.12	1	आयरन
औरंगाबाद	03	03	44.00	1.5 से 2.00	1	फ्लोराइड
जमुई	27	11	130.93	1.3 से 3.00	1	फ्लोराइड
गया	08	01	16.00	1.42	1	फ्लोराइड
कुल	**62**	**23**	**254.12**	**1.22 से 3.12**		

(स्रोतः चयनित योजनाओं का संयुक्त भौतिक परीक्षण)

8 *मीडिया फिल्टर एक उपकरण होता है जो एफ.आर.पी. के अंदर लगाया जाता है, ताकि जब पानी इसके माध्यम से गुजरे तो यह फ्लोराइड आयनों को अवशोषित कर सके।*

9 *बांके बाजार प्रखंड के तिलैया पंचायत के वार्ड संख्या 2 और 4।*

4.1.1.3 ग्रामीण वार्डों में जल शोधन संयंत्र का स्थापना नहीं किया जाना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, उन वार्डों में एफ.आर.पी. लगाए जाने थे जो उच्च स्तर के फ्लोराइड प्रदूषण से प्रभावित थे। लो.स्वा. प्रमंडल शेरघाटी के अंतर्गत आठ ग्राम पंचायतों के 29 वार्डों में जल गुणवत्ता परीक्षण (अक्टूबर 2022) में फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर उच्च पाया गया। इन वार्डों में फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत सीमा (एक मि.ग्रा./लीटर) के विरुद्ध 1.49 मि.ग्रा/लीटर से 10.70 मि.ग्रा./लीटर के बीच पाई गई। तथापि, इन योजनाओं के लिए एफ.आर.पी. की स्थापना नहीं की गयी थी क्योकि इन योजनाओ के प्राक्कलन में एफ.आर.पी. का प्रावधान नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 4.1)***।

- इसी प्रकार, लो.स्वा. प्रमंडल, जमुई द्वारा हर घर नल का जल योजना के तहत क्रियान्वित 106 जलापूर्ति योजनाओं में प्रदूषकों के स्तर को सीमित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण (सितंबर 2023) में यह पाया गया कि इन योजनाओं में से 28 योजनाओं के जल में फ्लोराइड की मात्रा (1.02 मि.ग्रा./लीटर से 2.23 मि.ग्रा./लीटर) स्वीकृत सीमा (एक मि.ग्रा./लीटर) से अधिक थी ***(परिशिष्ट 4.2)***।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिवेदन (2018) के अनुसार, भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी दक्षिण और पुरैनी उत्तर ग्राम पंचायतों के 19 वार्ड फ्लोराइड प्रदूषण से प्रभावित थे। लो.स्वा. प्रमंडल भागलपुर पश्चिम ने जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए एक एकरारनामा (फरवरी 2022) किया, जिसमें उपरोक्त 19 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों सहित कुल 26 वार्डों को शामिल किया गया। इस योजना पर ₹14.09 करोड़ का व्यय किया (जून 2023) गया। एकरारनामा के जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य में एफ.आर.पी. का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) के दौरान किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण में यह भी पाया गया कि आपूर्ति किए गए जल में फ्लोराइड की मात्रा तीन मि. ग्रा./लीटर थी, जो स्वीकृत सीमा (एक मि.ग्रा./लीटर) से अधिक थी। इस प्रकार, ₹ 14.09 करोड़ का व्यय किए जाने के बावजूद, इन 19 वार्डों में रहने वाले 5,455 परिवारों को सुरक्षित पेयजल से वंचित रखा गया।

- लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद के अधीन जिला जल जांच प्रयोगशाला के जल नमूना पंजी (जुलाई 2020 से फरवरी 2021 की अवधि) की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 44 वार्डों में फ्लोराइड की उपस्थिति (1.04 मि.ग्रा./लीटर से 3.28 मि.ग्रा./लीटर) स्वीकृत सीमा (एक मि.ग्रा./लीटर) से अधिक थी। आगे यह भी पाया गया कि इन 44 वार्डों में से 27 में एफ.आर.पी. लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद फ्लोराइड की मात्रा अस्वीकार्य स्तर पर थी। इसके अतिरिक्त, शेष 17[10] वार्डों में लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. द्वारा कोई प्रदूषक शमन उपाय (जैसे एफ.आर.पी. की स्थापना) नहीं किए गए थे ***(परिशिष्ट 4.3)***।

4.1.1.4 एफ.आर.पी. की क्षमता का कम प्रावधान किया जाना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा डीपीआर तैयार करने के लिए जारी दिशा–निर्देशों में उल्लेख किया गया था कि एफ.आर.पी. की क्षमता (फ्लोराइड प्रदूषण के उपचार हेतु) का निर्धारण वार्डों की जनसंख्या और सेवा स्तर की मांग (जैसे 81 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और न्यूनतम आठ घंटे की जल आपूर्ति) के आधार पर किया जाएगा।

---

[10] *लो.स्वा. प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा कार्यान्वित योजनाएं: 13, पं.रा.वि. द्वारा कार्यान्वित योजनाएं: 4।*

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने दो[11] लो.स्वा. प्रमंडलो के 99 फ्लोराइड प्रभावित वार्डों में स्थापित एफ.आर.पी. की क्षमता का विश्लेषण किया और पाया गया कि इनमें से 38 वार्डों में आवश्यक क्षमता 81 एल.पी.सी.डी. होनी चाहिए थी, जबकि इन संयंत्रों में केवल 41 से 77 एल.पी.सी.डी. तक ही जल का उपचार किया जा सकता था। अतः इन एफ.आर.पी. की क्षमता आवश्यकता से पाँच प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक कम थी ***(परिशिष्ट 4.4)***।

कम क्षमता वाले एफ.आर.पी. के अधिष्ठापन के कारण फ्लोराइड शमन के पश्चात् भी जल की वांछित मात्रा की पूर्ति नहीं की जा सकी।

4.1.2 गुणवत्ता प्रभावित शहरी वार्डो का आच्छादन

नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देश (दिसंबर 2018) के अनुसार शहरी जलापूर्ति योजनाओं के लिए, जल गुणवत्ता से प्रभावित शहरी वार्डों में आवश्यकतानुसार आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड निष्कासन संयंत्रों की स्थापना की जानी थी। तदनुसार, इन वार्डों के लिए प्रस्तावित योजनाओं के मॉडल प्राक्कलन में इसका प्रावधान किया जाना था।

4.1.2.1 शहरी वार्डो में आई.आर.पी. /एफ.आर.पी. का स्थापना न होना

पाँच नमूना जांचित श.स्था.नि. के 56 जल गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 56 में से 26 वार्डों में, जहाँ ₹ 4.38 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति योजनाएँ पूरी की जा चुकी थीं, योजना पूर्ण होने के एक से पाँच वर्ष बीत जाने के बावजूद, आयरन/फ्लोराइड से प्रभावित जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए आवश्यक आई.आर.पी./एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, इन 26 वार्डों में इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले 5,632 परिवारों को दूषित जल की आपूर्ति होने का जोखिम था ***(परिशिष्ट 4.5 अ)***।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 30 गैर–गुणवत्ता प्रभावित शहरी वार्डों में से सात वार्डों में, जहाँ आई.आर.पी. की आवश्यकता नहीं थी, वहां ₹68.10 लाख की लागत से इन्हें स्थापित कर दिया गया, जिससे निष्फल व्यय हुआ। शहरी वार्डों में आई. आर.पी./एफ.आर.पी. की स्थापना की स्थिति **तालिका 4.4** में दी गई है और विवरण ***(परिशिष्ट 4.5 ब)*** में शामिल हैं।

तालिका 4.4 गुणवत्ता/गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में परीक्षण किए गए श.स्था.नि. द्वारा स्थापित आई.आर.पी. की स्थिति (जून 2023 से नवंबर 2023 के बीच)

क्र. सं.	श.स्था.नि. का नाम	गुणवत्ता प्रभावित वार्डो में आई.आर.पी. का स्थापना नहीं किया जाना			गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में आई. आर.पी. का स्थापना	
		वार्डों की सं.	वार्ड में आई.आर.पी. का स्थापना नहीं (व्यय ₹ लाख में)	परिवारों की सं.	वार्डों की सं.	वार्डो में आई.आर.पी. का स्थापना (डब्ल्यू. टी.पी. पर निष्फल व्यय लाख में)
1	बेनीपुर (आयरन)	04	1 (42.28)	450	14	5 (42.90)
2	बीरपुर (आयरन)	13	2 (53.53)	500	0	शून्य
3	झंझारपुर (आयरन)	00	शून्य	उपलब्ध नहीं	16	2 (25.20)
4	खगडिया (आयरन)	26	11 (132.02)	2,049	0	शून्य
5	झाझा (आयरन)	13	12 (210.05)	2,633	उपलब्ध नहीं	शून्य
	कुल	**56**	**26 (437.88)**	**5,632**	**30**	**07 (68.10)**

(स्रोत: नमूना–जांचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

[11] *लो.स्वा. प्रमंडल, जमुई एवं गया।*

4.1.2.2 गुणवत्ता प्रभावित शहरी वार्डों में आई.आर.पी. का कार्य नहीं करना

नगर परिषद, खगड़िया द्वारा हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत ₹ 6.11 करोड़ की लागत से 26 जल गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के लिए जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें इन योजनाओं के लिए 26 आई.आर.पी. की स्थापना का प्रावधान शामिल था। हालांकि, यह पाया गया (जून 2023) कि जिन 15 वार्डों में योजनाएं पूरी हो चुकी थीं, उनमें से सात[12] वार्डों में आई.आर.पी. स्थापित तो किए गए थे, लेकिन उन्हें जलापूर्ति प्रणाली से जोड़ा नहीं गया था, जिससे वे कार्यशील नहीं थे। परिणामस्वरूप, इन सात वार्डों के 1,598 परिवारों को दूषित जल की आपूर्ति होने का उच्च जोखिम था। इससे न केवल स्थानीय परिवारों के स्वास्थ्य को खतरा हुआ, बल्कि हर घर नल का जल योजना का सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य भी विफल हो गया।

4.1.3 जल गुणवत्ता परीक्षण और जल परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली

जल गुणवत्ता परीक्षण वर्ष में दो बार (पूर्व मानसून एवं पश्चात् मानसून) अनिवार्य रूप से 15 जल गुणवत्ता मानकों के विरुद्ध जिला/अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने थे। आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित वार्डों के मामले में ये परीक्षण मासिक रूप से किए जाने थे, जबकि आयरन प्रभावित वार्डों में परीक्षण प्रत्येक तीन माह में एक बार किया जाना था। गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के मामले में जल गुणवत्ता परीक्षण जिला/अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रत्येक चार माह में एक बार किया जाना था।

जल प्रदूषण की प्रारंभिक जांच के लिए योजना के पंप संचालकों द्वारा फील्ड टेस्ट किट्स (एफ.टी.के.) का उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा में आवश्यक संख्या से कम परीक्षण किए जाने, परीक्षण हेतु अपर्याप्त अवसंरचना से संबंधित समस्याएँ, एफ.टी.के./मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग न किए जाने आदि मुद्दों को पाया गया, जैसा कि आगामी कंडिकाओ में चर्चा की गई है:

4.1.3.1 जल परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा कम जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाना

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घरों तक आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता की जांच हेतु राज्य, जिला तथा अनुमंडलीय प्रयोगशालाएँ लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा स्थापित की गईं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2024 तक बिहार में एक राज्य स्तरीय, 38 जिला स्तरीय तथा 76 अनुमंडलीय प्रयोगशालाएँ कार्यरत थीं। एक जिला प्रयोगशाला की क्षमता प्रति माह 300 परीक्षण करने की थी, जबकि अनुमंडलीय प्रयोगशालाएँ प्रति माह 125 परीक्षण कर सकती थीं। इस प्रकार, 38 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएँ अधिकतम 11,400 परीक्षण प्रति माह कर सकती थीं और 76 अनुमंडलीय प्रयोगशालाएँ प्रति माह अधिकतम 9,500 परीक्षण कर सकती थीं।

यह पाया गया (फरवरी 2024) कि 38 जिलों में से केवल पाँच[13] जिलों की जिला एवं अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं में उन जिलों में लागू सभी योजनाओं के जल गुणवत्ता परीक्षण करने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त, शेष 33 जिलों की जिला एवं अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं की मासिक क्षमता, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित आवश्यक संख्या की तुलना में छह प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक कम थी ***(परिशिष्ट 4.6)***।

4.1.3.2 रसायनज्ञ और प्रयोगशाला सहायक की कमी

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाओं की कम कार्यक्षमता के कारणों में से एक कारण मानवबल की कमी थी।

---

12 *नगर परिषद् खगड़िया के वार्ड 4, 5, 10, 12, 19, 23 और 24।*

13 *अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर।*

लेखापरीक्षा के दौरान, 12 जिला प्रयोगशालाओं[14] में से 10 में तथा 20 अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जिला प्रयोगशालाओं के मामले में, 10 रसायनज्ञ और 19 प्रयोगशाला सहायकों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल सात रसायनज्ञ और नौ प्रयोगशाला सहायक कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त, 20 अनुमंडलीय लो.स्वा. प्रयोगशालाओं के मामले में, 20 रसायनज्ञ और 20 प्रयोगशाला सहायकों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल दो रसायनज्ञ और दो प्रयोगशाला सहायक कार्यरत थे (जून 2023 से नवंबर 2023 तक), जैसा कि **तालिका 4.5** में विवरण दिया गया है:

तालिका 4.5: नमूना जांचित प्रयोगशालाओं में रसायनज्ञों और प्रयोगशाला सहायकों की स्वीकृत संख्या तथा कार्यरत बल (जून 2023 से नवंबर 2023)

क्र. सं.	स्वीकृत पद	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		रिक्त पद	
		जिला प्रयोगशाला	अनुमंडलीय प्रयोगशाला	जिला प्रयोगशाला	अनुमंडलीय प्रयोगशाला	जिला प्रयोगशाला	अनुमंडलीय प्रयोगशाला
1	रसायनज्ञ	10	20	7	2	3	18
2	प्रयोगशाला सहायक	19	20	9	2	10	18
	कुल	**29**	**40**	**16**	**4**	**13**	**36**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो के अभिलेख) *(परिशिष्ट 4.7)*

इन कमियों के परिणामस्वरूप, दस नमूना जांचित जिलों में यह पाया गया कि वर्ष 2023–24 के दौरान औसतन केवल 3,550 परीक्षण प्रति माह किए गए, जबकि न्यूनतम अनिवार्य 11,528 परीक्षण किए जाने थे, जैसा कि **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.6: नमूना जांचित जिलों में जल गुणवत्ता परीक्षण में कमी

जिला का नाम	जिले में कुल योजनाओं की संख्या (अप्रैल 2023 तक)	न्यूनतम आवश्यक मासिक परीक्षण	संबंधित जिले की प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष (2023–24) में किए गए कुल परीक्षण	प्रति माह किए गए औसत परीक्षण	कमी
क	ख	ग	घ	ङ = (घ/12)	च = (ग–ङ)
औरंगाबाद	2,898	792	3,438	287	505
भागलपुर	3,177	1,513	4,716	393	1,120
दरभंगा	4,473	1,142	3,236	270	872
गया	4,652	1,313	3,335	278	1,035
जमुई	2,013	1,037	3,006	251	786
कटिहार	3,281	1,164	6,013	501	663
खगडिया	1,890	936	5,630	469	467
मधुबनी	5,398	1,350	3,495	291	1,059
सारण	4,725	1,217	5,960	497	720
प. चंपारण	4,256	1,064	3,757	313	751
कुल	**36,763**	**11,528**	**42,586**	**3,550**	**7,978**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो के अभिलेख)

अतः, रसायनज्ञों और प्रयोगशाला सहायकों की कमी ने इन प्रयोगशालाओं की आवश्यक परीक्षण करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाला और 2023–24 के दौरान इन 10 नमूना–जांचित जिलों में 69 प्रतिशत परीक्षण नहीं किए जा सके।

---

[14] *लो.स्वा. प्रमंडल, गोपालगंज ने प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारियों का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।*

मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा के आपत्ति को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2025) कि विभाग आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में है।

4.1.3.3 जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी

राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, प्रयोगशालाओं में जल का भौतिक–रासायनिक विश्लेषण करने के लिए कुल 17 प्रकार के उपकरणों[15] की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य जिला प्रयोगशालाओं में से 4 (जहाँ अभिलेख उपलब्ध कराए गए थे) में आवश्यक 68 उपकरणों के विरुद्ध केवल 39 उपकरण ही उपलब्ध थे (जून 2023 से नवंबर 2023 तक)। इसका विवरण **तालिका 4.7** में दिया गया है:

तालिका 4.7: बुनियादी ढांचे की कमी के कारण जल गुणवत्ता परीक्षण में कमी

जिला का नाम	बुनियादी ढांचे की स्थिति			न्यूनतम आवश्यक मासिक परीक्षण (2023–24)	मासिक रूप से किए गए परीक्षणों की औसत संख्या	कमी (ङ –छ)
	उपलब्ध	कार्यशील	अकार्यशील			
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
औरंगाबाद	13	12	1	792	287	505
दरभंगा	9	9	0	1,142	270	872
मधुबनी	8	7	1	1,350	291	1,059
प. चंपारण	9	8	1	1,064	313	751
कुल	**39**	**36**	**3**	**4,348**	**1,161**	**3,187**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो के अभिलेख)

इसके अतिरिक्त, जहाँ न्यूनतम 4,348 परीक्षण मासिक रूप से किए जाने आवश्यक थे, वहाँ औसतन केवल 1,161 परीक्षण ही इन नमूना जांचित प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान प्रति माह किए गए ***(परिशिष्ट 4.8)***। इस प्रकार, आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण न्यूनतम संख्या में भी जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किए जा सके।

यह तथ्य लो. स्वा. प्रमंडलों बेतिया (पश्चिम चंपारण) और दरभंगा से प्राप्त उत्तर द्वारा भी स्पष्ट हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि आवश्यक मशीनों/उपकरणों और रसायनों की अनुपस्थिति में 15 मानकों का परीक्षण नहीं किया जा सका।

मुख्य अभियंता सह विशेष सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और जवाब दिया (जून 2025) कि विभाग आवश्यक उपकरणों और मशीनों के अधिष्ठापन की प्रक्रिया में है।

---

15 *विश्लेषणात्मक वजन बॉक्स, डिजिटल बैलेंस, काँच थर्मामीटर, हॉट एयर ओवन, हॉट प्लेट, पी. एच. मीटर, आरटीडी प्रोब सहित प्रिसीजन डिजिटल थर्मामीटर, रेफ्रिजरेटर, टर्बिडिटी मीटर, वॉटर बाथ, वेट एंड ड्राई थर्मामीटर, कंडक्टिविटी मीटर, आयन मीटर, फ्यूम हुड, वैक्यूम पंप सहित मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली, मैग्नेटिक स्टिरर और यूवी–स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।*

4.1.3.4 राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई प्राधिकृत संस्था तृतीय पक्ष मूल्यांकन के आधार पर विशिष्ट परीक्षणों/मापों के लिए तकनीकी दक्षता की औपचारिक मान्यता प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप एन.ए.बी.एल. द्वारा किसी प्रयोगशाला की दक्षता की औपचारिक मान्यता के कई लाभ हैं, जैसे जारी किए गए परीक्षण/अंशशोधन प्रतिवेदनों में विश्वास की वृद्धि, परिणामों की शुद्धता और विश्वसनीयता, प्रयोगशाला संचालन पर बेहतर नियंत्रण आदि।

लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जारी संकल्प (सितंबर 2016) के अनुसार विभाग ने लो.स्वा. जिला प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन प्राप्त करने का निर्देश दिया था, किंतु नौ वर्ष बीत जाने (जून 2025 तक) के बाद भी 38 जिला प्रयोगशालाओं में से केवल राज्य प्रयोगशाला और 11 जिला प्रयोगशालाएँ[16] ही एन.ए.बी.एल प्रत्यायन प्राप्त कर सकीं। शेष 27 जिला प्रयोगशालाओं द्वारा एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन प्राप्त नहीं की गई।

नमूना जांचित 12 लो.स्वा. जिला प्रयोगशालाओं में से केवल तीन को एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन प्राप्त थी और नौ में से चार[17] प्रयोगशालाएँ आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण गैर–मान्यता प्राप्त रहीं।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2025) कि विभाग ने प्रत्यायन हेतु सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है तथा शेष 27 जिला प्रयोगशालाओं के लिए एन.ए.बी.एल. मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

4.1.3.5 परीक्षण किट्स का उपयोग

फील्ड टेस्ट किट्स (एफ.टी.के.) और एच.$_2$ एस. वायल्स का उपयोग जल प्रदूषण की प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है। बहु–पैरामीटर एफ.टी.के. का प्रयोग पीएच स्तर, क्षारीयता, क्लोराइड स्तर, आर्सेनिक/फ्लोराइड/लौह की मात्रा आदि की जांच हेतु किया जाता है, जबकि एच.2एस. वायल्स का उपयोग जीवाणु संबंधी परीक्षणों के लिए किया जाता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने (अप्रैल 2021) राज्य के 8,386 ग्राम पंचायतों के लिए 16,99,800 एच.2एस. वायल्स और 9,000 बहु–पैरामीटर एफ.टी.के. की खरीद को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, एक एफ.टी.के. का उपयोग करके 100 जल गुणवत्ता परीक्षण किए जाने थे और प्रत्येक एच.2एस. वायल का उपयोग करके एक परीक्षण किया जाना था। ये खरीदारी लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा दो एकरारनामा के माध्यम से ₹ 2.92 करोड़ की लागत पर की गई, जिसका विवरण **तालिका 4.8** में दिया गया है:

[16] *सारण, सहरसा, पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, भागलपुर, आरा, बांका और सासाराम।*
[17] *औरंगाबाद, बेतिया, मधुबनी और सुपौल।*

तालिका 4.8: परीक्षण किट के एकरारनामा का विवरण

परीक्षण किट का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा की राशि (₹ करोड़ में)	एकरारनामा की तिथि	आपूर्ति की जाने वाली इकाइयों की सं.	किए जा सकने वाले परीक्षणों की सं.
एफ.टी.के.	एस.बी.डी.-20/21-22	1.40	03/12/2021	9,000	9,00,000
एच.2 एस. वायल्स	एस.बी.डी.-19/21-22	1.52	16/11/2021	16,99,800	16,99,800
	कुल	**2.92**			

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रदत अभिलेख)

नमूना जांचित प्रमंडलो में, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से जनवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच एफ.टी.के. और एच.2एस. वायल्स की आपूर्ति की गई थी।

इन किटों के उपयोग की समाप्ति अवधि निर्माण तिथि से दो वर्ष थी। हालांकि, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना यह पाया गया कि एफ.टी.के. और एच.2एस. वायल्स के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा 8 नवम्बर 2022 को, अर्थात् एकरारनामा के निष्पादन के 11 महीने बाद और पहली आपूर्ति के 10 महीने बाद जारी की गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किटों की वैधता अवधि का लगभग आधा समय बीत चुका था, जिसके बाद ही प्रमंडल इन किटों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित कर सकते थे।

इसके अतिरिक्त, 12 नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो (फरवरी 2024) के मामले में पाया गया कि 5,85,200 एच.2एस. वायल्स में से केवल 19,935 (3.40 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया था। यह भी पाया गया कि 12 नमूना जांचित लो. स्वा. प्रमंडलो द्वारा एफ.टी.के. का उपयोग करते हुए 3,08,700 अनिवार्य परीक्षणों में से केवल 19,510 (6.32 प्रतिशत) परीक्षण ही किए गए और 93 प्रतिशत से अधिक एफ.टी.के.[18] अप्रयुक्त रहे। चूंकि एफ.टी.के. की समाप्ति अवधि दो वर्ष थी, इसलिए 1,227 एफ.टी.के. फरवरी 2024 तक अनुपयोगी हो चुके थे और 1,22,700 परीक्षण नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.79 लाख का निष्फल व्यय हुआ ***(परिशिष्ट 4.9)।***

विभाग द्वारा एस.ओ.पी. जारी करने में देरी और एफ.टी.के. तथा एच.2एस. वायल्स के उपयोग न होने से यह संकेत मिलता है कि उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग में लो. स्वा.अभि.वि. (और लो. स्वा. प्रमंडलो) का दृष्टिकोण उदासीन था। परिणामस्वरूप, जल प्रदूषण की प्रारंभिक जांच और अन्य आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण किए नहीं जा सके।

अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) में उत्तर दिया कि सभी प्रमंडलो ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि सभी एफ. टी.के. का उपयोग कर लिया गया है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा किसी प्रकार का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका और समाप्त हो चुके एफ.टी.के. के संबंध में भी कोई उत्तर नहीं दिया गया।

---

[18] अनुपयोगी एफ.टी.के. की सं.:– 2,891।

4.1.3.6 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग न करना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने मई 2017 में ₹ 2.72 करोड़ की लागत से चार[19] मौजूदा मोबाइल जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एंड एम.) के लिए एक एकरारनामा किया था। इन प्रयोगशालाओं का उपयोग दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में 15 अनिवार्य मानकों के विरुद्ध जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए किया जाना था। इन मोबाइल प्रयोगशालाओं की ओ. एंड एम. अवधि पाँच वर्ष, अर्थात् मई 2017 से मई 2022 तक थी।

इसके अतिरिक्त, लो.स्वा.अभि.वि. ने दिसंबर 2015 में ₹ 7.14 करोड़ की लागत से पाँच[20] नई मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना और पाँच वर्ष के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए भी एक एकरारनामा किया था। इन नई पाँच मोबाइल प्रयोगशालाओं की ओ. एंड एम. अवधि जून 2021 में समाप्त हो गई थी।

संचालन एवं अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद, विभाग ने इन नौ मोबाइल प्रयोगशालाओं के आगे के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कोई अन्य एकरारनामा नहीं किया। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा इन मोबाइल प्रयोगशालाओं के ओ. एंड एम. (और निरंतर कार्यक्षमता) को सुनिश्चित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए इन प्रयोगशालाओं के उपयोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (जून 2025) उत्तर दिया कि मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के ओ. एंड एम. के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है।

4.1.3.7 पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के जल गुणवत्ता परीक्षण

विभिन्न विभागों (न.वि. एवं आ.वि. – दिसंबर 2018 तथा पं.रा.वि. – जनवरी 2020) द्वारा जारी हर घर नल का जल योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, न.वि. एवं आ.वि. तथा पं.रा.वि., वार्डों में आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता का परीक्षण लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा संचालित जिला/अनुमंडलीय प्रयोगशालाओं में किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मार्च 2016 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान 35 नमूना जांचित ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित 393 जलापूर्ति योजनाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, 12 नमूना जांचित नगर निकायों में से छह[21] (जिन्होंने लेखापरीक्षा को सूचना प्रदान की) के मामले में भी यह पाया गया कि मार्च 2017 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किए गए।

इन परीक्षणों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन ग्रामीण और शहरी वार्डों के 81,265 परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था या नहीं।

---

[19] *पटना–1, मुजफ्फरपुर–1, भागलपुर–1, और पूर्णिया–1।*

[20] *पटना –2, मुजफ्फरपुर –1, भागलपुर –1 और पूर्णिया –1।*

[21] *श.स्था.नि. बेनीपुर, बीरपुर, झंझारपुर, खगड़िया, रिविलगंज और टेकारी।*

4.1.4 अन्य अनियमितताएं

4.1.4.1 हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों में क्लोरीनेटरों की स्थापना न होना /लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग की योजनाओं में आंशिक अधिष्ठापन होना

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन द्वारा प्रकाशित जल आपूर्ति और शोधन पर आधारित नियमावली (1999) के अनुसार, पेयजल की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल का कीटाणुशोधन (डिसइन्फेक्शन) किया जाना आवश्यक है। सी.पी.एच.इ.इ.ओ. मैनुअल के अनुच्छेद 8.7.2 के अनुसार, क्लोरीनेटर एक ऐसा उपकरण है जिसे जलापूर्ति में क्लोरीन प्रवाहित करने और जल के कीटाणुशोधन के लिए उपयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पं.रा.वि. और न.वि. एवं आ.वि. ने हर घर नल का जल योजनाओं के लिए मॉडल प्राक्कलन (अप्रैल 2017 और जनवरी 2017 में क्रमशः) जारी किए थे, जिन्हें कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार करते समय ग्रा.पं. और श.स्था.नि. द्वारा अपनाया जाना था। हालांकि, इन मॉडल अनुमानों में क्लोरीनेटर की व्यवस्था शामिल नहीं थी। परिणामस्वरूप, जनवरी 2017 से लागू हर घर नल का जल योजनाओं के तहत 35 नमूना जांचित ग्रा.पं. की 295 योजनाओं और आठ श.स्था.नि. की 178 योजनाओं में क्लोरीनेटर के लिए न तो प्रावधान किए गए और न ही अधिष्ठापित किए गए। इस प्रकार, आठ श.स्था.नि. के 48,283 शहरी परिवारों और 35 ग्रा.पं. के 46,067 ग्रामीण परिवारों को बिना क्लोरीनीकरण वाला पानी उपलब्ध कराया गया।

जहाँ तक लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा लागू हर घर नल का जल योजनाओं का संबंध है, मुख्य अभियंता (डिजाइन), लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा मार्च 2019 में जारी मॉडल प्राक्कलन में क्लोरीनेटर का प्रावधान किया गया था। इसके अनुरूप, नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो ने 2019 से 2023 के बीच संवेदकों के साथ किए गए एकरारनामा में क्लोरीनेटर का प्रावधान शामिल किया। हालांकि, जून 2023 से नवंबर 2023 के बीच 12 नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो की संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 190 योजनाओं में से केवल 148 में ही क्लोरीनेटर स्थापित किए गए थे। आगे, स्थापित 148 क्लोरीनेटरों में से केवल 81 ही कार्यशील (नवंबर 2023 तक) पाए गए।

4.1.4.2 गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों का आच्छादन नहीं किया जाना।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की पहचान संबंधी प्रतिवेदन (जुलाई 2018) के अनुसार, मधुबनी जिले के किसी भी प्रखंड को गुणवत्ता प्रभावित नहीं माना गया था। हालांकि, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) के प्रतिवेदन (2019) के अनुसार, मधुबनी जिले के पाँच[22] प्रखंडों को लौह प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। आगे, मधुबनी के जल गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टरों (जनवरी 2020 – अप्रैल 2022) की जांच से भी यह स्पष्ट हुआ कि जिले के 16 प्रखंडों[23] की 90 योजनाओं के पानी में लौह की मात्रा स्वीकार्य सीमा (एक मि.ग्रा./ली.) से अधिक पाई गई।

यह पाया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि मधुबनी के पाँच प्रखंडों को सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा लौह प्रभावित घोषित किया गया था, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा लागू दिशानिर्देशों के

---

22 *बेनीपट्टी, खजौली, झंझारपुर, लदनिया और फुलपरास।*

23 *अंधराथाड़ी, बाबूबरही, बेनीपट्टी. बिस्फी, जयनगर, झंझारपुर, कलुअही, लखनौर, लौकहा, मधेपुर, पंडौल, फुलपरास, रहिका, राजनगर एवं सदर प्रखंड।*

अनुसार, लौह प्रदूषण दूर करने हेतु आवश्यक कदम (जैसे आई.आर.पी. का स्थापना) उठाये जाने थे, लेकिन लो.स्वा. प्रमंडल मधुबनी द्वारा ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप, 10.21 लाख लाभार्थी प्रदूषित जल से प्रभावित हुए।

4.2 जलापूर्ति में सेवा स्तर मानकों की उपलब्धि

4.2.1 जलापूर्ति कनेक्शन का आच्छादन

घरों के 100 प्रतिशत आच्छादन के लक्ष्य के संदर्भ में, लो.स्वा.अभि.वि., पं.रा.वि., एवं न.वि. एवं आ.वि. ने (मार्च 2023) क्रमशः 98 प्रतिशत, 99 प्रतिशत और 94 प्रतिशत उपलब्धि प्रतिवेदित की। इसका विवरण **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: हर घर नल का जल योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धि

(घरों की सं. लाख में)

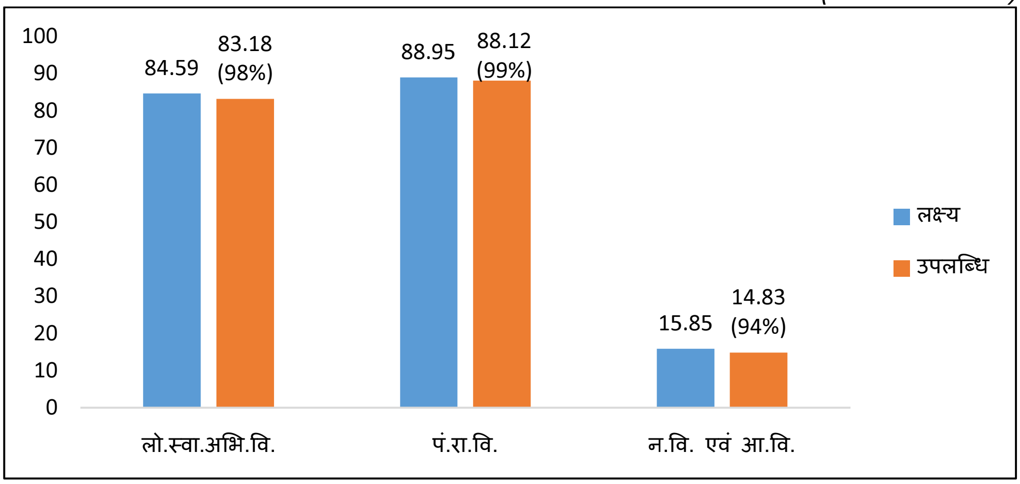

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि., न.वि. एवं आ.वि. तथा बिहार विकास मिशन (पं.रा.वि. के लिए) द्वारा प्रदत आंकड़े)

चार्ट 4.2 के अनुसार, लक्षित 189.39 लाख परिवारों के विरुद्ध कुल 186.13 लाख (98.20 प्रतिशत) परिवारों को मार्च 2023 तक योजना के अंतर्गत आच्छादित बताया गया। इस प्रतिवेदन में मार्च 2023 तक लक्षित ग्रामीण परिवारों के 98.70 प्रतिशत आच्छादन को शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लो.स्वा.अभि.वि. ने राज्य स्तर पर हर घर नल का जल योजना के तहत 98 प्रतिशत परिवारों के आच्छादन प्रतिवेदित की थी, जबकि वास्तविक आच्छादन 87 प्रतिशत ही था, जैसा कि **कंडिका 4.2.1.1** में विस्तृत विवरण किया गया है। आगे, पं.रा.वि. एवं न.वि.एवं आ.वि. द्वारा राज्य स्तर पर परिवारों के वास्तविक आच्छादन का लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि विभागों ने योजना के तहत छूटे हुए परिवारों की संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। हालांकि, नमूना–जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पं.रा.वि. के वार्डों में परिवारों के कवरेज का प्रतिशत, उन्हीं वार्डों के लिए विभाग द्वारा प्रतिवेदित किए गए प्रतिशत से मेल नहीं खाता था। इसका विवरण **कंडिका 4.2.1.2** में दिया गया है।

लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. की नमूना जांचित इकाइयों में परिवारों के आच्छादन का विभागवार विवरण की चर्चा नीचे की गयी है।

4.2.1.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा घरों का आच्छादन

बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य (जुलाई 2018) के अनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. को हर घर नल का जल योजना के तहत 56,079 परिवारों को आच्छादित करना था। विभाग ने (अप्रैल 2023) राज्य स्तर पर 98 प्रतिशत परिवारों के आच्छादन प्रतिवेदित किया। हालांकि, यह पाया गया कि बाद में (नवंबर 2023 में) लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा 11.22 लाख परिवारों (जिनमें 8.07 लाख परिवार गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों में रहने वाले शामिल हैं) को आच्छादित करने के लिए ₹ 3,642.72 करोड़ और ₹1,063.46 करोड़ की दो प्रशासनिक स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं, जिन्हें अभी तक हर घर नल का जल योजना के तहत आच्छादित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा आच्छादित किए जाने वाले कुल 84.59 लाख परिवारों के लक्ष्य में से विभाग केवल 87 प्रतिशत आच्छादन ही प्राप्त कर सका, क्योंकि 11.22 लाख परिवार (13 प्रतिशत) नवंबर 2023 तक हर घर नल का जल योजना के तहत पाइप जलापूर्ति से वंचित थे।

इसके अलावा, नमूना–जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो में 304 एकरारनामा और मापी–पुस्तो की जांच से पता चला कि लक्षित परिवारों को प्रदान किए गए जलापूर्ति कनेक्शनों की संख्या 62 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के बीच थी। जबकि इसके विपरीत, उन्हीं नमूना–जांचित प्रमंडलो में लो.स्वा.अभि.वि. ने 96 प्रतिशत से 100 प्रतिशत परिवारों के आच्छादन बढ़ा–चढ़ाकर प्रतिवेदित की थी। लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रतिवेदित किए गए (अप्रैल 2023) और नमूना–जांचित एकरारनामा/मापी–पुस्तो (जून–नवंबर 2023) के अनुसार परिवारों के आच्छादन का जिला–वार प्रतिशत ***परिशिष्ट 4.10*** में दिया गया है और **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3: नमूना–जांचित लो.स्वा. प्रमंडलो में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रतिवेदित किए गए तथा नमूना–जांचित एकरारनामा/मा.पु. के अनुसार घरों में कनेक्शन का प्रतिशत

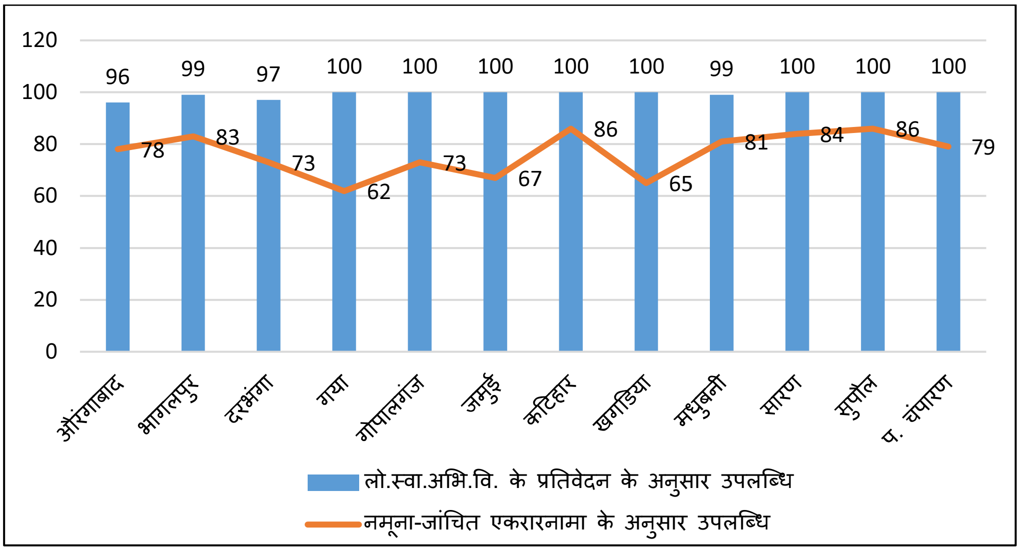

(स्रोतः विभाग/नमूना–जांचित प्रमंडलो द्वारा प्रदत आंकड़े)

इस प्रकार, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रतिवेदित किया गया आच्छादन विश्वसनीय नहीं था और सभी परिवारों को आच्छादन करने के हर घर नल का जल योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

जवाब में, लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार किया और बताया कि (जून 2025) जो वार्ड अब तक आच्छादित नहीं हो पाए थे, उन्हें अब छूटे हुए टोला/वार्ड के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है और यह प्रक्रिया निविदा चरण में है।

4.2.1.2 पंचायती राज विभाग द्वारा घरों का आच्छादन

पंचायती राज विभाग ने (मार्च 2023) में हर घर नल का जल योजना के तहत 99 प्रतिशत परिवारों के आच्छादन प्रतिवेदित किया, लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा 35 नमूना जांचित ग्रा.पं. के 295 वार्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 52,210 परिवारों में से केवल 46,067 परिवारों (88 प्रतिशत) को ही पाइप जल कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इससे संकेत मिलता है कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई उपलब्धि के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निश्चयसॉफ्ट[24] पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार केवल 2,031 परिवार ही आच्छादित नहीं थे, जबकि लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांचित अभिलेखों (योजना फाइलें, मापी–पुस्त और ग्रा.पं. द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन) के अनुसार 6,143 परिवार अभी भी आच्छादित किए जाने बाकी थे ***(परिशिष्ट 4.11)***। इसका विवरण **चार्ट 4.4** में दिया गया है

चार्ट 4.4: निश्चयसॉफ्ट के अनुसार तथा नमूना–जांचित डब्ल्यू.आई.एम.सी. के अभिलेखों के अनुसार परिवारों के आच्छादन का प्रतिशत

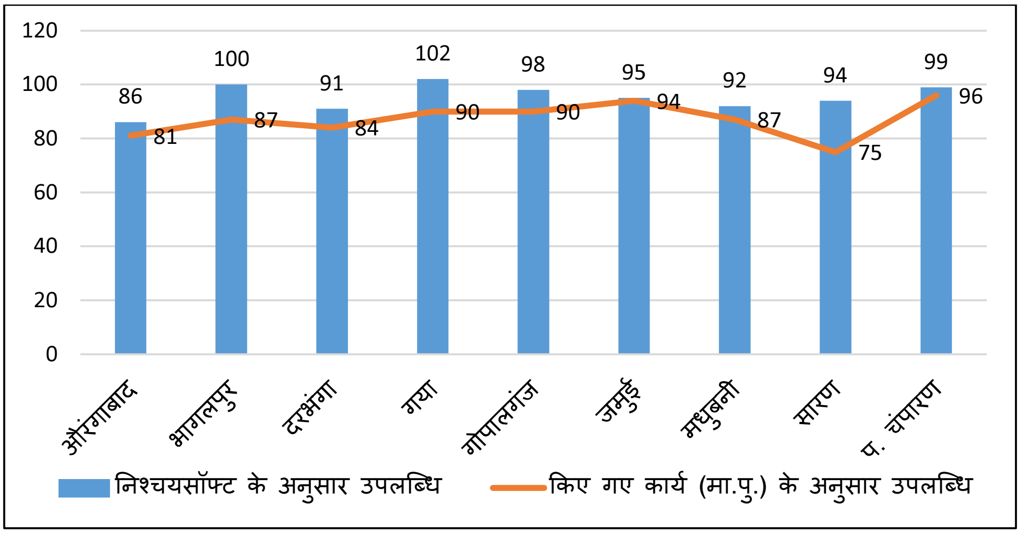

(स्रोतः निश्चयसॉफ्ट एवं नमूना–जांचित ग्राम पंचायत से प्राप्त आंकड़े)

इस प्रकार, पं.रा.वि. के द्वारा प्रतिवेदित परिवारों का आच्छादन विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि सभी लक्षित परिवारों को पाइप जलापूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि जल जीवन मिशन–हर घर जल पोर्टल[25] के डैशबोर्ड के अनुसार, बिहार के कुल 167.55 लाख ग्रामीण परिवारों के लक्ष्य के विरूद्व केवल 160.36 लाख (95.71 प्रतिशत) परिवारों को नवंबर 2025 तक नल का जल आपूर्ति प्राप्त थी।

---

24 पं.रा.वि. की योजना की ऑनलाइन निगरानी के लिए, पं.रा.वि. ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) के सहयोग से एक वेबसाइट स्थापित की।

25 भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित।

4.2.2 प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति

हर घर नल का जल योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 70 एल.पी.सी.डी. तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 135 एल.पी.सी.डी. पानी उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध कराया जाना था। आगे, सी.पी.एच.इ.इ.ओ. मैनुअल की कंडिका 2.2.8.1 के अनुसार घरेलू आवश्यकताओं के लिए पाइप जलापूर्ति में पीने, खाना बनाने, नहाने, धोने, फ्लशिंग, बागवानी आदि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होना चाहिए।

उपरोक्त के संदर्भ में, जून 2023 से नवंबर 2023 के बीच किए गए लाभुक सर्वेक्षण में, जिसमें 2,283 लाभुकों को शामिल किया गया था, लो.स्वा.अभि.वि., डब्ल्यू.आई.एम.सी. और श.स्था.नि. द्वारा लागू योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 53 प्रतिशत, 48 प्रतिशत और 58 प्रतिशत लाभुकों ने बताया कि जलापूर्ति उनकी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी।

4.2.3 जल आपूर्ति की निरंतरता

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार हर घर नल का जल योजना के मॉडल प्राक्कलन में मोटर पंप के आठ घंटे संचालन और 10,000 लीटर की पानी की टंकियों की व्यवस्था की गई थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा योजनाएँ लागू की गई हैं, निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

ग्राम पंचायतों के डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा लागू की गई जलापूर्ति योजनाओं के मामले में, पं.रा.वि. ने घरों को प्रतिदिन आठ घंटे पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था, जिसे बाद में (सितंबर 2019) घटाकर प्रतिदिन चार घंटे कर दिया गया।

शहरी क्षेत्रों में 24×7 निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, न.वि. एवं आ.वि. ने मोटर पंपों के 16 घंटे संचालन और 10,000 लीटर की पानी की टंकी की व्यवस्था का प्रावधान किया।

हालांकि, तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलनो की जांच से पता चला कि यद्यपि कार्यान्वयन विभागों ने प्रत्येक वार्ड में 10,000 लीटर की पानी की टंकी का प्रावधान किया था, लेकिन यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या को निरंतर जलापूर्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. के वार्डों में 100 से 200 घरों के लिए 13,712 से 27,398 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकियों की आवश्यकता थी ***(परिशिष्ट 4.12)***, जो दर्शाता है कि केवल 10,000 लीटर की टंकी का प्रावधान स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था।

इसी प्रकार, श.स्था.नि. में 250 से 1,500 घरों को निरंतर जलापूर्ति के लिए 29,062 से 1,74,375 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी की आवश्यकता थी, जबकि न.वि एवं आ.वि. ने केवल 10,000 लीटर की एक समान क्षमता वाली टंकी का प्रावधान किया था ***(परिशिष्ट 4.13)***।

लेखापरीक्षा द्वारा जून 2023 से नवंबर 2023 के बीच किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि नमूना जांचित लो. स्वा. प्रमंडलो. द्वारा लागू 190 योजनाओं में से 74 में पानी की आपूर्ति प्रतिदिन छः घंटे से कम थी। इसी प्रकार, नमूना जांचित श.स्था.नि. में 135 योजनाओं में से 76 (56 प्रतिशत) में पानी की आपूर्ति प्रतिदिन छः घंटे से भी कम पाई गई।

निष्कर्ष

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत किए गए क्रियान्वयन प्रयासों के बावजूद, बिहार में जल गुणवत्ता प्रबंधन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। अनेक गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों को योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं किया गया अथवा वहाँ कार्यशील जल शोधन संयंत्र उपलब्ध नहीं थे। जिन स्थानों पर जल शोधन संयंत्र अधिष्ठापित भी किए गए, उनमें से कई या तो अकार्यशील पाए गए अथवा उनकी क्षमता अपर्याप्त थी। पंचायती राज विभाग एवं शहरी स्थानीय निकायों की जलापूर्ति योजनाओं में क्लोरीनेटर व्यापक रूप से अनुपलब्ध थे जो कीटाणुशोधन मानकों से समझौता करते थे। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, मानवबल की कमी, परीक्षण किटों के उपयोग न किए जाने तथा चलित प्रयोगशालाओं के अकार्यशील रहने के कारण जल गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी अपर्याप्त रही। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL) की मान्यता कुछ ही प्रयोगशालाओं तक सीमित रहीं। परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में परिवारों को असुरक्षित जल का उपभोग करना पड़ा, जिससे योजना के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

अनुशंसाएं

***अनुशंसा 7:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों को कार्यशील जल शोधन संयंत्र से आच्छादित किया जाए, ताकि लक्षित परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।*

***अनुशंसा 8:** राज्य सरकार परीक्षण सुविधाओं में सुधार हेतु प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत कर सकती है और पर्याप्त मानवबल की नियुक्ति कर सकती है। संबंधित विभाग अपने पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं ताकि सभी आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण किए जा सके।*

***अनुशंसा 9:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि जहाँ भी आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई जाती है, वहाँ समय पर और उपयुक्त सुधारात्मक/नियंत्रणात्मक उपाय किए जाएं।*

अध्याय-V
मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तंत्र

अध्याय–V

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तंत्र

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत योजनाओं की उचित अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएँ बिहार सरकार और कार्यान्वयन विभागों द्वारा निर्गत विभिन्न संकल्पों एवं दिशा–निर्देशों के माध्यम से की गईं। हर घर नल का जल योजना के मूल्यांकन और अनुश्रवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों और निष्कर्षों पर चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

5.1 ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति अवसंरचना का अनुश्रवण

5.1.1 क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग, पंचायती राज विभाग (राज्य स्तर)

पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत (जून 2017) हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दिशा–निर्देशों के कंडिका 4.1 में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पं.रा.वि. के प्रधान सचिव/सचिव के अधीन एक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग के गठन का प्रावधान किया गया था। अपर सचिव, पं.रा.वि., मुख्य अभियंता (लो.स्वा.अभि.वि.) आदि, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग के अन्य सदस्य होने थे। इस कोषांग को नियमित अंतराल पर हर घर नल का जल योजना की प्रगति का अनुश्रवण करने के साथ–साथ मानक प्राक्कलनों की तैयारी और तकनीकी स्वीकृति, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों आदि की समीक्षा करनी थी।

अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग का गठन प्रारंभ में 11 सितंबर 2017 को किया गया था, किन्तु इसकी सदस्यता में बदलावों के कारण, कोषांग का मई 2018 में और पुनः मार्च 2019 में पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार, जबकि हर घर नल का जल योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 में (सितंबर 2016 में इसके आधिकारिक शुभारंभ के बाद) शुरू हो गया था, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग का गठन विलंब से किया गया।

क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग को नियमित अंतराल पर बैठक करनी थी, किन्तु इसके बैठक की कार्यवाही और कामकाज से संबंधित अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः, लेखापरीक्षा द्वारा हर घर नल का जल योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण में क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग के अनुश्रवण तंत्र की प्रभावकारिता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

5.1.1.1 अनुश्रवण हेतु पर्याप्त मानव बल की तैनाती नहीं किया जाना

पंचायती राज विभाग में गठित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग को राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू.) और जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (डी.पी.एम.यू.) द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य में सहयोग किया जाना था। एस.पी.एम.यू. में सूचना प्रौद्येगिकी विशेषज्ञ, अभियंता, वित्त प्रबंधक, मीडिया विशेषज्ञ,

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, सामाजिक वैज्ञानिक आदि शामिल थे। एस.पी.एम.यू. का मुख्य कार्य विभागीय स्तर पर हर घर नल का जल योजना की प्रगति का अनुश्रवण करना तथा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग को तकनीकी सहयोग प्रदान करना था। डी.पी.एम.यू. का नेतृत्व जिलाधिकारी द्वारा किया जाना था एवं इसमें वित्तीय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, जन संचार/मीडिया, अनुश्रवण, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में अनुभवी लोगों को सलाहकार के रूप में शामिल किया जाना था।

बिहार सरकार ने एस.पी.एम.यू. के लिए 38[1] पद, जबकि डी.पी.एम.यू. के लिए 422[2] पद (सितंबर 2018) स्वीकृत किए थे, जिसमें 20 राज्य क्वालिटी मॉनिटर (एस.क्यू.एम.) और 268 जिला क्वालिटी मॉनिटर (डी.क्यू.एम.) के पद शामिल थे। इसके अतिरिक्त, पंचायत राज विभाग ने एस.क्यू.एम./डी.क्यू.एम. द्वारा निर्वहन किए जाने वाले दायित्वों से संबंधित दिशा–निर्देश (अक्टूबर 2022) जारी किए। इसके अनुसार, प्रमंडल स्तर पर एस.क्यू.एम. को हर घर नल का जल योजना के साथ साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता, अनुपालन और परिणामों का आकलन करने के लिए अपने आवंटित प्रमंडल के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह तीन अलग–अलग प्रखंडों से एक–एक पंचायत का दौरा करना था। इसी प्रकार, जिला स्तर पर प्रत्येक डी.क्यू.एम. द्वारा अपने संबंधित जिले के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह तीन अलग–अलग प्रखंडों से एक–एक पंचायत का दौरा करके भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, लाभुक प्रतिक्रिया और अभिलेखों के रखरखाव का मूल्यांकन करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 20 एस.क्यू.एम.और 268 डी.क्यू.एम. के पदों की स्वीकृति (सितंबर 2018) के पाँच वर्ष बाद भी, जनवरी 2023 तक केवल 17 एस.क्यू.एम. और 88 डी.क्यू.एम. ही कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त, एस.पी.एम.यू और डी.पी.एम.यू. के लिए अन्य सृजित पदों, जैसे वित्त और लेखा विशेषज्ञ, समन्वय एवं अभिसरण विशेषज्ञ, प्रशिक्षण (आई.ई.सी.[3]) विशेषज्ञ आदि, पर नियुक्तियाँ नहीं की गई थीं।

इस प्रकार, योजनाओं के दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग को सहायता प्रदान करने और योजनाओं के अनुश्रवण हेतु अपेक्षित मानवबल सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एस.क्यू.एम./डी.क्यू.एम. द्वारा किए गए दौरों की संख्या पर जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

आगे, एस.क्यू.एम.और डी.क्यू.एम. द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर अपनी अनुश्रवण रिपोर्ट विभाग द्वारा विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की जानी थी। किन्तु, मई 2023 तक ऐसा कोई पोर्टल विकसित नहीं किया गया था, जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्वालिटी मॉनिटर

---

[1] *एस.पी.एम.यू.– वित्त एवं लेखा विशेषज्ञ, समन्वय एवं अभिसरण विशेषज्ञ, मीडिया विशेषज्ञ, एम.आई.एस. विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, आई.टी. विशेषज्ञ, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आई.टी. ब्वाय, राज्य क्वालिटी मॉनिटर।*

[2] *डी.पी.एम.यू.–वित्त एवं लेखा विशेषज्ञ, समन्वय विशेषज्ञ, प्रशिक्षण (आई.ई.सी.) विशेषज्ञ, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, आई.टी. विशेषज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला क्वालिटी मॉनिटर।*

[3] *सूचना, शिक्षा और संचार।*

(एस.क्यू.एम./डी.क्यू.एम.) नियमित रूप से रिपोर्ट जमा कर रहे थे और विभाग द्वारा उनकी रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की गई थी।

5.1.2 संचालन एवं अनुरक्षण हेतु लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में अपर्याप्त मानवबल

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्गत हर घर नल का जल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से संबन्धित दिशानिर्देशों (अगस्त 2021) के अनुसार, कनीय अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को क्रमशः प्रति माह 25 और 20 योजना स्थलों का निरीक्षण करना था और अपनी रिपोर्ट राज्य एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड करनी थी तथा पंप स्टेशनों पर रखे गए रजिस्टरों में अपनी टिप्पणियाँ भी दर्ज करनी थीं।

नमूना जांच किए गए लो.स्वा. प्रमंडलों में यद्यपि यह कहा गया कि सहायक अभियंता और कनीय अभियंता स्तर पर निरीक्षण किए जा रहे थे, लेकिन इस दावे की पुष्टि करने वाले कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष रखे या प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः, दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार हर घर नल का जल योजनाओं के निरीक्षण के संबंध में लेखापरीक्षा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए 12 लो.स्वा. प्रमंडलों में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 144 कनीय अभियंताओं और 50 सहायक अभियंताओं की संस्वीकृत बल के विरुद्ध, केवल 53 कनीय अभियंता और 30 सहायक अभियंता कार्यरत थे, जिसके परिणामस्वरूप कनीय अभियंताओं और सहायक अभियंताओं के क्रमशः 91 (63 प्रतिशत) और 20 (40 प्रतिशत) पद रिक्त थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन 12 लो.स्वा. प्रमंडलों में 18,089 वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन होना था, एक कनीय अभियंता को लगभग 113 से 631 वार्डों में योजनाओं का अनुश्रवण करना था और एक सहायक अभियंता को 226 से 4,035 वार्डों में योजनाओं का अनुश्रवण करना था ***(परिशिष्ट 5.1)***। मानवबल की कमी के कारण, काम का इतन अधिक बोझ होने से योजनाओं का अनुश्रवण अपर्याप्त रह गया।

5.1.3 योजनाओं की भौतिक स्थिति की रिपोर्टिंग

5.1.3.1 पंचायत निश्चयसॉफ्ट में दर्शायी गई योजनाओं की भौतिक प्रगति

पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण वार्डों में कार्यान्वित की जा रही हर घर नल का जल योजना की ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु पंचायती राज विभाग निश्चयसॉफ्ट (*prdnischaysoft.bih.nic.in*) की स्थापना (नवंबर 2018) की थी। निश्चयसॉफ्ट पर योजनाओं की प्रगति से संबंधित अद्यतन आँकड़े ग्राम पंचायतों के तकनीकी सहायक द्वारा प्रविष्ट किए जाने थे तथा प्रगति/उपलब्धियों का अनुश्रवण जिला एवं राज्य स्तरों पर की जानी थी।

निश्चयसॉफ्ट पर अपलोड किए गए आँकड़ों/सूचनाओं की समीक्षा के आधार पर, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमी पाई गईः

अकार्यशील योजनाओं को कार्यशील दिखाया जानाः नमूना जांच किए गए 187 ग्रामीण वार्डों में, 36 योजनाएँ जो निश्चयसॉफ्ट पोर्टल पर कार्यशील दिखाई गई थीं, लेखापरीक्षा

द्वारा संबन्धित ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून से नवम्बर 2023) में अकार्यशील पाये गए। इसका विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 अकार्यशील योजनाएँ निश्चयसॉफ्ट पर प्रदर्शित नहीं हो रही थीं, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में विस्तार से बताया गया है।

इस प्रकार, योजनाओं के कार्यशील होने के संबंध में पंचायत निश्चयसॉफ्ट पर प्रदर्शित सूचना/आँकड़ें, फील्ड लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के साथ सुसंगत नहीं था।

5.1.3.2 मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाए गए आंकड़ों में विसंगतियां

बिहार विकास मिशन (बि.वि.एम.), जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक संस्था है, को जनवरी 2016 में बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय योजनाओं के उचित अनुश्रवण और मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु स्थापित किया गया था। लो. स्वा. अभि. वि. के योजना दिशानिर्देशों (सितंबर 2016) के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं की अनुश्रवण भी बि.वि.एम द्वारा की जानी थी। बि.वि.एम. ने जून 2022 में लो.स्वा.अभि.वि. को सात निश्चय के अंतर्गत योजनाओं की क्रमिक प्रगति पर निगरानी रखने एवं बि.वि.एम. को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा बि.वि.एम. को प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति प्रतिवेदन (अप्रैल 2023) में दर्शाए गए आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे जैसा कि यह पाँच नमूना जांचित प्रमंडलों के अभिलेखों के साथ सत्यापन पर तुलना से स्पष्ट हुआ, जिसका विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका 5.1: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में पाई गई विसंगतियाँ

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल	नमूना जांचित प्रमंडलों के अभिलेखों के अनुसार वार्डों का आच्छादन			मासिक भौतिक प्रतिवेदन के अनुसार आच्छादन (अप्रैल 2023)		
	आर्सेनिक	आइरन	फ्लोराइड	आर्सेनिक	आइरन	फ्लोराइड
दरभंगा	10	17	––	30	17	––
गया	––	––	181	––	––	200
भागलपुर पूर्व	530	372	75	535	378	75
भागलपुर पश्चिम	121	––	147	133	––	173
जमुई	––	––	685	––	––	711
कुल	**661**	**389**	**1,088**	**698**	**395**	**1,159**

(स्रोतः मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं नमूना जॉचित इकाइयों का अभिलेख)

तालिका 5.1 से यह स्पष्ट होता है कि इन पाँच लो.स्वा. प्रमंडलों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन में गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों के आच्छादन से संबंधित जो जानकारी दी गई थी, वह लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांचित इकाइयों के अभिलेखों में दर्शाई गई जानकारी से असंगत थी। इस प्रकार, गुणवत्ता–प्रभावित वार्डों के आच्छादन की वास्तविक स्थिति कार्यान्वयन करने वाले विभाग द्वारा बि.वि.एम. को संप्रेषित नहीं की जा रही थी।

5.1.4 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजना के लिए निर्गत (सितंबर 2016) दिशानिर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि कार्यान्वयन इकाइयाँ नागरिकों के बीच सुरक्षित जल उपभोग स्रोतों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सामुदायिक–आधारित गतिविधियाँ[4] आयोजित करेंगी। किन्तु, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि नमूना जांचित कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) जल गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में, स्थानीय समुदाय को उपचारित/सुरक्षित पेयजल के उपयोग के लिए जागरूक और प्रेरित करने हेतु वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक लाभुक समिति का गठन किया जाना था। उक्त समिति द्वारा ग्रामीण बस्तियों में आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण भी किया जाना था। किन्तु, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 11 गुणवत्ता प्रभावित लो.स्वा. प्रमंडलों में से 8 में लाभुक समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि तीन[5] प्रमंडलों द्वारा इस समिति के गठन से संबंधित कोई अभिलेख/उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) एक जल चौपाल, जिसमें वार्ड सदस्य शामिल हों, का आयोजन वार्ड स्तर पर त्रैमासिक रूप से तथा ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष में दो बार किया जाना था, ताकि योजना के क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण पर चर्चा की जा सके और गुणवत्ता प्रभावित जल स्रोतों की पहचान की जा सके। नमूना जांच किए गए 11 लो.स्वा. प्रमंडलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जल चौपालों का आयोजन इन लो.स्वा. प्रमंडलों के कुल 190 वार्डों में से केवल चार[6] वार्डों में ही की गई थी। किन्तु, इन चारों वार्डों द्वारा जल चौपाल बैठकों के आयोजन से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

इस प्रकार, जलापूर्ति योजना की गुणवत्ता के प्रति लाभुकों में जागरूकता लाने के लिए सामुदायिक गतिविधियाँ का आयोजन, जैसा कि योजना में अपेक्षित था, सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

5.1.5 गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण

5.1.5.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के निविदा दस्तावेज़ के अनुसार, जल आपूर्ति योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले यू.पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई./एम.डी.पी.ई.[7] पाइप, पंप मोटर, ट्रांसफॉर्मर जैसी सामग्रियाँ भारतीय मानकों (आई.एस.) विनिर्देश/ वैज्ञानिक तथा

---

[4] *जैसे कि लाभुक समिति का गठन, जल चौपालों और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।*

[5] *औरंगाबाद, भागलपुर पूर्व एवं भागलपुर पश्चिम।*

[6] *जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अंतर्गत ग्रा.प. गोपालपुर के वार्ड संख्या 09, भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्रा.प. अभिया पचगछिया के वार्ड संख्या 04, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत ग्रा.प. धंगा के वार्ड संख्या 07 और 12।*

[7] *यू.पी.वी.सी.– अनप्लास्टिसाइज़ड पॉलीविनाइल क्लोराइड (जल टैंक से मोटर पंप तक कनेक्शन में उपयोग), एच.डी.पी.ई.– हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन (वितरण पाइप लाइन में उपयोग), एम.डी.पी.ई.– मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन (घर के कनेक्शन में उपयोग)।*

औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आइ.आर.) के अनुरूप होनी चाहिए थीं। इसके अतिरिक्त, यू.पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई./एम.डी.पी.ई. पाइप की गुणवत्ता की जांच और प्रमाणन केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.) की क्वालिटी एस्यूरेंस इंसपेक्टिंग विंग द्वारा की जानी थी। इस संबंध में, लेखा परीक्षा द्वारा निम्न विसंगतियाँ देखी गईः

- **एम.डी.पी.ई./यू.पी.वी.सी. पाइप का गैर–प्रमाणीकरणः** घरों तक पाइप जलापूर्ति संयोजन के लिए प्रयुक्त एम.डी.पी.ई.और यू.पी.वी.सी. पाइप का गुणवत्ता प्रमाणन सी.आई. पी.ई.टी. से किसी भी नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल में नहीं कराया गया। अतः निम्न गुणवत्ता वाली एम.डी.पी.ई.और यू.पी.वी.सी. पाइपों के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

- **गुणवत्ता प्रमाणन से पूर्व/ सी.आई.पी.ई.टी. द्वारा अस्वीकृत एच.डी.पी.ई. पाइप का प्रयोगः** चार नमूना–जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों[8] में यह पाया गया कि सी.आई.पी.ई.टी. ने (जुलाई 2020) ₹6.28 लाख मूल्य के 2,747 मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप को अस्वीकृत कर दिया था। इसके बावजूद, वही पाइप लोक स्वास्थ्य प्रमंडल खगड़िया द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में प्रयोग में लाया गया। ये पाइप सी.आई.पी.ई.टी. की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही बिछा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, खगड़िया सहित अन्य लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन किए जाने से पूर्व ही 62,591 मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप, जिनकी कीमत ₹3.07 करोड़ थी, को उपयोग में लाया गया ***(परिशिष्ट–5.4)***।

अतः यह स्पष्ट है कि चार नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा हर घर नल का जल योजना में उपयोग में लाई गई समग्रियों का निर्धारित गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं किया गया।

विभाग द्वारा इस विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था (जून 2025 तक)।

5.1.5.2 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर समग्रियों की गुणवत्ता जांच नहीं किया जाना

पंचायती राज विभाग के निर्देशों (अगस्त 2016 और जून 2017 को जारी) के अनुसार, योजनाओं में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डब्ल्यू.आई.एम. सी., संबंधित कनीय अभियंता, और ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समितियों पर थी। सामग्रियों की गुणवत्ता सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सामग्रियों के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और संबंधित बाजार दरों की एक सूची जिला डी.पी.आर.ओ., बी. डी.ओ. और मुखिया द्वारा अपने अपने स्तर पर तैयार की जानी थी।

हालाँकि, नमूना जांचित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, न तो तृतीय–पक्ष सत्यापन किया गया और न ही ग्राम पंचायतों की सतर्कता समितियों द्वारा

---
[8] खगड़िया, छपरा, शेरघाटी एवं सुपौल।

जांच की गई। यह भी पाया गया कि 35 नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में से केवल 10 में ही सतर्कता समिति गठित की गई थी।

अतः, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा हर घर नल का जल योजना में उपयुक्त गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया।

5.2 शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना का अनुश्रवण

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना (हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत) से संबंधित संकल्प और योजना दिशा–निर्देश, जो क्रमशः फरवरी 2016 और अक्टूबर 2016 में न. वि. एवं आ. वि. द्वारा निर्गत किए गए थे, में योजना के अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:

- योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति प्रतिवेदनों को श. स्था. नि. द्वारा नगरसेवा[9] वेबसाइट पर अपलोड करना था और क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा विभागीय स्तर पर की जानी थी।

- गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, योजनाओं में नियुक्त अभियंताओं को सामग्रियों को उपयोग में लाने से पूर्व गुणवत्ता की जांच करनी थी। इसके अतिरिक्त, सामग्रियों की गुणवत्ता एस.क्यू.एम. और डी.क्यू.एम. द्वारा भी जांची जानी थी। शहरी जल आपूर्ति योजनाओं में उपयोग में लाई जा रही एच.डी.पी.ई., एम.डी.पी.ई. और यू.पी.वी.सी. पाइप, पंप, मोटर, ट्रांसफॉर्मर आदि जैसी सामग्रियों के लिए तृतीय–पक्ष निरीक्षण अनिवार्य था। तत्पश्चात, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा दिसंबर 2018 के निर्देशानुसार, पाइपों की गुणवत्ता का प्रमाणन बिहार के हाजीपुर स्थित सी.आई.पी.ई.टी. द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांचित श.स्था.नि. में यह पाया गया कि वितरण प्रणाली पाइपलाइन में प्रयुक्त एच.डी.पी.ई. पाइप का प्रमाणन सी.आई.पी.ई.टी. द्वारा किया गया था, लेकिन अन्य सामग्रियाँ जैसे एम.डी.पी.ई. पाइप, यू.पी.वी.सी., डब्ल्यू.टी.पी., मोटर इत्यादि का तृतीय–पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया। अतः, गुणवत्ता नियंत्रण की कमी के कारण हर घर नल का जल योजना में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा यह बताया गया कि नगरसेवा वेबसाइट जुलाई 2023 से संचालन में नहीं था। इस कारण, योजना की भौतिक प्रगति का अनुश्रवण न. वि. एवं आ. वि. द्वारा वेबसाइट के माध्यम से नहीं की जा रही थी।

5.3 सर्वेक्षण एवं निगरानी

पंचायती राज विभाग और लो. स्वा. अभि. वि. द्वारा क्रमशः नवंबर 2019 और अगस्त 2021 में निर्गत निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित हर घर नल का जल योजना के

[9] *नगरसेवा वेबसाइट को न.वि. एवं आ.वि. द्वारा विभाग द्वारा कार्यान्वित जलापूर्ति योजनाओं की ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए विकसित किया गया था।*

अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का अनुश्रवण इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) उपकरण[10] (आई.टी. तकनीक आधारित उपकरण) के माध्यम से की जानी थी। इन आई.ओ.टी. उपकरणों को घरों में पहुचाई जा रही जलापूर्ति सेवाओं की स्थिति, जैसे कि पंपिंग घंटे, आपूर्ति घंटे, जल का भंडारण आदि को दर्ज करने के लिए स्थापित किया जाना था। आई.ओ.टी. की स्थापना में पाई गई विसंगतियाँ नीचे वर्णित हैं।

5.3.1 विभाग द्वारा आई.ओ.टी. की स्थापना लागत का मानकीकरण नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 126 में निर्दिष्ट है कि सार्वजनिक हित में वस्तुओं की खरीद हेतु वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई प्रत्येक प्राधिकार की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करे।

हर घर नल का जल योजना के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पं.रा.वि. द्वारा (नवंबर 2019) निर्णय लिया गया कि सभी पाइप जलापूर्ति योजनाओं में आई.ओ.टी. स्थापित किए जाएँ। आई.ओ.टी. की स्थापना हेतु जिला स्तर पर डी.पी.आर.ओ. को पं.रा.वि. द्वारा निर्गत प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) के टेम्पलेट के आधार पर निविदाएँ आमंत्रित करनी थीं।

इस आर.एफ.पी. में आई.ओ.टी. के आवश्यक विनिर्देश दिए गए थे, जिन्हें निविदा प्रक्रिया के दौरान जिलों को पालन करना था। सितंबर 2020 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, पं.रा.वि. ने संबंधित जिलों के डी.पी.आर.ओ. से प्राप्त मांगों के आधार पर 29 जिलों[11] में 67,511 आई.ओ.टी.स्थापित करने हेतु ₹45.56 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी।

संबन्धित डी.पी.आर.ओ. द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेशो के जांच में यह पाया गया कि प्रत्येक जिले ने आई.ओ.टी. स्थापना के लिए अलग–अलग दरें तय की थीं, जिसके कारण लागत में भिन्नताएँ देखी गईं। प्रति आई.ओ.टी. स्थापना लागत में बहुत भिन्नताएँ थीं, जो ₹ 7,915 (मुजफ्फरपुर) से ₹19,800 (सीतामढ़ी) तक थीं। इस मुद्दे की ओर विभाग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रक द्वारा भी (मई 2022) ध्यान आकृष्ट किया गया था, जिनके द्वारा यह बताया गया कि आई.ओ.टी. स्थापना की न्यूनतम (₹ 7,915ः मुजफ्फरपुर) और उच्चतम (₹19,800ः सीतामढ़ी) लागतों के बीच 250 प्रतिशत का अंतर था। यह उस तथ्य के बावजूद था कि राज्य के सभी जिलों के लिए आई.ओ.टी. का विनिर्देश समान था।

वित्तीय नियंत्रक की सलाह के आधार पर, विभाग ने (जून 2022) आई.ओ.टी. की लागत में अंतर की समीक्षा हेतु एक उच्च–स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने अपनी

---

10 *आई.ओ.टी. एक ऐसा उपकरण है जो सिम कार्ड आधारित तकनीक के माध्यम से वास्तविक समय में ऑनलाइन जानकारी प्रदान करता है। आई.ओ.टी. बोरवेल से प्रतिदिन निकाली गई पानी की मात्रा, स्थापित उपकरणों की सुचारू कार्यशीलता आदि का विवरण एकत्र करेगा ताकि जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।*

11 *(i) अरवल (ii) औरंगाबाद (iii) बाँका (iv) बेगूसराय (v) भागलपुर (vi) भोजपुर (vii) बक्सर (viii) दरभंगा (ix) पूर्वी चंपारण (x) गय, (xi) गोपालगंज (xii) जमुई (xiii) जहानाबाद (xiv) कैमूर (xv) लखीसराय (xvi) मधुबनी (xvii) मुंगेर (xviii) मुजफ्फरपुर (xix) नालंदा (xx) नवादा (xxi) पटना (xxii) रोहतास (xxiii) समस्तीपुर (xxiv) सारण (xxv) शिवहर (xxvi) सीतामढ़ी (xxvii) सीवान (xxviii) वैशाली (xxix) पश्चिमी चंपारण।*

रिपोर्ट (जुलाई 2022) विभाग को प्रस्तुत की और आई.ओ.टी. लागत में भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताएः

(i) आई.ओ.टी. स्थापना नई प्रकृति की थी और आई.ओ.टी. की स्थापना के लिए निविदाएँ संबन्धित डी.पी.आर.ओ. द्वारा अलग–अलग तिथियों (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020) पर प्रकाशित की गईं। इसलिए शुरुवाती चरण में प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण दरें अधिक थी, जबकि बाद के चरण में दर कम हो गई।

(ii) निविदा में भाग लेने वाली फर्म में से कुछ बिहार की निवासी थीं जबकि अन्य राज्य के बाहर की थीं, इसलिए यह अंतर संभवतः भारी परिवहन लागत के कारण था।

(iii) विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के सिम कार्ड के उपयोग के कारण डाटा शुल्क की लागत में अंतर और सर्वर शुल्क की लागत में अंतर।

हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि समिति द्वारा आई.ओ.टी. के दर में भिन्नता के लिए दिए गए कारण उचित नहीं थे, क्योंकि निविदा के प्रकाशन के उसी माह में भी दो नमूना–जाँचित जिलों में लागत में भिन्नता पाई गई थी, अर्थात, दरभंगा और गया द्वारा फरवरी 2020 में आर.एफ.पी. प्रकाशित किया, फिर भी दरभंगा में आई.ओ.टी. की लागत (₹16,640) गया (₹14,880) की तुलना में 11.83 प्रतिशत अधिक थी। यहाँ तक कि मार्च 2020 से दिसंबर 2020 (अर्थात 10 माह) की अवधि में निविदा प्रकाशन के दौरान भी लागत में अत्यधिक भिन्नता रही, जैसे मार्च 2020 में प्रति आई.ओ.टी. लागत ₹7,985 थी जबकि जून 2020 ₹10,271 थी।

लेखापरीक्षा ने आगे परिवहन लागत में संभावित अंतरों का विश्लेषण किया। यह पाया गया कि औरंगाबाद पटना से 185.90 कि.मी. दूर है, फिर भी इस जिले में प्रत्येक आई.ओ.टी. की लागत ₹16,800 (सितंबर 2020) तय की गई थी, जबकि जहानाबाद, जो पटना से मात्र 45 कि.मी. दूर है, में प्रत्येक आई.ओ.टी. की लागत ₹17,600 (सितंबर 2020) तय की गई, जो औरंगाबाद की लागत से 4.76 प्रतिशत अधिक थी, जबकि जहानाबाद निकट दूरी पर स्थित है। अतः, समिति द्वारा बताए गए भारी परिवहन लागत के तर्क को पुष्ट नहीं किया जा सकता।

लागत में भिन्नताओं से अवगत होने के बावजूद, विभाग ने आई.ओ.टी. स्थापना की लागत के मानकीकरण सुनिश्चित करने हेतु कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए।

अतः यदि विभाग ने निधियों की स्वीकृति के समय आई.ओ.टी. स्थापना लागत के मानकीकरण हेतु कदम उठाए होते, तो नौ नमूना जांचित जिलो में ₹3.12 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था ***(परिशिष्ट–5.5)***।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी पर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है।

5.3.2 नमूना जांचित डब्ल्यू.आई.एम.सी. एव लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में आई.ओ.टी. का अकार्यशील होना

नमूना–जांचित 12 लो.स्वा. प्रमंडलों और नौ डी.पी.आर.ओ.[12] में, हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत 41,985 वार्डों को आच्छादित करने के लिए 42,145 आई.ओ.टी. उपकरण स्थापित किए जाने थे। किन्तु, संबन्धित फर्म द्वारा 42,145 आई.ओ.टी. उपकरणों के लक्ष्य के विरुद्ध ₹22.12 करोड़ का व्यय करके केवल 29,020 (69 प्रतिशत) आई.ओ.टी. की स्थापना की गई। आई.ओ.टी. की स्थापना अगस्त 2021 से जुलाई 2023 के बीच की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

- आई.ओ.टी. उपकरणों की स्थापना के साथ साथ डैशबोर्ड[13] स्थापित करने का कार्य संबंधित इकाइयों, अर्थात लो.स्वा. प्रमंडलों और डी.पी.आर.ओ. द्वारा जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान, अलग–अलग फर्मों को आवंटित किया गया था। यह कार्य अनुबंध/कार्य आदेश की तारीख से तीन से नौ महीनों के भीतर पूरा किया जाना था और संबन्धित फ़र्मों द्वारा आई.ओ.टी. की स्थापना और ट्रायल रन के पश्चात पाँच साल की अवधि के लिए आई.ओ.टी. उपकरणों का रखरखाव करना था। किन्तु, नवंबर 2023 तक, नमूना जांचित सभी इकाइयों (डी.पी.आर.ओ., औरंगाबाद को छोड़कर) में आई.ओ.टी. स्थापना का कार्य अधूरा था। इसके अतिरिक्त, लो.स्वा.अभि.वि. (अगस्त 2022) और नमूना जांचित इकाइयों द्वारा उपलब्ध अभिलेखों से पता चला कि 13,490 स्थापित आई.ओ.टी. जुलाई 2022 से काम नहीं कर रहे थे और संबन्धित फ़र्मों द्वारा उसके पश्चात आई.ओ.टी. का अनुरक्षण नहीं किया (डी.पी.आर.ओ., जमुई को छोड़कर)।

- बेतिया जिले के मामले में, 3,327 आई.ओ.टी. स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 2,002 (60.17 प्रतिशत) आई.ओ.टी. स्थापित किए गए और 1,325 आई.ओ.टी. कार्यान्वयन फर्म द्वारा स्थापित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, फर्म के साथ हुए एकरारनामा के अनुसार, योजनाओं के अनुरक्षण के लिए जिला स्तर पर एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया जाना था। यह पाया गया कि यह डैशबोर्ड भी स्थापित नहीं किया गया था और इसके स्थान पर, डैशबोर्ड के नाम पर केवल एक मॉनिटर स्थापित किया गया था, और कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया था।

आगे, डी.पी.आर.ओ., बेतिया द्वारा दिए गए जवाब (नवंबर 2023) के अनुसार, डैशबोर्ड सक्रिय नहीं था और रिपोर्ट जेनेरेट नहीं हो रहे थे। जिलाधिकारी, बेतिया द्वारा (11 फरवरी 2023) फर्म के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई थी, जो अभी तक (नवंबर 2023) लंबित हैं।

इस प्रकार, पूर्व से ही स्थापित आई.ओ.टी. (जुलाई 2022 तक) के माध्यम से योजनाओं के कार्यशीलता से संबंधित रिपोर्ट जेनेरेट नहीं हो रहे थे। इसलिए, 21 नमूना जांचित इकाइयों में 29,020 आई.ओ.टी. स्थापित करने में कुल ₹ 22.12 करोड़ व्यय करने के बाद

---

12 *डी.पी.आर.ओ. पंचायती राज विभाग के योजनाओं में आई.ओ.टी. उपकरण के खरीद एवं स्थापना के लिए जिम्मेदार थे।*

13 *योजनाओं के अनुश्रवण के लिए डैशबोर्ड को जिला पंचायती राज कार्यालयों में स्थापित किया जाना था।*

भी, आई.ओ.टी. के माध्यम से अनुश्रवण जैसा कि परिकल्पित किया गया था, सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

बहिर्गमन सम्मेल्लन के समय, पं.रा.वि. द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मधुबनी और पश्चिमी चंपारण जिलों में आईओटी की स्थापना में कुछ समस्याएँ थीं।

5.4 जन शिकायत

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी हर घर नल का जल योजना के दिशा–निर्देशों (जून 2021) में प्रभावी अनुश्रवण और नागरिकों को हर घर नल का जल योजना के संबंध में शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए विभाग द्वारा मोबाइल फोन आधारित एप्लिकेशन और अन्य तंत्रों को विकसित करने का प्रावधान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लो.स्वा.अभि.वि. के संकल्प (जून 2021) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के अन्तर्गत पंप स्टेशनों पर एक शिकायत रजिस्टर रखा जाना था, ताकि जनता अपने क्षेत्रों में जलापूर्ति न होने और/या आवश्यक छोटे/बड़े मरम्मत कार्यों से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सके।

सभी शिकायतों को इस रजिस्टर में दर्ज किया जाना था और शिकायतों के निवारण की संतोषजनक स्थिति का प्रमाण संबंधित लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से (एक संतुष्टि प्रमाण पत्र के माध्यम से[14]) किया जाना था। जन शिकायतों के निवारण के लिए, लो.स्वा.अभि.वि. और न.वि. एवं आ.वि. द्वारा केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाना था और शिकायतें दर्ज करने के लिए एस.एम.एस./टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए जाने थे।

नमूना जांचित 11 लो.स्वा. प्रमंडलों में वर्ष 2017–23 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके निपटान की स्थिति **तालिका 5.2** में दी गई है।

तालिका 5.2: सी.जी.आर.सी. शिकायतों की प्राप्ति एवं निवारण की स्थिति

क्र. सं.	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल	शिकायत (सी. जी.आर.सी.)	निपटाई/निवारण की गई शिकायतें	शेष
1.	सुपौल	1,538	1,515	23
2.	औरंगाबाद	15	15	0
3.	दरभंगा	859	854	5
4.	मधुबनी	697	243	454
5.	झंझारपुर	154	60	94
6.	खगड़िया	1,780	1,553	227
7.	सारण	3,453	3,321	132
8.	गया	1,181	932	249
9.	बेतिया	2,014	1,623	391
10.	भागलपुर पूर्व	106	89	17
11.	कटिहार	1,607	1,553	54
	कुल	**13,404**	**11,758**	**1,646**

(स्रोतः नमूना जांचित 11 लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा दी गई जानकारी)

[14] *लाभार्थी से एक दस्तावेज़ प्राप्त किया जाना था, जिसमें यह कहा गया हो कि शिकायत निवारण संतोषजनक था।*

तालिका–5.2 से स्पष्ट है कि 13,404 शिकायतों में से 1,646 (12 प्रतिशत) शिकायतें निपटान के लिए लंबित थीं। किन्तु, शिकायतों के निपटान की उपर्युक्त स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि नमूना जांचित किसी भी लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा संबंधित शिकायत रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 190 पंप स्टेशनों में से केवल 72 में ही शिकायत रजिस्टर उपलब्ध था।

- जल आपूर्ति सेवा की निगरानी के लिए मोबाइल फोन आधारित ऐप नमूना जांचित किसी भी ग्राम पंचायत में जनता के लिए उपलब्ध नहीं था।
- पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित 209 योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, केवल एक योजना के पंप स्टेशन/योजना स्थल पर शिकायत रजिस्टर पाया गया। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 890 में से 872 लाभार्थी शिकायत दर्ज करने के साधनों से अनभिज्ञ थे।
- पंप स्टेशनों पर रखे जाने वाले शिकायत रजिस्टरों के अतिरिक्त श.स्था.नि. में शिकायतें प्राप्त करने के लिए कोई अन्य तंत्र नहीं था। श.स्था.नि. द्वारा लागू की गई 135 योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, पंप स्टेशन/योजना स्थलों पर केवल नौ योजनाओं में शिकायत रजिस्टर पाए गए। शिकायत रजिस्टरों के अभाव में, प्राप्त शिकायतों की स्थिति और उनके निपटान की जांच लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

निष्कर्ष

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए संस्थागत प्रावधान और दिशा–निर्देश, प्रणालीगत कमियों से प्रभावित थे। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग, राज्य/जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ और क्वालिटी मॉनिटरों को मानवबल की भारी कमी का सामना करना पड़ा, जिससे अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निश्चयसॉफ्ट और नगरसेवा जैसे अनुश्रवण प्लेटफॉर्म या तो वास्तविकता से परे थे या कार्यशील नहीं थे। लाभुक समितियों और जल चौपालों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता न्यूनतम था जबकि तृतीय–पक्ष एवं स्थानीय–दोनों प्रकार की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थाएँ अत्यंत अल्प उपयोग में लाई गई।

वास्तविक समय में योजना के अनुश्रवण के लिए आई.ओ.टी. उपकरणों की अधिष्ठापन एवं अनुरक्षण में गैर–मानकीकृत खरीद प्रक्रियाओं, लागत विसंगतियों और अधिष्ठापन के बाद खराब अनुवर्ती कार्रवाई के कारण कमियाँ पाई गईं। इसके अतिरिक्त, जन शिकायत निवारण प्रणालियाँ कमजोर थीं, अधिकांश लाभुको को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, और शिकायतों के निस्तारण से संबंधित अभिलेख संधारण अपर्याप्त था। इन सभी खामियों ने सामूहिक रूप से हर घर नल का जल योजना के तहत क्रियान्वयन और सेवा प्रदायगी के प्रभावी अनुश्रवण को बाधित किया।

अनुशंसाएं

अनुशंसा 10: राज्य सरकार महत्वपूर्ण रिक्त पदों (राज्य क्वालिटी मॉनिटर, जिला क्वालिटी मॉनिटर, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता) को भरकर संस्थागत एवं क्षेत्र–स्तरीय अनुश्रवण कोषांग को सुदृढ करना सुनिश्चित कर सकती है, साथ ही अनुश्रवण कोषांगों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने तथा विश्वसनीय डाटा रिपोर्टिंग के लिए एम.आई.एस. पोर्टलों को क्रियाशील बनाने का प्रबंध कर सकती है।

अनुशंसा 11: राज्य सरकार सामग्री के अनिवार्य तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण, आई.ओ.टी. उपकरणों की मानकीकृत खरीद एवं अनुरक्षण तथा सतर्कता समिति, लाभुक समितियों और जल चौपाल जैसे समुदाय आधारित अनुश्रवण तंत्र के सक्रियकरण के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है।

अनुशंसा 12: राज्य सरकार सुलभ शिकायत प्रणाली की स्थापना तथा समुचित अभिलेखीकरण और पर्यवेक्षण के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित कर सकती है।

पटना
दिनांक 27 जनवरी 2026

(हाउतिनल्ल स्वानतक)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 02 फरवरी 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1

(संदर्भः कंडिका 1.8)

वार्ड क्रियान्वयण समितियों के द्वारा अभिश्रवों की अप्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	वार्ड सं.	अभिश्रव (₹ में)
1.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	3	19,40,700
2.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	6	19,44,000
3.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	10	13,17,700
4.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	12	19,44,000
5.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	2	17,82,000
6.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	5	17,82,000
7.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	6	18,93,400
8.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	7	17,62,575
9.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	13	20,07,000
10.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	13	3,31,392
11.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	3	5,17,556
12.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	9	15,14,100
13.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	10	14,27,500
14.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	7	14,35,500
15.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	14	14,10,600
16.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	12	14,37,500
17.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	6	9,50,000
18.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	4	6,83,475
19.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	15	13,54,673
20.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	11	14,93,500
21.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	5	9,97,500
22.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	1	14,91,600
23.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	2	13,06,400
24.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	3	13,00,900
25.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	4	19,47,200
26.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	5	16,75,500
27.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	6	14,49,000
28.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	7	14,36,600
29.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	8	20,94,400
30.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	9	21,10,900
31.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	10	13,21,200
32.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	11	21,58,500
33.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	12	18,00,000
34.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	13	21,43,100
35.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	14	13,65,900
	कुल				**5,35,27,871**

परिशिष्ट–1.2

(संदर्भः कंडिका 1.8)

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा मापी पुस्त की अप्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	प्रखंड	पंचायत	वार्ड सं.	एकरारनामा सं.
1	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	9	एस.बी.डी.– 65/2019.20
2	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	10	एस.बी.डी.– 65/2019.20
3	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	11	एस.बी.डी.– 65/2019.20
4	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	12	एस.बी.डी.– 65/2019.20
5	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	13(ए)	एस.बी.डी.– 65/2019.20
6	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	13(बी)	एस.बी.डी.– 65/2019.20
7	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	8 (ए)	एम.बी.डी.– 198/2019.20
8	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	8(बी)	एम.बी.डी.– 198/2019.20
9	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	9	एम.बी.डी.– 198/2019.20
10	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	10(ए)	एम.बी.डी.– 198/2019.20
11	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	10(बी)	एम.बी.डी.– 198/2019.20
12	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	11	एम.बी.डी.– 198/2019.20
13	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	12	एम.बी.डी.– 198/2019.20
14	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	13	एम.बी.डी.– 198/2019.20
15	सुपौल	सुपौल	बासपट्टी	1(ए)	एम.बी.डी.– 612/2019.20
16	सुपौल	सुपौल	बासपट्टी	1(बी)	एम.बी.डी.– 612/2019.20
17	सुपौल	सुपौल	बासपट्टी	1(सी)	एम.बी.डी.– 612/2019.20
18	सुपौल	सुपौल	तेलवा	5(ए)	एम.बी.डी.– 698/2019.20
19	सुपौल	सुपौल	तेलवा	5(बी)	एम.बी.डी.– 698/2019.20
20	सुपौल	सुपौल	तेलवा	5(सी)	एम.बी.डी.– 698/2019.20
21	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(ए)	एम.बी.डी.– 698/2019.20
22	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(बी)	एम.बी.डी.– 698/2019.20
23	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(सी)	एम.बी.डी.– 698/2019.20
24	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(डी)	एम.बी.डी.– 698/2019.20
25	सुपौल	सुपौल	तेलवा	7(ए)	एम.बी.डी.– 697/2019.20
26	सुपौल	सुपौल	तेलवा	7(बी)	एम.बी.डी.– 697/2019.20
27	सुपौल	सुपौल	तेलवा	7(सी)	एम.बी.डी.– 697/2019.20
28	सुपौल	सुपौल	तेलवा	8(ए)	एम.बी.डी.– 697/2019.20
29	सुपौल	सुपौल	तेलवा	8(बी)	एम.बी.डी.– 697/2019.20
30	सुपौल	सुपौल	तेलवा	8(सी)	एम.बी.डी.– 697/2019.20
31	सुपौल	सुपौल	तेलवा	9(ए)	एम.बी.डी.– 696/2019.20
32	सुपौल	सुपौल	तेलवा	9(बी)	एम.बी.डी.– 696/2019.20
33	सुपौल	सुपौल	तेलवा	9(सी)	एम.बी.डी.– 696/2019.20
34	सुपौल	सुपौल	तेलवा	10(ए)	एम.बी.डी.– 696/2019.20
35	सुपौल	सुपौल	तेलवा	10(बी)	एम.बी.डी.– 696/2019.20
36	सुपौल	सुपौल	तेलवा	10(सी)	एम.बी.डी.– 696/2019.20
37	सुपौल	सुपौल	बलवा	9(ए)	एम.बी.डी.– 664/2019.20
38	सुपौल	सुपौल	बलवा	9(बी)	एम.बी.डी.– 664/2019.20
39	सुपौल	सुपौल	बलवा	10	एम.बी.डी.– 664/2019.20
40	सुपौल	सुपौल	बलवा	11 (ए)	एम.बी.डी.– 664/2019.20
41	सुपौल	सुपौल	बलवा	11(बी)	एम.बी.डी.– 664/2019.20
42	सुपौल	सुपौल	बलवा	11(सी)	एम.बी.डी.– 664/2019.20
43	सुपौल	सुपौल	बलवा	11(डी)	एम.बी.डी.– 664/2019.20

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.1.1.1)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थान पर डब्ल्यू.आई.एम.सी. (पं.रा.वि.) के द्वारा गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के आच्छादन की विवरणी

क्र. स.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्रा.प. का नाम	वार्ड का प्रकार	वार्ड सं.	जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन		
						आर्सेनिक	लोहा	फ्लोराइड
1.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	खैरा बिन्द	फ्लोराइड	12			
2.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	नौगढ़	फ्लोराइड	8			
3.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	नौगढ़	फ्लोराइड	14			
4.	औरंगाबाद	देव	बेरहना	फ्लोराइड	11			1.18
5.	औरंगाबाद	देव	खरकानी	फ्लोराइड	5			
6.	औरंगाबाद	देव	खरकानी	फ्लोराइड	7			
7.	औरंगाबाद	देव	बेरहनी	फ्लोराइड	2			
8.	औरंगाबाद	मदनपुर	महुवान	फ्लोराइड	12			
9.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरेन	फ्लोराइड	1			
10.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरेन	फ्लोराइड	5			
11.	औरंगाबाद	मदनपुर	मदनपुर	फ्लोराइड	13			
12.	औरंगाबाद	नवीनगर	राम नगर	फ्लोराइड	6			1.32
13.	औरंगाबाद	नवीनगर	राम नगर	फ्लोराइड	7			
14.	औरंगाबाद	कुटुम्बा	भरौंधा	फ्लोराइड	1			
15.	भागलपुर	इसमाइलपुर	इसमाइलपुर पश्चिमी भित्ता	आर्सेनिक	11			
16.	भागलपुर	कहलगाँव	कोडवर	आर्सेनिक	10			
17.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	6			
18.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	7			
19.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	10			
20.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	11			
21.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्भरपुर	आर्सेनिक	1			
22.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्भरपुर	आर्सेनिक	2			
23.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्भरपुर	आर्सेनिक	3			
24.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्भरपुर	आर्सेनिक	8			
25.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्भरपुर	आर्सेनिक	13			
26.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	1			
27.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	6			
28.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	8			
29.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	14			
30.	भागलपुर	नाथनगर	राघोपुर	आर्सेनिक	4			
31.	भागलपुर	पीरपैंती	रौसनपुर	आर्सेनिक	10			
32.	भागलपुर	पीरपैंती	रौसनपुर	आर्सेनिक	11			
33.	भागलपुर	सबौर	रौसनपुर	आर्सेनिक	7			
34.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	1			
35.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	5			
36.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	6			
37.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	9			
38.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	10			
39.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	11			
40.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	12			
41.	भागलपुर	सबौर	राजन्दिपुर	आर्सेनिक	4			
42.	भागलपुर	सुल्तानगंज	नयागांव	आर्सेनिक	6			
43.	भागलपुर	गोराडीह	मुरहजमीन	फ्लोराइड	9			
44.	भागलपुर	गोराडीह	बिशुनपुरजिछो	फ्लोराइड	12			

क्र. स.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्रा.प. का नाम	वार्ड का प्रकार	वार्ड सं.	जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन		
						आर्सेनिक	लोहा	फ्लोराइड
45.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	1			
46.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	2	0.023		
47.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	3			
48.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	4	0.014		
49.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	5			
50.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	6		5.49	
51.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	7	0.013		
52.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	8	0.026		
53.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	9	0.029	1.07	
54.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	10		1.75	
55.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	11		3.46	
56.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	12		2.28	
57.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	13	0.057		
58.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	14		1.36	
59.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	15	0.029		
60.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	16	0.038		
61.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	17			
62.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	18			
63.	दरभंगा	बेनीपुर	रमौली	आर्सेनिक	4			
64.	दरभंगा	बेनीपुर	मकरमपुर	आर्सेनिक	4			
65.	दरभंगा	बेनीपुर	मकरमपुर	आर्सेनिक	10			
66.	दरभंगा	बिरौल	कमारकला	आर्सेनिक	7			
67.	दरभंगा	बिरौल	मनौराबौराम	आर्सेनिक	4			
68.	दरभंगा	बिरौल	मनौराबौराम	आर्सेनिक	5			
69.	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	आर्सेनिक	2			
70.	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	आर्सेनिक	3			
71.	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	आर्सेनिक	4			
72.	दरभंगा	बेनीपुर	संझौर	आर्सेनिक	1			
73.	दरभंगा	बेनीपुर	रमौली	आर्सेनिक	4			
74.	जमुई	खैरा	भीमेन	फ्लोराइड	2			
75.	जमुई	सोनपुर	डुमरी बुजुर्ग	आर्सेनिक	4			
76.	जमुई	सोनपुर	कल्याणपुर	आर्सेनिक	4			
77.	जमुई	सोनपुर	सहपुर दिआरा	आर्सेनिक	3			

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि. एवं पं.रा.वि. के अभिलेख और पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़े)

परिशिष्ट–2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.1.1)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अथवा पं.रा.वि. द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना

क्र.स.	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	वार्ड सं.
1	गोपालगंज	कुचायेकोट	कुचायेकोट	12
2	गोपालगंज	बैकुंठपुर	दिघवा उत्तरी	13
3	भागलपुर पूर्वी	बिहपुर	लत्तीपुर उत्तरी	13
4	भागलपुर पूर्वी	नौगछिया	पकड़ा	1
5	भागलपुर पूर्वी	पीरपैंती	रानी दियारा	10
6	भागलपुर पूर्वी	पीरपैंती	रानी दियारा	8
7	भागलपुर पूर्वी	पीरपैंती	रानी दियारा	9
8	भागलपुर पश्चिमी	नाथनगर	निसंबेय	3
9	भागलपुर पश्चिमी	नाथनगर	निसंबेय	4
10	भागलपुर पश्चिमी	शाहकुंड	दासपुर	2
11	दरभंगा	हायघाट	पतौर	6
12	दरभंगा	हायघाट	पतौर	11
13	दरभंगा	हायघाट	पतौर	12
14	दरभंगा	मनीगाछी	बल्लोर	1
15	दरभंगा	मनीगाछी	बल्लोर	11
16	दरभंगा	मनीगाछी	राजे	4
17	दरभंगा	मनीगाछी	राजे	5
18	दरभंगा	मनीगाछी	राजे	15
19	दरभंगा	बिरौल	कमरकला	13

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. एवं पं.रा.वि. के अभिलेख और पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़े)

परिशिष्ट–2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.1.1.2)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में फ्लोराइड शोधन सयंत्र के अधिष्ठापन पर परिहार्य व्यय

(राशि ₹ में)

क्र. स.	प्रखंड	पंचायत	वार्ड स.	वार्ड का प्रकार	एकरारनामा का वर्ष	एकरारनामा का वर्ष	फ्लो. शो. स. की लागत
1	गिद्धौर	सेवा	9	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017–18	18,65,760
2	गिद्धौर	सेवा	8	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017–18	18,65,760
3	इस्लामनगर अलीगंज	कोदवारिया	12 ए	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
4	इस्लामनगर अलीगंज	कोदवारिया	12 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
5	झाझा	बराजोर	10	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
6	सिकंदरा	भुल्लो	11 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
7	सिकंदरा	गोखुला फतेपुर	9 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017–18	18,65,760
8	सिकंदरा	गोखुला फतेपुर	9 ए	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
9	सिकंदरा	गोखुला फतेपुर	10	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
10	सिकंदरा सोनो	मथुरापुर	13 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017–18	18,65,760
11	सोनो	बलथर	4 ए	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
12	सोनो	बलथर	4 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
13	सोनो	छुछुनरिया	11	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017–18	18,65,760
14	सोनो	लोहा	2	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
15	सोनो	लोहा	1 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016–17	18,40,000
	कुल						2,77,28,800

(स्रोत: नमुना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल के अभिलेख)

परिशिष्ट–2.4

(संदर्भ: कंडिका–2.2.1.1)

वर्ष 2017–18 से 2022–23 के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में हर घर नल का जल (पं.रा.वि.) योजना की वित्तीय स्थिति

(राशि ₹ में)

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल वार्ड	सात निश्चय के तहत प्राप्त अनुदान	हर घर नल का जल के लिए डब्ल्यू.आई. एम.सी. में स्थानान्तरण	मापी पुस्तिका के अनुसार डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया गया व्यय	अभियुक्ति
छपरा	रिविलगंज	मोहब्बत परसा	14	3,14,77,454	1,85,50,000	उपलब्ध नहीं	सभी 14 वार्डों के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए।
	एकमा	बनपुरा	15	3,01,51,141	2,01,01,913	1,93,15,305	वार्ड नंबर 08 का मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया
गया	इमामगंज	दुभल	14	3,39,02,439	1,92,33,435	1,54,34,420	वार्ड नंबर 5 और 7 के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए
		छकरबंधा	13	3,37,95,889	1,78,04,057	1,37,60,885	वार्ड नंबर 1 और 7 के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए
	फतेहपुर	उत्तरी लोधावे	15	4,34,02,081	2,23,58,146	1,79,19,700	वार्ड नंबर 2, 6 और 9 के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए
		बारा	14	4,98,41,757	2,24,64,044	2,67,95,385	वार्ड नंबर 01 का मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया
बेतिया	लौरिया	धोबनी	15	2,95,52,048	1,84,76,228	1,71,03,068	वार्ड नंबर 03 का मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया
		बेलवा लखनपुर	14	2,94,31,203	1,69,02,478	1,62,64,233	
	गौनाहा	महुई	14	3,32,86,426	2,29,36,736	2,34,91,509	
		बेलसंड	13	3,42,78,657	1,93,10,449	1,92,37,138	
गोपालगंज	फुलवारिया	गिद्धा	14	3,42,89,513	2,77,74,122	2,70,50,392	
		कररिया	13	2,93,06,941	1,67,25,725	1,69,03,460	
	हथुआ	पच्फेरा	13	2,74,11,903	2,32,81,186	2,38,03,419	
		रतनचक	15	3,32,87,298	2,12,27,365	1,91,96,514	
जमुई	सिकन्दरा	पोहे	15	3,37,70,598	1,92,01,150	1,64,14,937	
		सबलबीघा	13	2,79,52,679	1,82,12,900	1,76,18,582	
	गिद्धौर	गंगरा	9	2,14,18,316	1,44,56,100	1,42,55,998	
भागलपुर	शाहकुंड	पैरा डोमिनिया माल	10	1,74,97,523	1,23,75,861	1,19,06,253	
		बेल्थू	13	3,56,66,467	2,39,66,426	2,13,67,103	

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल वार्ड	सात निश्चय के तहत प्राप्त अनुदान	हर घर नल का जल के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. में स्थान्तरण	मापी पुस्तिका के अनुसार डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया गया व्यय	अभियुक्ति
औरंगाबाद	गौराडीह	मोहनपुर	13	3,13,55,274	2,16,60,047	2,05,20,758	
		शालपुर	11	2,48,41,410	1,73,47,800	1,38,40,559	वार्ड नंबर 8 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को नहीं दिया गया।
	ओबरा	अमिलोना	15	3,29,91,652	1,85,16,623	1,09,20,308	वार्ड 1, 2, 5, 8, 9 और 12 (6 वार्ड) का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को नहीं दिया गया।
		महुवान	13	3,29,57,466	1,61,62,000	42,03,354	वार्ड 1, 2, 4ए, 4बी, 5, 7, 10, 11ए, 11बी, 12, 13 (9 वार्ड) की मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गईं।
	वारुण	धनगाई	17	4,23,51,040	2,18,66,619	1,56,74,307	
		पौथु	13	3,18,49,120	1,82,02,400	1,82,23,237	
दरभंगा	केओटी	बरिओल	10	1,91,11,983	1,38,18,500	1,23,41,963	
		नानौरा	14	3,47,46,701	2,30,70,500	1,96,44,017	वार्ड नंबर 14 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गईं।
	अलीनगर	हरसिंगपुर	20	5,05,33,672	3,51,22,600	3,35,95,461	
		हनुमान नगर	15	3,37,82,703	2,70,71,696	2,47,47,617	वार्ड नंबर 8 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गईं।
मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	17	3,48,45,641	2,07,76,000	2,07,10,983	वार्ड नंबर 17 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गईं।
		सुग्गापट्टी	14	3,39,55,586	2,36,01,200	1,75,26,868	वार्ड नंबर 4, 8 और 1 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गईं।
	राजनगर	शिवापट्टी	13	3,21,22,035	2,38,04,600	2,12,65,638	
		चिचारिकानूनगो	15	3,52,52,949	2,57,05,423	2,50,05,742	
	कुल	**33**	**456**	**1,08,04,17,565**	**68,20,84,329**	**59,60,59,113**	

परिशिष्ट–2.5
(संदर्भः कंडिका–2.2.1.2)
नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल में हर घर नल का जल योजना के लिए आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	आवंटन	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अवशेष	प्रत्यर्पण	अंत शेष
औरंगाबाद	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
दरभंगा	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
भागलपुर पूर्व	2017-18	0	64,78,29,000	64,78,29,000	63,17,26,000	1,61,03,000	1,61,03,000	0
भागलपुर पश्चिम	2017-18	0	5,70,20,000	5,70,20,000	4,98,16,000	72,04,000	72,04,000	0
गोपालगंज	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**0**	**70,48,49,000**	**70,48,49,000**	**68,15,42,000**	**2,33,07,000**	**2,33,07,000**	**0**
औरंगाबाद	2018-19	0	0	0	0	0	0	0
दरभंगा	2018-19	0	0	0	0	0	0	0
मधुबनी	2018-19	0	9,18,00,000	9,18,00,000	1,51,14,800	7,66,85,200	0	7,66,85,200
सुपौल	2018-19	0	10,28,00,000	10,28,00,000	1,69,80,529	8,58,19,471	0	8,58,19,471
खगड़िया	2018-19	0	16,79,68,600	16,79,68,600	3,08,65,942	13,71,02,658	13,71,02,658	0
छपरा	2018-19	0	1,75,67,816	1,75,67,816	1,75,67,816	0	0	0
गया	2018-19	0	8,39,31,545	8,39,31,545	5,48,23,038	2,91,08,507	0	2,91,08,507
बेतिया	2018-19	0	18,04,98,040	18,04,98,040	7,42,94,895	10,62,03,145	0	10,62,03,145
भागलपुर पूर्व	2018-19	0	37,77,30,512	37,77,30,512	30,81,26,837	6,96,03,675	6,96,03,675	0
भागलपुर पश्चिम	2018-19	0	14,09,08,000	14,09,08,000	13,94,42,000	14,66,000	14,66,000	0
कटिहार	2018-19	0	0	0	0	0	0	0
गोपालगंज	2018-19	0	5,40,75,000	5,40,75,000	71,60,000	4,69,15,000	4,69,15,000	0
कुल		**0**	**1,21,72,79,513**	**1,21,72,79,513**	**66,43,75,857**	**55,29,03,656**	**25,50,87,333**	**29,78,16,323**
औरंगाबाद	2019-20	0	7,76,98,556	7,76,98,556	6,88,09,425	88,89,131	88,89,131	0
दरभंगा	2019-20	0	20,07,64,646	20,07,64,646	6,68,51,134	13,39,13,512	13,39,13,512	0
मधुबनी	2019-20	7,66,85,200	42,28,00,000	49,94,85,200	31,29,83,821	18,65,01,379	33,92,630	18,31,08,749
सुपौल	2019-20	8,58,19,471	2,70,78,01,000	2,79,36,20,471	1,14,96,91,353	1,64,39,29,118	0	1,64,39,29,118
खगड़िया	2019-20	0	80,39,41,350	80,39,41,350	40,51,54,268	39,87,87,082	0	39,87,87,082
छपरा	2019-20	0	37,53,95,414	37,53,95,414	16,87,60,559	20,66,34,855	0	20,66,34,855

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	आवंटन	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अवशेष	प्रत्यर्पण	अंत शेष
गया	2019-20	2,91,08,507	63,38,85,648	66,29,94,155	32,70,65,869	33,59,28,286	2,56,38,638	31,02,89,648
बेतिया	2019-20	10,62,03,145	32,60,19,807	43,22,22,952	28,07,57,011	15,14,65,941	38,57,136	14,76,08,805
भागलपुर पूर्व	2019-20	0	1,29,76,46,000	1,29,76,46,000	1,26,11,09,000	3,65,37,000	3,65,37,000	0
भागलपुर पश्चिम	2019-20	0	36,75,19,000	36,75,19,000	34,89,34,000	1,85,85,000	1,85,85,000	0
जमुई	2019-20	0	2,26,22,07,619	2,26,22,07,619	76,99,42,145	1,49,22,65,474	12,28,41,857	1,36,94,23,617
कटिहार	2019-20	0	0	0	0	0	0	0
गोपालगंज	2019-20	0	9,44,15,000	9,44,15,000	5,36,84,000	4,07,31,000	4,07,31,000	0
कुल		**29,78,16,323**	**9,57,00,94,040**	**9,86,79,10,363**	**5,21,37,42,585**	**4,65,41,67,778**	**39,43,85,904**	**4,25,97,81,874**
औरंगाबाद	2020-21	0	74,86,35,432	74,86,35,432	72,02,82,087	2,83,53,345	2,83,53,345	0
दरभंगा	2020-21	0	31,52,00,129	31,52,00,129	16,68,05,951	14,83,94,178	7,51,79,664	7,32,14,514
मधुबनी	2020-21	18,31,08,749	47,88,77,000	66,19,85,749	58,97,10,960	7,22,74,789	3,99,24,465	3,23,50,324
सुपौल	2020-21	1,64,39,29,118	4,26,46,77,000	5,90,86,06,118	5,42,11,88,095	48,74,18,023	16,24,60,000	32,49,58,023
खगड़िया	2020-21	39,87,87,082	2,65,54,63,184	3,05,42,50,266	2,72,87,72,787	32,54,77,479	2,50,81,332	30,03,96,147
छपरा	2020-21	20,66,34,855	33,85,35,628	54,51,70,483	51,76,97,686	2,74,72,797	17,61,132	2,57,11,665
गया	2020-21	31,02,89,648	1,24,74,26,566	1,55,77,16,214	1,43,41,57,396	12,35,58,818	9,75,99,344	2,59,59,474
बेतिया	2020-21	14,76,08,805	76,45,43,538	91,21,52,343	87,37,87,423	3,83,64,920	1,22,88,677	2,60,76,243
भागलपुर पूर्व	2020-21	0	51,36,89,000	51,36,89,000	51,30,55,000	6,34,000	6,34,000	0
भागलपुर पश्चिम	2020-21	0	40,30,50,960	40,30,50,960	39,04,75,000	1,25,75,960	1,25,75,960	0
जमुई	2020-21	1,36,94,23,617	1,07,57,63,200	2,44,51,86,817	2,14,57,25,355	29,94,61,462	5,87,16,208	24,07,45,254
कटिहार	2020-21	0	7,44,94,27,844	7,44,94,27,844	6,58,32,57,987	86,61,69,857	86,61,69,857	0
गोपालगंज	2020-21	0	14,25,73,000	14,25,73,000	9,26,83,000	4,98,90,000	4,98,90,000	0
कुल		**4,25,97,81,874**	**20,39,78,62,481**	**24,65,76,44,355**	**22,17,75,98,727**	**2,48,00,45,628**	**1,43,06,33,984**	**1,04,94,11,644**
औरंगाबाद	2021-22	0	30,79,31,172	30,79,31,172	27,46,33,030	3,32,98,142	3,32,98,142	0
दरभंगा	2021-22	7,32,14,514	8,75,22,233	16,07,36,747	7,14,08,431	8,93,28,316	39,00,850	8,54,27,466
मधुबनी	2021-22	3,23,50,324	11,77,27,776	15,00,78,100	14,13,30,395	87,47,705	11,73,030	75,74,675
सुपौल	2021-22	32,49,58,023	1,89,45,13,800	2,21,94,71,823	2,20,85,29,345	1,09,42,478	1,32,62,021	-23,19,543
खगड़िया	2021-22	30,03,96,147	1,70,49,67,577	2,00,53,63,724	1,92,61,65,202	7,91,98,522	5,53,52,439	2,38,46,083
छपरा	2021-22	2,57,11,665	20,08,23,667	22,65,35,332	17,88,49,346	4,76,85,986	2,71,94,693	2,04,91,293
गया	2021-22	2,59,59,474	50,61,11,404	53,20,70,878	46,49,32,772	6,71,38,106	5,74,84,044	96,54,062

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	आवंटन	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अवशेष	प्रत्यर्पण	अंत शेष
शेरघाटी	2021-22	0	7,01,46,705	7,01,46,705	6,90,43,360	11,03,345	7,70,845	3,32,500
बेतिया	2021-22	2,60,76,243	33,86,64,903	36,47,41,146	35,00,39,478	1,47,01,668	11,38,154	1,35,63,514
भागलपुर पूर्व	2021-22	0	30,06,56,000	30,06,56,000	29,87,79,000	18,77,000	18,77,000	0
भागलपुर पश्चिम	2021-22	0	14,72,23,000	14,72,23,000	14,71,30,000	93,000	93,000	0
जमुई	2021-22	24,07,45,254	25,90,12,060	49,97,57,314	44,05,27,402	5,92,29,912	17,46,647	5,74,83,265
कटिहार	2021-22	0	2,23,82,01,847	2,23,82,01,847	2,22,95,87,540	86,14,307	86,14,307	0
गोपालगंज	2021-22	0	6,66,15,000	6,66,15,000	3,56,35,000	3,09,80,000	3,09,80,000	0
कुल		**1,04,94,11,644**	**8,24,01,17,144**	**9,28,95,28,788**	**8,83,65,90,301**	**45,29,38,487**	**23,68,85,172**	**21,60,53,315**
औरंगाबाद	2022-23	0	22,87,41,134	22,87,41,134	20,68,36,101	2,19,05,033	2,19,05,033	0
दरभंगा	2022-23	8,54,27,466	8,49,58,113	17,03,85,579	7,03,45,220	10,00,40,359	80,80,623	9,19,59,736
मधुबनी	2022-23	75,74,672	12,04,08,842	12,79,83,514	11,67,26,406	1,12,57,108	6,72,964	1,05,84,144
सुपौल	2022-23	-23,19,543	1,10,27,54,959	1,10,04,35,416	1,08,43,64,091	1,60,71,325	1,48,53,339	12,17,986
झंझारपुर	2022-23	0	3,42,63,631	3,42,63,631	3,31,19,140	11,44,491	11,43,938	553
खगड़िया	2022-23	2,38,46,083	1,01,11,63,311	1,03,50,09,394	1,02,15,18,116	1,34,91,278	1,34,80,377	10,901
छपरा	2022-23	2,04,91,293	12,52,48,522	14,57,39,815	12,25,33,264	2,32,06,551	39,69,096	1,92,37,455
गया	2022-23	96,54,062	22,93,13,979	23,89,68,041	20,56,92,766	3,32,75,275	2,13,88,669	1,18,86,606
शेरघाटी	2022-23	3,32,500	18,02,68,477	18,06,00,977	17,13,71,543	92,29,434	72,89,494	19,39,940
बेतिया	2022-23	1,35,63,514	27,56,90,735	28,92,54,249	26,30,06,849	2,62,47,400	67,09,092	1,95,38,308
भागलपुर पूर्व	2022-23	0	38,29,77,000	38,29,77,000	37,75,20,000	54,57,000	54,57,000	0
भागलपुर पश्चिम	2022-23	0	15,84,03,000	15,84,03,000	15,49,44,000	34,59,000	34,59,000	0
जमुई	2022-23	5,74,83,265	20,46,74,270	26,21,57,535	19,56,41,401	6,65,16,134	1,17,06,349	5,48,09,785
कटिहार	2022-23	0	99,41,27,755	99,41,27,755	91,38,09,695	8,03,18,060	8,03,18,060	0
गोपालगंज	2022-23	0	4,13,29,000	4,13,29,000	2,98,70,000	1,14,59,000	1,14,59,000	0
कुल		**21,60,53,312**	**5,17,43,22,728**	**5,39,03,76,040**	**4,96,72,98,592**	**42,30,77,448**	**21,18,92,034**	**21,11,85,414**

परिशिष्ट–2.6

(संदर्भः कंडिका–2.2.1.3)

औरंगाबाद जिले में अधूरी / प्राथमिकी दर्ज योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि की मांग नहीं किये जाने से सम्बंधित विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड सं.	राशि	अभियुक्ति
1	औरंगाबाद	औरा	4	2,27,200	विशेष मरम्मत
2	औरंगाबाद	नौगढ़	12	5,25,800	विशेष मरम्मत
3	औरंगाबाद	पारसडीह	10	11,29,600	एफ.आई.आर दर्ज
4	देव	पूर्वी केतकी	5	14,86,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
5	देव	पूर्वी केतकी	10	14,86,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
6	देव	पूर्वी केतकी	11	14,86,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
7	देव	पूर्वी केतकी	12	9,80,725	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
8	देव	पूर्वी केतकी	14	9,80,725	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
9	कुटुम्बा	घेउरा	4	7,35,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
10	कुटुम्बा	जगदीशपुर	6	3,85,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
11	कुटुम्बा	जगदीशपुर	13	4,00,500	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
12	कुटुम्बा	डुमरा	1	9,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
13	कुटुम्बा	डुमरा	2	9,00,500	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
14	कुटुम्बा	कुटुम्बा	1	4,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
15	कुटुम्बा	कुटुम्बा	7	2,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
16	कुटुम्बा	कुटुम्बा	15	8,00,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
17	कुटुम्बा	वर्मा	6	8,20,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
18	कुटुम्बा	वर्मा	9	6,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
19	ओबरा	भरुब	सभी 17 योजनाएँ	60,00,000	विशेष मरम्मत
20	हसपुरा	कोइलवा	12	6,21,800	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
21	हसपुरा	कोइलवा	13	8,85,300	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
22	हसपुरा	अहियापुर	10	11,78,500	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
23	नबीनगर	तौल	सभी 7 योजनाएँ	50,96,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
24	वारुण	पिपरा	8	6,00,000	विशेष मरम्मत
25	वारुण	पिपरा	13	6,50,000	विशेष मरम्मत
26	वारुण	गठौली	2	5,94,700	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
27	वारुण	गठौली	11	12,00,000	विशेष मरम्मत
28	वारुण	गठौली	12	2,27,300	योजना पूरी लेकिन भुगतान बाकी
29	दाउदनगर	संसा	2	4,00,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
30	दाउदनगर	संसा	14	4,00,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
31	दाउदनगर	तरारी	13	4,00,000	विशेष मरम्मत
32	दाउदनगर	सिंदुआर	1	12,09,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
33	दाउदनगर	सिंदुआर	9	6,48,250	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
34	दाउदनगर	सिंदुआर	5	11,94,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
35	दाउदनगर	अराइ	8	13,13,000	अधूरी योजना
36	दाउदनगर	तरार	4	9,60,000	विशेष मरम्मत

क्रम संख्या	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड सं.	राशि	अभियुक्ति
37	दाउदनगर	तरार	5	5,30,000	अधूरी योजना
38	मदनपुर	बनिया	10	7,26,900	अधूरी योजना
39	मदनपुर	घोड़ादिहरी	4	15,08,300	अधूरी योजना
40	मदनपुर	बेरी	1	7,63,450	अधूरी योजना
41	मदनपुर	बेरी	9	8,10,100	अधूरी योजना
42	मदनपुर	एर्किकाला	4 बी	8,26,900	अधूरी योजना
43	मदनपुर	एर्किकाला	5	9,84,200	अधूरी योजना
44	मदनपुर	पिपरौरा	2 बी	3,80,300	अधूरी योजना
45	मदनपुर	पिपरौरा	12	14,64,200	अधूरी योजना
46	मदनपुर	पिपरौरा	13	15,08,300	अधूरी योजना
47	मदनपुर	दक्षिण उमगा	9	5,53,800	अधूरी योजना
48	मदनपुर	वार	2ए	4,26,200	अधूरी योजना
49	मदनपुर	वार	2 बी	11,92,400	अधूरी योजना
50	मदनपुर	वार	4 ए	9,22,400	अधूरी योजना
51	मदनपुर	वार	9ए	9,92,400	अधूरी योजना
52	मदनपुर	वार	9बी	15,64,200	अधूरी योजना
53	मदनपुर	चेईनवादा	2	5,26,900	अधूरी योजना
54	मदनपुर	चेईनवादा	4	5,26,900	अधूरी योजना
55	मदनपुर	चेईनवादा	7ए	10,92,400	अधूरी योजना
56	मदनपुर	चेईनवादा	7 बी	12,26,200	अधूरी योजना
57	मदनपुर	खिरिवान	13	4,68,500	अधूरी योजना
58	मदनपुर	पिर्थू	10ए	5,52,200	अधूरी योजना
59	मदनपुर	पिर्थू	10बी	9,59,500	अधूरी योजना
60	मदनपुर	पिरवान	3 ए	5,22,400	अधूरी योजना
61	मदनपुर	मदनपुर	9बी	6,40,000	अधूरी योजना
62	मदनपुर	महुवान	4ए,4बी	7,90,400	अधूरी योजना
63	मदनपुर	घटरायिन	11ए	15,26,900	अधूरी योजना
64	मदनपुर	घटरायिन	11बी	15,26,900	अधूरी योजना
	कुल		**87**	**6,37,35,150**	

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भ: कंडिका–2.2.1.3)

डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा ग्राम पंचायतों को वापस नहीं की गई राशि की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
1	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	2	17,47,700	13,50,000	13,08,876	41,124
2	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	9	16,45,200	14,50,000	12,71,424	1,78,576
3	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	10	18,32,600	11,50,000	3,72,988	7,77,012
4	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	12	15,04,300	13,55,364	3,04,735	10,50,629
5	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	2	19,94,000	19,94,000	19,24,900	69,100
6	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	7	13,99,500	15,00,000	13,98,156	1,01,844
7	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	9	16,79,300	18,00,000	16,66,779	1,33,221
8	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	11	18,92,000	18,92,000	18,30,578	61,422
9	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	12	19,99,100	19,99,100	16,87,000	3,12,100
10	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	13	17,49,600	17,49,600	17,07,050	42,550
11	गोपालगंज	फुलवरिया	करिया	2	14,99,000	15,00,000	13,61,891	1,38,109
12	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	3	19,46,700	19,46,700	17,38,596	2,08,104
13	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	4	18,02,200	18,02,200	17,87,548	14,652
14	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	6 ए	6,81,500	6,81,500	5,67,242	1,14,258
15	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	6 बी	7,68,000	7,68,000	6,03,438	1,64,562
16	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	7	19,65,200	17,00,000	14,63,448	2,36,552
17	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	2	12,23,100	12,23,100	10,45,555	1,77,545
18	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	3	12,94,200	12,94,200	11,55,260	1,38,940
19	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	5	14,66,000	14,66,000	13,59,300	1,06,700
20	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	6	12,23,100	11,37,400	10,45,555	91,845
21	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	7	15,52,550	15,52,550	14,69,800	82,750
22	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	9	14,66,000	13,26,000	9,89,480	3,36,520
23	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	10	14,66,000	14,66,000	8,69,434	5,96,566

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
24	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	12	12,23,100	12,23,100	9,87,167	2,35,933
25	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	13	13,71,700	13,71,700	10,05,880	3,65,820
26	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	15	16,68,950	17,68,950	14,22,600	3,46,350
27	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	1	14,50,580	13,14,700	9,32,816	3,81,884
28	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	2	13,47,647	13,71,700	13,11,300	60,400
29	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	3	13,09,800	13,09,800	12,16,200	93,600
30	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	4	13,09,800	13,09,800	12,19,900	89,900
31	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	6	12,95,578	12,95,500	12,76,200	19,300
32	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	8	12,32,300	12,20,000	11,34,800	85,200
33	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	12	12,23,100	12,00,000	11,50,200	49,800
34	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	13	12,65,900	12,23,100	12,00,700	22,400
35	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	3	19,62,460	19,50,060	18,92,060	58,000
36	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	5	19,42,400	17,00,000	13,09,431	3,90,569
37	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	6	19,62,460	17,00,000	13,78,503	3,21,497
38	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	9ए	16,15,650	15,50,000	9,00,237	6,49,763
39	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	11	19,11,800	17,00,000	16,18,457	81,543
40	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	11ए	11,53,900	9,50,000	2,67,119	6,82,881
41	भागलपुर	शाहकुंड	पियर डोमिनिया माल	1	14,41,100	14,00,000	13,58,358	41,642
42	भागलपुर	शाहकुंड	पियर डोमिनिया माल	9	12,37,700	11,10,000	5,60,018	5,49,982
43	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	1	19,87,600	19,00,000	16,28,209	2,71,791
44	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	3	23,23,000	23,00,000	18,04,667	4,95,333
45	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	6	19,87,600	19,00,000	17,68,532	1,31,468
46	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	8	19,87,600	19,00,000	17,01,615	1,98,385
47	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	11	19,87,600	19,00,000	18,85,309	14,691
48	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	12	13,63,000	13,58,593	13,48,593	10,000

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
49	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	2	19,53,500	15,25,000	15,06,103	18,897
50	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	3	12,69,000	12,50,000	12,18,361	31,639
51	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	4	19,53,500	19,50,000	19,04,743	45,257
52	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	5	19,53,500	19,00,000	17,79,505	1,20,495
53	औरंगाबाद	ओबरा	अमिलोना	4	9,52,100	9,52,100	9,33,828	18,272
54	औरंगाबाद	ओबरा	अमिलोना	10	14,65,100	14,65,100	14,26,847	38,253
55	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	3	15,38,978	10,000,000	8,97,275	1,02,725
56	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	6	8,29,700	8,51,000	8,15,388	35,612
57	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	8	12,10,243	12,24,000	11,88,591	35,409
58	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	9	15,38,978	14,00,000	13,02,100	97,900
59	दरभंगा	केओटी	बारिओल	1	16,85,900	16,85,000	14,11,201	2,73,799
60	दरभंगा	केओटी	बारिओल	2	15,04,300	15,00,000	14,43,545	56,455
61	दरभंगा	केओटी	बारिओल	3	12,69,000	12,69,000	11,24,718	1,44,282
62	दरभंगा	केओटी	बारिओल	5	16,90,900	16,90,000	14,78,946	2,11,054
63	दरभंगा	केओटी	बारिओल	6	15,04,300	15,00,000	13,15,893	1,84,107
64	दरभंगा	केओटी	बारिओल	7	12,69,000	12,69,000	9,82,824	2,86,176
65	दरभंगा	केओटी	बारिओल	8	15,04,300	15,00,000	12,12,212	2,87,788
66	दरभंगा	केओटी	बारिओल	9	12,69,000	12,69,000	12,32,057	36,943
67	दरभंगा	केओटी	बारिओल	10	12,69,000	12,69,000	12,29,706	39,294
68	दरभंगा	केओटी	ननौरा	1	20,28,000	20,28,000	18,96,975	1,31,025
69	दरभंगा	केओटी	ननौरा	2	18,05,500	18,05,500	17,37,057	68,443
70	दरभंगा	केओटी	ननौरा	3	12,69,000	12,69,000	12,61,970	7,030
71	दरभंगा	केओटी	ननौरा	5	19,20,500	19,20,500	17,41,252	1,79,248
72	दरभंगा	केओटी	ननौरा	6	19,20,500	19,20,500	18,15,243	1,05,257
73	दरभंगा	केओटी	ननौरा	8	20,28,000	20,28,000	17,50,650	2,77,350
74	दरभंगा	केओटी	ननौरा	9	12,69,000	12,69,000	12,01,792	67,208
75	दरभंगा	केओटी	ननौरा	10	20,28,000	20,28,000	11,49,252	8,78,748

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
76	दरभंगा	केओटी	ननौरा	11	18,05,500	18,05,500	15,37,098	2,68,402
77	दरभंगा	केओटी	ननौरा	12	12,69,000	12,69,000	12,59,444	9,556
78	दरभंगा	केओटी	ननौरा	13	19,20,500	19,20,500	17,56,493	1,64,007
79	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	10	12,32,700	12,50,000	12,30,167	19,833
80	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	12	14,16,200	14,50,000	13,75,172	74,828
81	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	14	18,11,800	18,00,000	16,45,430	1,54,570
82	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	16	16,65,300	15,00,000	13,96,461	1,03,539
83	मधुबनी	फुलपरास	सुग्गापट्टी	5	16,75,500	16,75,500	16,63,755	11,745
84	मधुबनी	फुलपरास	सुग्गापट्टी	6	14,49,000	14,49,000	14,37,432	11,568
85	मधुबनी	फुलपरास	सुग्गापट्टी	9	21,10,900	21,10,900	18,59,193	2,51,707
86	मधुबनी	फुलपरास	सुग्गापट्टी	11	21,58,500	21,58,500	19,47,211	2,11,289
87	मधुबनी	फुलपरास	सुग्गापट्टी	13	21,43,100	21,43,100	19,41,235	2,01,865
88	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	1	15,41,358	15,41,358	15,18,539	22,819
89	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	5	16,89,759	16,89,759	15,67,476	1,22,283
90	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	6	6,14,823	6,14,823	4,82,538	1,32,285
91	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	10	13,83,113	13,83,113	13,48,463	34,650
92	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	12	12,25,045	12,25,045	11,64,866	60,179
93	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	1	9,39,389	9,39,389	8,81,966	57,423
94	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	2	9,80,594	9,80,594	8,78,557	1,02,037
95	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	4	10,63,993	10,63,993	10,47,785	16,208
96	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	5	13,46,940	13,46,940	12,85,390	61,550
97	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	6	13,00,451	13,00,451	12,49,353	51,098
98	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	7	18,26,198	18,26,198	17,35,356	90,842
99	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	8	12,49,363	12,49,363	12,43,366	5,997
100	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	धोबनी	9	16,79,596	16,79,596	16,65,264	14,332
101	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	धोबनी	10	11,61,874	11,61,874	11,27,643	34,231
102	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	धोबनी	11	12,56,290	12,56,290	10,87,536	1,68,754

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
103	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	12	7,62,524	7,62,524	5,91,108	1,71,416
104	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	13	8,17,850	8,17,850	6,68,272	1,49,578
105	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	14	10,44,700	10,44,700	7,31,524	3,13,176
106	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	15	13,39,573	13,39,573	12,33,951	1,05,622
107	पश्चिम चंपारण	गौनाहा	बेलसंडी	5	15,80,993	15,80,993	15,65,479	15,514
108	पश्चिम चंपारण	गौनाहा	बेलसंडी	7	17,65,220	17,34,561	16,85,393	49,168
109	गया	फतेहपुर	बारा	5	26,99,700	22,00,000	19,80,171	2,19,829
110	गया	फतेहपुर	बारा	8	27,55,600	27,00,000	26,01,605	98,395
111	गया	फतेहपुर	बारा	10	10,56,000	10,56,000	10,09,988	46,012
112	गया	इमामगंज	छकरबंधा	4	14,56,200	14,56,200	14,49,536	6,664
113	गया	इमामगंज	छकरबंधा	5	13,76,700	13,76,700	13,65,986	10,714
114	गया	इमामगंज	छकरबंधा	11	13,95,214	13,95,214	13,75,550	19,664
115	गया	इमामगंज	छकरबंधा	13	11,10,400	11,10,400	11,02,257	8,143
116	गया	इमामगंज	दुभल	1	11,64,776	11,64,776	10,90,517	74,259
117	गया	इमामगंज	दुभल	9	12,90,600	12,90,600	8,95,292	3,95,308
118	गया	इमामगंज	दुभल	11	14,10,100	14,10,100	13,98,700	11,400
119	सारण	एकमा	बनपुरा	1	10,72,220	13,00,000	8,82,237	4,17,763
120	सारण	एकमा	बनपुरा	4	15,04,300	14,89,726	14,12,438	77,288
	कुल				**18,27,77,430**	**17,77,88,120**	**15,85,39,131**	**1,92,48,989**

परिशिष्ट–2.8

(संदर्भ: कंडिका–2.2.1.4)

ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को कम राशि का हस्तांतरण के अलावा विलम्ब से हस्तातरण को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	प्रखंड / ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	प्राक्कलन राशि (₹ में)	प्रथम किस्त हस्तांतरण की तिथि	प्रथम किस्त हस्तांतरण की राशि (₹ में)	तकनीकि स्वीकृति से राशि हस्तांतरण के विलंब (महीनों में)	राशि हस्तांतरण का प्रतिशत	योजना स्वीकृति के समय ग्रा.पं. के रोकड़ वही में अन्तशेष राशि (₹ में)
1	गौनहा / बेलसंडी	5	20/12/2018	15,80,993	14/06/2019	4,91,500	6	31	43,59,964
2	गौनहा / बेलसंडी	8	25/05/2019	17,57,960	13/01/2020	8,35,000	8	47	27,83,000
3	गौनहा / बेलसंडी	11	12/02/2019	20,13,254	04/09/2019	6,50,000	7	32	22,72,202
4	लौरिया / बेलवा लखनपुर	7	17/09/2018	13,32,762	18/06/2019	4,00,000	9	30	75,22,455
5	लौरिया / बेलवा लखनपुर	8	08/09/2018	13,13,808	18/06-2019	4,00,000	9	30	75,22,455
6	लौरिया / बेलवा लखनपुर	14	28/10/2018	12,29,785	08/06/2019	4,00,000	7	33	75,22,455
7	लौरिया / बेलवा लखनपुर	11	26/12/2017	10,03,160	08/02/2018	6,00,000	1	60	95,05,399
8	केवटी / बरियोल	1	08/02/2019	16,85,900	20/08/2019	8,00,000	6	47	25,46,404
9	केवटी / बरियोल	2	11/01/2019	15,04,300	22/10/2019	4,00,000	9	27	25,46,404
10	केवटी / बरियोल	8	11/01/2019	15,04,300	07/03/2019	8,05,000	2	54	25,46,404
11	केवटी / बरियोल	9	02/04/2017	12,69,000	16/02/2018	6,00,000	11	47	49,50,371
12	केवटी / ननौरा	4	11/01/2018	14,65,100	08/03/2018	6,00,000	2	41	1,08,07,749
13	ओबरा / महुआन	3	20/06/2020	15,38,978	03/08/2020	2,00,000	1	13	39,61,759
14	ओबरा / महुआन	11बी	17/07/2018	12,10,243	30/12/2019	1,00,000	18	8	21,28,219
15	फुलपरास / कालापट्टी	3	22/08/2018	13,02,100	06/12/2018	10,00,000	4	77	1,00,47,681
16	फुलपरास / कालापट्टी	9	22/08/2018	13,57,600	02/11/2018	10,00,000	2	74	1,00,47,681
17	फुलपरास / कालापट्टी	10	22/08/2018	12,32,500	02/11/2018	10,00,000	2	81	1,00,47,681
18	फुलपरास / कालापट्टी	15	22/08/2018	13,86,700	02/11/2018	10,00,000	2	72	1,00,47,681
19	फुलपरास / कालापट्टी	12	23/01/2019	14,16,200	20/12/2019	10,00,000	11	71	59,02,996

क्रम संख्या	प्रखंड/ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	प्राक्कलन राशि (₹ में)	प्रथम किस्त हस्तांतरण की तिथि	प्रथम किस्त हस्तांतरण की राशि (₹ में)	तकनीकि स्वीकृति से राशि हस्तांतरण के विलंब (महीनों में)	राशि हस्तांतरण का प्रतिशत	योजना स्वीकृति के समय ग्रा.पं. के रोकड़ वही में अन्तशेष राशि (₹ में)
20	फुलपरास/कालापट्टी	7	24/05/2019	23,76,900	06/07/2019	10,00,000	1	42	65,41,959
21	गौराडीह/मोहनपुर	12	30/12/2017	13,63,000	05/03/2018	7,10,000	2	52	1,09,64,810
22	गौराडीह/सालपुर	2	06/07/2019	19,53,500	03/09/2019	5,00,000	2	26	32,17,465
23	फुलवरिया/गिद्धा	2	05/09/2019	19,94,000	21/11/2019	2,00,000	3	10	27,74,974
24	फुलवरिया/कररिया	8	25/07/2019	16,58,400	25/10/2019	3,50,000	3	21	30,47,067
25	गिद्धौर/गंगरा	8	28/08/2019	16,10,600	14/11/2019	2,00,000	3	12	27,44,818
26	गिद्धौर/गंगरा	9	28/08/2019	19,80,400	14/11/2019	5,00,000	3	25	27,44,818

परिशिष्ट–2.9

(संदर्भः कंडिका–2.2.1.5)

डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा राशि की अधिक निकासी

[ए] डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्यान्वित योजना में कार्य के वास्तविक मूल्य से अधिक निकासी को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित मूल्य	ग्राम पंचायत द्वारा डब्ल्यू. आई.एम.सी.को हस्तांतरित राशि	डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा निकासी	मापी पुस्त के अनुसार कार्य का मूल्य	अंतिम मापि की तिथि	अंतिम निकासी
1	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	1	19,10,500	18,87,051	18,87,051	13,65,512	17/06/2022	5,21,539
2	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	2	19,10,500	18,44,943	18,93,943	12,98,254	20/06/2022	5,95,689
3	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	3	17,89,600	19,00,000	19,00,000	12,08,449	उपलब्ध नहीं	6,91,551
4	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	4	8,26,800	8,00,000	8,00,000	3,19,121	उपलब्ध नहीं	4,80,879
5	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	5	7,99,200	6,00,000	6,00,000	2,24,647	24/06/2022	3,75,353
6	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	6	17,96,500	16,20,000	16,20,000	14,45,969	15/06/2022	1,74,031
7	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	7	9,27,400	9,00,000	8,97,500	6,97,637	04/11/2019	1,99,863
8	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	13	8,26,800	8,26,800	8,26,800	7,12,475	04/11/2019	1,14,325
9	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	14	7,99,200	8,00,000	7,98,221	6,43,688	05/11/2019	1,54,533
10	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	15	18,65,500	17,00,000	16,41,867	11,09,819	उपलब्ध नहीं	5,32,048
11	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	16	7,99,200	6,90,000	6,90,000	2,97,488	07/07/2022	3,92,512
12	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	17	17,96,500	16,00,000	16,27,173	13,20,582	18/06/2022	3,06,591
				कुल	**1,60,47,700**	**1,51,68,794**	**1,51,82,555**	**1,06,43,641**		**45,38,914**

[बी] डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरित राशि और किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य से अधिक निकासी एवं अपर्याप्त शेष को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित मूल्य	ग्राम पंचायत द्वारा डब्ल्यू. आई.एम.सी. को हस्तांतरित राशि	प्रथम हस्तांतरण	मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य	अंतिम मापी की तिथि	बैंक खाते में उपलब्ध राशि	अतिरिक्त आहरण	पासबुक का अंतः शेष (दिनांक को)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**		**8**	**9**	**10**	**11 (7-8-10)**	**12**
1	औरंगाबाद	वारुण	धनगाई	12	19,64,000	17,95,000	अगस्त 2019	11,63,383	23/06/2022	12,439	6,19,178	30/03/2023
2	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	10	13,17,700	13,17,700	फरवरी 2018	10,93,917	21/09/2019	1,83,646	40,137	31/03/2022
3	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	13	19,44,000	19,44,000	फरवरी 2019	18,53,291	11/12/2019	63,588	27,121	25/12/2021
4	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	19	19,44,000	19,44,000	फरवरी 2019	17,05,052	25/10/2019	1,05,918	1,33,030	30/12/2022
5	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	1	13,09,800	13,09,800	मई 2020	12,56,200	10/12/2020	318	53,282	19/01/2022
6	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	4	13,09,800	13,09,800	जून 2019	12,56,200	09/12/2020	18,980	34,620	16/07/2023
7	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	8	12,23,100	12,00,000	सितंबर 2019	9,87,170	17/03/2020	14,796	1,98,034	16/07/2023
8	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	9	14,66,000	13,26,000	जनवरी 2019	9,89,480	09/12/2020	32,042	3,04,478	03/03/2022
9	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	10	14,66,000	14,66,000	जनवरी 2019	8,69,450	18/11/2021	2,53,890	3,42,660	07/04/2021
10	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	12	12,23,100	12,23,100	जनवरी 2019	9,87,167	09/12/2020	33,027	2,02,906	28/02/2022
11	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	13	13,71,700	13,71,700	जनवरी 2019	10,05,880	10/12/2020	83,877	2,81,943	16/07/2023
12	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	15	16,68,950	16,68,950	जनवरी 2019	15,65,320	10/12/2020	1,553	1,02,077	27/03/2022
				कुल	**1,82,08,150**	**1,78,76,050**		**1,47,32,510**		**8,04,074**	**23,39,466**	

परिशिष्ट–2.10

(संदर्भ: कंडिका–2.2.2.1)

नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों में हर–घर नल का जल योजना में आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतशेष
खगड़िया	2017-18	1,65,14,611	1,22,65,833	50,02,708	2,07,83,901	3,80,52,442	5,45,67,053	-	5,45,67,053
रिविलगंज	2017-18	4,58,51,140	91,07,289	45,83,880		1,36,91,169	5,95,42,309	1,18,36,210	4,77,06,099
टेकारी	2017-18	2,24,38,457	43,31,351	22,45,010	-	65,76,361	2,90,14,818	6,55,149	2,83,59,669
बेतिया	2017-18	5,76,56,740	3,28,32,616	1,33,90,984	-	4,62,23,600	10,38,80,340	-	10,38,80,340
औरंगाबाद	2017-18	4,35,22,754	1,40,52,966	1,12,98,286	-	2,53,51,252	6,88,74,006	-	6,88,74,006
बेनीपुर	2017-18	8,23,98,362	1,26,50,505	1,01,46,237	-	2,27,96,742	10,51,95,104	4,18,131	10,47,76,973
झंझारपुर	2017-18	1,44,83,971	1,51,67,906	18,81,333	-	1,70,49,239	3,15,33,210	-	3,15,33,210
कटिहार	2017-18	11,47,96,855	3,55,70,647	2,50,13,047	-	6,05,83,693	17,53,80,548	-	17,53,80,548
भागलपुर	2017-18	11,91,44,549	5,82,67,597	2,04,23,806	-	7,86,91,402	19,78,35,952	2,12,86,211	17,65,49,741
गोपालगंज	2017-18	3,06,10,267	90,24,900	72,58,230	-	1,62,83,130	4,68,93,397	-	4,68,93,397
झाझा	2017-18	2,50,45,702	45,60,064	45,78,085	-	91,38,149	3,41,83,851	-	3,41,83,851
कुल		**57,24,63,407**	**20,78,31,673**	**10,58,21,605**	**2,07,83,901**	**33,44,37,180**	**90,69,00,587**	**3,41,95,701**	**87,27,04,886**
खगड़िया	2018-19	5,45,67,053	1,27,32,995	58,24,492	-	1,85,57,487	7,31,24,540	79,33,412	6,51,91,128
रिविलगंज	2018-19	4,77,06,099	94,55,562	53,35,497		1,47,91,059	6,24,97,158	1,69,19,500	4,55,77,658
टेकारी	2018-19	2,83,59,669	44,96,538	26,13,607	-	71,10,145	3,54,69,814	1,35,42,913	2,19,26,901
बेतिया	2018-19	10,38,80,340	3,39,33,100	1,55,90,683	-	4,95,23,783	15,34,04,123	8,76,83,208	6,57,20,915
औरंगाबाद	2018-19	6,88,74,006	1,36,80,441	1,31,52,182	-	2,68,32,623	9,57,06,629	-	9,57,06,629
बेनीपुर	2018-19	10,47,76,973	2,49,01,835	-	-	2,49,01,835	12,96,78,808	1,02,48,505	11,94,30,303

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतशेष
झंझारपुर	2018-19	3,15,33,210	75,30,100	62,49,455	-	1,37,79,555	4,53,12,765	1,19,91,751	3,33,21,014
कटिहार	2018-19	17,53,80,548	-	-	-	-	17,53,80,548		17,53,80,548
भागलपुर	2018-19	17,65,49,741	11,47,51,399	2,37,24,387	-	13,84,75,786	31,50,25,527	8,35,79,984	23,14,45,543
गोपालगंज	2018-19	4,68,93,397	1,77,71,400	84,49,582	-	2,62,20,982	7,31,14,379	-	7,31,14,379
झाझा	2018-19	3,41,83,851	44,89,103	53,29,115	5,04,17,335	6,02,35,552	9,44,19,403	34,08,251	9,10,11,152
कुल		**87,27,04,886**	**24,37,42,472**	**8,62,68,999**	**5,04,17,335**	**38,04,28,807**	**1,25,31,33,692**	**23,53,07,524**	**1,01,78,26,168**
खगड़िया	2019-20	6,51,91,128	1,52,30,139	78,42,448	-	2,30,72,587	8,82,63,715	46,52,064	8,36,11,651
रिविलगंज	2019-20	4,55,77,658	1,12,83,861	71,84,036		1,84,67,897	6,40,45,555	35,58,897	6,04,86,658
टेकारी	2019-20	2,19,26,901	53,65,326	35,19,118	-	88,84,444	3,08,11,345	22,17,152	2,85,94,193
बेतिया	2019-20	6,57,20,915	4,07,67,323	2,09,92,237	-	6,17,59,560	12,74,80,475	-	12,74,80,475
औरंगाबाद	2019-20	9,57,06,629	3,01,19,486	1,77,08,891	-	4,78,28,377	14,35,35,006	11,73,36,458	2,61,98,548
बेनीपुर	2019-20	11,94,30,303	2,62,78,453	1,54,11,193	-	4,16,89,646	16,11,19,949	1,90,76,920	14,20,43,029
झंझारपुर	2019-20	3,33,21,014	82,00,351	58,88,471	-	1,40,88,822	4,74,09,836	86,56,295	3,87,53,541
कटिहार	2019-20	17,53,80,548	7,62,29,891	3,92,09,634	-	11,54,39,525	29,08,20,073	19,14,33,757	9,93,86,316
भागलपुर	2019-20	23,14,45,543	12,48,67,977	6,41,12,859	-	18,89,80,836	42,04,26,379	11,25,13,190	30,79,13,189
गोपालगंज	2019-20	7,31,14,379	1,93,41,900	1,13,77,026	-	3,07,18,926	10,38,33,305	54,71,896	9,83,61,409
झाझा	2019-20	9,10,11,152	1,13,18,654	71,75,442	-	1,84,94,096	10,95,05,247	1,40,37,548	9,54,67,699
कुल		**1,01,78,26,168**	**36,90,03,361**	**20,04,21,355**	**-**	**56,94,24,716**	**1,58,72,50,884**	**47,89,54,177**	**1,10,82,96,707**
खगड़िया	2020-21	8,36,11,651	1,42,78,640	-	-	1,42,78,640	9,78,90,291	69,26,901	9,09,63,390
रिविलगंज	2020-21	6,04,86,658	1,06,70,960	-		1,06,70,960	7,11,57,618	57,75,159	6,53,82,459
टेकारी	2020-21	2,85,94,193	52,93,167	-	-	52,93,167	3,38,87,360	70,28,440	2,68,58,920
बेतिया	2020-21	12,74,80,475	3,82,20,172	-	-	3,82,20,172	16,57,00,647	10,43,04,614	6,13,96,033

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतशेष
औरंगाबाद	2020-21	2,61,98,548	1,91,15,086	-	-	1,91,15,086	4,53,13,634	-	4,53,13,634
बेनीपुर	2020-21	14,20,43,029	1,62,38,385	-	-	1,62,38,385	15,82,81,414	7,53,19,321	8,29,62,093
झंझारपुर	2020-21	3,87,53,541	38,86,510	-	-	38,86,510	4,26,40,051	42,91,134	3,83,48,917
कटिहार	2020-21	9,93,86,316	4,78,87,333	-	-	4,78,87,333	14,72,73,649	-	14,72,73,649
भागलपुर	2020-21	30,79,13,189	3,92,18,023	-	-	3,92,18,023	34,71,31,211	2,52,58,520	32,18,72,691
गोपालगंज	2020-21	9,83,61,409	1,22,76,900	-	-	1,22,76,900	11,06,38,309	1,52,07,552	9,54,30,757
झाझा	2020-21	9,54,67,699	46,33,006	-	-	46,33,006	10,01,00,705	2,33,45,242	7,67,55,463
कुल		**1,10,82,96,707**	**21,17,18,181**	**-**	**-**	**21,17,18,181**	**1,32,00,14,889**	**26,74,56,883**	**1,05,25,58,006**
खगड़िया	2021-22	9,09,63,390	0	-	-	-	9,09,63,390	2,17,88,790	6,91,74,600
रिविलगंज	2021-22	6,53,82,459	0	-	-	-	6,53,82,459	41,47,170	6,12,35,289
टेकारी	2021-22	2,68,58,920	0	-	-	-	2,68,58,920	37,13,016	2,31,45,904
बेतिया	2021-22	6,13,96,033	0	-	-	-	6,13,96,033	-	6,13,96,033
औरंगाबाद	2021-22	4,53,13,634	6,42,75,862	-	-	6,42,75,862	10,95,89,496	-	10,95,89,496
बेनीपुर	2021-22	8,29,62,093	2,63,20,059	-	-	2,63,20,059	10,92,82,152	5,29,43,013	5,63,39,139
झंझारपुर	2021-22	3,83,48,917	21,94,440	-	-	21,94,440	4,05,43,357	1,47,27,859	2,58,15,498
कटिहार	2021-22	14,72,73,649	4,07,98,716	-	-	4,07,98,716	18,80,72,365	-	18,80,72,365
भागलपुर	2021-22	32,18,72,691	3,34,15,062	-	-	3,34,15,062	35,52,87,753	2,60,65,322	32,92,22,431
गोपालगंज	2021-22	9,54,30,757	2,07,07,800	-	-	2,07,07,800	11,61,38,557	3,09,88,422	8,51,50,135
झाझा	2021-22	7,67,55,463	1,01,96,302	-	-	1,01,96,302	8,69,51,766	1,73,07,564	6,96,44,202
कुल		**1,05,25,58,006**	**19,79,08,241**	**-**	**-**	**19,79,08,241**	**1,25,04,66,247**	**17,16,81,156**	**1,07,87,85,091**
खगड़िया	2022-23	6,91,74,600	0	-	-	-	6,91,74,600	87,95,619	6,03,78,981
रिविलगंज	2022-23	6,12,35,289	0	-	-	-	6,12,35,289	41,29,660	5,71,05,629

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतशेष
टेकारी	2022-23	2,31,45,904	0	-	-	-	2,31,45,904	25,63,183	2,05,82,721
बेतिया	2022-23	6,13,96,033	0	-	-	-	6,13,96,033	-	6,13,96,033
औरंगाबाद	2022-23	10,95,89,496	0	-	-	-	10,95,89,496	-	10,95,89,496
बेनीपुर	2022-23	5,63,39,139	0	-	-	-	5,63,39,139	2,87,37,566	2,76,01,573
झंझारपुर	2022-23	2,58,15,498	0	-	-	-	2,58,15,498	1,79,42,476	78,73,022
कटिहार	2022-23	18,80,72,365	0	-	-	-	18,80,72,365	-	18,80,72,365
भागलपुर	2022-23	32,92,22,431	0	-	-	-	32,92,22,431	-	32,92,22,431
गोपालगंज	2022-23	8,51,50,135	0	-	-	-	8,51,50,135	35,34,220	8,16,15,915
झाझा	2022-23	6,96,44,202	0	-	-	-	6,96,44,202	26,81,837	6,69,62,365
कुल		**1,07,87,85,091**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1,07,87,85,091**	**6,83,84,561**	**1,01,04,00,530**

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भः कंडिका–3.1)

नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में अधूरे कार्यों की सूची

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
1	औरंगाबाद	एसबीडी - 156/2019-20 (ओबरा पीड़बलुएस)	10	10	931	52.10	05/04/2021	जल श्रोत वार्डों में जलापूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं
2	जमूई	एसबीडी-07/2018-19	34	5	730	2.5	15/10/2020	खैरा प्रखंड के अरुणमाबंक पंचायत के वार्ड संख्या 8 में केवल ट्यूबवेल का कार्य किया गया, जबकि गोपालपुर के वार्ड संख्या 5 एवं 7 गोली के वार्ड संख्या 6 तथा रायपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया।
3	मधुबनी	एफ2-29/2018-19	8	8	604	28.33	27/02/2020	इस पी.डब्ल्यू.एस. का ट्यूबवेल (बोरिंग) एकरारनामा के निष्पादन (मार्च 2019) के पश्चात कार्यरत नहीं था। जैसा कि संवेदक द्वारा वर्णित (मई 2019) किया गया।
4	मधुबनी	एसबीडी - 71/2019-20	6	6	900	19.6	मई 2023	वार्ड संख्या 9 में कोई कार्य नहीं किया गया, वार्ड संख्या 5 एवं 6 में गृह संयोजन तथा स्टेजिंग नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, किसी भी वार्ड में ना संचालन एवं अनुरक्षण ना ही ट्रायल रन किया गया।
5	झंझारपुर	एसबीडी -37/ 2019-20	5	5	1000	88.81	मार्च 2021	वार्ड संख्या 5 में पाइप वितरण कार्य निष्पादित नहीं हुआ तथा संचालन पूर्व परीक्षण भी नहीं किया गया।
6	झंझारपुर	एसबीडी -78/ 2019-20	5	5	975	69.54	नवंबर 2020	वार्ड संख्या 9 में पाइप वितरण प्रणाली तथा गृह संयोजन का कार्य नहीं किया गया और संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण भी नहीं किया गया।
7	झंझारपुर	एसबीडी -99/ 2019-20	4	1	150	10.7	मई 2021	वार्ड संख्या 11 में पानी की टंकी रखने के लिए स्टेजिंग, संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
8	सुपौल	एसबीडी - 678/2019-20	1	1	338	15.58	फ़रवरी 2022	फरवरी 2022 से पानी टंकी के लिए स्टेजिंग एवं गृह संयोजन के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण भी नहीं किया गया।
9	सुपौल	एसबीडी - 679/2019-20	2	2	458	33.93	फ़रवरी 2022	फरवरी 2022 से पानी टंकी के लिए स्टेजिंग एवं गृह

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
								संयोजन के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण भी नहीं किया गया।
	कुल		**75**	**43**	**6086**	**321.09**		
10	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 22/2019-20	6	6	1135	199.72	मार्च 2021	दो वार्डों में जल शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। किसी भी वार्ड में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
11	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 65/2019-20	5	3	975	54.01	जून 2020	संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिसमें सभी पाँच वार्डों के लिए स्टेजिंग एवं क्लोरीनेटर भी सम्मिलित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना अपूर्ण रही।
12	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 66/2019-20	2	1	400	37.65	अक्टूबर 2021	सभी वार्डों के लिए संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना अपूर्ण रही।
13	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 67/2019-20	2	2	400	36.28	नवंबर 2022	सभी वार्डों के लिए संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना अपूर्ण रही।
14	दरभंगा	एसबीडी - 35/2019-20 (कंतौल पी.डब्ल्यू.एस.)	6	6	1410	22.99	मई 2020	संवेदक पूरक अनुबंध में सम्मिलित कार्य को निष्पादित करने में अनिच्छुक था।
15	दरभंगा	एसबीडी - 1/2018-19	6	3	448	0.00	अक्टूबर 2018	तीन वार्डों में कोई कार्य नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण भी नहीं किया गया।
16	गया	एसबीडी -01/ 2017-18	25	25	3500	928.27	अगस्त 2020	सभी 25 वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया तथा 9 वार्डों में फ्लॉराइड रिमूवल प्लांट भी स्थापित नहीं किया गया।
17	गया	एसबीडी -05/ 2019-20	6	6	1700	87.99	फ़रवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
18	गया	एसबीडी -06/ 2019-20	6	6	1525	62.8	फ़रवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
19	गया	एसबीडी -07/ 2019-20	7	7	1250	56.39	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
								एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
20	गया	एसबीडी -08/ 2019-20	7	7	1,300	68.77	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
21	गया	एसबीडी - 268/ 2019-20	4	4	700	26.88	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
22	गया	एसबीडी - 271/ 2019-20	3	3	825	37.85	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
23	गया	एसबीडी - 291/ 2019-20	5	5	800	9.77	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
24	गया	एसबीडी - 292/ 2019-20	5	5	825	47.66	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
25	गया	एसबीडी -70/ 2019-20	7	3	525	0	फ़रवरी 2023	संवेदकों की शिथिलता/अनिच्छा
26	गया	एसबीडी -71/ 2019-20	6	6	1,000	26.2	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर का कार्य निष्पादित नहीं किया गया। वार्ड संख्या 7 एवं 12 में मोटर पंप स्थापित नहीं किया गया तथा केवल 462 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
27	गया	एसबीडी -72/ 2019-20	5	5	800	39.41	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर का कार्य निष्पादित नहीं किया गया। केवल 507 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
28	गया (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी -03/ 2018-19	11	1	100	0	जनवरी 23	संडा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कार्य निष्पादित नहीं किया गया।
29	गया	एसबीडी - 219/ 2019-20	13	1	250	0	अगस्त 2021	वार्ड 5 में बोरिंग असफल

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
30	शेरघाटी	एसबीडी -88/ 2019-20	9	9	1,600	69.45	मई 2023	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तीन वार्डों में मोटर अधिष्ठापित नहीं की गई तथा केवल 146 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
31	शेरघाटी	एसबीडी -87/ 2019-20	6	6	1,150	43.67	मई 2023	किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
32	शेरघाटी (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी -09/ 2017-18	8	5	1,040	28.56	नवंबर 2023	संवेदकों की शिथिलता/ अनिच्छा
33	शेरघाटी	एसबीडी -272/ 2019-20	11	11	2,050	106.99	अगस्त 2023	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
	कुल		**171**	**136**				
	कुल योग			**179**				

परिशिष्ट–3.2

(संदर्भः कंडिका–3.3.1)

नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में विद्यमान पाइप जलापूर्ति योजना के अंतर्गत प्राक्कलनों के संशोधन से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम/ एकरारनामा संख्या/वर्ष (पाइप जलापूर्ति योजना का नाम/ एकरारित राशि (₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि	आच्छादित किए जाने वाले वार्ड (संख्या में)	प्राथमिक एकरारनामा में लिए गए मद	पूरक एकरारनामा में लिए गए अतिरिक्त मद (एकरारित राशि ₹ लाख में/एकरारनामा अवधि)	विचलन का कारण	उपलब्ध कराये जाने वाली गृह संयोजन की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह संयोजन की संख्या	प्राथमिक एवं पूरक एकरारनामा के मदों को पूर्ण होने में विलंब
1	औरंगाबाद/ एस.बी.डी.–156/ 2019–20 (ओबरा पाइप जलापूर्ति योजना / ₹ 64.23/ जून 2020	10	पाइपलाईन –2,050 मी. गृह संयोजन –550	पाइपलाईन –11,597 मी. गृह जल संयोजन –1,045 नलकूप–2 पम्प–2 (₹ 174.73)/ अप्रैल 2021	विभाग द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया। प्रथम संशोधन (नवंबर 2020) में भी विद्यमान नलकूप की क्षमता का आकलन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, द्वितीय विचलन में 2 नलकूप एवं 2 पंप अपूर्ण रहे।	1,595	931	अपूर्ण
2	दरभंगा/ एस.बी.डी.–35 2019–20 (कमतौल पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹ 80.91/ मई 2020	6	पाइपलाईन –3,815 मी. गृह संयोजन –1,300	पाइपलाईन –6,885 मी. गृह जल संयोजन –110 नलकूप–1 पम्प–1 (₹ 159.27)/ जनवरी 2022	विभाग द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया। पूर्व में स्वीकृत पाइपलाईन सभी वार्डों को पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, पुराने नलकूप ने अपनी अभिकल्पित आयु पूर्ण कर ली थी।	1,410	251	अपूर्ण
3	मधुबनी/ एफ$_2$–29/ 2018–19 (मधवापुर पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹ 62.37/ मार्च 2019	8	पाइपलाईन –4,235 मी. गृह संयोजन –931	नलकूप–1	इस कार्य का प्राक्कलन नवंबर 2018 में तैयार किया गया तथा मार्च 2019 में पाइपलाईन विस्तार एवं गृह संयोजन के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया। प्राक्कलन एवं अनुबंध में नलकूप की व्यवस्था नहीं की गई थी। तथापि, संवेदक ने मई 2019 में प्रमंडल को बताया कि नलकूप कार्यरत नहीं था। कार्यपालक अभियंता ने अक्टूबर 2023 में बताया कि नलकूप हेतु निविदा आमंत्रित की गई।	931	604	अपूर्ण
कुल	**एकरारित राशिः ₹207.51 लाख एकरारनामा की अवधि – मार्च 2019 से जून 2020**	**24**	**गृह संयोजन –2,781 पाइपलाईन –10,100 मी.**	**गृह जल संयोजन–1,155 पाइपलाईन –18,482 मी. अनुपूरक एकरारनामा की राशि ₹334 लाख अनुपूरक एकरारनामा अवधि अप्रैल 2021 एवं जनवरी 2022 गृह जल संयोजन–1,145**		**3,936**	**1,786**	
4	औरंगाबाद/ एफ$_2$–03/2019–20 (कर्मा भगवान)/ ₹36.21/ जुलाई 2019	6	पाइपलाईन –500 मी. गृह संयोजन –46 1 वार्ड	5 वार्ड्स नलकूप–4 मोटर पम्प–4 पाइपलाईन –1,580 मी. गृह जल संयोजन –1,375 (₹128.88)/ जुलाई 2021	प्रारंभिक प्राक्कलन केवल एक वार्ड के लिए तैयार किया गया। पाँच वार्ड सम्मिलित किए गए, वार्डों के बीच दूरी के कारण पाइपलाईन बढ़ाई गई। विभाग द्वारा बताए अनुसार प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया।	1,421	620	11

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम/ एकरारनामा संख्या/वर्ष (पाइप जलापूर्ति योजना का नाम/ एकरारित राशि (₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि	आच्छादित किए जाने वाले वार्ड (संख्या में)	प्राथमिक एकरारनामा में लिए गए मद	पूरक एकरारनामा में लिए गए अतिरिक्त मद (एकरारित राशि ₹ लाख में/एकरारनामा अवधि)	विचलन का कारण	उपलब्ध कराये जाने वाली गृह संयोजन की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह संयोजन की संख्या	प्राथमिक एवं पूरक एकरारनामा के मदों को पूर्ण होने में विलंब
5	छपरा/एस.बी.डी. –99/ 2019–20 (विष्णुपुर)/ ₹52.74/ अक्टूबर 2019	8	पाइपलाईन –2,150 मी. गृह जल संयोजन –505	पाइपलाईन –3,600 मी. गृह संयोजन–199 (₹63.28)/ अक्टूबर 2020	विभाग द्वारा बताया गया की प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया।	704	600	5
6	छपरा/एस.बी.डी. –51/ 2019–20 (तरैया पाइप जलापूर्ति योजना)/₹66.32/ अगस्त 2019	7	पाइपलाईन –3,175 मी. गृह जल संयोजन –550	पाइपलाईन –1,890 मी. गृह संयोजन–200 (₹ 79.52)/ सितम्बर 2020	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	750	550	3
7	छपरा/एस.बी.डी. –95/ 2019–20 (नगरा पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹139.63/ अक्टूबर 2019	5	पाइपलाईन –5,161 मी. गृह जल संयोजन –678	पाइपलाईन –2,100 मी. गृह संयोजन–300 (₹ 167.24)/ जुलाई 2020	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	978	978	7
8	दरभंगा/एफ$_2$–09/ 2019–20 (जाले दक्षिणी पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹117.52/ सितम्बर 2019	7	पाइपलाईन –10,102 मी. गृह जल संयोजन –1,305	नलकूप–1 पम्प (25 एचपी)–1 (₹140.60 लाख)/ जुलाई 2021	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	1,305	661	19
9	दरभंगा/एस.बी.डी. –02/ 2020–21 (अलीनगर पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹186.75/ मई 2020	18	पाइपलाईन –8,061 मी. गृह जल संयोजन –2,425 पम्प–1	पाइपलाईन –9,724 मी. पम्प–1 (₹ 245.46)/ जनवरी 2020	कुछ वार्ड पूर्व के प्रावधान में पृथक रह गए थे, अतः वार्डों के पूर्ण आच्छादित करने हेतु अतिरिक्त पाइपलाईन की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त, सौर आधारित प्रणाली से जलापूर्ति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए संशोधित अनुमान में अतिरिक्त मोटर पंप की व्यवस्था भी की गई।	2,425	1,367	22
10	झंझारपुर/ एफ$_2$–14/ 2019–20 (अंधराथाड़ी)/ ₹70.26/ नवंबर 2019	6	पाइपलाईन –3,740 मी. गृह जल संयोजन –892	पाइपलाईन –3,364 मी. गृह संयोजन–95 (₹83.95)/ जून 2021	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	987	987	14
11	झंझारपुर/एफ$_2$–22 / 2018–19 (फुलपरास पाइप जलापूर्ति योजना/ ₹54.64/ जनवरी 2019	2	पाइपलाईन –2,300 मी. गृह जल संयोजन –635	पाइपलाईन –1,410 मी. गृह संयोजन–50 (₹ 64.51/ जून 2021	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	685	692	23
12	मधुबनी/ एफ$_2$–18/ 2018–19 (सरिसवपाही)/₹54. 66/ दिसम्बर 2018	8	पाइपलाईन –2,355 मी. गृह जल संयोजन –980	पाइपलाईन –9,800 मी. गृह संयोजन–550 नलकूप–1 (₹158.33)/ जुलाई 2020	पूर्व प्राक्कलन में केवल 2,355 मीटर पाइपलाईन एवं 980 गृह संयोजन की व्यवस्था की गई थी, किन्तु सभी वार्डों के आच्छादन हेतु संशोधित प्राकलन में 9,800 मीटर अतिरिक्त पाइप एवं 550 गृह संयोजन की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, पुराने मोटर की अभिकल्पित आयु पूर्ण हो जाने के कारण संशोधित अनुमान में नए मोटर की व्यवस्था भी की गई।	1,530	780	17

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम/ एकरारनामा संख्या/वर्ष (पाइप जलापूर्ति योजना का नाम/ एकरारित राशि (₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि	आच्छादित किए जाने वाले वार्ड (संख्या में)	प्राथमिक एकरारनामा में लिए गए मद	पूरक एकरारनामा में लिए गए अतिरिक्त मद (एकरारित राशि ₹ लाख में/एकरारनामा अवधि)	विचलन का कारण	उपलब्ध कराये जाने वाली गृह संयोजन की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह संयोजन की संख्या	प्राथमिक एवं पूरक एकरारनामा के मदों को पूर्ण होने में विलंब
13	मधुबनी/एफ$_2$–02/ 2019–20 (बलिया बेलाम)/ ₹57.41)/ जुलाई 2019	11	पाइपलाईन –1,980 मी. गृह जल संयोजन –955	पाइपलाईन –4,385 मी. (₹67.34)/ सितम्बर 2020	प्रारंभिक प्राकलन में केवल 1,980 मीटर पाइपलाईन का प्रावधान किया गया था। वार्ड संख्या 3, 5 एवं 6 पूर्णतः आच्छादित नहीं हुए तथा अन्य वार्ड जैसे 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 आंशिक रूप से आच्छादित हुए।	955	734	11
14	मधुबनी/ एस.बी. डी.–84/ 2019–20 (बसैठ पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹69.26/ अक्टूबर 2019	6	पाइपलाईन –3,560 मी. गृह जल संयोजन –900	पाइपलाईन –4,120 मी. गृह संयोजन–750 (₹ 116.74 लाख)/ जनवरी 2022	छः वार्डों को पूर्ण रूपेण आच्छादित करने के लिए 6,778 मीटर पाइप एवं 750 संख्या में गृह संयोजन की आवश्यकता थी।	1,650	1,650	17
15	मधुबनी/ एफ$_2$–25/ 2018–19 (पंडौल पश्चिमी)/ ₹62.21/ फरवरी 2019	7	पाइपलाईन –4,212 मी. गृह जल संयोजन –407	पाइपलाईन –3,300 मी. गृह संयोजन–410 (₹74.62)/ नवंबर 2020	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	817	812	18
16	मधुबनी/ एफ$_2$–19/ 2019–20 (मलमल दक्षिणी)/ ₹70.29/ जनवरी 2020	9	पाइपलाईन –2,340 मी. गृह जल संयोजन –1,055	पाइपलाईन –7,599 मी. गृह संयोजन–555 नलकूप–1 पम्प–1 (₹110.42)/ जुलाई 2022	प्रारंभिक प्राक्कलन नौ वार्डों के लिए तैयार किया गया, किन्तु वार्ड संख्या 1 एवं 8 के बीच दूरी अधिक होने के कारण पृथक वार्डवार योजना ली जानी थी। प्रारंभ में केवल 1,890 मीटर पाइप की व्यवस्था की गई थी, जबकि सभी वार्डों के आच्छादन हेतु 10,917 मीटर अतिरिक्त पाइप की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त, पूर्व नलकूप के विफल हो जाने के कारण संशोधित अनुमान में नए नलकूप की व्यवस्था की गई। विभाग द्वारा बताए अनुसार प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया।	1,610	761	23
कुल	**एकरारित राशिः ₹1,037.90 लाख अवधि– दिसम्बर 2018 से मई 2020**	**100**	**पाइपलाईन –49,636 मी. गृह जल संयोजन –11,333**	**पाइपलाईन –52,872 मी. गृह संयोजन –4,484 एकरारित राशि ₹1,491. 89 लाख अवधि – सितम्बर 2020 से जनवरी 2022**		**15,817**	**11,192**	
कुल योग	**एकरारित राशि ₹1,245.41 लाख**	**124**	**पाइपलाईन –59,736 मी. गृह जल संयोजन –14,114**	**पाइपलाईन –71,354 मी. गृह संयोजन –5,639 नलकूप–11 एकरारित राशि ₹ 1,825.89 लाख**		**19,753**	**12,978**	

परिशिष्ट–3.3

(संदर्भ: कंडिका–3.3.2.1)

नमूना जांचित प्रमंडलों में नमूना जांचित एकरारनामों के अनुसार संवेदक द्वारा छोड़े गए कार्य के कारण अपूर्ण वार्डों का विवरण

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/ वर्ष	आच्छादित करने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	मापी की अंतिम तिथि	अपूर्ण रहने का कारण
1.	भागलपुर पूर्वी (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी. 22/2019–20	6	6	1,135	199.72	मार्च 2021	दो वार्डों में जल शोधन यंत्र स्थापित नहीं किया गया। किसी भी वार्ड में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
2.	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी. 65/2019–20	5	3	975	54.01	जनवरी 2020	पाँचों वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिसमें स्टेजिंग और क्लोरीनेटर भी शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना अधूरी रही।
3.	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी. 66/2019–20	2	1	400	37.65	अकतूबर 2021	सभी वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना अधूरी रही।
4.	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी. 67/2019–20	2	2	400	36.28	नवंबर 2022	सभी वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना अधूरी रही।
कुल	**4**		**15**	**12**	**2,910**	**327.66**		
5.	दरभंगा	एसबीडी. 01/2018–19	6	3	448	0.00	अकतूबर 2018	तीन वार्डों में कोई कार्य नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण नहीं किया गया।
कुल	**1**		**6**	**3**	**448**	**0.00**		
6.	गया (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी.01/ 2017–18	25	25	3,500	928.27	अगस्त 2020	सभी 25 वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया तथा 9 वार्डों में फ्लॉराइड निष्कासन यंत्र भी स्थापित नहीं किया गया।
7.	गया	एसबीडी. 05/2019–20	6	6	1,700	87.99	फरवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
8.	गया	एसबीडी.06/ 2019–20	6	6	1,525	62.8	फरवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
9.	गया	एसबीडी.07/ 2019–20	7	7	1,250	56.39	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
10.	गया	एसबीडी.08/ 2019–20	7	7	1,300	68.77	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/ वर्ष	आच्छादित करने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	मापी की अंतिम तिथि	अपूर्ण रहने का कारण
11.	गया	एसबीडी. 268/2019–20	4	4	700	26.88	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
12.	गया	एसबीडी. 271/2019–20	3	3	825	37.85	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
13.	गया	एसबीडी. 291/2019–20	5	5	800	9.77	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
14.	गया	एसबीडी. 292/2019–20	5	5	825	47.66	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
15.	गया	एसबीडी. 70/2019–20	7	3	525	0	फरवरी 2023	संवेदक का शिथिलता/अनिच्छा
16.	गया	एसबीडी. 71/2019–20	6	6	1,000	26.2	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर कार्य निष्पादित नहीं किया गया। दो वार्डों (7, 12) में मोटर पंप स्थापित नहीं किया गया तथा केवल 462 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
17.	गया	एसबीडी. 72/2019–20	5	5	800	39.41	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर कार्य निष्पादित नहीं किया गया। केवल 507 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
18.	गया (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी. 03/2018–19	11	1	100	0	जनवरी 2023	सांडा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कोई कार्य नहीं किया गया।
19.	गया	एसबीडी. 219/2019–20	13	1	250	0	अगस्त 2021	वार्ड संख्या 5 में बोरिंग असफल
कुल	**14**		**110**	**84**	**15,100**	**1,391.99**		
20.	झंझारपुर	एसबीडी.37/ 2019–20	5	5	1,000	88.81	मार्च 2021	वार्ड संख्या 5 मे पाइप वितरण प्रणाली का काम नहीं किया गया और संचालन पूर्व परीक्षण नहीं किया गया
21.	झंझारपुर	एसबीडी.78/ 2019–20	5	5	975	69.54	नवंबर 2020	वार्ड संख्या 9 मे पाइप वितरण प्रणाली और गृह संयोजन का काम नहीं किया गया और संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया
22.	झंझारपुर	एसबीडी. 99/2019–20	4	1	150	10.70	मई 2021	वार्ड संख्या 11 मे पानी टंकी के लिए स्टेजिनग और संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया
कुल	**3**		**14**	**11**	**2,125**	**169.05**		

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/ वर्ष	आच्छादित करने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	मापी की अंतिम तिथि	अपूर्ण रहने का कारण
23.	मधुबनी	एसबीडी-71/2019–20	6	6	900	19.60	मई 2023	वार्ड संख्या 9 में कोई कार्य नहीं किया गया, वार्ड संख्या 5 और 6 में गृह संयोजन और स्टैजिंग नहीं किया गया। इसके अलावे, संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
कुल	**1**		**6**	**6**	**900**	**19.60**		
24.	शेरघाटी	एसबीडी-88/2019–20	9	9	1,600	69.45	मई 2023	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तीन वार्डों में मोटर स्थापित नहीं की गई तथा केवल 146 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
25.	शेरघाटी	एसबीडी-87/2019–20	6	6	1,150	43.67	मई 2023	किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
26.	शेरघाटी (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी-09/2017–18	8	5	1,040	28.56	मई 2023	संवेदक की शिथिलता/अनिच्छा
27.	शेरघाटी	एसबीडी-272/2019–20	11	11	2,050	106.99	अगस्त 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
कुल	**4**		**34**	**31**	**5,840**	**248.67**		
28.	सुपौल (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी-678/2019–20	1	1	338	15,58	फरवरी 2022	फरवरी 2022 से स्टैजिंग, गृह संयोजन का भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
29.	सुपौल (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी-679/2019–20	2	2	458	33.93	फरवरी 2022	फरवरी 2022 से स्टैजिंग, गृह संयोजन का भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
कुल	**2**		**3**	**3**	**796**	**49.51**		
30.	जमुई	एसबीडी-07/2018–19	34	5	730	2.50	15/10/2020	अरुणमाबैंक पंचायत, खैरा प्रखंड के वार्ड संख्या 8 में केवल नलकूप का कार्य किया गया, जबकि गोपालपुर के वार्ड संख्या 5 एवं 7, गोली के वार्ड संख्या 6 तथा रायपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया।
कुल	**1**		**34**	**5**	**730**	**2.50**		
कुल योग			**222**	**155**	**28,849**	**2,208.09**		

परिशिष्ट–3.4
(संदर्भः कंडिका–3.3.2.1)

कठिन भू–भाग के पाँच वार्डों में अपूर्ण योजनाओं पर व्यय का विवरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड / पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	परिवारों की संख्या	वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	संवेदक को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्य की स्थिति
1	फतेहपुर / उत्तरी लोढ़ावे	1	270	16.00	16.00	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
		2	270	17.87	17.87	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
		6	270	18.13	17.35	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
		10	270	15.99	16.00	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
2	फतेहपुर / बारा	7	290	17.10	12.00	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
	योग		**1,370**	**85.09**	**79.22**	

(स्रोतः जिला पंचायती राज कार्यालय द्वारा योजना अभिलेख)

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भ: कंडिका–3.3.2.1)

कठिन भू–भाग के सोलह वार्डों में अपूर्ण योजनाओं पर व्यय का विवरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड / पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	परिवारों की संख्या	वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	संवेदक को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्य की स्थिति
1	फतेहपुर / बारा	1	270	15.99	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
2	फतेहपुर / बारा	2	270	21.42	16.60	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
3	फतेहपुर / बारा	6	270	16.24	12.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
4	फतेहपुर / बारा	9	270	16.00	13.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
5	फतेहपुर / बारा	11	270	17.06	14.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
6	फतेहपुर / बारा	13	300	16.00	14.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
7	मोहरा / उत्तरी कजूर	6	उ. नहीं	3.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
8	मोहरा / उत्तरी कजूर	8	उ. नहीं	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
9	मोहरा / उत्तरी कजूर	9	उ. नहीं	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
10	मोहरा / जेठीयन	1	302	0.00	6.00	आंशिक पाइप लाइन और गृह संयोजन लेकिन स्टैजिंग नहीं किया गया
11	मोहरा / जेठीयन	3	295	0.00	13.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
12	मोहरा / जेठीयन	4	310	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
13	मोहरा / जेठीयन	7	295	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
14	मोहरा / जेठीयन	8	295	0.00	17.00	आंशिक पाइप लाइन और बोरिंग किया गया
15	मोहरा / जेठीयन	9	300	0.00	10.00	आंशिक पाइप लाइन और बोरिंग किया गया
16	मोहरा / जेठीयन	10	295	0.00	10.00	आंशिक पाइप लाइन और बोरिंग किया गया
	योग		**3,742**	**105.71**	**125.60**	

(स्रोत: जिला पंचायती राज कार्यालय के योजना अभिलेख)

परिशिष्ट–3.6
(संदर्भः कंडिका–3.3.2.2)
पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित अपूर्ण हर घर नल का जल योजना का विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
1.	औरंगाबाद	बारुण	पौथू	12	ग्राम पंचायत द्वारा ₹1 लाख वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को निर्गत किया गया जिसे बाद में ग्राम पंचायत को वापस कर दिया गया
2.	औरंगाबाद	मदनपुर	बनिया	10	निधि के अभाव में अपूर्ण
3.	औरंगाबाद	मदनपुर	घोराडीहरी	4	निधि के अभाव में अपूर्ण
4.	औरंगाबाद	मदनपुर	बेरी	1	निधि के अभाव में अपूर्ण
5.	औरंगाबाद	मदनपुर	बेरी	9	निधि के अभाव में अपूर्ण
6.	औरंगाबाद	मदनपुर	एकरी कला	4 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
7.	औरंगाबाद	मदनपुर	एकरी कला	5	निधि के अभाव में अपूर्ण
8.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिपराऊरा	2 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
9.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिपराऊरा	12	निधि के अभाव में अपूर्ण
10.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिपराऊरा	13	निधि के अभाव में अपूर्ण
11.	औरंगाबाद	मदनपुर	दक्षिण उमगा	9	निधि के अभाव में अपूर्ण
12.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	2 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
13.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	2 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
14.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	4 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
15.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	9 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
16.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	9 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
17.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	2	निधि के अभाव में अपूर्ण
18.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	4	निधि के अभाव में अपूर्ण
19.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	7 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
20.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	7 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
21.	औरंगाबाद	मदनपुर	खिरियावा	13	निधि के अभाव में अपूर्ण
22.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिरथु	10 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
23.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिरथु	10 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
24.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिरवा	3 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
25.	औरंगाबाद	मदनपुर	मदनपुर	9 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
26.	औरंगाबाद	मदनपुर	महुआवा	4	निधि के अभाव में अपूर्ण
27.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरैन	11 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
28.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरैन	11 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
29.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पोईवा	1	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
30.	औरंगाबाद	बारुण	धमनी	8	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
31.	औरंगाबाद	देव	खरकनी	5	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
32.	औरंगाबाद	रफीगंज	भादवा	14	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
33.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	1	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
34.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	5	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
35.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	6	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
36.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	8	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
37.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	9	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
38.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	11	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
39.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	12	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
40.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	14	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
41.	औरंगाबाद	रफीगंज	एटारह	1	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
42.	औरंगाबाद	रफीगंज	एटारह	05 (ख)	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
43.	औरंगाबाद	रफीगंज	एटारह	11	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
44.	औरंगाबाद	दाउदनगर	संसा	14	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
45.	औरंगाबाद	हसपुरा	कोइलवान	12	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
46.	औरंगाबाद	हसपुरा	कोइलवान	13	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
47.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	5	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
48.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	10	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
49.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	11	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
50.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	12	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
51.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	14	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
52.	औरंगाबाद	हसपुरा	अभियापुर	10	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
53.	औरंगाबाद	कुटुंबा	धेओरा	4	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
54.	औरंगाबाद	कुटुंबा	डुमरा	1	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
55.	औरंगाबाद	कुटुंबा	डुमरा	2	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
56.	औरंगाबाद	कुटुंबा	कुटुंबा	1	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
57.	औरंगाबाद	कुटुंबा	कुटुंबा	12	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
58.	औरंगाबाद	कुटुंबा	कुटुंबा	15	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
59.	औरंगाबाद	कुटुंबा	जगदीशपुर	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
60.	औरंगाबाद	कुटुंबा	जगदीशपुर	13	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
61.	औरंगाबाद	कुटुंबा	वर्मा	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
	योग औरंगाबाद			**61**	
62.	दरभंगा	केओटी	चाचा पछाडि	4	ग्राम पंचायत द्वारा निधि का हस्तांतरण नहीं किया गया
63.	दरभंगा	केओटी	चाचा पछाडि	6	ग्राम पंचायत द्वारा निधि का हस्तांतरण नहीं किया गया
64.	दरभंगा	केओटी	चाचा पछाडि	10	ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत ₹18.60 लाख की राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अव्ययित
65.	दरभंगा	जाले	करवा तरियान	13	निधि के अभाव में अपूर्ण
66.	दरभंगा	बहेरी	धानौली	7	बोरिंग समस्या
67.	दरभंगा	बहेरी	धानौली	12	बोरिंग समस्या
68.	दरभंगा	बहेरी	निमेथी	4	पुराने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा असहयोग
69.	दरभंगा	बहेरी	बढ़ाऊनी	1	कोई कारण वर्णित नहीं
70.	दरभंगा	बेनीपुर	गणेश बनौली बलनी	3	भौतिक रुप से शुरु नहीं
71.	दरभंगा	बेनीपुर	गणेश बनौली बलनी	11	भौतिक रुप से शुरु नहीं
72.	दरभंगा	दरभंगा सदर	अदलपुर	2	भूमि विवाद
73.	दरभंगा	दरभंगा सदर	धोई	13	भूमि विवाद
74.	दरभंगा	दरभंगा सदर	बासदेओपुर	10	उक्त योजना का क्रियान्वित करने का प्रयास शूरू कर दिया गया है।
75.	दरभंगा	दरभंगा सदर	सहबार्जपुर	9	उक्त योजना का क्रियान्वित करने का प्रयास शूरु कर दिया गया है।

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
76.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	3	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
77.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	4	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
78.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	5	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
79.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
80.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	7	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
81.	दरभंगा	दरभंगा सदर	कांशी	1	जलापूर्ति शुरु नहीं किया गया है और संस्था को राशि निकालने के बावजूद कार्य नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
82.	दरभंगा	दरभंगा सदर	कांशी	6	जलापूर्ति शुरु नहीं किया गया है और संस्था को राशि निकालने के बावजूद कार्य नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
83.	दरभंगा	दरभंगा सदर	कांशी	15	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
84.	दरभंगा	दरभंगा सदर	माधोपुर बसतबारा	12	योजना शुरु से ही बंद है क्योंकि संस्था द्वारा कार्य नहीं किया गया था।
85.	दरभंगा	केओटी	छतवन	6	भूमि विवाद
86.	दरभंगा	केओटी	पिंडाराउच	12	स्टेजिंग और पाइपलाइन अपूर्ण
87.	दरभंगा	बेनीपुर	साझाऊर	9	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
88.	दरभंगा	बेनीपुर	साझाऊर	5	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
89.	दरभंगा	बेनीपुर	साझाऊर	3	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
	योग दरभंगा			**28**	
90.	गया	बाराचट्टी	बिंदा	2	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
91.	गया	बाराचट्टी	बिंदा	4	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
92.	गया	बोध गया	धनावन	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
93.	गया	डुमरिया	सेवर	10	कार्य अपूर्ण, पानी की टंकी का निर्माण नहीं किया गया
94.	गया	पारैया	पुना कला	13	बोरिंग असफल
95.	गया	बाराचट्टी	बीबी पेसरा	5	भूमि विवाद
96.	गया	बाराचट्टी	बिंदा	11	ग्राम पंचायत द्वारा निधि का हस्तांतरण नहीं किया जाना
97.	गया	डोभी	खरांति	4	पानी का लेवल नीचे चल गया है और कार्य अपूर्ण है।
98.	गया	वजीरगंज	तारावन	13	पानी का लेवल नीचे चल गया है और कार्य अपूर्ण है।
99.	गया	मोहरा	जेठीयन	4	केवल बोरिंग किया गया है लेकिन असफल
100.	गया	मोहरा	जेठीयन	1	पानी का लेवल नीचे चल गया है और कार्य अपूर्ण है।
101.	गया	मोहरा	जेठीयन	3	केवल बोरिंग किया गया है
102.	गया	मोहरा	जेठीयन	6	कार्य शुरु नहीं किया गया है
103.	गया	मोहरा	जेठीयन	7	केवल बोरिंग किया गया है
104.	गया	मोहरा	जेठीयन	8	केवल बोरिंग किया गया है और आंशिक वितरण पाइप लाइन
105.	गया	मोहरा	जेठीयन	9	केवल बोरिंग किया गया है और आंशिक वितरण पाइप लाइन
106.	गया	मोहरा	जेठीयन	10	केवल बोरिंग किया गया है और आंशिक वितरण पाइप लाइन
107.	गया	मोहरा	गहलौर	1	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण
108.	गया	मोहरा	गहलौर	2	कार्य अपूर्ण
109.	गया	मोहरा	गहलौर	4	कार्य अपूर्ण
110.	गया	मोहरा	गहलौर	5	कार्य अपूर्ण
111.	गया	मोहरा	गहलौर	6	कार्य अपूर्ण
112.	गया	मोहरा	गहलौर	7	कार्य अपूर्ण
113.	गया	मोहरा	गहलौर	8	कार्य अपूर्ण
114.	गया	मोहरा	गहलौर	9	कार्य अपूर्ण
115.	गया	मोहरा	गहलौर	11	कार्य अपूर्ण
116.	गया	मोहरा	गहलौर	12	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण
117.	गया	मोहरा	उत्तरी काजूर	6	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
118.	गया	मेहरा	उत्तरी काजूर	8	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
119.	गया	मोहरा	उत्तरी काजूर	9	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
120.	गया	फतेहपुर	बारा	1	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
121.	गया	फतेहपुर	बारा	2	कार्य अपूर्ण
122.	गया	फतेहपुर	बारा	6	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण
123.	गया	फतेहपुर	बारा	7	गृह संयोजन नहीं किया गया है और कार्य अपूर्ण है।
124.	गया	फतेहपुर	बारा	9	कार्य अपूर्ण
125.	गया	फतेहपुर	बारा	11	कार्य अपूर्ण
126.	गया	फतेहपुर	बारा	13	गृह संयोजन नहीं किया गया है और कार्य अपूर्ण है।
127.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	1	मोटर जल गया है।
128.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	10	पानी टंकी स्थापित नहीं किया गया है और पाइप लाइन क्षतिग्रस्त है
129.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	6	मोटर जल गया है।
130.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	2	मोटर जल गया है।
	योग गया			**41**	
131.	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	10	मोटर पम्प, स्टार्टर, स्टैबजाइजर, पानी की टंकी, राइजींग मेन और वितनण प्रणाली जैसे मदों का काम नहीं किया गया था।
132.	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	11	मोटर पम्प, स्टार्टर, स्टैबजाइजर, पानी की टंकी, राइजींग मेन और वितनण प्रणाली जैसे मदों का काम नहीं किया गया था।
133.	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	12	मोटर पम्प, स्टार्टर, स्टैबजाइजर, पानी की टंकी, राइजींग मेन और वितनण प्रणाली जैसे मदों का काम नहीं किया गया था।
	योग गोपालगंज			**3**	
134.	जमुई	झाझा	राजाकला	9	अपूर्ण कार्य, आंशिक सट्रक्चर और पाइपलाइन का कार्य किया गया।
135.	जमुई	खैरा	निम्नावडा	11	अपूर्ण कार्य, बोरिंग असफल
136.	जमुई	झाझा	हटिया	3	अपूर्ण कार्य, बोरिंग असफल
137.	जमुई	सिकंदरा	मँजोश	5	अपूर्ण कार्य (गृह संयोजन, पानी की टंकी और मुख्य पाइपलाइन)
138.	जमुई	गिद्धौर	गंगरा	1	अपूर्ण कार्य (गृह संयोजन, पानी की टंकी और मुख्य पाइपलाइन)
	योग जमुई			**5**	
139.	सारण	रिविलगंज	मोहब्बत पर्सा	7	केवल गृह संयोजन उपलब्ध करवाया गया
	योग सारण			**1**	
140.	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बगाही बसबरिया	6	गृह संयोजन अपूर्ण
141.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	सेमरा लबेदहन	7	विद्धुत की अनुपलब्धता
142.	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	लाकर सिसई	1	गृह संयोजन अपूर्ण
143.	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	शिऑपुर सत्वरिया	4	कार्य अपूर्ण
144.	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	राजपुर तुमकड़िया	3	विवाद के कारण
145.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	2	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
146.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	7	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
147.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	10	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
148.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	11	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
149.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	12	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
150.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	9	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
	योग पश्चिमी चंपारण			**11**	
151.	मधुबनी	फुलपरास	गोधियार	6	पानी टंकी नहीं और आंशिक गृह संयोजन
152.	मधुबनी	फुलपरास	सुग्गापट्टी	14	योजना शुरु नहीं किया गया है।
	योग मधुबनी			**2**	
	कुल योग			**152**	

परिशिष्ट–3.7

(संदर्भः कंडिका–3.3.2.3)

शहरी क्षेत्रों में अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>नगर निकायों का नाम/ स्वीकृती की तिथि</th><th>व्यय (₹ करोड़ में)</th><th>अपूर्ण योजनाओं की संख्या</th><th>अपूर्ण वार्डों की सांख्य</th><th>परिवारों की संख्या (संख्या में)</th><th>अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बेनीपुर (नगर निकाय) /2020–21</td><td>1.19</td><td>4</td><td>4</td><td>2,600</td><td>बेनिपुर नगर निकाय ने 29 वार्डों में हर घर नल का जल योजना लागू की और सभी वार्डों को योजना से आच्छादित दिखाया। तथापि, 4 वार्डों में कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया।
लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड संख्या 13, 14, 18बी और 20 में हर घर नल का जल योजना अधूरी रही क्योंकि इन वार्डों में किसी भी घर को जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे, वार्ड संख्या 14 में केवल पाइप बिछाने का कार्य किया गया तथा मोटर भी स्थापित नहीं की गई।
चूँकि इन वार्डों के लिए कार्य आदेश जून 2020 से अगस्त 2020 के बीच जारी किए गए थे, अतः कार्य आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन वार्डों के 2,600 परिवार कार्यशील घरेलू नल जल संयोजन से वंचित रहे, जबकि ₹ 1.19 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>झाझा (नगर निकाय) 2017–18 और 2018–19</td><td>0.34</td><td>9</td><td>9</td><td>2,250</td><td>नगर परिषद, झाझा में कुल 22 वार्ड थे। इनमें से 20 वार्डों के लिए जलापूर्ति योजनाएँ बनाई गईं, जबकि दो वार्ड (वार्ड संख्या 07 और 08) रेलवे कॉलोनी के अंतर्गत थे। इन वार्डों को आच्छादित करने हेतु कुल 61 योजनाएँ (42 जलापूर्ति योजनाएँ और 19 पानी टंकी के लिए योजनाएँ) प्रस्तावित की गईं।
लेखापरीक्षा में पाया गया कि 42 जलापूर्ति योजनाओं में से चार योजनाएँ (वार्ड संख्या 14ए एवं बी, 15 और 16) ₹ 33.65 लाख व्यय होने के बावजूद अधूरी रहीं। इसके अतिरिक्त पाँच योजनाएँ (वार्ड संख्या 4, 6, 10, 13 और 17) जून 2023 तक प्रारंभ ही नहीं की गईं।
इस कारण 1,250 परिवार अब भी हर घर नल का जल योजना के लाभ से वंचित रहे</td></tr>
<tr><td>3</td><td>झाझा (नगर निकाय) 2018-19</td><td>0.16</td><td>1</td><td>1</td><td>500</td><td>झंझारपुर नगर निकाय ने 16 वार्डों में हर घर नल का जल योजना लागू की और सभी वार्डों को योजना से आच्छादित दिखाया।
वार्ड संख्या 2 में ठेकेदार ने ₹ 15.80 लाख व्यय होने के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया, जबकि नगर निकाय द्वारा बार–बार स्मरण दिलाया गया। अंततः, अक्टूबर 2023 में नगर निकाय ने उस ठेकेदार को निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रफीगंज (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) 2020–21</td><td>0.00</td><td>1</td><td>8</td><td>2,850</td><td>शहरी विकास एवं आवास विभाग ने अप्रैल 2020 में रफीगंज के सभी 16 वार्डों में हर घर नल का जल योजना हेतु ₹ 38.64 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें तीन जोन में विभाजित किया गया। इसके बाद कार्यान्वयन एजेंसी (लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद) ने सितंबर 2020 में एक फर्म के साथ ₹ 36.18 करोड़ का एकरारनामा (सबीडी–6/2019–20) किया। इस कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 23/03/2022 थी। अप्रैल 2022 तक लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद ने ₹ 17.43 करोड़ का भुगतान किया।
लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन जोन में से जोन–3 में जलापूर्ति योजना का कार्य जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण निष्पादित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, जुलाई 2022 तक जोन–3 के 2,850 परिवार नल जल कनेक्शन से वंचित रहे।
इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि एकरारनाम के अनुसार जोन–1 और 2 में कुल 4,150 परिवारों को आच्छादित किया जाना था, परंतु केवल 1,429 घरों को ही गृह संयोजन दिया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 17.43 करोड़ व्यय होने के बावजूद जोन–1 और 2 के 2,721 परिवार नल जल कनेक्शन से वंचित रहे।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>दरभंगा (बुडको)/ 2021-22</td><td>0.00</td><td>1</td><td>35</td><td>31,275</td><td>लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दरभंगा नगर में एक ही अवधि के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा बुडको, दरभंगा ने जलापूर्ति योजनाओं का समानांतर रूप से क्रियान्वयन किया।
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा बुडको , दरभंगा द्वारा किए गए कार्यों का विवरण नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत है।
दरभंगा नगर में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा बुडको, दरभंगा द्वारा किए गए कार्यों का विवरण
<table>
<tr><th rowspan="2">क्रम संख्या</th><th rowspan="2">कार्यकारी संस्था का नाम</th><th rowspan="2">एकरारनामा संख्या</th><th rowspan="2">एकरारनामा की तिथि</th><th rowspan="2">अब तक का व्यय (₹ करोड़ में)</th><th colspan="3">कार्य मद</th></tr>
<tr><th>उपलब्ध करवाए गए गृह संयोजन</th><th>वितरण प्रणाली (किमी में)</th><th>मापी की अंतिम तिथि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा</td><td>एसबीडी-1 एवं 2/ 2010-11</td><td>अप्रैल 2010</td><td>28.34</td><td>0</td><td>99.85</td><td>सितम्बर 2017</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बुडको, दरभंगा</td><td>एसबीडी-02/ 2018-19</td><td>जुलाई 2018</td><td>44.68</td><td>13,500</td><td>71.18</td><td>अक्टूबर 2022</td></tr>
<tr><td>3</td><td>लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा</td><td>एफ$_2$-1, 2, 11, 13, 14, 15 / 2019-20</td><td>अगस्त और नवंबर 2019</td><td>2.29</td><td>10,632</td><td>0.00</td><td>मार्च 2020 से मार्च 2021</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बुडको, दरभंगा</td><td>एसबीडी -02/ 2023-24</td><td>जून 2023</td><td>0.00</td><td>31,275#</td><td>188.70</td><td>कार्य प्रगति में</td></tr>
</table>
(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल और बुडको के अभिलेख) # प्रावधान किया गया
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल और बुडको, दरभंगा की योजना अभिलेखों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि दरभंगा नगर में कुल 46,940 परिवारों में से, जिनके पास कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन नहीं था, उनमें से</td></tr>
</table>

क्रम सं.	नगर निकायों का नाम/ स्वीकृती की तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण वार्डों की सांख्य	परिवारों की संख्या (संख्या में)	अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी
						10,632 परिवारों को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा 13,500 परिवारों को बुडको, दरभंगा द्वारा आच्छादित किया गया। अर्थात कुल 24,132 (51 प्रतिशत) परिवारों को ही आच्छादित किया जा सका। इस प्रकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बिभाग और बुडको द्वारा शहरी जलापूर्ति योजनाएँ लागू किए जाने तथा 13 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 49 प्रतिशत परिवार पाइप जलापूर्ति से वंचित रहे।
6	औरंगाबाद (बुडको)/ 2015-16	0.00	1	26	8,340	औरंगाबाद नगर में अमृत योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाएँ दो चरणों (चरण–I और II) में शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा ली गईं। इन योजनाओं की कुल परियोजना लागत ₹ 83.05 करोड़ थी तथा इन्हें वर्ष 2015–16 से 2019–20 के बीच पाँच वर्षों में पूर्ण किया जाना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल 12,110 परिवारों (चरण–I ₹ 3,770 + चरण–II ₹ 8,340) को आच्छादित करने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3,770 (28 प्रतिशत) परिवारों को ही सितंबर 2023 तक 33 वार्डों में से सात वार्डों में आच्छादित किया गया। औरंगाबाद नगर परिषद की दो जलापूर्ति योजनाएँ नवंबर 2015 में स्वीकृत हुई थीं, परंतु इनमें से एक योजना (चरण–II) जून 2023 तक प्रारंभ ही नहीं हो सकी। यह देखा गया कि इस कार्य की निविदा का प्रथम प्रकाशन अगस्त 2019 में होने के बाद भी एकरारनामा जून 2023 में ही किया जा सका, जिसका कारण निविदा दस्तावेज का अनुचित मूल्यांकन, परिमाण विपत्र में संशोधन में विलंब तथा निविदा रद्द करने के निर्णय में देरी रहा। जून 2023 तक औरंगाबाद नगर के 26 वार्डों में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, औरंगाबाद नगर परिषद के 8,340 परिवार पेयजल आपूर्ति से वंचित रहे।
7	भागलपुर (बुडको)/ 2020-21	357.94	1	51	61,160	भागलपुर नगर में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति हेतु सितंबर 2020 में बुडको , भागलपुर द्वारा ₹ 302.40 करोड़ का एकरारनामा किया गया, जिसमें 23 नलकूप और 23 पानी टंकी का निर्माण कर 78,131 परिवारों को नल जल संयोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त जून 2020 में सतही जल स्रोत से जल लाने हेतु ₹ 289.98 करोड़ का एक अन्य एकरारनामा भी किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बुडको, भागलपुर ने लक्षित 78,131 परिवारों में से 61,160 परिवारों को ही जल संयोजन उपलब्ध कराया, जबकि 23 नलकूप में से केवल 3 तथा 23 पानी टंकी में से केवल 7 का ही निर्माण किया गया। इसके अलावा सतही जल स्रोत से जल लाने का कार्य भी नवंबर 2023 तक अधूरा रहा। कार्य अधूरा रहने का मुख्य कारण था जल वितरण पाइपलाईन की लंबाई में विचलन के कारण अनुमान का संशोधन, उपयोगिता स्थानांतरण जैसे इनटेक वेल की लोकेशन बदलना, सड़क की बहाली आदि। फलस्वरूप, भागलपुर नगर जलापूर्ति योजना के प्रमुख घटक पूर्ण न होने के कारण ₹ 357.94 करोड़ व्यय होने के बाद भी 61,160 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति से वंचित रहे।
8	कटिहार (बुडको)/ 2017-18 और 2018-19	113.25	2	43	17,055	बुडको, कटिहार ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत कटिहार नगर के 35,205 परिवारों को नल जल संयोजन उपलब्ध कराने हेतु दो एकरारनामा (सबीडी–02/2017–18 ₹ 110.16 करोड़ और सबीडी–04/2018–19 ₹ 44.39 करोड़) किए। इन कार्यों को जुलाई 2021 तक पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि बुडको, कटिहार ने जलापूर्ति योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे नलकूप, पानी टंकी, पाइपलाईन आदि का निर्माण कर लिया, परंतु लक्षित 35,205 परिवारों में से केवल 18,150 (52 प्रतिशत) परिवारों को ही घर–घर जल संयोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त प्रमुख घटकों जैसे गृह संयोजन, पाइपलाईन, जल शोधन यंत्र आदि का परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए भुगतान नहीं किया गया, जबकि एकरारनामा में इसका प्रावधान था। यह दर्शाता है कि नवंबर 2023 तक ₹ 113.25 करोड़ व्यय होने के बावजूद कटिहार नगर जलापूर्ति योजना अधूरी रही, क्योंकि 17,055 परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया तथा प्रमुख घटकों का परीक्षण भी नहीं किया गया।
9	खगड़िया (नगर निकाय)/ 2017-18	0.10	11	11	2,666	खगड़िया नगर निकाय ने वर्ष 2017–18 में सभी 26 वार्डों को आच्छादित करने हेतु 26 एकरारनामा किए। इनमें से वार्ड संख्या 6 के 250 परिवारों को आच्छादित करने का एक एकरारनामा अधूरा रहा, क्योंकि केवल नलकूप का निर्माण किया गया और ₹ 3.28 लाख व्यय होने के बावजूद अन्य घटकों का कार्य नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, खगड़िया नगर निकाय ने वर्ष 2021–22 में 10 वार्डों के 2,416 परिवारों को आच्छादित करने हेतु एकरारनामा किए। इनमें से आठ वार्डों (वार्ड संख्या 2, 3, 8, 13, 14, 17, 19 एवं 25) में कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ तथा दो वार्डों (वार्ड संख्या 16 एवं 24) में केवल बोरिंग का कार्य किया गया, जिस पर ₹ 6.57 लाख व्यय हुआ। इस प्रकार कुल ₹ 9.85 लाख व्यय होने के बावजूद 2,666 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल जल कनेक्शन से वंचित रहे।
10	बीरपुर (नगर निकाय) 2017–18	0.32	1	1	250	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु बिरपुर नगर निकाय ने जनवरी 2018 में वार्ड संख्या 9 में वितरण प्रणाली एवं घर–घर जल संयोजन उपलब्ध कराने के लिए कार्यादेश जारी किया। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बिभाग से हस्तांतरित उच्च स्तरीय नलकूप, मोटर पंप, 80 किलो लिटर प्रति घंटा क्षमता का जल शोधन संयंत्र, स्टेजिंग आदि को ध्यान में रखा गया। नवंबर 2019 तक पाइपलाईन बिछाने एवं घर–घर जल संयोजन पर ₹ 31.76 लाख का व्यय किया गया। हालाँकि, फरवरी 2023 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बिभाग द्वारा हस्तांतरित संरचनाएँ (वितरण नेटवर्क, ओ.एच.टी.,डब्ल्यू.टी.पी.) अनुपयोगी घोषित कर दी गईं, जिसके कारण इस वार्ड में जलापूर्ति संभव नहीं हो सकी।

क्रम सं.	नगर निकायों का नाम/ स्वीकृती की तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण वार्डों की सांख्य	परिवारों की संख्या (संख्या में)	अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी
						बाद में, अप्रैल 2023 में नगर निकाय ने नलकूप, जल शोधन संयंत्र, पानी टंकी आदि के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की, परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।
11	रिविलगंज (नगर निकाय) 2019–20	0.08	2	2	175	नगर निकाय, रिविलगंज ने वर्ष 2017–18 और 2018–19 में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्ड संख्या 1, 13 और 16 को आच्छादित करने हेतु एकरारनामा किए। इन एकरारनामा के अंतर्गत कार्य सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 के बीच पूर्ण किए गए। बाद में, वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान नगर निकाय, रिविलगंज ने उपरोक्त वार्डों में 251 परिवारों को आच्छादित करने हेतु पुनः एकरारनामा किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन वार्डों में से दो वार्डों (वार्ड संख्या 1 एवं 16) में कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ और एक वार्ड (वार्ड संख्या 13) में यद्यपि 71 घरों को जल संयोजन दिया गया, परंतु पानी टंकी की स्टेजिंग का कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 7.95 लाख व्यय होने के बावजूद 175 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल जल संयोजन से वंचित रहे।
12	गोपालगंज (नगर निकाय) 2018–19 और 2020–21	0.00	2	2	572	गोपालगंज नगर निकाय ने जुलाई 2018 और मई 2020 में दो वार्डों (वार्ड संख्या 19 एवं 27) के 572 परिवारों (245 + 287) को आच्छादित करने हेतु एकरारनामा किए। हालाँकि, एकरारनामा निष्पादित होने के बाद भी संवेदक ने कार्य प्रारंभ नहीं किया। परिणामस्वरूप, इन वार्डों के 572 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल जल कनेक्शन से वंचित रहे।
13	बेतिया (बुडको) 2018–19	81.25	1	39	21,864	बुडको ने मार्च 2018 में ₹ 101.93 करोड़ का अनुबंध (सबीडी–01/2017–18) 21,864 परिवारों को आच्छादित करने हेतु किया। जून 2023 तक ₹ 81.25 करोड़ का भुगतान कर 19,400 परिवारों को घर–घर जल संयोजन उपलब्ध कराया गया तथा जलापूर्ति योजना के अन्य घटकों पर भी कार्य किया गया। हालाँकि, नवंबर 2023 तक जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो सकी क्योंकि योजना का परीक्षण एवं संचालन पूर्व परीक्षण पूर्ण नहीं किया गया था, जिसके कारण योजना अधूरी रही।
	योग	**554.63**	**37**	**232**	**1,51,557**	

परिशिष्ट–3.8

(संदर्भ: कंडिका–3.3.3)

पंचायती राज विभाग के अक्रियाशील वार्डों की विवरणी

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
1	औरंगाबाद	गोह	झिटकिया	13	12	मोटर जल गया है, विशेष मरम्मति की आवश्यकता	12.60
2	औरंगाबाद	देव	दुलारे	6	12	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	14.83
3	औरंगाबाद	ओबरा	करा	1	5	साधारण मरम्मति की आवश्यकता	7.70
4	औरंगाबाद	ओबरा	ऊबी	11 (पांडे बीघा)	12	योजना पिछले 3 महीने से अक्रियाशील	10.49
5	औरंगाबाद	ओबरा	ऊबी	11 बरपिसाई	12	योजना पिछले 4 महीने से अक्रियाशील	10.49
6	औरंगाबाद	देव	दुलारे	3	11	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.17
7	औरंगाबाद	दाऊदनगर	महावरा	1	5	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	12.08
8	औरंगाबाद	ओबरा	भारूब	1	24	शुरू से योजना बंद है। नई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा योजना को चालू करने का प्रयास किया गया परंतु शुरू नहीं हो पाया।	15.25
9	औरंगाबाद	ओबरा	भारूब	2	24	शुरू से योजना बंद है। नई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा योजना को चालू करने का प्रयास किया गया परंतु शुरू नहीं हो पाया।	5.93
10	औरंगाबाद	ओबरा	भारूब	3	24	शुरू से योजना बंद है। नई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा योजना को चालू करने का प्रयास किया गया परंतु शुरू नहीं हो पाया।	2.12
11	औरंगाबाद	बरुन	गोतहोउली	11	24	विशेष मरम्मति की आवश्यकता, मोटर, वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	8.82
12	दरभंगा	दरभंगा सदर	भलपट्टी	14	4	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	11.14
13	दरभंगा	दरभंगा सदर	भलपट्टी	17	12	विद्युत दोष एवं साधारण मरम्मति के कारण	12.58
14	दरभंगा	सिंघवाड़ा	बनौली	1	36	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	11.16
15	दरभंगा	सिंघवाड़ा	बनौली	4	36	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.54
16	दरभंगा	केओटी	राजौरा	6	3	वितरण प्रणाली में रिसाव	14.45
17	दरभंगा	केओटी	पिंडरऔच	9	12	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	16.66
18	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	15	3	विद्युत दोष	12.11
19	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	4	12	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	18.13
20	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	1	12	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.79
21	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	2	12	विद्युत दोष	12.14
22	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	3	12	विद्युत दोष	10.91
23	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	4	3	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.92
24	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	5	3	वितरण प्रणाली में रिसाव	9.04
25	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	6	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	8.74
26	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	7	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	11.12
27	दरभंगा	केओटी	दिघीयार	8	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.10

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
28	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	2	24	नए डब्ल्यू.आई.एम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	17.69
29	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	7	24	नए डब्ल्यू.आई.एम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	17.10
30	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	8	24	नए डब्ल्यू.आई.एम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	18.12
31	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	3	24	नए डब्ल्यू.आई.एम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	18.76
32	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	10	12	नए डब्ल्यू.आई.एम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	19.80
33	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	16	24	नए डब्ल्यू.आई.एम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	12.53
34	दरभंगा	घनश्यामपुर	कोरथु पूर्वी	4	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.13
35	दरभंगा	घनश्यामपुर	जयदेव पट्टी	3	4	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.83
36	दरभंगा	घनश्यामपुर	बोरहियाब इनयतपुर	12	24	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	8.03
37	दरभंगा	घनश्यामपुर	बोरहियाब इनयतपुर	1	24	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	11.61
38	दरभंगा	घनश्यामपुर	बोरहियाब इनयतपुर	8	24	पंचायत, नगर पंचायत में हस्तांतरित	15.60
39	दरभंगा	घनश्यामपुर	जयदेवपट्टी	17	12	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	12.32
40	दरभंगा	घनश्यामपुर	जयदेवपट्टी	1	8	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	12.03
41	दरभंगा	घनश्यामपुर	कोरथु पूर्वी	11	4	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	0.00
42	दरभंगा	घनश्यामपुर	लगमा	4	4	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	13.68
43	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	4	24	भूमि विवाद	13.06
44	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	18	12	मरम्मति की आवश्यकता	12.40
45	मधुबनी	फुलपरास	गोढ़ियारी	8	12	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	0.00
46	मधुबनी	फुलपरास	गोढ़ियारी	7	12	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	0.00
47	मधुबनी	फुलपरास	गोढ़ियारी	14	उपलब्ध नहीं	जलापूर्ति शुरू नहीं हुई	0.00
48	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	5	24	जलापूर्ति शुरू नहीं हुई	0.00
49	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	जिमारी नौतनवा	6	उपलब्ध नहीं	आंशिक पूर्ण	12.96
50	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	जिमारी नौतनवा	5	उपलब्ध नहीं	विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं	9.26
51	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	महुआवा कथारवा	5	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	11.82
52	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	मंगलपुर अवसानी	2	उपलब्ध नहीं	असफल बोरिंग	7.48
53	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	भीतिहारवा	1	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	15.00
54	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	भीतिहारवा	2	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली में रिसाव	14.00
55	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	भीतिहारवा	3	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	17.95
56	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धमाओरा	4	उपलब्ध नहीं	अक्रियाशील स्टार्टर और जला हुआ स्टबिलाइजेर	21.82
57	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धमाओरा	5	उपलब्ध नहीं	अक्रियाशील मोटर	24.85
58	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धमाओरा	7	उपलब्ध नहीं	अक्रियाशील मोटर	25.67
59	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धानौजि	5	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	12.00
60	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	गौनहा	1	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.20
61	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	मतैरिया	14	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	18.78
62	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	रूपवालिया	8	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	18.20
63	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बगाही बसवारिया	8	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	0.00
64	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बसंतपुर	1	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	15.88
65	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बसंतपुर	2	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	11.07
66	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बसंतपुर	7	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	15.90
67	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	शिऑपुर सत्वरिया	11	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	10.62

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
68	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	शिऑपुर सत्वरिया	12	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	12.65
69	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	चिउरही	5	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	10.00
70	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	धनाहा	7	उपलब्ध नहीं	जला हुआ स्टबिलाइजेर और बोरिंग असफल	10.83
71	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	खोंटहवा	2	उपलब्ध नहीं	पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा दरवाजा में ताला मार दिया गया है।	13.31
72	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	खोंटहवा	11	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	19.10
73	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	बिनबलिया	5	उपलब्ध नहीं	विद्युत आपूर्ति बाधित	12.65
74	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	मानव पारसी	3	उपलब्ध नहीं	विद्युत आपूर्ति बाधित	11.82
75	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	रखाही	4	उपलब्ध नहीं	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	12.43
76	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	रखाही	5	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजेर चोरी	12.54
77	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	सेराहवा	7	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	10.73
78	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	सेराहवा	8	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	10.84
79	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	डुमरी भगर्व	6	उपलब्ध नहीं	स्टार्टर चोरी	12.04
80	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	डुमरी मुरडीह	6	उपलब्ध नहीं	रिसाव एवं वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव में मतभेद	17.19
81	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	2	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई.आर. दर्ज	10.33
82	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	7	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई.आर. दर्ज	8.45
83	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	10	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई.आर. दर्ज	8.58
84	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	11	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई.आर. दर्ज	7.29
85	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	12	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई.आर. दर्ज	11.74
86	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	9	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई.आर. दर्ज	7.05
87	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	सौरहन	3	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजेर अक्रियाशील	11.13
88	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	9	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं लिया गया	11.67
89	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	14	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजेर, मोटर और स्टार्टर जला हुआ	12.14
90	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	5	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ।	15.67
91	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	11	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजेर और स्टार्टर चोरी	9.54
92	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	12	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ।	11.65
93	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	13	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	8.96
94	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	बेलसंदी	3	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ।	17.96
95	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	बेलसंदी	6	उपलब्ध नहीं	मोटर अक्रियाशील	10.70
96	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	बेलसंदी	9	उपलब्ध नहीं	मोटर अक्रियाशील	10.94
97	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	5	उपलब्ध नहीं	पाइप क्षतिग्रस्त और रिसाव समस्या	11.69
98	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	7	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	16.83
99	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	8	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	18.27
100	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	10	उपलब्ध नहीं	दरबाज बंद	16.22
101	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	11	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	17.12
102	गया	डोभी	आंगरा	6	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	8.33
103	गया	डोभी	घोरा घाट	9	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	10.52
104	गया	डोभी	खरांति	7	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	10.81
105	गया	डोभी	खरांति	10	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	8.41
106	गया	डोभी	खरांति	12	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	11.72
107	गया	डोभी	पछारतन	15	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	9.03
108	गया	इमामगंज	दुबहल	5	उपलब्ध नहीं	मोटर अकार्यरत	4.11
109	गया	वजीरगंज	करजारा	8	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त, मोटर जल हुआ और वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	11.52

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
110	गया	इमामगंज	चक्करबंधा	5	उपलब्ध नहीं	बोरिंग जल हुआ।	13.66
111	गया	इमामगंज	चक्करबंधा	12	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल और विद्युत संबंध नहीं लिया गया	12.95
112	गया	इमामगंज	दुबहल	5	उपलब्ध नहीं	मोटर अकार्यरत	4.11
113	गया	इमामगंज	दुबहल	9	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	8.95
114	गया	फतेहपुर	बारा	4	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजेर जला हुआ	20.10
115	गया	फतेहपुर	बारा	10	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ	10.10
116	गया	फतेहपुर	बारा	3	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ	20.22
117	सारण	रिविलगंज	मोहब्बत पर्सा	8	उपलब्ध नहीं	वितरण प्राणली क्षतिग्रस्त	14.00
118	सारण	रिविलगंज	मोहब्बत पर्सा	14	उपलब्ध नहीं	स्टार्टर जल हुआ और वितरण प्रणाली में रिसाव	12.00
119	सारण	रिविलगंज	कचनार	3	उपलब्ध नहीं	रिसाव और विद्युत समस्या, पानी टंकी के साथ मोटर का नहीं जुड़ा होना।	12.54
120	सारण	रिविलगंज	कचनार	14	उपलब्ध नहीं	मोटर अकार्यरत और वितरण प्रणाली में रिसाव	12.56
121	सारण	एकमा	हुसेपुर	4	उपलब्ध नहीं	राजकीय उच्च पथ के निर्माण के दौरान वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गया है।	13.83
122	सारण	एकमा	बनपुरा	2	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त।	13.40
123	जमुई	झाझा	पेरगहा	4	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली, मोटर, स्टबिलाइजेर क्षतिग्रस्त	14.44
124	जमुई	झाझा	पेरगहा	5	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली, मोटर, स्टबिलाइजेर क्षतिग्रस्त	16.40
125	जमुई	झाझा	हथिया	3	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	12.67
126	जमुई	चकाई	वमादह	13	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	14.10
127	जमुई	खैरा	निमनावाडा	5B	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	14.75
128	जमुई	खैरा	निमनावाडा	11	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	8.43
129	जमुई	खैरा	झुंडों	4A	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त।	7.38
130	जमुई	खैरा	झुंडों	4B	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	5.17
131	जमुई	खैरा	झुंडों	7A	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त।	5.31
132	जमुई	खैरा	झुंडों	7B	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	6.67
133	जमुई	लक्ष्मीपुर	मोहनपुर	10	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	6.84
134	जमुई	सिकंदरा	मँजोश	5	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी, गृह संयोजन, मुख्य वितरण प्रणाली का कार्य नहीं किया गया।	10.78
	योग	**134 योजना**		**134**			**1,584.03**

परिशिष्ट–3.9

(संदर्भः कंडिका–3.3.4.2)

बिना कार्य के क्रियान्वयन किए ही भुगतान की विवरणी

(₹ *लाख में*)

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या/ वर्ष	किया गया भुगतान	किया जाने वाला भुगतान	अधिक भुगतान	अभियुक्ति
1	शेरघाटी	एसबीडी–88/ 2019–20	69.45	41.59	27.86	अंतिम मापी के अनुसार वास्तविक रूप से किए गए कार्य से अधिक मात्रा के लिए भुगतान किया गया।
2	गया	एसबीडी–17/ 2019–20	4.86	0.00	4.86	इस एकरारनामा के अंतर्गत कार्य 6 वार्डों में किया गया, तथापि संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान 7 वार्डों के लिए किया गया (वार्ड संख्या 11)।
3	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी –75 और 76/ 2019–20	211.10	63.91	147.19	इस एकरारनामा के अंतर्गत पुनमा प्रताप नगर ग्राम पंचायत के पाँच वार्ड (वार्ड संख्या 8, 9, 10, 11 एवं 12) जुलाई 2020 में कोसी नदी में कटावग्रस्त हो गए। तथापि, इन वार्डों के लिए निर्माण हेतु ₹ 136.30 लाख तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ₹ 10.89 लाख का भुगतान प्रमंडल द्वारा वार्डों के कटाव के बाद भी किया गया।
4	शेरघाटी	एसबीडी –160, 80, 81/ 2019–20	14.04	9.40	4.64	3 एचपी मोटर का भुगतान किया गया, जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार 15 वार्डों (रानीगंज के 4 वार्ड, दक्षिण लोढाबे के 6 वार्ड तथा नौदिहारा जुरन के 5 वार्ड) में केवल 2 एचपी /1 एचपी मोटर ही स्थापित की गई।
5	खगड़िया	7 एकरारनामा	207.00	161.00	46.00	23 उच्च क्षमता (3 एचपी) के आई.आर.पी. का भुगतान किया गया, जबकि वास्तविक रूप से केवल 1 एचपी या 2 एच पी के आई.आर.पी. स्थापित किए गए।
	योग	14 एकरारनामा	**506.45**	**275.90**	**230.55**	

परिशिष्ट–3.10

(संदर्भः कंडिका–3.4.1.1)

नमूना जांचित योजनाओं में जहाँ संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा के तहत वार्डों की संख्या	डीबी लागत के अंतर्गत व्यय (₹ लाख में)	मापी पुस्तिका में दर्ज संचालन एवं अनुरक्षण (₹ लाख में)	परिवारों की संख्या	योजना पूर्ण होने की तिथि	विलंब प्रतिवेदित करने की तिथि	31.03.23 तक विलंब की अवधि (दिनों में)
1	दरभंगा	एसबीडी–22/19–20	3	89.27	नहीं	614	02/04/2020	31/03/2023	1,093
2	गया	एसबीडी–04/18–19	5	144.31	10.10 (18 महीने)	565	30/05/2022	31/03/2023	305
3	गया	एसबीडी–261/19–20	5	101.38	नहीं	955	31/05/2021	31/03/2023	669
4	गया	एसबीडी–142/19–20	5	99.05	13.10 (24 महीने)	960	31/12/2020	31/03/2023	820
5	खगड़िया	एमबीडी–416/19–20	3	101.3	नहीं	406	26/12/2021	31/03/2023	460
6	खगड़िया	एमबीडी –376/19–20	2	72.44	नहीं	318	12/04/2021	31/03/2023	718
7	खगड़िया	एमबीडी –254/19–20	4	125.7	नहीं	377	10/09/2022	31/03/2023	202
8	खगड़िया	एमबीडी –182/19–20	3	98.03	नहीं	591	28/10/2020	31/03/2023	884
9	खगड़िया	एमबीडी –253 / 19–20	4	110.49	नहीं	379	16/12/2021	31/03/2023	470
10	खगड़िया	एमबीडी –256 / 19–20	3	87.79	नहीं	330	16/12/2021	31/03/2023	470
11	खगड़िया	एमबीडी –503 / 19–20	3	83.84	नहीं	266	12/02/2021	31/03/2023	777
12	खगड़िया	एमबीडी –504 / 19–20	4	117.97	नहीं	339	10/02/2021	31/03/2023	779
13	खगड़िया	एमबीडी –505 / 19–20	4	116.01	नहीं	325	10/02/2021	31/03/2023	779
14	खगड़िया	एमबीडी –506 / 19–20	2	59.03	नहीं	214	05/02/2021	31/03/2023	784
15	सारण	एसबीडी–06 / 17–18	10	292.53	नहीं	1147	14/06/2021	31/03/2023	655
16	सारण	एसबीडी–62 / 19–20	4	63.88	नहीं	619	28/10/2021	31/03/2023	519
17	सारण	एसबीडी–99 / 19–20	8	31.2	नहीं	505	08/09/2020	31/03/2023	934
18	शेरघाटी	एसबीडी–160 / 19–20	5	88.04	नहीं	725	30/09/2020	31/03/2023	912
19	शेरघाटी	एसबीडी–09 / 17–18	6	143.32	नहीं	473	11/10/2022	31/03/2023	171
20	सुपौल	एमबीडी –279 / 19–20	4	125.36	नहीं	810	17/12/2020	31/03/2023	834
21	सुपौल	एमबीडी –280 / 19–20	3	91.98	नहीं	618	17/12/2020	31/03/2023	834
22	सुपौल	एमबीडी –685 / 19–20	6	103.14	नहीं	326	04/09/2021	31/03/2023	573
23	सुपौल	एमबीडी –659 / 19–20	3	46.28	नहीं	116	23/08/2022	31/03/2023	220
योग			**99**	**2392.34**		**11,978**			

परिशिष्ट–3.11

(संदर्भ: कंडिका–3.4.1.1)

संचालन एवं अनुरक्षण लागत का मापी लेने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने वाले एकरारनामों की विवरणी

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	मांग पत्र संख्या	एकरारनामा संख्या	मूल्य (₹ लाख में)	अवधि जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया
1	दरभंगा	1840-26/08/2023	एसबीडी–21/19–20	15.95	26/10/2020 से 25/07/2023
2	दरभंगा	1846-26/08/2023	एसबीडी–19/19–20	3.47	04/01/2022 से 03/04/2023
3	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–18/19–20	7.84	05/10/2021 से 04/04/2023
4	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–16/19–20	2.7	25/06/2021 से 26/12/2022
5	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–12/19–20	3.56	24/12/2020 से 23/12/2022
6	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–27/19–20	7.46	02/04/2021 से 01/10/2022
7	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–10/19–20	12.01	21/07/2020 से 20/07/2022
8	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–09/19–20	8.33	24/06/2020 से 23/06/2022
9	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–46/19–20	7.62	17/05/2022 से 16/02/2023
10	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–05/19–20	5.07	03/06/2022 से 02/12/2022
11	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–06/19–20	9.16	01/11/2020 से 31/01/2023
12	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी–11/19–20	3.1	03/03/2021 से 03/03/2022
13	दरभंगा	1472-08/07/2023	एफ2–06/19–20	1.73	19/12/2021 से 18/12/2022
14	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी–30/19–20	3.19	03/03/2021 से 02/03/2022
15	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी–23/19–20	3.55	27/07/2020 से 26/07/2022
16	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी–49/19–20	9.4	16/03/2021 से 15/03/2022
17	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी–4/19–20	4.28	03/06/2026 से 02/03/2021
18	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी–25/19–20	5.87	18/04/2022 से 17/04/2023
19	दरभंगा	1471-08/07/2023	एफ2–08/19–20	3.51	20/06/2020 से 19/06/2021
20	दरभंगा	1446-08/07/2023	एसबीडी–24/19–20	7.53	15/03/2022 से 14/12/2022
21	दरभंगा	1445-08/07/2023	एसबीडी–14/19–20	1.7	06/12/2021 से 05/06/2022
22	दरभंगा	1193-01/06/2023	एफ2–09/19–20	6.89	21/06/2020 से 20/03/2023
23	दरभंगा	1192-01/06/2023	एसबीडी–51/19–20	2.82	19/04/2022 से 18/01/2023
24	दरभंगा	1192-01/06/2023	एफ2–18/19–20	3.38	17/10/2021 से 16/04/2023
25	दरभंगा	1154-30/05/2023	एसबीडी–42/19–20	2.71	2021-22 से 2022-23
26	दरभंगा	1150-30/05/2023	एसबीडी–32/19–20	5.32	11/03/2022 से 10/03/2023
27	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी–40/19–20	3.61	14/09/2022 से 13/03/2023
28	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी–41/19–20	3.57	14/09/2022 से 13/03/2023
29	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी–36/19–20	1.74	16/09/2022 से 15/03/2023
30	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी–37/19–20	3.53	11/09/2022 से 10/03/2023
31	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी–38/19–20	3.53	14/09/2022 से 13/03/2023
32	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी–39/19–20	3.57	16/09/2022 से 15/03/2023
33	मधुबनी	2266-10/10/2023	एसबीड–28/19–20	11.63	09/02/2023 से 08/08/2023
34	मधुबनी	2266-10/10/2023	एसबीडी–29/19–20		09/02/2023 से 08/08/2023
35	मधुबनी	2285-11/10/2023		14.3	07/12/2019 से 06/06/2023
36	मधुबनी	2284-11/10/2023	एसबीडी–82/19–20	11.91	01/07/2023 से 30/09/2023
37	मधुबनी	2284-11/10/2023	एसबीडी–02/19–20		05/01/2023 से 04/10/2023
38	मधुबनी	2283-11/10/2023		8.13	01/01/2023 से 30/09/2023
39	मधुबनी	1800-10//10/2023	एसबीडी–13/19–20	26.92	01/03/2023 से 30/06/2023
40	मधुबनी	1800-10//10/2023	एसबीडी–48/19–20		01/02/2023 से 30/04/2023
41	मधुबनी	1800-10//10/2023	एसबीडी–49/19–20		01/02/2023 से 30/04/2023
42	मधुबनी	1800-10//10/2023	एसबीडी–82/19–20		01/01/2022 से 30/06/2023
43	मधुबनी	1800-10//10/2023	एसबीडी–12/19–20		21/12/2022 से 20/06/2023

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	मांग पत्र संख्या	एकरारनामा संख्या	मूल्य (₹ लाख में)	अवधि जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया
44	मधुबनी	1800-10//10/2023	एसबीडी–28/21–22		01/04/2023 से 30/06/2023
45	मधुबनी	2007-08/09/2023		3.63	02/11/2022 से 01/08/2023
46	मधुबनी	2077-19/09/2023		5.68	16/01/2022 से 15/01/2023
47	मधुबनी	1799-10//08/2023	एसबीडी–98/19–20	23.78	26/10/2021 से 25/04/2023
48	मधुबनी	1799-10//08/2023	एसबीडी–52/19–20		18/11/2022 से 17/05/2023
49	मधुबनी	1799-10//08/2023	एफ2–10/19–20		26/06/2023 से 25/09/2023
50	मधुबनी	1799-10//08/2023	एफ2–11/19–20		26/06/2023 से 25/09/2023
51	मधुबनी	1799-10//08/2023	एसबीडी–09/19–20		09/01/2023 से 08/07/2023
52	मधुबनी	2008-08/09/2023		5.12	19/01/2023 से 18/07/2023
53	मधुबनी	2040-09/09/2023		1.68	01/06/2023 से 30/09/2023
54	मधुबनी	1611-18/07/2023		2.83	01/10/2022 से 30/09/2023
55	झंझारपुर	1030-04/09/2023	एसबीडी–26/19–20	11.2	10/07/2021 से 09/07/2023
56	झंझारपुर	1216-30/10/2023	एफ2–04/18–19	1.82	15/02/2023 से 14/08/2023
57	झंझारपुर	1216-30/10/2023	एफ2–13/18–19	1.61	14/02/2023 से 13/08/2023
58	झंझारपुर	1031-04/09/2023	एसबीडी–72/19–20	4.73	27/12/2022 से 26/06/2023
59	झंझारपुर	1031-04/09/2023	एसबीडी–97/19–20	4.79	01/02/2023 से 31/07/2023
60	झंझारपुर	1199-11/10/2023	एसबीडी–17/19–20	3.41	02/0/2022 से 01/08/2023
61	झंझारपुर	1214-13/10/2023	एसबीडी–16/19–20	5.98	19/12/2022 से 18/09/2023
62	झंझारपुर	1200-11/10/2023	एसबीडी–16/19–20	1.63	19/09/2022 से 18/12/2022
63	झंझारपुर	1067-12/09/2023	एफ2–05/19–20	3.12	02/09/2022 से 01/03/2023
64	झंझारपुर	1068-12/09/2023	एफ2–16/18–19	1.97	01/05/2022 से 30/04/2023
65	झंझारपुर	1068-12/09/2023	एफ2–06/19–20	3.27	10/05/2020 से 09/11/2021
66	झंझारपुर	1059-12/09/2023	एफ2–11/18–19	5	08/01/2022 से 07/04/2023
	उप–योग			**331.84**	
67	औरंगाबाद		एसबीडी–306/19–20	4.53	01/04/2021 से 31/12/2022
68	औरंगाबाद		एसबीडी–83/19–20	2.4	19/12/2021 से 18/09/2022
69	औरंगाबाद		एसबीडी–248/19–20	3.26	09/12/2021 से 08/09/2022
70	औरंगाबाद		एसबीडी–305/19–20	2.9	01/04/2021 से 31/12/2022
71	औरंगाबाद		एसबीडी–195/19–20	4.82	23/04/2021 से 22/04/2023
72	गोपालगंज		एसबीडी–07/19–20	4.19	दिसम्बर–2022 से जून –2023
73	गोपालगंज		एसबीडी–25/19–20	2.06	मई –2022 से जून –2023
74	गोपालगंज		एसबीडी–42/19–20	7.17	अक्टूबर –2021 से जून –2023
75	गोपालगंज		एसबीडी–13/19–20	7.67	अक्टूबर –2021 से जून –2023
76	गोपालगंज		एसबीडी–22/19–20	2.69	जुलाई –2021 से जून –2023
77	गोपालगंज		एसबीडी–41/19–20	10.59	अक्टूबर –2021 से जून –2023
78	गोपालगंज		एसबीडी–30/19–20	6.65	अक्टूबर –2021 से जून –2023
79	गोपालगंज		एसबीडी–17/19–20	1.69	अप्रैल –2022 से जून –2023
80	गोपालगंज		एसबीडी–28/19–20	3	मई –2021 से जून –2023
81	गोपालगंज		एसबीडी–34/19–20	1.76	अप्रैल –2022 से जून –2023
82	गोपालगंज		एसबीडी–18/19–20	9.73	मई –2022 से जून –2023
83	गोपालगंज		एसबीडी–16/19–20	2.39	अक्टूबर –2021 से जून –2023
84	गोपालगंज		एसबीडी–24/19–20	4.55	जुलाई –2021 से जून –2023
85	गोपालगंज		एसबीडी–36/19–20	5.94	जनवरी–2022 से जून –2023
86	गोपालगंज		एसबीडी–09/19–20	3.63	नवंबर–2022 से जून –2023
87	गोपालगंज		एसबीडी–33/19–20	4.21	मई–2021 से जून –2023
88	गोपालगंज		एसबीडी–43/19–20	6.01	सितम्बर–2020 से जून –2023
89	गोपालगंज		एसबीडी–44/19–20	2.72	नवंबर–2021 से जून –2023

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	मांग पत्र संख्या	एकरारनामा संख्या	मूल्य (₹ लाख में)	अवधि जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया
90	गोपालगंज		एफ2–31/19–20	5.77	मई –2021 से जून –2023
91	गोपालगंज		एफ2–06/2018–19	2.99	जुलाई –2022 से जून –2023
92	गोपालगंज		एफ2–07/2018–19	6.43	जनवरी –2021 से जून –2023
93	गोपालगंज		एफ2–03/2018–19	5.29	फरवरी –2021 से जून –2023
94	गोपालगंज		एफ2 –01/2018–19	13.42	फरवरी –2021 से जून –2023
95	गोपालगंज		एफ2–11/19–20	6.26	अगस्त –2021 से जून –2023
96	गोपालगंज		एफ2–14/19–20	3.5	मई –2021 से जून –2023
97	गोपालगंज		एफ2–21/19–20	3.5	जुलाई –2022 से जून –2023
98	गोपालगंज		एफ2–20/19–20	10.15	मई –2022 से जून –2023
	उप योग			**161.87**	
	कुल योग			**493.71**	

परिशिष्ट–3.12

(संदर्भः कंडिका–3.4.1.2)

पाक्षिक जल परीक्षण की लागत के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
1	औरंगाबाद	एसबीडी–02/19–20	833.33	5	15	62,499.75
2	औरंगाबाद	एसबीडी–87/19–20	833.33	3	21	52,499.79
3	औरंगाबाद	एसबीडी–86/19–20	833.33	3	18	44,999.82
4	औरंगाबाद	एसबीडी–132/19–20	833.33	2	15	24,999.9
5	औरंगाबाद	एसबीडी–01/17–18	833.33	16	18	2,39,999.04
6	औरंगाबाद	एसबीडी–169/19–20	833.33	2	12	19,999.92
7	औरंगाबाद	एसबीडी–262/19–20	833.33	2	21	34,999.86
8	औरंगाबाद	एसबीडी–153/19–20	833.33	1	9	7,499.97
9	औरंगाबाद	एसबीडी–147/19–20	833.33	2	21	34,999.86
10	औरंगाबाद	एसबीडी–71/19–20	833.33	2	12	19,999.92
11	औरंगाबाद	एसबीडी–92/19–20	833.33	3	18	44,999.82
12	औरंगाबाद	एसबीडी–121/19–20	833.33	3	21	52,499.79
13	औरंगाबाद	एसबीडी–175/19–20	833.33	1	9	7,499.97
14	बेतिया	एसबीडी–102/19–20	833.33	5	26	1,08,332.9
15	बेतिया	एसबीडी–08/19–20	833.33	5	21	87,499.65
16	बेतिया	एसबीडी–09/19–20	833.33	6	17	84,999.66
17	बेतिया	एसबीडी–19/19–20	833.33	6	20	99,999.6
18	बेतिया	एसबीडी–81/19–20	833.33	4	16	53,333.12
19	बेतिया	एसबीडी–108/19–20	833.33	5	21	87,499.65
20	बेतिया	एसबीडी–52/19–20	833.33	4	24	79,999.68
21	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–02/18–19	833.33	12	30	2,99,998.8
22	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–68/19–20	833.33	7	30	1,74,999.3
23	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–07/18–19	833.33	2	41	68,333.06
24	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–15/18–19	833.33	2	32	53,333.12
25	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–16/18–19	833.33	2	35	58,333.1
26	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–20/18–19	833.33	4	32	1,06,666.24
27	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–06/19–20	833.33	5	41	1,70,832.65
28	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–13/19–20	833.33	6	32	1,59,999.36
29	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–14/19–20	833.33	5	31	1,29,166.15
30	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–15/19–20	833.33	5	38	1,58,332.7
31	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–19/19–20	833.33	5	23	95,832.95
32	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–20/19–20	833.33	5	12	49,999.8
33	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–25/19–20	833.33	4	11	36,666.52
34	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–36/19–20	833.33	3	17	42,499.83
35	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–37/19–20	833.33	6	11	54,999.78
36	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–48/19–20	833.33	3	36	89,999.64
37	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–83/19–20	833.33	2	24	39,999.84
38	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–161/19–20	833.33	3	27	67,499.73
39	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–204/19–20	833.33	5	20	83,333
40	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–207/19–20	833.33	1	28	23,333.24
41	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–04/17–18	833.33	10	43	3,58,331.9
42	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–46/19–20	833.33	3	35	87,499.65
43	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–47/19–20	833.33	3	38	94,999.62
44	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–74/19–20	833.33	3	14	34,999.86
45	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–77/19–20	833.33	3	26	64,999.74

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
46	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–101/19–20	833.33	3	17	42,499.83
47	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–102/19–20	833.33	1	17	14,166.61
48	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–163/19–20	833.33	1	23	19,166.59
49	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–193/19–20	833.33	1	31	25,833.23
50	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–231/19–20	833.33	1	17	14,166.61
51	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–10/19–20	833.33	3	18	44,999.82
52	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–104/19–20	833.33	6	28	1,39,999.44
53	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–107/19–20	833.33	5	16	66,666.4
54	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–108/19–20	833.33	6	17	84,999.66
55	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–110/19–20	833.33	1	30	24,999.9
56	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–114/19–20	833.33	1	23	19,166.59
57	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–115/19–20	833.33	4	20	66,666.4
58	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–117/19–20	833.33	4	18	59,999.76
59	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–118/19–20	833.33	2	18	29,999.88
60	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–126/19–20	833.33	2	14	23,333.24
61	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–127/19–20	833.33	1	30	24,999.9
62	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–133/19–20	833.33	4	26	86,666.32
63	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–134/19–20	833.33	4	30	99,999.6
64	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–135/19–20	833.33	1	30	24,999.9
65	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–144/19–20	833.33	2	22	36,666.52
66	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–145/19–20	833.33	4	24	79,999.68
67	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–151/19–20	833.33	4	18	59,999.76
68	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–152/19–20	833.33	2	29	48,333.14
69	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–153/19–20	833.33	3	30	74,999.7
70	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–158/19–20	833.33	3	12	29,999.88
71	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–16/19–20	833.33	4	26	86,666.32
72	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–160/19–20	833.33	2	27	44,999.82
73	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–162/19–20	833.33	1	24	19,999.92
74	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–166/19–20	833.33	1	27	22,499.91
75	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–167/19–20	833.33	4	26	86,666.32
76	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–168/19–20	833.33	4	30	99,999.6
77	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–173/19–20	833.33	4	33	1,09,999.56
78	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–174/19–20	833.33	1	27	22,499.91
79	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–184/19–20	833.33	4	33	1,09,999.56
80	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–189/19–20	833.33	4	6	19,999.92
81	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–190/19–20	833.33	4	3	9,999.96
82	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–191/19–20	833.33	1	30	24,999.9
83	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–200/19–20	833.33	4	24	79,999.68
84	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–201/19–20	833.33	4	23	76,666.36
85	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–202/19–20	833.33	3	21	52,499.79
86	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–205/19–20	833.33	2	14	23,333.24
87	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–206/19–20	833.33	6	21	1,04,999.58
88	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–222/19–20	833.33	3	19	47,499.81
89	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–234/19–20	833.33	4	30	99,999.6
90	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–236/19–20	833.33	2	14	23,333.24
91	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–12/19–20	833.33	6	6	29,999.88
92	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–27/19–20	833.33	4	20	66,666.4
93	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–28/19–20	833.33	4	20	66,666.4
94	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–30/19–20	833.33	2	26	43,333.16

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
95	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–45/19–20	833.33	4	14	46,666.48
96	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–69/19–20	833.33	5	26	1,08,332.9
97	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–70/19–20	833.33	3	37	92,499.63
98	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–71/19–20	833.33	2	27	44,999.82
99	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–72/19–20	833.33	4	30	99,999.6
100	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–75/19–20	833.33	2	29	48,333.14
101	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–76/19–20	833.33	4	21	69,999.72
102	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–79/19–20	833.33	3	32	79,999.68
103	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–86/19–20	833.33	3	31	77,499.69
104	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–93/19–20	833.33	1	17	14,166.61
105	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–94/19–20	833.33	3	30	74,999.7
106	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–95/19–20	833.33	2	30	49,999.8
107	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–96/19–20	833.33	2	30	49,999.8
108	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–02/19–20	833.33	3	33	82,499.67
109	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–09/19–20	833.33	3	41	1,02,499.59
110	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–232/19–20	833.33	4	11	36,666.52
111	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–05/17–18	833.33	10	46	3,83,331.8
112	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–01/17–18	833.33	4	35	1,16,666.2
113	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–02/17–18	833.33	3	45	1,12,499.55
114	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–73/19–20	833.33	2	20	33,333.2
115	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–103/19–20	833.33	1	17	14,166.61
116	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–214/19–20	833.33	2	29	48,333.14
117	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–230/19–20	833.33	1	28	23,333.24
118	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–100/19–20	833.33	5	20	83,333
119	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–43/19–20	833.33	13	27	2,92,498.83
120	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–124/19–20	833.33	5	14	58,333.1
121	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–170/19–20	833.33	9	26	1,94,999.22
122	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–196/19–20	833.33	9	26	1,94,999.22
123	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–208/19–20	833.33	4	21	69,999.72
124	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–218/19–20	833.33	9	24	1,79,999.28
125	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–221/19–20	833.33	10	26	2,16,665.8
126	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–228/19–20	833.33	9	26	1,94,999.22
127	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–54/19–20	833.33	2	18	29,999.88
128	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–146/19–20	833.33	6	32	1,59,999.36
129	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–177/19–20	833.33	1	20	16,666.6
130	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–195/19–20	833.33	1	8	6,666.64
131	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–04/18–19	833.33	1	35	29,166.55
132	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–238/19–20	833.33	1	26	21,666.58
133	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–120/19–20	833.33	1	26	21,666.58
134	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–121/19–20	833.33	1	26	21,666.58
135	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–141/19–20	833.33	4	23	76,666.36
136	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–178/19–20	833.33	3	20	49,999.8
137	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–183/19–20	833.33	4	26	86,666.32
138	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–217/19–20	833.33	3	29	72,499.71
139	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–227/19–20	833.33	1	12	9,999.96
140	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–229/19–20	833.33	1	26	21,666.58
141	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–233/19–20	833.33	3	27	67,499.73
142	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–53/19–20	833.33	1	36	29,999.88
143	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–57/19–20	833.33	1	32	26,666.56

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
144	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–58/19–20	833.33	2	32	53,333.12
145	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–59/19–20	833.33	1	32	26,666.56
146	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–61/19–20	833.33	3	32	79,999.68
147	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–62/19–20	833.33	2	32	53,333.12
148	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–63/19–20	833.33	4	34	1,13,332.88
149	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–64/19–20	833.33	1	32	26,666.56
150	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–111/19–20	833.33	2	26	43,333.16
151	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–112/19–20	833.33	2	26	43,333.16
152	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–113/19–20	833.33	1	26	21,666.58
153	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–128/19–20	833.33	5	20	83,333
154	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–129/19–20	833.33	3	8	19,999.92
155	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–147/19–20	833.33	1	8	6,666.64
156	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–148/19–20	833.33	3	32	79,999.68
157	भागलपुर पूर्वी	सबीडी–149/19–20	833.33	4	32	1,06,666.24
158	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–192/19–20	833.33	3	14	34,999.86
159	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–213/19–20	833.33	2	23	38,333.18
160	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–215/19–20	833.33	5	23	95,832.95
161	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–216/19–20	833.33	3	32	79,999.68
162	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–237/19–20	833.33	4	11	36,666.52
163	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी–29/19–20	833.33	1	32	26,666.56
164	भागलपुर पश्चिमी	एसबीडी–20/19–20	833.33	5	18	74,999.7
165	दरभंगा	एसबीडी–28/19–20	833.33	1	12	9,999.96
166	दरभंगा	एसबीडी–32/19–20	833.33	3	6	14,999.94
167	दरभंगा	एसबीडी–01/19–20	833.33	3	12	29,999.88
168	दरभंगा	एसबीडी–08/19–20	833.33	3	21	52,499.79
169	दरभंगा	एसबीडी–05/19–20	833.33	6	18	89,999.64
170	दरभंगा	एसबीडी–09/19–20	833.33	3	24	59,999.76
171	गया	एसबीडी–219/19–20	833.33	13	5	54,166.45
172	गया	एसबीडी–220/19–20	833.33	14	10	1,16,666.2
173	गया	एसबीडी–17/19–20	833.33	7	28	1,63,332.68
174	गोपालगंज	एसबीडी–07/19–20	833.33	5	30	1,24,999.5
175	गोपालगंज	एसबीडी–37/19–20	833.33	4	18	59,999.76
176	जमुई	एसबीडी–07/18–19	833.33	7	21	1,22,499.51
	जमुई	एसबीडी–07/18–19	833.33	22	24	4,39,998.24
177	झंझारपुर	एसबीडी–101/19–20	833.33	3	22	54,999.78
178	झंझारपुर	एसबीडी–43/19–20	833.33	3	33	82,499.67
179	झंझारपुर	एसबीडी–102/19–20	833.33	4	12	39,999.84
180	झंझारपुर	एसबीडी–103/19–20	833.33	4	22	73,333.04
181	झंझारपुर	एसबीडी–89/19–20	833.33	4	27	89,999.64
	झंझारपुर	एसबीडी–89/19–20	833.33	1	22	18,333.26
182	झंझारपुर	सबीडी–77/19–20	833.33	3	24	59,999.76
183	झंझारपुर	एसबीडी–94/19–20	833.33	6	12	59,999.76
184	झंझारपुर	एसबीडी–50/19–20	833.33	2	15	24,999.9
185	झंझारपुर	एसबीडी–43/19–20	833.33	3	20	49,999.8
186	झंझारपुर	सबीडी–90/19–20	833.33	5	23	70,833.05
	झंझारपुर	एसबीडी–90/19–20	833.33	1	24	19,999.92
187	झंझारपुर	सबीडी–91/19–20	833.33	5	9	37,499.85
188	झंझारपुर	एसबीडी–63/19–20	833.33	4	24	79,999.68
189	कटिहार	एसबीडी–13/18–19	833.33	14	42	4,89,998.04

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
190	कटिहार	एसबीडी–20/18–19	833.33	18	30	4,49,998.2
191	खगरिया	एमबीडी–403/19–20	833.33	4	21	69,999.72
192	खगरिया	एमबीडी –01/19–20	833.33	5	19	79,166.35
193	खगरिया	एमबीडी–208/19–20	833.33	4	26	86,666.32
194	खगरिया	एमबीडी –397/19–20	833.33	4	15	49,999.8
195	खगरिया	एमबीडी –08/19–20	833.33	15	21	2,62,498.95
196	खगरिया	एमबीडी –10/19–20	833.33	11	21	1,92,499.23
197	खगरिया	एमबीडी –09/19–20	833.33	23	15	2,87,498.85
198	खगरिया	एमबीडी –88/19–20	833.33	3	24	59,999.76
	खगरिया	एमबीडी –88/19–20	833.33	1	12	9,999.96
199	खगरिया	एमबीडी –12/19–20	833.33	25	26	5,41,664.5
200	खगरिया	एमबीडी –11/20–21	833.33	4	6	19,999.92
201	मधुबनी	एसबीडी–48/19–20	833.33	5	22	91,666.3
202	मधुबनी	एसबीडी–49/19–20	833.33	4	22	73,333.04
203	मधुबनी	एसबीडी–06/19–20	833.33	4	27	89,999.64
204	सारण	एसबीडी–28/19–20	833.33	4	12	39,999.84
205	सारण	एसबीडी–03/17–18	833.33	7	15	87,499.65
206	सारण	एसबीडी–26/19–20	833.33	5	27	1,12,499.55
207	सारण	एसबीडी–01/17–18	833.33	4	12	39,999.84
208	सारण	एसबीडी–02/17–18	833.33	4	24	79,999.68
209	शेरघाटी	एसबीडी–81/19–20	833.33	5	24	99,999.6
210	शेरघाटी	एसबीडी–55/19–20	833.33	6	24	1,19,999.52
211	शेरघाटी	एसबीडी–56/19–20	833.33	5	21	87,499.65
212	शेरघाटी	एसबीडी–49/19–20	833.33	7	26	1,51,666.06
213	शेरघाटी	एसबीडी–50/19–20	833.33	9	28	2,09,999.16
214	शेरघाटी	एसबीडी–80/19–20	833.33	6	27	1,34,999.46
215	सुपौल	एसबीडी–03/19–20	833.33	27	24	5,39,997.84
216	सुपौल	एसबीडी–138/19–20	833.33	7	6	34,999.86
217	सुपौल	एसबीडी–196/19–20	833.33	4	15	49,999.8
218	सुपौल	एसबीडी–204/19–20	833.33	2	21	34,999.86
219	सुपौल	एसबीडी–138/19–20	833.33	7	6	34,999.86
220	सुपौल	एसबीडी–64/19–20	833.33	5	3	12,499.95
221	सुपौल	एसबीडी–88/19–20	833.33	4	12	39,999.84
222	सुपौल	एसबीडी–89/19–20	833.33	5	12	49,999.8
223	सुपौल	एसबीडी–90/19–20	833.33	6	15	74,999.7
224	सुपौल	एसबीडी–39/19–20	833.33	29	24	5,79,997.68
225	सुपौल	एसबीडी–195/19–20	833.33	4	15	49,999.8
	योग					**1,92,85,756.19**

परिशिष्ट–3.13

(संदर्भः कंडिका–3.4.3.1)

नगर निकायों की वे योजनाएँ जिनको संचालन एवं अनुरक्षण के अंतर्गत नहीं रखा गया

क्रम संख्या	जिला का नाम	नगर निकायों का नाम	वार्ड की संख्या	शुरू करने की तिथि	समाप्त करने की तिथि	योजना की संख्या	परिवारों की संख्या
1	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	2बी	जून 2021	अगस्त 2021	1	200
2	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	3	अगस्त 2020	अक्टूबर 2020	1	405
3	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	4	अगस्त 2020	मई 2023	1	348
4	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	7बी	अगस्त 2020	सितम्बर 2020	1	185
5	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	8	जनवरी 2018	अप्रैल 2019	1	410
6	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	8बी	अगस्त 2020	अक्टूबर 2020	1	180
7	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	10बी	अगस्त 2020	फरवरी 2021	1	125
8	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	11	जनवरी 2018	मई 2019	1	380
9	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	12बी	अगस्त 2020	मई 2022	1	475
10	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	16	दिसम्बर 2017	जनवरी 2019	1	380
11	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	16बी	अगस्त 2020	सितम्बर 2020	1	50
12	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	18अ	जनवरी 2018	फरवरी 2019	1	325
13	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	19अ	जनवरी 2018	जनवरी 2020	1	480
14	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	19बी	जून 2021	अप्रैल 2022	1	225
15	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	21	अगस्त 2020	जून 2022	1	700
16	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	27	जनवरी 2018	सितम्बर 2019	1	450
17	गया	टेकरी	1	अप्रैल 2018	फरवरी 2020	1	292
18	गया	टेकरी	3	मार्च 2018	मार्च 2019	1	201
19	गया	टेकरी	4	अप्रैल 2018	मार्च 2021	1	442
20	गया	टेकरी	5	अप्रैल 2018	जुलाई 2018	1	321
21	गया	टेकरी	6	अप्रैल 2018	जुलाई 2018	1	307
22	गया	टेकरी	7	मार्च 2018	जून 2018	1	392
23	गया	टेकरी	8	नवंबर 2017	जुलाई 2018	1	313
24	गया	टेकरी	9	नवंबर 2017	मार्च 2019	1	197
25	गया	टेकरी	10	नवंबर 2017	नवंबर 2018	1	338
26	गया	टेकरी	11	नवंबर 2017	अगस्त 2018	1	212
27	गया	टेकरी	12	नवंबर 2017	अगस्त 2018	1	160
28	गया	टेकरी	13	अप्रैल 2018	मार्च 2019	1	368
29	गोपालगंज	गोपालगंज	11	जून 2020	अक्टूबर 2021	1	210
30	गोपालगंज	गोपालगंज	12	अगस्त 2018	मई 2020	1	235
31	गोपालगंज	गोपालगंज	13	जुलाई 2018	जून 2019	1	235
32	गोपालगंज	गोपालगंज	14	जुलाई 2018	मई 2019	1	230
33	गोपालगंज	गोपालगंज	15	अगस्त 2018	मई 2019	1	282
34	गोपालगंज	गोपालगंज	16	सितमबर 2018	मई 2020	1	183
35	गोपालगंज	गोपालगंज	17	सितमबर 2018	मई 2020	1	385
36	गोपालगंज	गोपालगंज	18	जनवरी 2020	अक्टूबर 2020	1	316
37	गोपालगंज	गोपालगंज	20	फरवरी 2018	जुलाई 2018	1	295
38	गोपालगंज	गोपालगंज	21	अगस्त 2020	नवंबर 2020	1	382
39	गोपालगंज	गोपालगंज	22	अप्रैल 2020	दिसम्बर 2020	1	435
40	गोपालगंज	गोपालगंज	23	अप्रैल 2020	दिसम्बर 2020	1	675
41	गोपालगंज	गोपालगंज	24	जून 2019	फरवरी 2022	1	133
42	गोपालगंज	गोपालगंज	25	अप्रैल 2018	मई 2020	1	298
43	गोपालगंज	गोपालगंज	26	जुलाई 2018	जुलाई 2018	1	448
44	गोपालगंज	गोपालगंज	28	फरवरी 2020	मई 2020	1	226
45	जमुई	झाझा	1	दिसम्बर 2017	अक्टूबर 2020	1	250
46	जमुई	झाझा	2	दिसम्बर 2017	फरवरी 2023	1	175
47	जमुई	झाझा	3	अकतूबर 2019	मार्च 2021	1	225
48	जमुई	झाझा	5	दिसम्बर 2017	फरवरी 2022	1	248
49	जमुई	झाझा	6	दिसम्बर 2017	मार्च 2021	1	247
50	जमुई	झाझा	9	दिसम्बर 2017	फरवरी 2022	1	247

क्रम संख्या	जिला का नाम	नगर निकायों का नाम	वार्ड की संख्या	शुरू करने की तिथि	समाप्त करने की तिथि	योजना की संख्या	परिवारों की संख्या
51	जमुई	झाझा	10बी	दिसम्बर 2017	मार्च 2020	1	235
52	जमुई	झाझा	11	जनवरी 2019	अगस्त 2020	1	250
53	जमुई	झाझा	12	दिसम्बर 2017	मार्च 2021	1	247
54	जमुई	झाझा	13	उपलब्ध नहीं	जुलाई 2021	1	225
55	जमुई	झाझा	14	दिसम्बर 2017	नवंबर 2018	1	103
56	जमुई	झाझा	15	दिसम्बर 2017	अप्रैल 2021	1	125
57	जमुई	झाझा	16	दिसम्बर 2017	नवंबर 2020	1	160
58	जमुई	झाझा	17	दिसम्बर 2017	नवंबर 2021	1	225
59	जमुई	झाझा	18	अकतूबर 2018	नवंबर 2021	1	250
60	जमुई	झाझा	19	उपलब्ध नहीं	सितम्बर 2020	1	250
61	जमुई	झाझा	20	दिसम्बर 2017	नवंबर 2021	1	246
62	जमुई	झाझा	21	अकतूबर 2018	जनवरी 2022	1	247
63	जमुई	झाझा	22	सितमबर 2017	अक्टूबर 2020	1	250
64	खगरिया	खगरिया	2	मई 2018	अप्रैल 2022	1	250
65	खगरिया	खगरिया	3	जून 2018	दिसम्बर 2021	1	190
66	खगरिया	खगरिया	7	मई 2018	दिसम्बर 2021	1	160
67	खगरिया	खगरिया	14	जून 2018	मई 2020	1	205
68	खगरिया	खगरिया	15	जून 2018	अक्टूबर 2020	1	190
69	खगरिया	खगरिया	16	जून 2018	अकतूबर 2021	1	218
70	खगरिया	खगरिया	18	मई 2018	दिसम्बर 2021	1	216
71	खगरिया	खगरिया	20	अप्रैल 2020	मई 2022	1	180
72	खगरिया	खगरिया	21	मई 2018	जनवरी 2020	1	190
73	खगरिया	खगरिया	22	जुलाई 2018	अप्रैल 2022	1	250
74	खगरिया	खगरिया	12	जुलाई 2018	दिसम्बर 2021	1	195
75	खगरिया	खगरिया	15	जून 2018	अक्टूबर 2020	1	205
76	खगरिया	खगरिया	22	मार्च 2022	दिसम्बर 2022	1	180
77	खगरिया	खगरिया	26	अप्रैल 2020	अगस्त 2020	1	175
78	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	1	मार्च 2019	मई 2023	1	500
79	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	2	मार्च 2019	अपूर्ण	1	200
80	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	4	सितमबर 2018	अक्टूबर 2021	1	400
81	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	5	जुलाई 2021	अक्टूबर 2022	1	400
82	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	7	जुलाई 2022	अक्टूबर 2022	1	350
83	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	8	जुलाई 2021	अक्टूबर 2021	1	420
84	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	11	अप्रैल 2021	अगस्त 2022	1	500
85	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	12 और 13	मई 2019	मई 2021	2	1,036
86	सारण	रिविलगंज	1 से 21	अप्रैल 2017 से जुलाई 2022	नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022	21	6,754
	कुल					107	

परिशिष्ट–3.14

(संदर्भ: कंडिका–3.4.3.3)

उपभोक्ता शुल्क की वसूली न होने का विवरण

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या	गृह संयोजन की संख्या	गृह संयोजन की तारीख	तिथि जबसे उपभोक्ता शुल्क वसूला जाना था	महीनों की संख्या (मार्च 23 तक)	उपभोक्ता शुल्क का दर (₹ 40 प्रति महिना)	वसूलनीय राशि (₹ में)
1	औरंगाबाद	7 वार्ड	3,770	31/08/2021	19/08/2021	19	40	28,65,200
2	बेनीपुर नगर परिषद	1	256	13/09/2020	19/08/2021	19	40	1,94,560
3	बेनीपुर नगर परिषद	2	350	30/05/2018	19/08/2021	19	40	2,66,000
4	बेनीपुर नगर परिषद	2 बी	200	17/08/2021	19/08/2021	19	40	1,52,000
5	बेनीपुर नगर परिषद	3	405	12/10/2020	19/08/2021	19	40	3,07,800
6	बेनीपुर नगर परिषद	5	265	21/10/2020	19/08/2021	19	40	2,01,400
7	बेनीपुर नगर परिषद	6	350	24/06/2018	19/08/2021	19	40	2,66,000
8	बेनीपुर नगर परिषद	7	350	27/05/2018	19/08/2021	19	40	2,66,000
9	बेनीपुर नगर परिषद	7 बी	185	30/09/2020	19/08/2021	19	40	1,40,600
10	बेनीपुर नगर परिषद	8	410	17/04/2019	19/08/2021	19	40	3,11,600
11	बेनीपुर नगर परिषद	8 बी	180	25/10/2020	19/08/2021	19	40	1,36,800
12	बेनीपुर नगर परिषद	9	635	09/10/2020	19/08/2021	19	40	4,82,600
13	बेनीपुर नगर परिषद	10	410	24/12/2018	19/08/2021	19	40	3,11,600
14	बेनीपुर नगर परिषद	10 बी	125	20/02/2021	19/08/2021	19	40	95,000
15	बेनीपुर नगर परिषद	11	380	04/12/2018	19/08/2021	19	40	2,88,800
16	बेनीपुर नगर परिषद	12 ए	255	12/11/2020	19/08/2021	19	40	1,93,800
17	बेनीपुर नगर परिषद	12 बी	475	12/11/2020	19/08/2021	19	40	3,61,000
18	बेनीपुर नगर परिषद	15	700	19/10/2020	19/08/2021	19	40	5,32,000
19	बेनीपुर नगर परिषद	16	380	27/01/2019	19/08/2021	19	40	2,88,800
20	बेनीपुर नगर परिषद	16 बी	50	29/09/2020	19/08/2021	19	40	38,000
21	बेनीपुर नगर परिषद	17	350	21/04/2020	19/08/2021	19	40	2,66,000
22	बेनीपुर नगर परिषद	18 ए	325	16/02/2019	19/08/2021	19	40	2,47,000
23	बेनीपुर नगर परिषद	19 ए	480	29//01/2020	19/08/2021	19	40	3,64,800
24	बेनीपुर नगर परिषद	19 बी	225	14/04/2022	19/08/2021	11	40	99,000
25	बेनीपुर नगर परिषद	21	700	10/06/2022	19/08/2021	9	40	2,52,000
26	बेनीपुर नगर परिषद	22	295	20/10/2020	19/08/2021	19	40	2,24,200
27	बेनीपुर नगर परिषद	23	360	14/08/2020	19/08/2021	19	40	2,73,600
28	बेनीपुर नगर परिषद	24	720	25/10/2020	19/08/2021	19	40	5,47,200
29	बेनीपुर नगर परिषद	25 ए	380	14/04/2019	19/08/2021	19	40	2,88,800
30	बेनीपुर नगर परिषद	26 ए	240	18/10/2020	19/08/2021	19	40	1,82,400
31	बेनीपुर नगर परिषद	26 बी	250	22/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
32	बेनीपुर नगर परिषद	27	450	19/09/2019	19/08/2021	19	40	3,42,000
33	बेनीपुर नगर परिषद	28	260	23/10/2020	19/08/2021	19	40	1,97,600
34	बेनीपुर नगर परिषद	29 ए	285	23/10/2020	19/08/2021	19	40	2,16,600
35	बेनीपुर नगर परिषद	29 बी	150	23/10/2020	19/08/2021	19	40	11,4000
36	बेतिया नगर निगम	1 से 33	15,581	01/09/2021	19/08/2021	18	40	1,12,18,320
37	बेतिया नगर निगम	1 से 33	1,084	01/10/2021	19/08/2021	17	40	7,37,120
38	बेतिया नगर निगम	1 से 33	272	06/12/2021	19/08/2021	15	40	1,63,200
39	बेतिया नगर निगम	1 से 35	577	07/02/2022	19/08/2021	13	40	3,00,040
40	बेतिया नगर निगम	1 से 35	113	04/03/2022	19/08/2021	12	40	54,240
41	बेतिया नगर निगम	1 से 35	289	05/04/2022	19/08/2021	11	40	1,27,160
42	बेतिया नगर निगम	1 से 37	587	03/06/2022	19/08/2021	9	40	2,11,320
43	बेतिया नगर निगम	1 से 37	300	06/07/2022	19/08/2021	8	40	96,000
44	बेतिया नगर निगम	1 से 38	130	30/07/2022	19/08/2021	8	40	41,600
45	बेतिया नगर निगम	1 से 38	152	12/09/2022	19/08/2021	6	40	36,480

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या	गृह संयोजन की संख्या	गृह संयोजन की तारीख	तिथि जबसे उपभोक्ता शुल्क वसूला जाना था	महीनों की संख्या (मार्च 23 तक)	उपभोक्ता शुल्क का दर (₹ 40 प्रति महिना)	वसूलनीय राशि (₹ में)
46	बेतिया नगर निगम	1 से 38	210	03/12/2022	19/08/2021	3	40	25,200
47	बेतिया नगर निगम	1 से 38	69	02/01/2023	19/08/2021	2	40	5,520
48	गोपालगंज	11	210	22/10/2021	19/08/2021	17	40	1,42,800
49	गोपालगंज	12	235	09/05/2020	19/08/2021	19	40	1,78,600
50	गोपालगंज	13	235	18/06/2019	19/08/2021	19	40	1,78,600
51	गोपालगंज	14	230	15/05/2019	19/08/2021	19	40	1,74,800
52	गोपालगंज	15	282	12/05/2019	19/08/2021	19	40	2,14,320
53	गोपालगंज	16	183	08/05/2020	19/08/2021	19	40	1,39,080
54	गोपालगंज	17	385	08/05/2020	19/08/2021	19	40	2,92,600
55	गोपालगंज	18	316	23/10/2020	19/08/2021	19	40	2,40,160
56	गोपालगंज	20	295	07/07/2018	19/08/2021	19	40	2,24,200
57	गोपालगंज	21	382	30/11/2020	19/08/2021	19	40	2,90,320
58	गोपालगंज	22	435	22/12/2020	19/08/2021	19	40	3,30,600
59	गोपालगंज	23	675	22/12/2020	19/08/2021	19	40	5,13,000
60	गोपालगंज	24	133	02/02/2022	19/08/2021	13	40	69,160
61	गोपालगंज	25	298	08/05/2020	19/08/2021	19	40	2,26,480
62	गोपालगंज	26	448	06/07/2018	19/08/2021	19	40	3,40,480
63	गोपालगंज	28	226	09/05/2020	19/08/2021	19	40	1,71,760
64	झाझा	1	250	02/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
65	झाझा	2	175	30/09/2021	19/08/2021	18	40	1,26,000
66	झाझा	3	225	03/03/2021	19/08/2021	19	40	1,71,000
67	झाझा	5	248	02/02/2022	19/08/2021	13	40	1,28,960
68	झाझा	5(बी)	248	01/02/2022	19/08/2021	13	40	1,28,960
69	झाझा	6	247	17/03/2021	19/08/2021	19	40	1,87,720
70	झाझा	9	247	08/02/2022	19/08/2021	13	40	1,28,440
71	झाझा	10(बी)	235	07/03/2020	19/08/2021	19	40	1,78,600
72	झाझा	11	250	24/08/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
73	झाझा	11(बी)	235	25/02/2020	19/08/2021	19	40	1,78,600
74	झाझा	12	247	13/03/2021	19/08/2021	19	40	1,87,720
75	झाझा	13	225	03/07/2021	19/08/2021	19	40	1,71,000
76	झाझा	15	125	08/02/2021	19/08/2021	19	40	95,000
77	झाझा	16	160	28/11/2020	19/08/2021	19	40	1,21,600
78	झाझा	17	225	03/02/2021	19/08/2021	17	40	1,53,000
79	झाझा	18	250	16/08/2020	19/08/2021	17	40	1,70,000
80	झाझा	20	246	02/09/2020	19/08/2021	17	40	1,67,280
81	झाझा	21	247	14/06/2021	19/08/2021	14	40	1,38,320
82	झाझा	22	250	14/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
83	झाझा	22(बी)	250	14/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
84	झंझारपुर नगर परिषद	1	500	01/06/2019	19/08/2021	19	40	3,80,000
85	झंझारपुर नगर परिषद	2	200	17/08/2020	19/08/2021	19	40	1,52,000
86	झंझारपुर नगर परिषद	3	500	15/02/2021	19/08/2021	19	40	3,80,000
87	झंझारपुर नगर परिषद	4	400	25/10/2021	19/08/2021	17	40	2,72,000
88	झंझारपुर नगर परिषद	5	400	24/07/2022	19/08/2021	8	40	1,28,000
89	झंझारपुर नगर परिषद	6	240	02/04/2019	19/08/2021	19	40	1,82,400
90	झंझारपुर नगर परिषद	7	350	15/10/2022	19/08/2021	5	40	70,000
91	झंझारपुर नगर परिषद	8	470	08//03/2022	19/08/2021	12	40	2,25,600
92	झंझारपुर नगर परिषद	9	119	01/04/2019	19/08/2021	19	40	90,440
93	झंझारपुर नगर परिषद	10	270	05/04/2019	19/08/2021	19	40	2,05,200
94	झंझारपुर नगर परिषद	11	500	03/02/2022	19/08/2021	13	40	2,60,000
95	झंझारपुर नगर परिषद	14 और 15	250	02/04/2019	19/08/2021	19	40	1,90,000

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या	गृह संयोजन की संख्या	गृह संयोजन की तारीख	तिथि जबसे उपभोक्ता शुल्क वसूला जाना था	महीनों की संख्या (मार्च 23 तक)	उपभोक्ता शुल्क का दर (₹ 40 प्रति महिना)	वसूलनीय राशि (₹ में)
96	झंझारपुर नगर परिषद	14 और 16	200	26/05/2021	19/08/2021	19	40	1,52,000
97	खगरिया नगर परिषद	1 से 24	5,866	04/06/2021	19/08/2021	19	40	44,58,160
98	खगरिया नगर परिषद	1 से 25	232	04/10/2021	19/08/2021	17	40	1,57,760
99	खगरिया नगर परिषद	1 से 26	3,358	01/11/2021	19/08/2021	16	40	21,49,120
100	रिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	5,530	सितमबर-21	19/08/2021	18	40	39,81,600
101	रिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	25	नवंबर-21	19/08/2021	16	40	16,000
102	रिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	5	दिसम्बर-21	19/08/2021	15	40	3,000
103	रिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	1,194	जनवरी-23	19/08/2021	2	40	95,520
104	टेकारी नगर परिषद	1 से 13	3,523	14/08/2021	19/08/2021	19	40	26,77,480
	योग		**68,650**					**4,76,66,400**

*(गृह संयोजन की संख्या **x** महीनों की संख्या **x** दर)

परिशिष्ट–4.1

(संदर्भः कंडिका 4.1.1.3)

शेरघाटी के फ्लोराइड प्रभावित वार्डो की सूची

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड नं.	फ्लोराइड (मि.ग्रा./ली)	टिप्पणी
1	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	8	3.11	असुरक्षित
2	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	11	1.76	असुरक्षित
3	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	14	3.15	असुरक्षित
4	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	1	2.96	असुरक्षित
5	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	4 आर	5.70	असुरक्षित
6	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	7 आर	10.70	असुरक्षित
7	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	15 आर	1.75	असुरक्षित
8	फतेहपुर	नगवां	9 आर	1.73	असुरक्षित
9	फतेहपुर	नगवां	7 बी आर	1.74	असुरक्षित
10	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	3 आर	4.02	असुरक्षित
11	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	12 आर	2.60	असुरक्षित
12	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	9 आर	1.71	असुरक्षित
13	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	6 आर	2.35	असुरक्षित
14	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	5 आर	2.62	असुरक्षित
15	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	4 आर	1.64	असुरक्षित
16	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	14 आर	4.53	असुरक्षित
17	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	13 आर	2.70	असुरक्षित
18	फतेहपुर	कठुलिया केवल	1 आर	1.94	असुरक्षित
19	फतेहपुर	कठुलिया केवल	4 आर	1.51	असुरक्षित
20	फतेहपुर	कठुलिया केवल	6 आर	1.93	असुरक्षित
21	बाराचट्टी	कहुदाग	14	1.56	असुरक्षित
22	बाराचट्टी	बुमेर	3	1.84	असुरक्षित
23	बाराचट्टी	बुमेर	10	2.08	असुरक्षित
24	बाराचट्टी	बुमेर	11	1.88	असुरक्षित
25	बाराचट्टी	बुमेर	12	2.62	असुरक्षित
26	बाराचट्टी	भलुआ	4	1.62	असुरक्षित
27	बाराचट्टी	भलुआ	3	1.49	असुरक्षित
28	बाराचट्टी	नवाडीह	7 आर	1.72	असुरक्षित
29	बाराचट्टी	नवाडीह	8 आर	2.24	असुरक्षित

परिशिष्ट–4.2

(संदर्भः कंडिका 4.1.1.3)

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल जमुई के फ्लोराइड प्रभावित वार्ड जहा एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किया गया है

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड सं.	एकरारनामा सं. / योजना का नाम	जे.पी.भी. के दौरान प्राप्त फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर (मि.ग्रा./ली)
1	चकाई	बरमोरिया	5	उपलब्ध नहीं	1.90
2	चकाई	पोझा	2	उपलब्ध नहीं	1.58
3	चकाई	पोझा	14	उपलब्ध नहीं	1.71
4	चकाई	प्रांची	9	उपलब्ध नहीं	1.61
5	चकाई	चकाई	11	उपलब्ध नहीं	1.11
6	चकाई	चकाई	14	उपलब्ध नहीं	1.03
7	चकाई	बमदाह	13	उपलब्ध नहीं	1.53
8	चकाई	कल्याणपुर	8	उपलब्ध नहीं	1.23
9	चकाई	कल्याणपुर	11	उपलब्ध नहीं	1.43
10	चकाई	सरून	8	उपलब्ध नहीं	1.22
11	चकाई	सरून	13	उपलब्ध नहीं	1.55
12	चकाई	नौवाडीह	6	उपलब्ध नहीं	1.21
13	चकाई	नौवाडीह	14	उपलब्ध नहीं	1.13
14	चकाई	गजाही	6	उपलब्ध नहीं	1.40
15	चकाई	गजाही	14	उपलब्ध नहीं	1.14
16	चकाई	घुटवे	1	उपलब्ध नहीं	1.39
17	चकाई	कियाजोरी	7	उपलब्ध नहीं	1.19
18	झाझा	छापा	1	उपलब्ध नहीं	1.68
19	झाझा	छापा	2	उपलब्ध नहीं	1.16
20	झाझा	राजलाकला	3	उपलब्ध नहीं	1.16
21	झाझा	बरकोला	5	उपलब्ध नहीं	1.58
22	झाझा	बोदवा	3	उपलब्ध नहीं	1.02
23	झाझा	बोदवा	5	उपलब्ध नहीं	1.46
24	झाझा	बोदवा	12	उपलब्ध नहीं	1.31
25	बरहट	पंडो	13	उपलब्ध नहीं	2.23
26	बरहट	नुमार	1	उपलब्ध नहीं	1.63
27	सिकंदरा	सिझौदी	9	उपलब्ध नहीं	1.11
28	सिकंदरा	ईटासागर	4	उपलब्ध नहीं	1.14

परिशिष्ट–4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.1.1.3)

औरंगाबाद में जल में फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत स्तर से अधिक की उपस्थिति

क्र. सं.	प्रखंड	पंचायत	गाँव	वार्ड सं.	परीक्षण की तिथि	परीक्षण मान (मि.ग्रा. / ली.)	योजना का प्रकार
1	औरंगाबाद	पोईवाई	इंग्लिश	1	21/07/2020	2.12	पं.रा.वि.
2	औरंगाबाद	नौगढ़	नौगढ़	5	18/01/2021	1.86	गु. प्र.
3	औरंगाबाद	कर्माभगवान		16	08/05/2020	1.17	गैर–गु. प्र.
4	देव	बेढ़ना	कर्माडीह	11	21/07/2020	1.18	पं.रा.वि.
5	देव	देव		9–13	02/02/2021	1.23	गैर–गु. प्र.
6	देव	पवई	सितार	2	02/02/2021	2.36	गैर–गु. प्र.
7	देव	पवई	सुहागीय बीघा	13	10/12/2020	1.24	गु. प्र.
8	देव	बेढ़ना	पचोखर	6	10/12/2020	1.28	गु. प्र.
9	देव	अरोरा	बेराइ बीघा	3	04/02/2021	1.24	गैर–गु. प्र.
10	देव	अरोरा	भंडारी	11	04/02/2021	1.32	गैर–गु. प्र.
11	कुटुम्बा	डुमरी	भदुरी कला	5	04/02/2021	1.78	गैर–गु. प्र.
12	कुटुम्बा	डुमरी	मंझौली	9	04/02/2021	1.48	गैर–गु. प्र.
13	कुटुम्बा	डुमरी	सिघना	10	04/02/2021	1.62	गैर–गु. प्र.
14	कुटुम्बा	डुमरी	सुगही	2	04/02/2021	1.33	गैर–गु. प्र.
15	कुटुम्बा	पिपरा बगही	पिपरा बगही	5	04/02/2021	1.04	गैर–गु. प्र.
16	कुटुम्बा	पिपरा बगही	मधुपुर	11	04/02/2021	3.28	गैर–गु. प्र.
17	कुटुम्बा	पिपरा बगही	पिपरा बगही	6	04/02/2021	1.44	गैर–गु. प्र.
18	कुटुम्बा	डुमरी	मेहशो	4	04/02/2021	1.72	गैर–गु. प्र.
19	मदनपुर	पिर्थु	मैकिदिह	13 पी1	22/10/2020	1.36	गु. प्र.
20	मदनपुर	सलैया	लखनपुर	8 पी1	22/10/2020	1.54	गु. प्र.
21	मदनपुर	सलैया	राजबिघा	5 पी1	06/11/2020	1.66	गु. प्र.
22	मदनपुर	सलैया	इटखोला	1	08/12/2020	1.52	गु. प्र.
23	मदनपुर	सलैया	बेला	7	10/12/2020	1.62	गु. प्र.
24	मदनपुर	सलैया	बेला	6	10/12/2020	2.28	गु. प्र.
25	मदनपुर	सलैया	बलाकर्मा	11	10/12/2020	1.38	गु. प्र.
26	मदनपुर	सलैया	दिप्तिबिघा	8	18/01/2021	1.50	गु. प्र.
27	मदनपुर	सलैया	हरीबिघा	13	18/01/2021	1.14	गु. प्र.
28	मदनपुर	सलैया	अररुआ	10	18/01/2021	1.77	गु. प्र.
29	मदनपुर	सलैया	महेशपुर	4	18/01/2021	1.36	गु. प्र.
30	मदनपुर	खिरियावा	बोरादी	5	18/01/2021	3.28	गु. प्र.
31	मदनपुर	पिर्थु	रामराज बीघा	6	22/10/2020	1.74	गु. प्र.
32	मदनपुर	सलैया	धुखाम बीघा	10 पी1	25/02/2021	1.60	गु. प्र.
33	नबीनगर	रामपुर	भटकुर	3	21/07/2020	1.44	पं.रा.वि.
34	नबीनगर	रामनगर	महुआरी	6	21/07/2020	1.32	पं.रा.वि.
35	नबीनगर	रामपुर	शिवपुर	4	17/08/2020	1.26	गु. प्र.
36	रफीगंज	दुगुल	खैरा फिरोज	3	08/12/2020	2.02	गु. प्र.
37	रफीगंज	दुगुल	दुआरी	12	08/12/2020	2.60	गु. प्र.
38	रफीगंज	दुगुल	दुगुल	7	08/12/2020	2.60	गु. प्र.
39	रफीगंज	दुगुल	दुगुल	9	08/12/2020	1.76	गु. प्र.
40	रफीगंज	दुगुल	सलेमपुर	6	08/12/2020	2.04	गु. प्र.
41	रफीगंज	बलार	गौर पोखर	7 एवं 10	08/12/2020	1.58	गु. प्र.
42	रफीगंज	बलार	पखनोर	10	10/12/2020	3.14	गु. प्र.
43	रफीगंज	बलार	डोमनबीघा	9	08/12/2020	1.05	गु. प्र.
44	रफीगंज	बलार	कड़ी	8	08/12/2020	1.60	गु. प्र.

परिशिष्ट–4.4

(संदर्भः कंडिका 4.1.1.4)

फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र के क्षमता का कम प्रावधान

इकाई का नाम	योजना की सं. जहाँ कम क्षमता वाले एफ. आर.पी. का प्रावधान किया गया	आधार वर्ष (2018) में जनसँख्या	डी.पी.आर. में प्रावधानित एफ. आर.पी. का क्षमता (कि.ली. प्रति घंटा)	डी.पी.आर. में प्रावधानित एफ. आर. पी. द्वारा शोधित पानी की क्षमता (8000/कि.ली. प्रति घंटा*)	जल आपूर्ति की मात्रा की सीमा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)#
1	2	3	4	5	6= (5/3)
ले. स्वा. प्रमंडल जमुई	1	323	2	16,000	50
	2	495–779	4	32,000	41–65
	10	645–966	6	48,000	50–74
	18	840–1,151	8	64,000	56–76
	6	1,246–1,613	12	96,000	60–77
लो. स्वा. प्रमंडल गया	1	846	8	64,000	76
कुल	**38**	**323–1,613**			**41–77**

(स्रोतः नमूना जांचित प्रमंडलो द्वारा प्रदत आंकड़े)

* *एफ. आर. पी. की उपचार क्षमता 1 किलोलीटर प्रति घंटा (1000 लीटर) है, जिसे प्रतिदिन 8 घंटे चलाने पर 8000 लीटर के रूप में गणना किया जाता है।*

 # 81 एल.पी.सी.डी. जल की आवश्यकता के विरुद्ध.

परिशिष्ट–4.5

(संदर्भः कंडिका 4.1.2.1)

नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में स्थापित जल शोधन संयंत्र की स्थिति

(अ) आवश्यक जल शोधन संयंत्र के बिना क्रियान्वित योजनाएँ

क्र.सं.	श. स्था. नि. का नाम	एकरारनामा सं. / योजना सं.	वार्ड सं.	डब्लू.टी.पी. पर व्यय (लाख में)	मा.पु. से अनुसार घरों की सं.
1	बेनीपुर	2एफ2 / 17–18	6	6.30	350
2	बेनीपुर	3एफ 2 / 17–18	7	6.30	350
3	बेनीपुर	5एफ2 / 17–18	17	6.30	350
4	बेनीपुर	17एफ2 / 20–21	26 ए	12.00	240
5	बेनीपुर	11एफ2 / 20–21	26 बी	12.00	250
6	झंझारपुर	41 / 22–23	7	12.60	350
7	झंझारपुर	38 / 21–22	8	12.60	420+50
	कुल			68.10	2360

(ब) आवश्यक जल शोधन संयंत्र के बिना क्रियान्वित योजनाएँ

क्र.सं.	श. स्था. नि. का नाम	एकरारनामा सं. / योजना सं.	वार्ड सं.	योजना पर व्यय (लाख में)	मा.पु. से अनुसार घरों की सं.
1.	बेनीपुर	11एफ2 / 17–18	27	42.28	450
2.	बीरपुर	14 / 17–18	4	21.77	250
3.	बीरपुर	06 / 17–18	9	31.76	250
4.	खगडिया	03 / 17–18	2	3.28+9.23+5.46	250 (205+45)
5.	खगडिया	04 / 17–18	3	3.28+7.62	190
6.	खगडिया	07 / 17–18	6	3.28	0
7.	खगडिया	08 / 17–18	7	3.28+7.31	160
8.	खगडिया	15 / 17–18	14	3.28+8.73	205
9.	खगडिया	16 / 17–18	15	3.28+7.69	190
10.	खगडिया	17 / 17–18	16	3.28+7.38	218
11.	खगडिया	19 / 17–18	18	3.28+13.33	216
12.	खगडिया	21 / 17–18	20	3.28+6.47	180
13.	खगडिया	22 / 17–18	21	3.28+7.95	190
14.	खगडिया	23 / 17–18	22	3.28+7.23+7.53	250 (205+45)
15.	झाझा	01 / 18–19	1	16.93	231
16.	झाझा	28 / 17–18	1	19.58	250
17.	झाझा	27 / 18–19	5	19.49	248
18.	झाझा	48 / 17–18	9	19.14	225
19.	झाझा	47 / 17–18	9	19.35	247
20.	झाझा	33 / 17–18	11	18.51	235
21.	झाझा	7 / 18–19	11	20.27	250
22.	झाझा	49 / 17–18	13	18.98	225
23.	झाझा	37 / 17–18	14	3.01	0
24.	झाझा	09 / 18–19	17	17.2	225
25.	झाझा	11 / 18–19	21	18.55	247
26.	झाझा	29 / 17–18	22	19.04	250
	कुल			437.88	5632

परिशिष्ट–4.6

(संदर्भः कंडिका 4.1.3.1)

न्यूनतम आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जिलों में प्रयोगशालाओं की कम क्षमता

क्र. सं.	जिला का नाम	जिले में लो.स्वा. अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित आर्सेनिक एवं फ्लोराइड निवारण योजनाएँ	जिले में लो. स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित लौह निवारण योजनाएँ	लो.स्वा.अभि.वि., पं.रा.वि. एवं श. स्था.नि. द्वारा क्रियान्वित कुल गैर–गु. वार्ड	आवश्यक कुल मासिक परीक्षणों की संख्या	प्रयोगशाला की अधिकतम मासिक परीक्षण करने की क्षमता	क्षमता की कमी	क्षमता की कमी (प्रतिशत में)
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F= C+ D/3+ E/4**	**G**	**H**	**I**
1	अररिया	0	2,992	73	1,016	550	466	46
2	अरवल	0	0	890	223	550	–328	
3	औरंगाबाद	90	0	2,808	792	550	242	31
4	बांका	972	0	1,545	1,358	550	808	60
5	बेगुसराय	557	1,849	716	1,352	550	802	59
6	भागलपुर	916	378	1,883	1,513	550	963	64
7	भोजपुर	907	0	2,314	1,486	550	936	63
8	बक्सर	487	0	1,551	875	550	325	37
9	दरभंगा	30	17	4,426	1,142	550	592	52
10	पूर्वी चंपारण	0	0	5,769	1,442	550	892	62
11	गया	200	0	4,452	1,313	550	763	58
12	गोपालगंज	0	0	3,223	806	550	256	32
13	जमुई	711	0	1,302	1,037	550	487	47
14	जहानाबाद	0	0	1,326	332	550	–219	
15	कैमूर	202	0	1,688	624	550	74	12
16	कटिहार	114	3,095	72	1,164	550	614	53
17	खगडिया	465	1,379	46	936	550	386	41
18	किशनगंज	0	1,769	64	606	550	56	9
19	लखीसराय	227	0	943	463	550	–87	
20	मधेपुरा	0	2,242	41	758	550	208	27
21	मधुबनी	0	0	5,398	1,350	550	800	59
22	मुंगेर	307	43	1,077	591	550	41	7
23	मुजफ्फरपुर	0	0	5,412	1,353	550	803	59
24	नालंदा	246	0	3,269	1,063	550	513	48
25	नवादा	323	0	2,259	888	550	338	38
26	पटना	178	0	4,495	1,302	550	752	58
27	पूर्णिया	0	3,280	64	1,109	550	559	50
28	रोहतास	340	0	3,153	1,128	550	578	51
29	सहरसा	0	1,724	51	587	550	37	6
30	समस्तीपुर	536	0	4,717	1,715	550	1165	68
31	सारण	47	0	4,678	1,217	550	667	55
32	शेखपूरा	328	0	437	437	550	–113	
33	शिवहर	0	0	762	191	550	–360	
34	सीतामढ़ी	206	0	3,696	1,130	550	580	51

क्र. सं.	जिला का नाम	जिले में लो.स्वा. अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित आर्सेनिक एवं फ्लोराइड निवारण योजनाएँ	जिले में लो. स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित लौह निवारण योजनाएँ	लो.स्वा.अभि.वि., पं.रा.वि. एवं श. स्था.नि. द्वारा क्रियान्वित कुल गैर–गु. वार्ड	आवश्यक कुल मासिक परीक्षणों की संख्या	प्रयोगशाला की अधिकतम मासिक परीक्षण करने की क्षमता	क्षमता की कमी	क्षमता की कमी (प्रतिशत में)
35	सिवान	0	0	4,135	1,034	550	484	47
36	सुपौल	0	2,522	53	854	550	304	36
37	वैशाली	311	0	3,765	1,252	550	702	56
38	प. चंपारण	0	0	4,256	1,064	550	514	48
	कुल	8,700	21,290	86,809	37,499	20,900	16,599	

परिशिष्ट–4.7

(संदर्भः कंडिका 4.1.3.2)

नमूना जांचित प्रमंडलों की प्रयोगशालाओं में रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक के लिए स्वीकृत पद तथा कार्यरत बल

प्रमंडल का नाम	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत बल	
		प्र. प्रयोगशाला	अनु. प्रयोगशाला	प्र. प्रयोगशाला	अनु. प्रयोगशाला
औरंगाबाद	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
दरभंगा	रसायनज्ञ	1	2	0	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
मधुबनी	रसायनज्ञ	1	2	0	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
खगडिया	रसायनज्ञ	1	2	1	2
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	2
छपरा	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
गया	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
बेतिया	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
भागलपुर	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	1	2	0	0
जमुई	रसायनज्ञ	1	2	0	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
कटिहार	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
	कुल	29	40	16	4

परिशिष्ट–4.8

(संदर्भ: कंडिका 4.1.3.3)

नमूना जांचित प्रमंडलों में उपकरणों की स्थिति

क्र.सं.	उपकरणों का नाम	लो.स्वा.प्र. औरंगाबाद		लो.स्वा.प्र. दरभंगा		लो.स्वा.प्र. मधुबनी		लो.स्वा.प्र. बेतिया	
		उपलब्ध	कार्यरत	उपलब्ध	कार्यरत	उपलब्ध	कार्यरत	उपलब्ध	कार्यरत
1	पी.एच. मीटर	1	0	1	1	1	1	1	1
2	टर्बिडिटी मीटर	1	1	1	1	1	1	1	1
3	कंडक्टिविटी मीटर	1	1	1	1	1	1	1	1
4	यूवी–स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	1	1	1	1	1	1	1	1
5	फ्लोराइड जांच के लिएआयन मीटर	0	0	1	1	1	1	1	1
6	हॉट एयर ओवन	1	1	0	0	0	0	1	0
7	मैग्नेटिक स्टिरर	1	1	1	1	0	0	0	0
8	वॉटर बाथ	1	1	0	0	0	0	0	0
9	डिजिटल बैलेंस	2	2	1	1	1	1	1	1
10	फ्यूम हुड चैम्बर	1	1	1	1	1	1	0	0
11	डिजिटल आरटीडी प्रोब	0	0	0	0	0	0	0	0
12	थर्मामीटर	1	1	0	0	0	0	0	0
13	वेट बॉक्स / एनालिटिक वेट बॉक्स	0	0	0	0	0	0	0	0
14	रेफ्रिजरेटर	1	1	1	1	1	0	1	1
15	हॉट प्लेट	1	1	0	0	0	0	1	1
16	मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**13**	**12**	**9**	**9**	**8**	**7**	**9**	**8**
कुल उपलब्ध-**39** कुल कार्यरत: **36**									

परिशिष्ट–4.9

(संदर्भ: कंडिका 4.1.3.5)

अप्रयुक्त एफ.टी.के. एवं एच.2एस. वायल्स का विवरण

जिला/प्रमण्डल का नाम	परीक्षण किट का सं.	चालान के अनुसार परीक्षण किटों की आपूर्ति की तिथि	समाप्ति तिथि	किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	13/02/24 तक किए गए परीक्षणों की संख्या(22–23+23–24)	न किए गए / अप्रयुक्त परीक्षणों की संख्या **(E-F)**
(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**(G)**
एफ.टी.के की स्तिथि						
औरंगाबाद	211	05/01/2022	31/12/2023	21,100	1,374* (599+775)	19,726
भागलपुर	255	12/02/2022	31/12/2024	25,500	2,314 (957+1,357)	23,186
दरभंगा	343	14/02/2022	14/02/2024	34,300	921 (168+753)	33,379
गया	348	17/01/2022	17/01/2024	34,800	2,073 (302+1,771)	32,727
गोपालगंज	247	15/01/2022	15/01/2024	24,700	378 (66+312)	24,322
जमुई	165	18/01/2022	18/01/2024	16,500	2,249 (1,290+959)	14,251
कटिहार	285	14/02/2022	14/02/2024	28,500	998 (145+853)	27,502
खगडिया	180	14/02/2022	14/02/2024	18,000	1,655 (379+1,276)	16,345
मधुबनी	227	26/04/2022	26/04/2022	22,700	354 (120+234)	22,346
पश्चिम चंपारण	330	11/02/2022	11/02/2024	33,000	1,139 (46+1,093)	31,861
सारण	300	16/02/2022	16/02/2024	30,000	1,391 (537+854)	28,609
सुपौल	196	15/02/2022	15/02/2024	19,600	4,664 (1,021+3,643)	14,936
कुल	**3,087**			**3,08,700**	**19,510**	**2,89,190**
कुल समाप्ति तिथि पार कर चुके एफ.टी. के की सं. = **1,227** = **(211-14)** + **(348-21)** + **(247-4)** + **(165-23)** + **(330-12)** • 1 एफ.टी.के द्वारा किए जाने वाले परीक्षण:– 100 परीक्षण • 1 एफ.टी.के का मूल्य (गैर–गुणवत्ता): ₹ 1,450.01 (12 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित), • 1,227 समाप्ति तिथि पार कर चुके एफ.टी. के. का मूल्य = ₹ 17.79 लाख **(1,227*1,450.01)**						
एच.2एस. वायल्स की स्तिथि						
औरंगाबाद	41,400	21/02/2022	21/02/2024	41,400	1,359 (584+775)	40,041
भागलपुर	49,000	15/02/2022	15/02/2024	49,000	2,352 (953+1,399)	46,648
दरभंगा	65,400	09/07/2022	09/07/2024	65,400	1,464 (162+1,302)	63,936
गया	67,000	11/03/2022	11/03/ 2024	67,000	1,997 (297+1,700)	65,003
गोपालगंज	47,400	23/07/2022	23/072024	47,400	338 (51+287)	47,062
जमुई	31,200	16/02/2022	16/02/2024	31,200	2,247 (1,290+957)	28,953
कटिहार	47,600	18/04/2022	18/04/2024	47,600	846 (90+756)	46,754
खगडिया	26,400	12/04 /2022	12/04/2024	26,400	1,506 (255+1,251)	24,894
मधुबनी	44,200	02/03/2023	02/03/2025	44,200	214 (2+212)	43,986
पश्चिम चंपारण	63,600	18/01/2023	18/01/2025	63,600	2,234 (3+2,231)	61,366
सारण	65,200	10/12/2022	10/12/2024	65,200	643 (113+530)	64,557
सुपौल	36,800	23/07/2022	23/07/2024	36,800	4,735 (1,094+3,641)	32,065
कुल	**5,85,200**			**5,85,200**	**19,935**	**5,65,265**

परिशिष्ट–4.10

(संदर्भः कंडिका 4.2.1.1)

नमूना जांचित जिलों में लो. स्वा. अभि. वि. के प्रतिवेदन एवं नमूना जांचित एकरारनामा के अनुसार परिवारों के आच्छादन का विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	लो. स्वा. अभि. वि. के प्रतिवेदन (अप्रैल 2023) के अनुसार परिवारों का आच्छादन			नमूना जांचित एकरारनामा के अनुसार परिवारों का आच्छादन			
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में	नमूना जांचित एकरारनामा का सं.	एकरारनामा के अनुसार लक्ष्य	मा.पु.के अनुसार उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में
1	औरंगाबाद	1,67,629	1,60,848	96	26	11,771	9,198	78
2	दरभंगा	89,550	86,665	97	25	24,044	17,511	73
3	मधुबनी	1,28,168	1,27,501	99	47	45,102	36,672	81
4	सुपौल	4,19,056	4,17,489	100	40	38,341	32,920	**86**
5	खगडिया	2,62,675	2,62,675	100	22	29,966	19,603	65
6	छपरा	1,53,892	1,53,892	100	12	10,951	9,207	84
7	गया	2,36,187	2,36,187	100	33	44,232	27,492	**62**
8	बेतिया	1,48,907	1,48,907	100	8	7,418	5,854	79
9	जमुई	1,94,145	1,94,145	100	31	68,307	45,677	67
10	कटिहार	5,23,889	5,23,889	100	22	46,999	40,305	**86**
11	गोपालगंज	52,520	52,520	100	13	8,983	6,541	73
12	भागलपुर	3,27,784	3,25,224	99	25	1,11,127	91,830	83
	कुल	**27,04,402**	**26,89,942**	**99**	**304**	**4,47,241**	**3,42,810**	**77**

परिशिष्ट–4.11

(संदर्भः कंडिका 4.2.1.2)

नमूना जांचित पंचायतों में पं.रा.वि. की निश्चयसॉफ्ट प्रतिवेदन तथा नमूना जांचित पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार परिवारों के आच्छादन का विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	नमूना जांचित वार्डो की सं.	नमूना जांचित पंचायतों की निश्चय सॉफ्ट प्रतिवेदन के अनुसार परिवारों का आच्छादन			नमूना जांचित पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार परिवारों का आच्छादन		
			लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में	प्राक्कलन के अनुसार लक्ष्य	मा. पु./ अभिलेख के अनुसार उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में
1	औरंगाबाद	32	3,820	3,300	86	4,685	3,794	81
2	भागलपुर	37	6,193	6,187	100	6,988	6,046	87
3	दरभंगा	40	7,515	6,825	91	8,050	6,726	84
4	गया	37	5,131	5,235	102	6,865	6,171	90
5	गोपालगंज	30	4,135	4,069	98	5,087	4,595	90
6	जमुई	24	3,628	3,453	95	3,830	3,595	94
7	मधुबनी	38	6,745	6,196	92	7,299	6,338	87
8	सारण	6	610	575	94	884	663	75
9	प. चंपारण	51	7,984	7,890	99	8,522	8,139	96
	कुल	**295**	**45,761**	**43,730**	**96**	**52,210**	**46,067**	**88**

परिशिष्ट–4.12

(संदर्भः कंडिका 4.2.3)

निरंतर जलापूर्ति हेतु पानी टंकी की अपर्याप्त व्यवस्था

परिवारों की सं.	वर्ष (आधार एवं मध्यवर्ती)	वर्षवार अनुमानित जनसंख्या	जल की मांग @ 81 एल.पी.सी.डी. (लीटर में)	जल मांग के 33 प्रतिशत पर आवश्यक भंडारण जलाशय की क्षमता (लीटर में)
100	2018	513	41,553	13,712
100	2033	700	56,700	18,711
150	2018	769	62,289	20,555
150	2033	1,050	85,050	28,067
200	2018	1,025	83,025	27,398
200	2033	1,400	1,13,400	37,422

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि. एवं प.रा.वि. का मॉडल प्राक्कलन)

परिशिष्ट–4.13

(संदर्भः कंडिका 4.2.3)

शहरी स्थानीय निकायों के योजनाओं में जल टंकी की अपर्याप्त व्यवस्था

परिवारों की सं.	जनसँख्या	जल की मांग @ 155 एल. पी.सी.डी.	जल मांग के @ 15 प्रतिशत पर भंडारण जलाशय की क्षमता (लीटर में)
250	1,250	1,93,750	29,062
500	2,500	3,87,500	58,125
1,000	5,000	7,75,000	1,16,250
1,500	7,500	11,62,500	1,74,375

(स्रोतः न.वि. एवं आ. वि. का मॉडल प्राक्कलन)

परिशिष्ट–5.1
(संदर्भः कंडिका 5.1.2)
लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के कार्यभार का विवरण

क्र. सं.	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	प्रमंडल के अंतर्गत वार्डों की सं.	कनिय अभियंता (जे.ई.)			सहायक अभियंता (ए.ई.)			जे.ई. में रिक्तियां (%)	ए.ई. में रिक्तियां (%)	प्रत्येक जे.ई. पर वार्ड का कार्यभार	प्रत्येक ए.ई.पर वार्ड का कार्यभार	जे.ई. पर वार्ड के कार्यभार सीमा	ए.ई. पर वार्ड के कार्यभार सीमा
			स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियां	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियां						
1	सुपौल	2,522	11	4	7	4	3	1	64	25	631	841	113 से 631	226 से 4,035
2	औरंगाबाद	694	11	6	5	4	3	1	45	25	116	231		
3	मधुबनी	678	20	6	14	8	3	5	70	63	113	226		
4	झंझारपुर													
5	कटिहार	3,209	16	9	7	5	2	3	44	60	357	1,605		
6	जमुई	1,443	10	3	7	4	3	1	70	25	481	481		
7	भागलपुर पूर्व	1,212	14	4	10	6	2	4	71	67	303	606		
8	भागलपुर पश्चिम	482	9	2	7	3	2	1	78	33	241	241		
9	खगड़िया	1,844	11	5	6	4	4	0	55	0	369	461		
10	गया	1,970	24	7	17	8	7	1	71	13	281	281		
11	शेरघाटी													
12	बेतिया	4,035	18	7	11	4	1	3	61	75	576	4,035		
	कुल	18,089	144	53	91	50	30	20	63	40	341	603		

(स्रोतः नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.2

(संदर्भः कंडिका 5.1.3.1)

निश्चयसॉफ्ट पर अकार्यशील योजनाओं को कार्यशील दिखाये जाने का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	निश्चयसॉफ्ट के अनुसार अकार्यशील योजनाएँ (कुल योजनाएँ)	संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाए गए अकार्यशील योजनाएँ	कुल योजनाएँ
1.	हनुमाननगर	0 (15)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 02 वार्ड (5,10)	15
2.	हरसिंघपुर	0 (20)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 02 वार्ड (15,20)	20
3.	बेलसंडी	01(13)	9 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 03 वार्ड (3,6,9)	14
4.	महुई	0 (14)	7 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 06 वार्ड (5,6,7,8,10,11)	14
5.	बेलवा लखनपुर	0 (14)	8 भौतिक सत्यापित योजनाओ में से 06 वार्ड (5,9,11,12,13,14)	14
6.	चकरबंधा	0 (13)	5 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 02 वार्ड (05,12)	13
7.	सुगापट्टी	4 (13)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओ में से 6 वार्ड (7,8,9,10,11,12) अकार्यशील पाए गए	14
8.	कालापट्टी	0 (15)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से वार्ड 14 एवं 15 अकार्यशील पाए गए	17
9.	महुवन	0 (4)	4 भौतिक सत्यापित योजनाओ में से वार्ड 8 एवं 10 अकार्यशील पाए गए	15
10.	पचफेडा	1 (14)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 2 वार्ड (06 व 07) अकार्यशील पाए गए	14
11.	गंगारा	0 (10)	5 भौतिक सत्यापित योजनाओ में से 4 वार्ड (06, 07, 08 व 09) अकार्यशील पाए गए	10
12.	पोहे	0 (14)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओ में से 3 वार्ड (04, 05 व 06) अकार्यशील पाए गए	14
13.	मोहनपुर	0 (13)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 1 योजना (वार्ड 12) अकार्यशील पाए गए	13
	कुल		**36**	**187**

(स्रोतः निश्चयसॉफ्ट एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन)

परिशिष्ट–5.3

(संदर्भ: कंडिका 5.1.3.1)

निश्चयसॉफ्ट पर अकार्यशील योजनाओं को नहीं दर्शाए जाने का विवरण

क्र. सं.	प्रखंड	ग्रा. पं.	अकार्यशील वार्ड	निश्चयसॉफ्ट पर दर्शाए गए वार्ड	अकार्यशील वार्ड जो निश्चयसॉफ्ट पर नहीं दर्शाए गए
1.	गोराडीह	नदियामा	11बी	1, 2, 3, 5, 6, 11, 12	11बी
2.	नाथनगर	गौराचौकी	12	1, 2, 4, 5	12
3.	नाथनगर	निस्फाम्बे	3बी, 8, 11, 14	1, 2, 6, 7, 8, 11, 14	3बी
4.	नाथनगर	बिशनरामपुर	2, 10	2, 13, 8, 3, 1,	10
5.	नाथनगर	कजरेली	3बी, 12	4, 12, 11, 2, 1, 6, 14, 10	3बी
6.	सुल्तानगंज	महेशी	1बी, 10बी	7, 2, 12, 6, 3, 1, 11, 9, 4, 13, 10, 5	1बी, 10बी
7.	सुल्तानगंज	नवादा	14बी	नहीं दिखाया गया	14बी
8.	सुल्तानगंज	धंधी बेलरी	12बी	5, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1, 2	12बी
9.	सुल्तानगंज	खानपुर	13बी	14, 16, 15, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13, 11, 7	13बी
10.	सुल्तानगंज	नयागांव	6बी	11, 6, 12, 10	6बी
11.	सुल्तानगंज	गंगनिया	1बी	1, 12, 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 15	1बी

(स्रोत: निश्चयसॉफ्ट एवं विवरण)

परिशिष्ट–5.4

(संदर्भ: कंडिका 5.1.5.1)

गुणवत्ता परीक्षण से पूर्व बिछाये गए पाइप का विवरण

क्र. सं.	लो. स्वा. प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं.	पाइप पर किया गया व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
1	खगड़िया	एम.बी.डी.–403/19–20	6.28	6,348 मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप (50/40 मि.मी. व्यास), जिसकी कीमत 14.69 लाख थी, की गुणवत्ता सी.आई.पी.ई.टी. द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। लेकिन लो. स्वा. प्रमंडल द्वारा इनमें से 2,747 मीटर पाइप, जिसकी कीमत 6.28 लाख थी, योजना में उपयोग कर लिया। पाइप 08/07/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 31/07/2020 को प्राप्त हुई।
		कुल	**6.28**	
2	खगड़िया	एम.बी.डी.–403/19–20	7.63	2,706 मीटर पाइप (90/75/63 मि.मी.) 08/07/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 31/07/2020 को प्राप्त हुई।
3	खगड़िया	एम.बी.डी.–208/19–20	45.52	8,712 मीटर पाइप 12/04/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 11/05/2020 को प्राप्त हुई।
4	छपरा	एस.बी.डी.–28/19–20	5.93	1,450 मीटर पाइप 28/10/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 04/11/2020 को प्राप्त हुई।
5	छपरा	एस.बी.डी.–.02/17–18	1.42	991 मीटर पाइप 21/07/2019 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 13/08/2019 को प्राप्त हुई।
6	शेरघाटी	एस.बी.डी.–81/19–20	34.13	8,100 मीटर पाइप 15/03/2020/08/06/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 12/08/2020 को प्राप्त हुई।
7	सुपौल	एस.बी.डी.–88/19–20 एस.बी.डी.–89/19–20 एस.बी.डी.–90/19–20	212.46	40,632 मीटर पाइप अप्रैल 2020 से मई 2020 के मध्य बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 03/10/2020 को प्राप्त हुआ।
		कुल	**307.09**	**62,591 मीटर**

(स्रोतः नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों का अभिलेख)

परिशिष्ट–5.5

(संदर्भः कंडिका 5.3.1)

नमूना जांचित जिलों में आई.ओ.टी. की न्यूनतम लागत की तुलना में अधिक भुगतान का विवरण

क्र. सं.	डी.पी.आर.ओ. का नाम	स्थापित आई.ओ.टी. की संख्या	प्रति आई. ओ.टी. उपकरण का दर	आई.ओ.टी. की स्थापना पर किया गया भुगतान (कुल लागत का प्रतिशत) (₹ *करोड़ में*)	प्रथम स्वीकृति (सितम्बर 2020) के समय आई. ओ.टी. की न्यून्तम दर (₹ *में*)	आई.ओ.टी. की न्यूनतम लागत पर किए जाने वाला भुगतान **3*6*5** (कुल लागत का प्रतिशत) (₹ *करोड़ में*)	आई.ओ.टी. की लागत में अंतर (कॉलम 5– कॉलम 7) (₹ *करोड़ में*)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	औरंगाबाद	2,095	16,800	1.76 (50)	10,790	1.13	0.63
2	भागलपुर	1,370	11,100	0.53 (35)	10,790	0.52	0.01
3	दरभंगा	3,217	16,640	3.09 (58)	10,790	2.00	1.09
4	गया	2,702	14,880	1.94 (48)	10,790	1.41	0.53
5	गोपालगंज	2,352	13,330	1.76 (56)	10,790	1.42	0.34
6	जमुई	520	13,900	0.32 (44)	10,790	0.25	0.07
7	मधुबनी	69	7,985	0 (0)	10,790	0.00	0.00
8	सारण	3,750	12,885	1.93 (40)	10,790	1.62	0.31
9	पश्चिमी चंपारण	2,002	12,500	1.04 (42)	10,790	0.90	0.14
	कुल	**18,077**					**3.12**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/bihar/hi/audit-report